सत्यमेव जयते

अमर शहीद को नमन

अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक व अन्य अंकों पर आधारित

राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

अमर शहीद को नमन

अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक व
अन्य अंकों पर आधारित

राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

अमर शहीद को नमन

अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक व अन्य अंकों पर आधारित

निर्देशन एवं परिकल्पना	—	श्री हर देव सिंह अभिलेख महानिदेशक प्रभारी
संयोजन	—	डा० प्रमोद मेहरा सहायक अभिलेख निदेशक
शोध एवं चयन	—	श्रीमती मंजू सहगल अभिलेखाधिकारी
अनुकृति प्रस्तुतिकरण वर्ष	—	2002

राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली

प्रस्तावना

पं० मदन मोहन मालवीय ने 1907 ई० में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जाग्रत करने के उद्देश्य से "अभ्युदय" नामक सचित्र साप्ताहिक पत्र की शुरूआत की थी। अपने मुख्यपृष्ठ पर "जियो तो सिंह बनकर नहीं तो मौत की गोद में सो जाओ", संदेश देने वाला यह पत्र पाठकों में अपने स्वतंत्र व निर्भीक स्वरूप के लिए जाना जाता था। "मातृभूमि पहले, मातृभूमि बाद में और मातृभूमि ही अंत में" सिद्धांत के कारण इस समाचार पत्र के प्रकाशन को ब्रिटिश सरकार ने 8 मई 1931 ई०, 18 नवम्बर 1931 एवं 21 जनवरी 1936 ई० में अपनी दमनकारी नीतियों का शिकार बनाया तथा इसके "भगतसिंह", "किसान" एवं "साम्यावाद" विशेषांकों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि "अभ्युदय" न सिर्फ एक पत्रिका थी बल्कि ऐसी मिसाल थी जिसने बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जन मानस की एक चेतना को जागृत करके भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अंनत कुमार ने संस्कृति विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 12 अक्टूबर 2000 को सम्पन्न हुई बैठक में राष्ट्रीय अभिलेखागार को मूल्यवान सांस्कृति सम्पदा के आधार पर एक हिन्दी प्रकाशन निकालने का निर्देश दिया था। जिसके अनुपालन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जगमोहन जी को आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग की हिन्दी सलाहाकार समिति की अक्टूबर 2002 में होने वाली बैठक से पूर्व हिन्दी में मूल दस्तावेजों पर आधारित एक प्रकाशन निकलेगा। तदानुसार इस संदर्भ में अमर शहीद भगत सिंह से सम्बन्धित प्रतिबंधित अंक व अन्य अंकों की सहायता से यह प्रकाशन **शहीद को नमन** प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह संकलन मुख्य रूप से अभ्युदय के प्रतिबंधित अंक (दिनांक 8 मई, 1931) पर आधारित है पर गौण रूप से सामग्री की महत्ता को बढ़ाने के लिय अन्य अंकों की भी सहायता ली गई है। इस संकलन में भगत सिंह एवं उनके परिवारजनों के छायाचित्र जैसे कि पिता सरदार किशन सिंह, दादा सरदार अर्जुन सिंह, माता व दादी आदि तथा भगतसिंह पर लिखी गई कवितायें व महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पण्डित मदन मोहन मालवीय, पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखित लेख तथा विषय से सम्बंधित महत्वपूर्ण समाचार आदि संकलित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शहीद राजगुरू, सुखदेव एवं उनके परिवार से सम्बन्धित व्यक्तियों दीवाना शहीद भगवती चरण, बटुकेश्वर दत्त आदि साथियों के दुर्लभ चित्र तथा लेख आदि भी इस संकलन की विशेषता है। वस्तुतः यह संकलन भगत सिंह पर केवल एक और पुस्तक भर नहीं है बल्कि इतिहास के शिलालेख पर भगत सिंह के बारे में अंकित दस्तावेजों का एक ऐसा प्रामाणिक प्रस्तुतीकरण है जो सिर्फ आम पाठकों के लिए वरन् शोधकर्ताओं के लिए भी बेहद रोचक व उपयोगी रहेगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से यह प्रयास इस महान शहीद को एक विन्रम श्रद्धाजंलि है।

आशा है राष्ट्रीय अभिलेखागार में शहीद भगत सिंह पर उपलब्ध यह साम्रगी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

हर देव सिंह
अभिलेख महानिदेशक प्रभारी
भारत सरकार

नई दिल्ली
9 सितम्बर 2002

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. खण्ड – 1 5-42

(भगत सिंह अंक)

2. खण्ड – 2 43-96

(अन्य अंकों में भगत सिंह)

3. खण्ड – 3 97-111

(प्रतिबन्धित साहित्य में भगत सिंह)

खण्ड – 1

(भगत सिंह अंक)

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय

रजिस्टर्ड नं० ए० ३८०

"भगतसिंह अंक"

हमारा अगला अङ्क "भगतसिंह अङ्क" होगा। इस अंक का दाम चार आने होगा अभी से आर्डर बुक करा लीजिये। नहीं तो पछताना पड़ेगा। अङ्क बहुत ही परिमित है।

कौन जाने कुछ दिनों बाद यह अङ्क इच्छा करने पर भी मिल सके या नहीं।

इस अंक की कुछ विशेषतायें

१—भगत सिंह की प्रतिभा
२—शेर दिल भगतसिंह
३—लाहौर षड़यन्त्र के अभियोग की गैर कानूनी कारर्वाइयां
४—फांसी इतनी शीघ्रता से क्यों दी गई ?
५—ब्रिटिश जनता पर भगतसिंह के व्यक्तित्व का प्रभाव।
६—क्रान्तिकारी-भगतसिंह।

७—भगतसिंह के निजी मित्रों के संस्मरण।
८—भगतसिंह की हस्त लिपि में एक क्रान्तिकारी कविता।
९—बाल्यावस्था से अन्तिम काल तक के अनेकों चित्र।
१०—भगतसिंह के सम्बन्धियों की चित्रावली।
११—भगतसिंह के अनेकों व्यक्तिगत और सार्वजनिक पत्र।

१२—अमर शहीद पर सुकवियों के हृदयोद्गार।
१३—भगतसिंह पर अग्रगामी देश प्रेमियों की सम्मतियां तथा अन्य कई आकर्षक बातें।

मैनेजर "अभ्युदय" प्रयाग

अभ्युदय

'सचित्र साप्ताहिक भगतसिंह-अंक

अभ्युदय

IMPERIAL RECORD DEPARTMENT RECEIVED. 8-AUG. 1931

भाग २५ संख्या १३

([illegible])

दरेगा वो भगतसिंह शमये आज़ादी का परवाना, वतन का आशिक़े सादिक़ मये-उलफ़त का मस्ताना।
मिसाले क़ैस लैलाए-वतन पर जान देता था,—"खलीक़" इसका रहेगा ताअबद दुनिया में अफ़साना।

— लीक़, दहलवी।

वार्षिक मूल्य ७)] [इस अंक का ।)

दार पै मरदे के तब "सरदार जी" कहलाना है ।

भगतसिंह के पिता-सरदार किशनसिंह

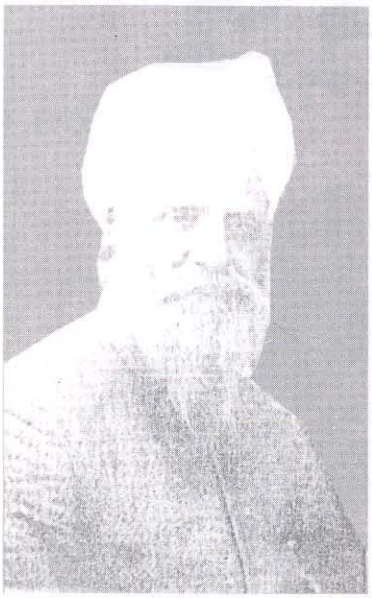

भगतसिंह के बाबा सरदार अर्जुनसिंह

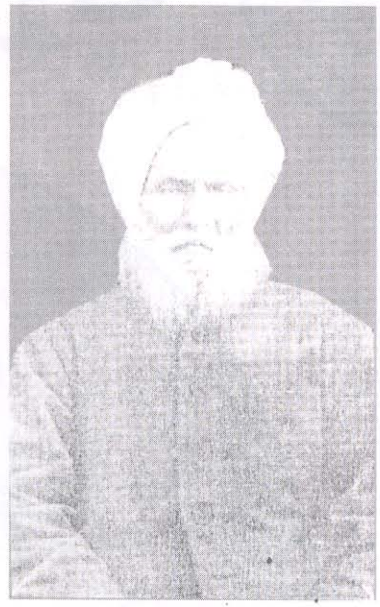

भगतसिंह की माता

भगतसिंह की दादी

अभ्युदय

क़ौमी शमआ का ये सारा घर का घर परवाना है ॥

भगतसिंह के चाचा सरवार अजीतसिंह

राजगुरु की माता

सुखदेव के चाचा श्री० अचिन्तराम

सुखदेव की चाची

भगतसिंह के अनन्य सखा

श्री० बटुकेश्वरदत्त

अभ्युदय

अभ्युदय ८ रजिस्टर्ड नं० ए० ३८०

छायाचित्रों में

सरदार भगतसिंह

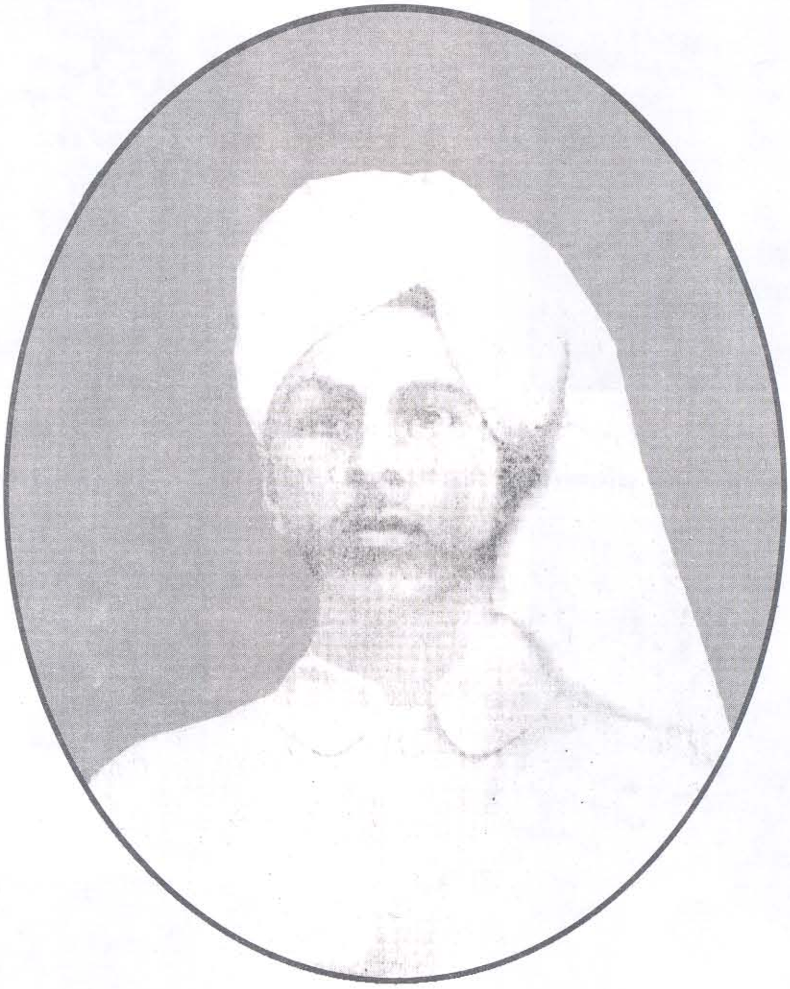

देश दशा देख देख नित्य अशान्त था जो
दमन दबाव देख हो गया दिवाना सा।
ख़तरे में अपने को डालने की आदत थी,
तिस पै मिला था माथा मस्त मरदाना सा
दांत पीसता था सिंह "पोस" का बहाना सुन,
लगता उसे था वह ख़्वाब का फ़िसाना सा।
फूल सा चढ़ा दिया शरीर बलिवेदी पर,
चूमकर फाँसी झूमकर मस्ताना सा।
—"केसरी"

पत्र के स्वामी की आज्ञानुसार पं० रामभरोस मालवीय द्वारा अभ्युदय प्रेस, प्रयाग में सम्पादित, मुद्रित और प्रकाशित।

अभ्युदय

अभ्युदय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु, भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्ययैः॥

मदन मोहन मालवीय,

भाग २५ } प्रयाग, शुक्रवार तारीख़ ८ मई, १९३१ ई० { संख्या १२

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
30-12-71
GOVT. OF INDIA

क्रान्तिकारियों और पुलीस में फिर गोलियाँ चलीं

१५० पुलीस और २ क्रान्तिकारी : एक की मृत्यु और दूसरा घायल

गुजरात के किसानों और सरकार में समझौता हो गया!

नये वाइसराय महात्मा जी से शीघ्र मिलेंगे ?

पुराने वाइसराय लन्दन पहुंच गये

लन्दन में ज़ोरों का स्वागत

लार्ड अरविन का लन्दन में शानदार स्वागत हुआ। अधिकांश समाचारपत्रों ने उन पर अग्रलेख लिखे और स्वागत किया। "टाइम्स" ने उनके पंच-वर्षीय शासन की बड़ी प्रशंसा की तथा "स्पेक्टेटर" ने लिखा है—"लार्ड अरविन को तब तक कोई नौकरी नहीं करना चाहिये जब तक अपनी सहायता से वे भारतीय समस्या का निपटारा न करा दें।"

गुजरात में महात्मा जी का कार्य

किसानों और सरकार में समझौता हो गया

कांग्रेस और सरकार में क्षणिक सन्धि होने के बाद भी गुजरात के किसानों के कष्ट कम नहीं हुए थे। लगान न अदा करने और सरकारी दमन का झगड़ा वहां चल ही रहा था। इस झगड़े को और किसानों के कष्ट को दूर करने के लिए महात्मा जी गुजरात का दौरा कर रहे हैं। बोरसद पहुँच कर महात्मा जी वहाँ के कलेक्टर से मिले। आन्दोलन के समय यहां के ३३ ग्रामों ने लगान-बन्दी में भाग लिया था लेकिन समझौते के बाद महात्मा जी तथा श्रीयुत वल्लभभाई के आदेशानुसार किसानों ने लगान देना आरम्भ कर दिया। सरकार का कहना था कि प्रायः १० ग्रामों में ठीक लगान अदा नहीं किया गया। इधर कई गांवों में लगान देना ही स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इस पर कलेक्टर ने १५ दिन की नोटिस दी कि यदि उस समय के भीतर लगान नहीं चुकाया जायगा तो दमन नीति का अवलम्बन किया जायगा। इस पर महात्मा जी कलेक्टर से मिले और गांवों में यह निश्चित कराया कि कौन लगान दे सकता है और कौन नहीं। कलेक्टर साहब भी राज़ी हो गये। आशा है इसी प्रकार का समझौता अन्य ग्रामों में भी हो जायगा। आन्दोलन में नौकरी से इस्तीफ़ा देने वाले पटेलों में से १२ व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सब अपने अपने पदों पर ले लिये गये हैं। इसमें से १० पटेलों का मामला अभी विचाराधीन है। शेष तीन व्यक्तियों के विषय में भी महात्मा जी लिखा पढ़ी कर रहे हैं। बेच दी जाने वाली इन ज़मीनों के सम्बन्ध में भी महात्मा जी किसानों से पूछ ताछ कर रहे हैं। दीवान साहब ठाकुर का अनुकरण करते हुए आज तीन खर-वालियों ने खरीदी हुई ज़मीनें वापिस कर दी है।

लाहौर का युद्ध

गत ३ मई को सायंकाल लाहौर में दिल्ली षड्-यंत्र केस के श्री० जगदीशराम तथा नवीन लाहौर षड्यंत्र के श्री० सुखदेव राज की, जो अभी तक फ़रार थे, पुलिसवालों से मुठभेड़ हो गई। लड़ाई में जगदीशराम की गोली लग जाने से मृत्यु हो गई तथा सुखदेव गिरफ़्तार कर लिये गये। मृतक का शव परीक्षा के लिये ले जाया गया है। कहा जाता है कि कई पुलिस वाले भी घायल हुये हैं।

इस सम्बन्ध में स्थानीय कालेज के एक विद्यार्थी का कहना है, कि प्रायः ढाई बजे दिन को कुछ पुलिस अधिकारी ६० सिपाहियों के जत्थे के साथ शालीमार बाग गये और वहां के सब फाटकों में ताला लगा दिया। उस समय जगदीश नदी के किनारे बाग में तथा सुखदेव भी वहां आराम कर रहे थे। पुलिस ने उनके अनजान में उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस पर आत्म-रक्षा के लिये उन अभियुक्तों ने भी पिस्तौल चलाना आरम्भ कर दिया। कहा जाता है कि एक ही बार में अभियुक्तों को चारों ओर से दबा लिया गया। जगदीश के गले में एक गोली लगी और वह नदी में लुढ़क गये। अधिक रक्त निकलने के कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई। सुखदेव भागने ही वाले थे कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके पास से ३०५) बरामद किये गये हैं।

जगदीश एक रेल्वे कर्मचारी थे तथा सुखदेव एम० ए० के विद्यार्थी। इनकी गिरफ़्तारी के लिये बड़े २ इनाम रखे गये थे।

पुलिस का घेरा

बाद की जांच से विदित हुआ है कि कल सायं-काल एक पुलिस के अफ़सर ने जगदीश और उनके सहयोगी को शालीमार बाग में देखा। सूचना देने पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। षड्यंत्र कारियों ने अपने को घिरा हुआ पाकर अपने तमन्चे निकाल लिये और दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। अन्त में जगदीश जान से मारा गया और सुखदेव राज घायल होकर अस्पताल पहुँचाया गया॥

वाइसराय शिमला पहुंच गये

महात्माजी से वाइसराय मिलेंगे ?

लार्ड इरविन का काम पूरा करेंगे

नये वाइसराय लार्ड विलिंगडन गत २ मई को शिमला पहुँच गये। पहुँचते ही आप काम में लग गये। रियासतों के प्रतिनिधि-मण्डल के आपसे भेंट की। किन्तु, प्रतिनिधि-मण्डल से पूरी भेंट भी न हो पायी थी कि वाइसराय महोदय को उठ जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होना था। यह बैठक एक घण्टे तक होती रही। "लीडर" के सम्वाददाता को ज्ञात हुआ है कि इसी अवसर, पर पहले ही बार लार्ड विलिंगडन को यह महसूस हो गया कि उनको कितनी विरोधी शक्तियों का सामना करना है। लार्ड विलिंगडन की निजी इच्छा तो यह है कि वे फ़ौरन महात्मा गांधी से मिल कर हर प्रकार की ग़लतफ़हमी दूर कर दें, पर देखना यह है कि नौकरी द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थिति से वे ऊंचे उठ सकते हैं या नहीं।

नकद नतीजा

(ले०—श्री० जयचन्द्र विद्यालंकार)

"मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयो न तु धूमायितं सयाः !" एक घड़ी भर भभक उठना बरसों सुलगा करने से अच्छा है ! भगतसिंह भारत वर्ष के क्षितिज में एकाएक एक धूमकेतु की तरह प्रगट हुए, और एक धधकती ज्वाला की तरह जल कर शान्त हो गये। आज जो हज़ारों लाखों आदमी उनकी जय पुकारते हैं, तीन बरस पहले वे उसका नाम तक न जानते थे; देश के जो अनेक बड़े आदमी इधर उनकी प्रशंसा और उन से इतना स्नेह प्रकट करते रहे, तीन बरस पहले उन में से बहुत से मौका पड़ने पर उन से सीधे मुँह बात करना भी पसन्द न करते ! उस समय केवल एक मुट्ठी भर युवकों की गुमनाम मंडली उन्हें जानती थी—आज जो अनेक नवयुवक अपने को उनका सीधा उत्तराधिकारी मान रहे हैं, सात-आठ बरस पहले जब उनसे भी बात की जाती थी तब वे समझते भी न थे कि उनसे क्या कहा जा रहा है ? जतीन दास ने जब हंसते हंसते अपने जीवन को गेंद की तरह उछाल फेंका, तब 'दूसरों को कष्ट न देने पर स्वयं सब कष्ट सहने' के प्रचलित मन्त्रों का तोता-पाठ करने वाले अनेक बड़े आदमी देख कर दंग रह गये कि कपट सहने में भी ये तुच्छ नवयुवक बाजी ले गये ! किन्तु उस गुमनाम मंडली को जो जतीन को पहले से जानती थी, इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ—ज़रूरत पड़ने पर उसमें से आधे दर्जन और जतीन दास सहज ही निकल आते—जतीन की शहादत से नौ माह पहले भागलपुर जेल में उपेन्द्र धर उसी तरह शहीद होने को ही थे। आखिर, कौन सा वह जादू था जिससे इस तुच्छ गुमनाम युवक-मण्डली ने एकाएक देश का रुख बदल दिया ? उनके आदर्शों और जीवन में कौनसी वह सचाई थी जिसके ज़ोर से देश में एक नई हवा बँध गई ? जतीन दास, भगतसिंह सुखदेव और राजगुरु के जीवन-मरण का निचोड़—उसका नकद नतीजा—क्या है ?

उनके 'नौजवान' अनुयायियों प्रशंसकों ने तो आज उन्हें देवता बना दिया है। अभी तक वे लोग इतने जोश में हैं कि उनके चरित्र का ठीक अन्दाज़ ठंडे दिमाग से वे कर नहीं सकते। दूसरी तरफ़ देश के अनेक विचारशील लोग, अहिंसात्मक लड़ाई के अनेक नेता इन्हीं 'नौ जवानों' से उन लोगों का भी अन्दाज़ करते हैं। उनके साहस और बलिदान का सिक्का उन्हें मानना पड़ा है। जिस भूख हड़ताल के सिलसिले में जतीन ने अपने जीवन की आहुति दी, बेशक वह एक ऊँचे दर्जे का बलिदान था, जो देश का ध्यान हठात् खींच सकता, और देश में एक नई हवा बाँध सकता था। वह था भी शुद्ध अहिंसात्मक बलिदान, लेकिन उसके बाद आज पिछले एक बरस में देश में भारी भारी घटनायें घट चुकी हैं, संसार के शायद सब से बड़े जीवित महायुवक की नायकता में एक शक्तिशाली लहर देश को एक छोर से छोर तक हिला चुकी और दुनियां के सब से प्रबल साम्राज्य के घुटने टेका चुकी है। फिर भी आज तक वह 'बहका हुआ' बलिदान भूला क्यों नहीं गया ? आज तक उसका प्रभाव मन्द क्यों नहीं हो गया ?

भगतसिंह का सब से पहला परिचय जनता को असेम्बली के बम से मिला था। उस बम के फूटने पर बहुतों ने उन्हें खुफ़िया पुलिस का आदमी भी समझा, पर पंजाब के राष्ट्र भक्त जो भगतसिंह के परिवार को २२ बरस पहले से जानते थे, एकाएक अपने अज़ीज़ को उस हालत में देख कर सन्न हो गये। आठ दस दिन बाद इनका बयान सामने आया। पंजाब पर तो उसका जादू का असर हुआ ! भगतसिंह जैसा होनहार बहादुर प्रतिभाशाली तरुण देशभक्त ऐसी तुच्छ मूर्खता का कायड कर बैठा यह देख कर पंजाब भौचक था। उस मूर्खता में कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए। वह रहस्य सामने आते ही पंजाब उस पर लट्टू हो गया। दूसरे प्रान्तों में भी उस बयान ने उलट-पुलट चर्चाओं को रोक दिया, और कम से कम इतना प्रकट कर दिया कि इन लोगों में सोचने-समझने की कुछ शक्ति ज़रूर है।

असेम्बली-कांड से करीब तीन महीने पहले सायडर्स का वध हुआ था। अदालत का फ़ैसला अब यह है कि वह भी भगतसिंह; राजगुरू और चन्द्रशेखर आज़ाद का काम था। अदालत की सब कार्यवाही एक तरफ़ थी और वह स्वयं एक न्यायहीन कानून से बनी असाधारण अदालत थी, इस कारण देश के एक बड़े हिस्से ने इसके फ़ैसले की सचाई को स्वीकार नहीं किया। तोभी यह असम्भव नहीं है कि वह वध भगतसिंह के हाथों हुआ हो, और थोड़ी देर के लिए वैसा मान कर ही हम घटनाओं की परम्परा पर विचार करेंगे। सायडर्स का वध लाला लाजपतराय की मृत्यु के ठीक एक महीना बाद, और काकोरी मामले की फाँसियों के ठीक एक बरस बाद हुआ था। इस लिए वह काकोरी की फाँसियों और लाला जी की मृत्यु की याद में, या उनके बदले में था, ऐसा सोचा जाना बहुत स्वाभाविक था। कुछ विज्ञापनों ने उसे वही रंगत दी और खुफ़िया-पुलिस ने फिर उसे वही रंगत दी। उस सिलसिले में पुलिस को भगतसिंह की तलाश थी, और पुलिस के हलकों ने उस का रहस्य-मय नाम धीरे धीरे बाहर भी निकल रहा था। उस घटना से बरसों पहले और तीन महीने तक उसके बाद भी लगातार पीछे लगे रहने के बावजूद भी उसका और साथियों का कुछ भी पता वह न निकाल सकी, बात का भी एक विचित्र प्रभाव जनता के मन पर था। और जिस आदमी की खोज में वह इतनी हैरान थी, अन्त में उसने स्वयं अपने को कैसी : लापरवाही से सौंप दिया !

लाला लाजपतराय का सरे-आम जिस तरह से अपमान किया गया, और उसके द्वारा समूचे की जैसी निशक्तता प्रकट की गई, उसका न सायडर्स के वध के रूप में देना उचित था कि अनु! यह प्रश्न उठाना केवल वितंडावाद होगा। आज हः कोई पूछे तो सब परिणामों को देखते हुए हम य कहेंगे कि वैसे अपमानों का सब से बढ़िया जव महात्मा गान्धी ने दिया जिनके आगे संसार के सब अभिमानी साम्राज्य ने घुटने टेक दिया। किन्तु उ समय तक महात्मा जी ने अपने सिद्धान्तों को सप करके न दिखलाया था, और लोगों को और को तरीका अपने अपमान का हिसाब चुकाने का न सूझ था। दूसरी तरफ़ यह भी कह दिया जाय कि उस समय भी इस प्रकार के वधों से सीधे स्वराज्य प लेने की आशा न की जा सकती थी, वे केवल अपने मनुष्योचित क्रोध को शान्त करने और अपने आपके मनुष्यता से एक दम न डिगा लेने के उपाय थे।

असेम्बली में पटाख़ा चलाना कहां तक उचित था ? मैं इससे पहले भी यह विचार प्रकट कर चुका हूँ कि उस कार्य की बुद्धिमत्ता और बहादुरी का मैं कायल नहीं हो पाया। अपने आपको ऐसे काम में जान बूझ कर पकड़ा देकर जो आदमी खुशी से ~ , सज़ा पाने और कष्ट सहने को तैयार रहे, उन में एक ऊँची अहिंसात्मक बहादुरी जरूर थी; किन्तु वे स्वयं अहिंसा-मार्ग के अनुयायी न थे ! 'हमने बहरों के सुनाने के लिए यह ऊँची पुकार उठाई है; पीड़ित गुलाम जनता आज अन्तिम हद तक परेशान हो चुकी है, यदि उसके अधिकार वापिस न किये जायेंगे तो वह एकाएक उठ खड़ी होगी !'—इस प्रकार की व्याख्या और सफ़ाई उस कार्य के लिए पेश की गई थी। किन्तु, मैंने पहले भी पूछा था कि बहरा कौन है ? ब्रिटिश सरकार ? या अपने देशवासी ? ब्रिटिश सरकार तो अपने खुफ़िया दूतों के द्वारा हर वक्त सजग और चौकन्नी रहती तथा हमारी नब्ज़ पर हाथ रखती है। अगर कोई बेहोश है तो वे हमारे अपने देशवासी हैं। और फिर उस सरकार को क्या सुनाना अभीष्ट है ? हम उसे कुछ सुनाते ही क्यों हैं ? उसको अपना दुःख सुनाना खाली प्रदर्शन करना है, चाहे हम अनुनय-विनय के साथ सुनावें या धमकी और पटाखे के साथ सुनावें। आखिर भिखारी की मनोवृत्ति है। यदि हमारी प्रकार न सुनी जायगी तो जनता उठ खड़ी होगी'—पुकार तो सैकड़ों बार नहीं सुनी गई, फिर इस नई धमकी की क्या कीमत है ? और यदि जनता उठने को तैयार है तो फिर वह सीधे उठ क्यों नहीं पड़ती ? उसे दुश्मन को सुनाने और सूचना देने सूचना देकर उलटा सावधान करने—की ज़रूरत क्या है ? असल क्रान्तिकारी का काम अपनी जनता को संगठित करना है। प्रदर्शन करना और पुकार सुनाना उसके मार्ग से ठीक उलटी दिशा के काम हैं।

मेरी तुच्छ बुद्धि असेम्बली वाले पटाखे पर सदा यही कुछ सोचती रही है और उसे भगतसिंह की भूल मानती रही है। किन्तु प्रदर्शन करने और पुकार सुनाने का भाव हमारे देश की राजनीति में इतना घर कर चुकी है कि जिन तरुणों ने क्रान्ति की राह पर चलना चाहा वे भी उसकी छूत से बच न सके, इस भूल की यही व्याख्या करके मैं अपने दिल को समझाता रहा हूँ।

जिस नवयुवक पर साण्डर्स का वध करने का शक किया जाता था, और जो यदि चाहता तो उस किस्म के वीसं और कार्य आसानी से कर के अपने को गायब और गुप्त किये रख सकता और उस दशा में जिसके नाम और परछाईं से देश के दुश्मन कांपा करते और पीड़ितों को आश्वासन मिला करता, उसने एक छोटे से प्रदर्शन में अपने को पकड़ा कर कहां तक उचित किया, यह एक दूसरा प्रश्न है। किन्तु मेरे दिल में तो भगतसिंह की वह मूर्त्ति भी कभी जँचने नहीं पायी। दस-बीस साहसी गोरिल्लों के नेता भगतसिंह के बजाय मैं तो उस भगतसिंह के सपने लेता रहा हूँ जो बाकायदा सामरिक शिक्षा पाकर समय आनेपर देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाली सेनाओं को इधर से उधर चलाता और भारतवर्ष का इतिहास बनाने वाली लड़ाइयों के फ़ैसले करवाता! भगतसिंह में वे सब सम्भावनायें थीं, इसे वे लोग क्या जानेंगे और समझेंगे जो उसके तुच्छ से खेल से ही लोट पोट हुए जाते हैं।

किन्तु अब उन सब 'यदियों' की याद करना फ़िज़ूल है। घटनाओं को हम उनके ठीक तारतम्य में समझ सकें, केवल इसीलिए ऐसे 'यदि' के प्रश्न उठाये जाते हैं। किन्तु फिर यही प्रश्न बाकी है कि भगत सिंह और उसके साथियों के जीवन-मरण का सार क्या केवल ये सब 'यदि'—ये सब सम्भावनायें—ही हैं?

उस पहले और प्रमुख के उत्तर में दो तीन बातें मैं विशेष कर उन लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ जो उन्हें केवल पथभ्रष्ट दुःसाहसी समझते हैं।

पहली बात; उनका समूचा अल्पकालिक चरित्र युवकों की उत्कट अधीरता को सूचित करता है। वे मानो उस अधीनता और बेचैनी की मूर्त्ति थे। देश के नेता लोग जब यह कह रहे थे कि अभी देश पूर्ण स्वराज्य का प्रयत्न शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, अभी पहले हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्थापित होना ज़रूरी है, उस समय ये मुट्ठी भर युवक अपनी बेचैनी को न सम्भाल सकते और अपने उलटे-सीधे साधनों से स्वतन्त्रता पाने को व्याकुल थे। कलकत्ता कांग्रेस में जब महात्मा गान्धी पर पूर्ण स्वराज्य का आदर्श मानने का दबाव पड़ा, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक बरस का नोटिस दिया। वह एक बरस भी समझौते के बाद तय हुआ था, उनके बहुत से साथी अन्त तक भी कहते रहे कि लड़ाई शुरू करने के लिए अभी एक बरस का अवसर बहुत कम है। किन्तु युवकों की वह बेचैनी और अधीर होकर दूसरे मार्ग में पड़ना क्या महात्मा जी को उकसा कर जल्दी लड़ाई में उतार देने का कारण नहीं हुई? इस अंश में भगतसिंह दल की वह व्याकुल छटपटाहट मानो एक चञ्चल बच्चे का रूठना था, जिस बच्चे ने रूठ रूठ कर बूढ़े सेनापति को मैदान में खींच उतारा!

दूसरे, वे निरे रूठने, ज़िद करने और बात बनाने वाले बालक ही न थे। देश के नेता लोग जब इन झगड़ों में उलझे थे कि कौंसिलों में जाया जाय, या न जाया जाय, हिन्दुओं को चार टुकड़े मिलें या मुसलमानों को तीन उस समय उस गुमनाम निराशायद वातावरण में वे निःसाधन नवयुवक अनथक एकाग्रता के साथ संगठन करने में जुटे थे। इस सम्बन्ध में वीर सुखदेव का नाम विशेष रूप से लेना ज़रूरी है। पंजाब के विद्यार्थी-समाज की उस समय की उपेक्षा और उदासीनता भयंकर थी। वह समाज राष्ट्रीय भावों के लिए एक निर्जल मरुभूमि सी जान पड़ता था। कांग्रेस के नेता उससे एकदम सब आशायें छोड़ चुके थे। उस दशा में अकेला सुखदेव जी तोड़ कर इस मरुभूमि में हरियावल पैदा करने की कोशिश में लगा था। वह काम पत्थर से सिर टकराने के बराबर था! एक एक नवजवान के पीछे पड़ कर यदि बरस भर में आठ-दस

स्वर्ग में स्वागत

फाँसी होयगी ही यह हो गया मही में शोर,
उमड़ पड़ा विषाद-सिन्धु आशु मन में।
राजगुरु सुखदेव सूरमा भगतसिंह,
रह न सकेंगे वीर तीनों ये भुवन में॥
बाढ़ सी दृगों में आ गई है लागई है पीर,
जलती सदैव है वियोग आग मन में।
स्वर्ग को सजाते हैं बजाते दुन्दुभी है देव,
पलकें बिछाते हैं उन्हीं के आगमन में।

साहित्यरत्न श्री श्यामनारायण पाण्डेय

आदमी उसमें तैयार कर लिये तो भारी सफलता हुई! आज यदि युवकों और विद्यार्थियों में एक नई हवा बँध गई है, और वे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के आन्दोलन में आते रहे हैं, तो यह सब उसके और वैसे इस गुमनाम कार्य का परिणाम है। खुले आन्दोलन के नेता इस लहर बदलने के लिए सुखदेव जैसे दृढ़प्रतिज्ञ कार्यकर्त्ताओं के कृतज्ञ हो सकते हैं। भगतसिंह और सुखदेव का एक दूसरे से प्रेम अतुलनीय था। उन दो का परस्पर-परिचय स्वयं नहीं हुआ, किन्तु जब एक बार वे एक दूसरे को जान गये, तब उन दोनों की प्रतिकूल प्रकृति मानो स्वयं उन्हें एक दूसरे की तरफ़ खींचती थी। भगतसिंह का तेज और ओज उसके चेहरे पर छिपाते न छिपता था, तो सुखदेव की सर्वबेधिनी प्रतिभा और अटल निश्चय की झलक उसके गहरे चेहरे पर किसी सूक्ष्मदर्शी को ही दीख सकती थी! सुखदेव जहां भगतसिंह के काबू न आने वाले तेज को अपनी सम्पत्ति समझ कर अभिमान करता था, वहां भगतसिंह को भी सुखदेव की उस अनथक संगठन-शक्ति पर गर्व था जिसमें सौ भगतसिंह उसका मुक़ाबला न सकते थे।

सुखदेव के चरित्र के विषय में अन्तिम समय में बहुत कुछ ग़लतफ़हमी हुई है। समूचे दल का वह संगठनकर्त्ता एक तुच्छ सी बात में पकड़ा गया, और अपनी उस ग़लती को उसने एक और ग़लती से बचाना चाहा। फल उलटा हुआ, और बनने के बजाय खेल बिगड़ता गया। लोगों में यह बहुत चर्चा रही कि सुखदेव कमज़ोर निकला, उसने कमज़ोरी में आ कर बयान दे डाला, और उसके बयान से समूचा मामला खड़ा हुआ। एक क़िस्म की 'कमज़ोरी' वह ज़रूर थी, पर जैसी कमज़ोरी उसे लोग समझते हैं, मैं उसे वैसा कभी नहीं मान सका, न कभी मान सकूंगा। उसकी गिरफ़्तारी के बाद मैं कभी उससे मिला नहीं, इसलिए सम्भव है मेरी व्याख्या बिलकुल ठीक न हो, तो भी मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वह 'कमज़ोरी' एक और क़िस्म की थी। एक तुच्छ से काम में जब वह पकड़ा गया—वैसा काम आरम्भ करना ही उसकी बड़ी ग़लती थी—तब उसे एकाएक यह दीख पड़ा कि वह दुनियां के सामने बेवक़ूफ़ बनेगा—बिना कुछ करे धरे वह ऐसे भद्दे तरीक़े से धरा गया! और उस कमी को उसने अपने कारनामों का बयान देकर पूरा करना चाहा! वह वही प्रदर्शन का भूत था जो भगतसिंह के असेम्बली-बयान में झलकता था। किन्तु भगतसिंह उसके लिए तैयार होकर गया था, और उसकी प्रकृति उसके अनुकूल थी, जब कि सुखदेव पर एकाएक वह बला आ पड़ी, और वह कभी उसकी तबीयत के माफ़िक न थी। उसे नाम और कीर्त्ति की कभी परवा न थी, वह स्वभाव से शान्त कार्यकर्त्ता था। उस जैसे आदमी के रहते समूचे दल पर प्रदर्शन का वह भूत कैसे सवार हो गया, यही सब से अधिक आश्चर्य की बात है!

अन्त में तीसरी बात जिस पर मुझे ध्यान दिलाना है वह यह है कि महात्मा गान्धी ने लाहौर-कांग्रेस के पहले तक जहां कभी शुद्ध आदर्शों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, वहां इन युवकों के सामने सदा ख़ालिस स्वतन्त्रता का आदर्श रहा! समूचा असहयोग आन्दोलन केवल कुछ शिकायतों को दूर करने ख़ातिर था—पंजाब का अपमान और खिलाफ़त का तथाकथित अन्याय वे शिकायतें थीं। पंजाब में हमारा अपमान हुआ, इस कारण हम ब्रिटिश सरकार से रूठे हुए हैं, 'यदि सम्भव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर' हम रह सकते हैं, और यदि 'हृदय का परिवर्तन' दीख पड़े हमारा रूठना समाप्त हो सकता है, यही सब बातें हमारे देश के राजनैतिक वातावरण में लाहौर-कांग्रेस तक गूँजती रही हैं। पूर्ण स्वतन्त्रता के शुद्ध आदर्श का कहीं नाम न था। वे सब बातें चतुर राजनीतिज्ञता की थीं न कि शुद्ध आदर्शवाद की। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न में तो अभीतक वह शुद्ध राष्ट्रीय आदर्श देश के सामने आने नहीं पाता। स्वराज्य में सब का उचित अधिकार होगा, मुसलमान जो माँगें उन्हें दिया दिया जायगा, पारसी जो मांगें उन्हें मिल सकेगा? मानों इन सब फ़िरक़ों का जुदा जुदा हैसियत बने रहने के बावजूद भी स्वराज्य मिल जायगा, और स्वराज्य मिल जाने पर भी उनका जुदा जुदा हैसियत भारतवर्ष की रंग-बिरंगी गुदड़ी में बनी रहेगी। बस

दिन एक नेता फ़र्माते ही थे कि हिन्दू और मुसलमान एक बड़ी इमारत की ईंटों की तरह एक दूसरे के साथ मज़बूती से जड़ जांय। वह सुन कर हठात् मेरे मुँह से निकला कि हिन्दू ईंट और मुस्लिम ईंट पर जुदा जुदा ही छाप बनी ही रहेगी! दोनों को चूर कर जब तक नई हिन्दुस्तानी ईंटें न तैयार होंगी तब तक राष्ट्र की इमारत भी न तैयार होगी। शुद्ध राष्ट्रीय का तो यह तकाज़ा है कि न हिन्दू को स्वराज्य के नफ़े में से एक पैसा मिलेगा, और न मुसलमान को एक कौड़ी मिलेगी, जब तक वे दोनों घुल-मिल कर शुद्ध हिन्दुस्तानी न बने रहेंगे दोनों को कुछ भी न मिलेगा। इस सम्बन्ध में महात्मा जी ने हाल में ही कुछ कुछ सीधी बात कहना शुरू किया है, तो भी आज तक वही समझौता-समझौता हमारे वायुमण्डल में गूँज रहा है, और पिछले आन्दोलन से पहले तक तो समझौते ... का एकमात्र उपाय माना जाता था। और जब देश के बड़े आदमी टुकड़े बांट कर एकता स्थापित करने में लगे थे, तब वे मुट्ठी भर नवयुवक उस तुच्छ छीनझपट से एक दम मुँह फेर कर रामप्रसाद और अशफ़ाक़ के खून की एक साथ आहुति देकर शुद्ध राष्ट्रीय एकता की स्थापना कर रहे थे। उनकी वह परम निरपेक्षता क्या देश के सामने राष्ट्रीय आदर्श जगाये रखने का कारण नहीं हुई? शुद्ध स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयता के आदर्श के दीपक को जब सब कोई छोड़ गये थे, तब उन्होंने अपनी एकाग्र साधना और छोटी मोटी आहुतियों से उसे बचाये और बनाये रक्खा। और इस सम्बन्ध में भी उन्होंने ज़माने की तरह बदलने का काम किया है। पंजाब के और अन्य प्रान्तों के आज के बहुत से राष्ट्रवादी नेताओं को हम जानते हैं। उन दिनों जब वे सब कट्टर साम्प्रदायिक बने हुए थे, राष्ट्रीयता की बात इन मुट्ठी भर नौजवानों के मुँह में ही रह गयी थी; और उनके हार न मानने वाले हठ ने जब ज़माने की रू को बदल दिया, तब आज ये सब बड़े आदमी भी फिर से राष्ट्रवादी बन गये हैं।

इस प्रकार शुद्ध आदर्शों की खालिस साध, प्रतिकूल और उत्साह-भंजक अवस्थाओं में उन आदर्शों से न डिगना और अनथक एकाग्र कर्त्तव्य-परायणता, तथा स्वतन्त्रता में सांस लेने के लिए सच्ची बेचैनी ये कम से कम ये तीन बातें हैं जो यतीन्द्रदास और भगतसिंह के, सुखदेव और राजगुरु के जीवन और मरण का सार, उसका नक़द नतीजा है। उनकी चरित्र की दृढ़ता सूचक इन्हीं गुणों ने देश के अन्दर एक नई लहर चला दी है।

आज कल के उनके 'नौजवान' अनुयायियों में और उनमें यह एक स्पष्ट भेद है कि 'नौजवान' जहां चलती लहर में बह रहे हैं, वहां वे लोग अपने ज़माने की लहर से ठीक उलटे चले थे। इस लिए आजकल के गर्म-दिमाग 'नौजवानों' से उनका अन्दाज़ करना उनसे पूरा-पूरा अन्याय करना है। वे खूब ठंडे दिमाग़ के लोग थे, जो चारों तरफ़ की प्रतिकूल परिस्थित की पूरी उपेक्षा कर सकते थे। यदि आज उनके कोई सच्चे साथी देश में हैं, तो उनकी सेवा में मुझे यही निवेदन करना है कि उनके पूर्ण स्वराज्य के आदर्श को

भगत सिंह!

(मार्चिंग-गान)

(जे० बाबा बाल्टी दास)

भगत सिंह!
भगत सिंह!!
भगत सिंह!!!
हम भी भगत सिंह।
तुम भी भगत सिंह।
सारे भगत सिंह। भगत० ३॥

चन्द्र लोक
सूर्य लोक
मर्त्य लोक
नस नस में—कण कण में-जल-थल में,
है वो भगत सिंह-३। भगत० ३॥

पंजाब भगत सिंह
बंगाल भगत सिंह
गुजरात भगत सिंह
उत्तर से दक्खिन तक
पूरब से पश्चिम तक
छाये भगत सिंह—३। भगत० ३॥

भारत के धीर—वीर
राव रंक या अमीर
धारे जो नर—शरीर
बूढ़े हों—बालक हों
सेवक हों—पालक हों
प्यारे भगत सिंह—३। भगत० ३ ४

वन्दनीय
पूजनीय
माननीय
मसजिद में—मन्दिर में
जंगल में—घर—घर में
देखो भगतसिंह—३। भगत० ३॥

भारत का मान कहो
भारत का शान कहो
भारत की प्राण कहो
सुकुमार भगतसिंह—सरदार भगतसिंह
अवतार भगतसिंह—३। भगत० ३॥

जीवन प्रस्थान करो
कोई शुभगान करो
तब भी यह ध्यान करो
एक बार भगतसिंह
सौ बार भगतसिंह
हर बार भगतसिंह
बोलो भगत०—३। भगत० ३॥

जब महात्मा गान्धी और देश की प्रमुख संस्था ने अपना लिया है, तब क्या उनके लिए भी वह समय नहीं आ गया जब उन्हें महात्मा गान्धी और कांग्रेस के साथ मिल कर काम करना चाहिए? महात्मा गान्धी ने उनका आदर्शवाद मान लिया है, क्या उन्हें महात्मा गान्धी से उनकी व्यावहारिकता न सीख लेनी चाहिए? उन्हें अपने साधनों और तरीकों को आज बदलना चाहिए क्योंकि "ज़माना बदल गया' है।

भगतसिंह की भावना

[लेखक:—श्रीबलदेव चौबे]

गत १२ अप्रैल को मैं लोक सेवक मंडल, ... वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होकर लाहौर ... फ़िरोज़पुर-भटिंडा के रास्ते देहली आ रहा था ... साथ में बिहार के प्रसिद्ध बौद्धभिक्षु श्रीयुत बाबा राहुल सांकृत्यायन भी थे। फ़िरोज़पुर के समीप सतलज नदी के पुल के पास जब ट्रेन पहुँची तो डब्बे भर के यात्रियों ने एक स्वर से उद्घोषित किया, देखो! देखो इसी स्थान पर श्री भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु की लाश जलाई गई थी। उत्सुकता भरी आँखों से उस ओर हम लोग भी देखने लगे। रेलवे लाइन के अति समीप एक ऊँचे टीले पर लाल पताका फहरा रही थी। उस समय मुझे भगतसिंह की भोली भाली सन् १९२४ की सूरत याद आ गई। उन दिनों मैं लाहौर के क़ौमी महाविद्यालय में अध्यापक था; श्री भगतसिंह भी उस विद्यालय में पढ़ा करते थे और सिक्ख-युवकों की तरह सिर पर साफा बांधे, केश रखे और कंगन पहने एक साधारण विद्यार्थी मालूम पड़ते थे। उन दिनों किस को मालूम था कि सन् १९३१ में भगतसिंह का नाम भारतवर्ष के कोने कोने में गूँजेगा। यह कौन जानता था कि वह भोला भाला युवक भारतीय स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपने शीश को चढ़ायेगा? यह किस को पता था कि महात्मा गांधी की अहिंसा की लहर को भी वह बालक अपनी जोशभरे देश भक्ति से एक बार पीछे हटाने की कोशिश करेगा!

वास्तव में भगतसिंह की भावना आज भारत के हृदय में प्रवेश कर गई है और जैसे हो वैसे देश को विदेशी शासन के चंगुल से निकालने का उपाय सोचा जा रहा है। क्षुब्ध युवक दल इस समय अधीर हो रहा। ऐसे समय में प्रत्येक सच्चे देशभक्त का कर्तव्य है कि बड़ी गम्भीरता के साथ वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति पर विचार कर के युवकों को उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। जिस समय देश के विभिन्न साम्प्रदायिक तथा अन्य दलों में तीव्र मतभेद मौजूद है और यह मतभेद जातिगत विद्वेष को दिन पर दिन और अधिक प्रज्वलित कर रहा है, उस समय नवयुवकों को ठंडे दिल से, खूब दिमाग़ लगा कर विचार कर लेना चाहिये कि देश में घृणा और प्रतिहिन्सा की लहर खूब ज़ोरों पर चल रही है। और इससे भारतीय प्रजा के दुःख कम नहीं हो रहे हैं। बल्कि हमारी दासता की ज़ंजीर और दृढ़ हो रही है। इस समय देश में परस्पर मेलमिलाप तथा सद्भाव का वायुमंडल उत्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है। वरन् सत्याग्रह इस समय देश को हिंसा-प्रति-हिन्सा की लहर से बचाना मुख्य कार्य है। इसी में देश का कल्याण है।

भगतसिंह का जीवन त्याग और कष्ट सहन का जीवन था। हमें उनके इन गुणों को अपनाना चाहिये मगर समय देख कर चलना चाहिये। विवेक को ही सदा आगे रखकर हमें देश सेवा के लिये प्रस्तुत होना चाहिये। भारत के वीर जिन्होंने हंसते २ फांसी के तख्ते पर चढ़ कर अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, हमारे लिये देवतुल्य हैं उनके दिल के समान अपना दिल बनाना चाहिये। मगर उनके मार्ग का अनुसरण हमें और हमारे देश को गन्तव्य स्थान पर नहीं लेजायेगा इसलिये हमें शान्तिमय संग्राम ही छेड़ना पड़ेगा।

शहीद भगतसिंह

[लेखकः—महात्मा गांधी]

यद्यपि मैंने उसे लाहौर में कई बार विद्यार्थी रूप में देखा होगा, मुझे अब उसकी शकल याद नहीं। परन्तु यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने पिछले महीनों में भगतसिंह की देशभक्ति, उसके साहस और भारतीय मानव समाज से उसके गहरे प्रेम की कई कहानियां सुनी थीं। मैंने उसके सम्बन्ध में जो कुछ सुना था मैं समझता हूँ उसका साहस अतुलनीय था। उनके गुणों के कारण हम इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने साहस का दुरुपयोग किया। ऐसे युवक और उसके साथियों की फांसी ने उनके सिर पर शहादत का ताज रख दिया है। हज़ारों लोग आज उनकी मृत्यु को अपने सगे सम्बन्धी की मौत के समान महसूस करते हैं।

जहाँ तक याद जाती है किसी की जिन्दगी के सम्बन्ध में आज तक इतना अधिक भावावेश प्रकट नहीं किया गया जितना सरदार भगतसिंह के लिये प्रकट किया गया था।

इसलिये जहां मैं उन नौयुवक देशभक्तों की स्तुति में जो कुछ भी प्रशंसा के भाव कहे जा सकते हैं उनके साथ अपने आप को सम्मिलित करता हूँ, मैं देश के नौजवानों को उनके उदाहरण का अनुकरण करने के विरुद्ध सावधान करना चाहता हूँ। हमें हर सूरत में उनकी क़ुर्बानी, उनके श्रम और उनके असीम साहस का अनुकरण करना चाहिये, परन्तु हमें उनके इन गुणों को उस प्रकार से इस्तेमाल न करना चाहिये जिस प्रकार उन्होंने किया था। हमारे देश का उद्धार हत्या के ज़रिये नहीं होना चाहिये।

सरकार के बारे में मैं यह अनुभव करता हूँ कि उसने एक स्वर्णीय अवसर खो दिया है। इस अवसर पर वह क्रान्तिकारियों के हृदयों को जीत सकती थी। अपनी पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करने में जो उतावलापन सरकार ने दिखाया है वह साबित करता है कि बड़ी बड़ी ऊँची और शानदार घोषणाओं के बावजूद वे इस शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते।

मेरी यह पक्की राय है कि सरकार ने जो भारी ग़लती की है उससे हमारी स्वतन्त्रता को जीतने के लिये भगतसिंह और उसके साथी मरे हैं। हमें यह मौक़ा आवेश में कोई काम करके खो न बैठना चाहिये।

———o———

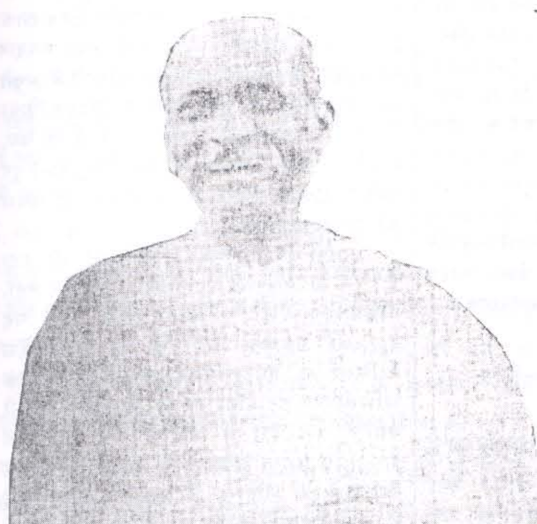

भगतसिंह का बलिदान

[लेखकः—राष्ट्रपति सरदार पटेल]

युवक भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी से सारा देश विक्षुब्ध हो गया है। मैं इन वीरों की प्रथा का अनुकरण नहीं कर सकता। राजनीतिक हत्या अन्य प्रकार की हत्याओं से कम निन्दनीय नहीं है, इसमें मुझे तो कोई सन्देह नहीं। पर सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के देश प्रेम, साहस और आत्मबलि का मैं कायल हूँ। फांसी की सज़ा रद्द करने के लिये जो प्रार्थना अखिल देश ने की थी उनकी अवहेलना से वर्तमान शासन की हृदय हीनता और विदेशीयता जिस प्रकार प्रकट हुई है वैसे पहले कभी नहीं हुई थी। पर विक्षोभ के आवेश में हमें अपने कर्त्तव्य से तनिक भी विचलित न होना चाहिये। इन वीर देशभक्तों की आत्माओं को शान्ति मिले।

अंगरेज़ी क़ानून इस बात पर घमण्ड करता था कि किसी ऐसी गवाही पर किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता जिस गवाही पर कोई जिरह न की गयी हो। तो भी इन आदमियों को ऐसी गवाही पर फांसी पर लटका कर मार दिया गया है, जो कि घटना के बाद इकट्ठी की गयी थी, और जिस पर कोई जिरह भी नहीं की गई थी। किसी आदमी को अपने ढीठपने के लिये कठोर से कठोर दण्ड दिया जा सकता है, पर फांसी पर लटकाया नहीं जा सकता। अदालत अभियुक्तों के पक्ष की रक्षा के लिये कोई निष्पक्ष वकील मुकर्रर कर सकती थी, परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और इन आदमियों को फांसी पर लटका दिया गया।

———o———

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

वे—

समस्त देश ने एक स्वर से उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि समर्पित की है ! सारे देशवासियों ने, बड़े बड़े और पूज्य नेताओं ने और आधुनिक संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ने स्वर्गवासी वीर-श्रेष्ठ सरदार भगतसिंह, शहीद सुखदेव और फरिश्ता राजगुरु की गुणावलियों का गान किया है। ऐसी दशा में हम सदृश क्षुद्र जीव की, नगण्य व्यक्ति की श्रद्धाञ्जलि का मूल्य ही क्या ? वे देवता थे, लफ़्फ़ाज और दिखावटी नहीं सच्चे देशभक्त थे, उनकी ज्वलन्त देश भक्ति, उनका उत्कट त्याग, उनकी अनुपमयेम कर्मशीलता और उनकी महती वीरता ईर्षा की वस्तु थी। इसलिये हम सरीखे अकर्मण्य उनकी प्रशंसा करने और उनका गुण गान करने के अधिकारी नहीं हैं। देवता की अभ्यर्थना और अर्चना करने की पात्रता भी तो होनी चाहिये। भगवान हमें बुद्ध दे कि हम उनको ठीक ठीक समझ सकें और हमें बल दे कि हम उनकी-सी देशभक्ति, उनके-से त्याग के भाव अपनेमें ला सकें। तभी और केवल तभी हम उनका गुणानुवाद करने के अधिकारी हो सकते हैं।

× × ×

वे कैसे थे और क्या थे, यह अब वर्णन की चीज़ नहीं रह गयी है। वे जग जाहिर हो चुके हैं। देश की गुलामी की कैसी कटीली कसक उनमें थी, गरीबों की, अर्ध-नग्नों और भूख की वेदना से व्याकुल किसानों और उनके मासूम बच्चों की सर्द आहों से वे कितने तिलमिला उठे थे, देश की सामाजिक अधोगति से वे कितने व्यथित थे, यह सब उनके अदालत के सामने दिये गये बयानों में प्रकट हो चुका है। जिन दिनों देश की साधारण जनता ही नहीं, आजकल देश की आज़ादी के आन्दोलन में आगे आगे दिखायी पड़नेवाले अनेक प्रमुख व्यक्ति साम्प्रदायिक प्रश्नों को लेकर और कौंसिलों की सीटें तथा नौकरियों के नाम पर लड़ रहे थे, हिन्दू-मुस्लिम झगड़े दूसरी ओर हो रहे थे, कांग्रेस का कोई नाम तक नहीं लेता था, उन नीरस दिनों में इन देश की आज़ादी के दीवाने एकान्त और अथक रूप से एक शहर से दूसरे शहर की ख़ाक छानते हुए अपने मत का—चाहे वह देश के लिये अहित कर ही रहा हो—प्रचार करते फिर रहे थे और अपने दल का संगठन कर रहे थे। देश-प्रेम के सामने हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न इनके लिए नगण्य था। ये हिन्दू और मुसलमान युवक एक भाव से अपना काम कर रहे थे।

\+ + +

देश के ऐसे युवक-रत्न, जिन्हें कोई भी देश पा कर गर्व कर सकता है, मार्ग से विचलित हो जायं और हिन्सा को अपना साधन बना कर अपना जीवन समाप्त कर दें यह देश का दुर्भाग्य और देश की आज़ादी के दुश्मनों के हर्ष का विषय है। ऐसे नवयुवकों के असन्तोष दूर करने की अपेक्षा भय का भूत खड़ा कर दिया जाता है। भगतसिंह ने एसेम्बली बम-काण्ड के मुक़दमे के अवसर पर अदालत के सामने अपना बयान देते हुए स्पष्ट कहा था कि जीव हिन्सा करना उनका उद्देश्य न था, मानव-जीवन से उन्हें भी उतना ही प्रेम था, जितना किसी भी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है और इसीलिए उन्होंने एसेम्बली भवन की भूमि पर बम फेंका था। केवल इसलिए कि नौकरशाही अपनी निरङ्कुशता पर लगाम लगाये और देश की आवाज़ के प्रति जो बहरा कान कर दिया है, उसे ज़रा खोल दे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हम किसी को मारना चाहते तो किसी खास व्यक्ति पर हम बम फेंकते थे। इसके साथ ही भगतसिंह ने अपने उस बयान में अपनी क्रान्ति की भी व्याख्या की थी, कि क्रान्ति से उनका मतलब मार काट नहीं, बल्कि पुरानी रूढ़ियों को बदलना है। हम ज्योतिषी नहीं कि भगतसिंह के हृदय की बातों को जान सकें परन्तु यह बात ज़रूर उनके कथनों से स्पष्ट होती है कि जितना वीभत्स रूप उनका दिखलाया गया, उतना वे हृदय से थे नहीं।

\+ + +

बात चाहे जो रही हो, किन्तु वे हमसे छीन लिये गये और सदा सर्वदा के लिये हमने उन्हें खो दिया। हम इतने बेबस हैं कि ३५ करोड़ कण्ठ से एक-स्वरी विरोध करके भी उन्हें हम न बचा सके। परन्तु अपनी इस नपुन्सकता पर साथ ही अपने प्रभुओं की निरंकुशता पर हमें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इन रत्नों को खो कर हमें और हमारे गर्म खून वाले नौजवान भाइयों को बड़ी भारी शिक्षा मिली है और वह है यह कि अपने देश की आज़ादी बमों और पिस्तौलों से नहीं, बल्कि पूर्ण अहिन्सात्मक उपायों से ही हासिल हो सकती है। स्वयं सरदार भगतसिंह ने अपनी अन्तिम घड़ियों में अपने हम-उम्र वालों से एक अन्तिम निवेदन किया है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि बम, पिस्तौलों और हिन्सा से देश की गुलामी दूर नहीं हो सकती और वह हो सकती है केवल अहिन्सात्मक साधनों से ही।

हमारा तो ध्येय सदा से अहिन्सा ही रहा है। हम तो अहिन्सा को नीति के तौर पर नहीं, बल्कि ध्येय के तौर पर मानते रहे हैं। हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि हमारे देशवासियों का अहिन्सात्मक उपायों में विश्वास अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहा है और हो भी क्यों न, जब देश में अहिन्सात्मक आन्दोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी दे रहा है और अन्य देश वाले इस अहिन्सा के अस्त्र को अपना रहे हैं। हमें आशा है कि इन शहीदों के यदि देश में बचे-खुचे कोई साथी हों, वे भी महात्माजी के अहिन्सात्मक युद्ध में शामिल हो कर माता की गुलामी के बन्धन को काट देंगे।

———

'भगतसिंह परिशिष्टाङ्क'

हमें खेद है कि इतने दिनों की देरी के बाद भी 'भगतसिंह-अङ्क' वैसा सुन्दर न निकल सका, जैसा हम चाहते थे। हमारी इस विवशता का कारण चित्रों और लेखों का समय पर न मिलना था। परन्तु जैसे ही जैसे यह अङ्क तैयार होता गया, वैसे ही वैसे हमें सुप्रतिष्ठित लेखकों के लेख और चित्र भी बाद में मिलते गये। जल्दी की वजह से उन लेखों और चित्रों को हम इसी अङ्क में नहीं दे सके। इसलिये हमने यह निश्चय किया है कि इस अङ्क के अतिरिक्त एक "भगतसिंह परिशिष्टाङ्क" निकालें। हम परिशिष्टाङ्क को सुविधानुसार हम शीघ्र ही निकालेंगे। इस अङ्क का मूल्य ।–) होगा। परन्तु अभ्युदय के ग्राहकों को यह अंक मुफ्त में दिया जायगा। जो सज्जन 'अभ्युदय' के ग्राहक नहीं हैं और इस 'भगतसिंह परिशिष्टाङ्क' को खरीदना चाहते हैं उन्हें पांच आने का टिकट हमारे पास भेज देना चाहिये। वी० पी० द्वारा नहीं मंगाना चाहिये क्योंकि वी० पी० का लम्बा और अनावश्यक खर्च मुफ्त ही खरीदारों के माथे पड़ता है।

——मैनेजर

———

बहादुर भगतसिंह

[लेखक:—पूज्य मालवीयजी]

हमारे देशके युवक हिंसा का अवलम्बन करने लग गये हैं, इससे प्रकट है कि देश की वर्तमान स्थिति से युवक बहुत असन्तुष्ट हैं। युवकों के क्रांतिकारी होने में सरकार का बड़ा हिस्सा है। इस पर भी मेरी युवकों को सलाह है कि वे हिंसा से दूर रहें। हम ऐसा इस लिये कहते हैं कि हम अपने युवकों को प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि इस मार्ग का अवलम्बन करने से बड़ा खतरा है। हम आगे भगत सिंहों की जान इस तरह जाने देना नहीं चाहते।

हिंसा की अपेक्षा अहिंसा के लिये अधिक साहस की आवश्यकता है। भारत के युवकों को मेरी सलाह है कि महात्मा गान्धी के अहिंसा के लिये भगत सिंह जैसे साहस का परिचय दें।

भगत सिंह आदि की फांसी से एक बात अधिक स्पष्ट हो जाती है। विदेशियों के शासन में भारत को आदर नहीं मिल सकता। भारत में ही यह सम्भव हो सकता है कि महात्मा गान्धो जैसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के व्यक्ति के प्रार्थना करने पर भी फांसी की सजा घटायी नहीं गयी। वायसराय ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

लोगों से मेरा अनुरोध है कि देश को स्वतन्त्र करने का शपथ लीजिये औरजब तक भारत स्वतन्त्र न हो जाय तब तक शान्त न होइ ये। यही भगत सिंह की जीती जागती यादगार होगी।

त्यागी भगतसिंह

[लेखक:—पं० जवाहरलालजी नेहरू]

यह क्या बात कि यह लड़का यकायक इतना प्रसिद्ध हो गया और दूसरों के लिये रहनुमा हो गया। महात्मा गांधो जो अहिंसा के दूत हैं, आज भगतसिंह के महान् त्याग की प्रशंसा करते हैं। वैसे तो पेशावर, शोलापुर, बम्बई और अन्य स्थानों में सैकड़ों आदमियों ने अपनी जान दी है। बात यह है कि भगतसिंह का स्वार्थ, त्याग और उसको वीरता बहुत उंचे दर्जे की थी। लेकिन इस उत्तेजना और जोश के समय भगतसिंह का सम्मान करते समय हमें यह न भूलना चाहिये कि हमने अहिंसा के मार्ग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय किया है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे मार्ग का अवलम्बन किये जाने पर लज्जा नहीं होती लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि हिंसा मार्ग का अवलम्बन करने से देश का सर्वोत्कृष्ट हित नहीं हो सकता और इससे साम्प्रदायिक होने का भो भय ।

हम कह नहीं सकते कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले हमें कितने भगतसिंहों का बलिदान करना पड़ेगा। भगतसिंह से हमें यह सबक लेना चाहिये कि हमें देश के लिये बहादुरी के साथ मरना चाहिये।

सरदार के चरणों पर—

(लेखक—श्री ब्रजकिशोर वर्मा 'श्याम')

अत्याचार और पीड़ाओं के प्रवाह पर बिखरे हुये आंसुओं में विश्व के हिला देने की शक्ति होती है; संसार के पुरानी इतिहास की प्रत्येक लाइन में यूँही संगीत गूंज रहा है। देवी द्रौपदी के ज़हरी आंसुओं ने उन आंसुओं ने जिसमें महान परिवर्तन की कसक कहानी छिपी थी—महाभारत की सृष्टि की—उस महाभारत की जिसके कर्कश चोट से अत्याचार, पैशाचिकता, स्वार्थ और रक्त से सने हुये कौरव साम्राज्य की भीषण दुर्ग की विराट दीवारें पलक मारते चूर चूर हो गईं—धूल में मिल गईं और अब—गौरव हीन होकर भग्न खंडहरों और स्तूपों में अवशिष्ट रह कर आंसुओं के महान् शक्ति का समर्थन कर रही हैं। दस्यु प्रथा की रोमांच कहानियों के बीच मुसकराते हुये—मदांध इठलाते हुये विशाल रोम साम्राज्यका अस्तित्व किसने विलीन किया ? आंसुओं ने। खून की गर्वीली गोद में गर्व की तरह मचलते हुये नेग्रोस के वैभवशाली महान साम्राज्य को किसने गिराया ?—आंसुओं ने ! जजिया और हिन्दुओं की पीड़ाओं पर पला हुआ औरंगजेब का शक्तिशाली मुग़ल सम्राज्य किसने बर्बाद किया ?—आंसुओं ने। स्काट लैंड की रानी मेरी ने रोक कर अपने देश के कोने-कोने में—कण-कण में विप्लव की आग फूँक दी। देवी जोन ने फ्रान्स को—जाते हुए फ्रान्स को अपने आंसुओं की गोद में छिपा कर उसका रक्षा की सर्वनाश की धू-धू करती हुई चिता में जलते हुयें—छटपटाते हुये स्पेन को इज़ाबला ने अपने महँगे दुर्लभ आंसुओं से ही बचाया था। रोने से क्या नहीं हो सकता ? रुदन—सच्चे रुदन रुदन में विश्व की कौन सी शक्ति निहित नहीं है ? आंसुओं के प्रत्येक कण में सौ-सौ क्रान्ति की दबी चिनगारियों में भयंकर ज्वालाओं की दुनिया आबाद है !

फिर भी हमारी आंखें इतनी दूषित और दुर्बल हैं—उसपर स्वार्थ का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है कि इन बातों को देखते हुये भी हम नहीं देख सकते हैं और बराबर रोते हैं और रुलाये जाते हैं। सदियों से रोते चले जाते हैं—पेट के लिये नहीं—अपने नव निहाल लालों के लिये। अपनी फुलवारी के चुने हुये दुर्लभ फूलों के लिये जो खिलने के पहले ही तोड़ लिये जाते हैं, मसल दिये जाते हैं !!

आज हम रो रहे हैं, हमारी आत्मा कलप रही है। आह ! अन्तस्तल का करुण-क्रन्दन, हृदय की मार्मिक पुकार मेरे नन्हें व्यक्तित्व में उथल पुथल मचा रही है !! किसके लिये ?......? उफ़ यही तो दिल की पीड़ा है ! इसी की स्मृति में तो आज कलेजे पर वज्र सा गिरा पड़ता है ! हिमालय टूटने लगता है—लरजते दिल के फफोले टीस उठते हैं !!

हाँ हम रो रहे हैं—खूनों के आंसू बहा रहे हैं उसके लिये जिसकी स्मृति में कलेजे पर सौ-सौ नागिन लोटने लगती है, उसके लिये जिसका मधुर व्यक्तित्व, नौजवानों के दीन व दुनियां था ! जो आदर्श का प्रतिरूप था, और बलिदान की साकार मूर्ति ! और उसके लिये जिसके लिये, यौवन की मस्तानी अकड़ें, सहज सरल निर्द्वन्द उपेक्षा का नाम भगतसिंहपड़ गया था !! और—और उसके लिये जिसके लिये कोटि-कोटि कंठों से "भगतसिंह जिन्दाबाद" के नारे लगाये जा रहे हैं !'

अब वह इस स्वार्थी दुनिया में नहीं है। वह मर कर अमर होगया ! एक बिजुली की भांति हमारी नीरवता के गह्वर अन्धकार में ममता का दिव्य दीपक जला कर समाधिस्थ हो गया ! उसका फ़ानी जिस्म कब्र की गोद में सोता होगा ! लेकिन हम अभी भी उसके जीवन की टीका टिप्पणी और अच्छी बुरी आलोचनायें करते ही जा रहे हैं।

कोई कहता है—वह खूनी था, पापी था, हत्यारा था, भीषण अशान्ति की सृष्टि करने वाला खौफ़नाक जघन्य अपराधी था—बाग़ी था। कोई—कोई कहता है—वह देश भक्ति की ओट में पथभ्रष्ट सैनिक था ! कोई अपने हृदय की समूची छटपटाती हुई बेचैनी एक ही ठंडी सांस में समेट कर कहता है—उस हत्यारे (?) के अन्तस्तल में साकार सहनशीलता का ज्वालामुखी धू-धू कर रहा था। उसके लरजते कलेजे के भीतर मुहब्बत और प्यार भरे आत्मोत्सर्ग की एक व्यापक दुनियाँ अपने नैसर्गिक छवि के साथ आबाद थी ! इसके विशाल हृदय में बलिदान की दहकती हुई चिनगारियां दबी थीं ! और उसकी मस्तानी कल्पनाओं के बीच हँसते हँसते कुर्बान होने की अमर टेक और दुर्लभ प्राणों की बाजी लगा देने का लगन भरा निर्णय मुसकरा रहा था !! और हम—हम तो कहते हैं वह ज़ालिम ख़ूखार और अपराधी से भी आगे निकल गया था। कारण, वह बासंती हिलोरों पर थिरकती हुई एक शानदार भावुकता और मस्त राष्ट्रीय आत्मा का अन्धभक्त पुजारी था, और दुर्भाग्यवश भारत जैसे एक गुलाम देश में पैदा हुआ था !

अन्तिम वचन

सरदार भगत सिंह अंग्रेज़ों से ये बोले,
मरता हूँ तो क्यों आपको है फ़िक्र तरद्दुद।
इक क़िस्स-ए पारीना को दुहराती है तारीख़,
उगर रत कि आवाज़-ए-मन्सूर कुहन शुद।
मन अज़-सरे-नौ जलवा दहम दारो रसन रा,

—देशभक्त।

परन्तु जिस दिन कोई भी जौहरी हृदयवाला उसे अपने कलेजे की खरी कसौटी पर तोलेगा, उस दिन वह देखेगा कि उसकी भावनायें कितनी निखरी हुई थीं ! वह देखेगा कि उसके जीवन के दूसरे पहलू को विस्मरण कर, सच्चे इतिहास की वास्तविकता पर पर्दा डाल कर, व्यर्थ लोग मूर्खता की ओट में उस पवित्र आत्मा पर कुत्सित विशेषणों के छींटे फेंक रहे हैं ! और वह भी देखेगा कि उस निर्भीक आज़ादी के दीवाने नवयुवक की, भावुक देशभक्ति की उन्मत्त सुकुमार कल्पनायें व्यक्तिगत स्वार्थ से कितनी दूर—बहुत दूर थीं ! वह देखेगा कि उसका बलिदान भगवान् के पुत्र महान ईसा से कम नहीं था—उस ईसा से जिसने अपने प्राणों के बदले एक स्थायी और अमिट साम्राज्य खरीदा था ! और उसका त्याग बुद्ध से एक इंच पीछे नहीं था—उस बुद्ध से जिसने जीवन के समूचे वैभव, यौवन, यौवन के उन्माद, राजपाट, भाई बन्धु और न जाने क्या,क्या उत्सर्ग कर दिया था !!

आज कुछ लोग उसके विशाल भवन की ओर देख कर अपनी दुर्बलता की ठेस से एक आह खींचते हैं ! किन्तु हमें तो उसकी विशेष चिन्ता नहीं; वह इस लिये कि उसका समूचा भारत घर था। वह किसी विशेष घर का अतिथि नहीं था ! हम उसके परिवार के प्रति समवेदना भी नहीं प्रकट करते। कारण, उसका परिवार सारे भारतीय थे ! हमें उसकी बूढ़ी माता और उसके बूढ़े पिता से भी कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं—उस माता पिता से जिसकी आशा का वह एकमात्र अरमान था, जीवन था—सर्वस्व था ! हाँ कुछ सम्बन्ध नहीं, वह इस लिये कि देश की सभी मातायें उसको अपने कोख के जाये की भाँति प्यार करती थीं। सभी के लिये वह जीवन था, प्राण था—सर्वस्व था ! हमें उनकी बहन के करुण-क्रन्दन पर भी कोई पीड़ा नहीं—उस बहन पर जो भइयादूज के दिन रक्षा और रोरी भेंट कर निहाल हो जाती थी; कारण, मुल्क भर की बहनें उसको अपने सहोदर भाई की तरह स्नेह करती थी और भाई ? देश के सभी नवजवान उसे अपने अग्रज या अनुज की तरह प्यार करते थे !! फिर हम किस-किस के और कैसे-कैसे आँसू पोंछे ? और कैसे अपने हृदय की समवेदना प्रकट करें !! हम तो बस, रोते हैं जी भर कर उस समय रोते हैं, जिस समय हमारी अन्तरात्मा में उसकी केवल उस अल्हड़ दीवाने की स्मृति की चिनगारी चिटक उठती है ! हमारे पापी हृदय में भी उसके प्रति प्रेम की पवित्र आग जल उठती है, रोते हैं बस,उसी समय आंसुओं से अपने पतित मुंह को देख कर, विह्वलता की असह्य चोट से नाच कर। और एक पागल की तरह यही गा-गा-कर :—

मालिक तेरी रज़ा रहे, और तूही तू रहे।
बाक़ी न मैं रहूँ न मेरी आरज़ू रहे॥
जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे।
तेरा ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे॥

———

सरदार की चिता पर—

[ले०—श्री० 'सतीश']

झूठी शान्ती और निरङ्कुश-शासन-प्रणाली के अमर-विद्रोही! अब तुम नहीं रहे! आशाएँ काँप रही थीं, विश्वास अधीर हो रहा था, क्षितिज के चारों ओर से घनी भूत-अन्धकार-राशि उमड़ती चली आ रही थी, उसी समय हमारे उसी दुर्दिन में चिरकाल तक जीवन और मरण के बीच सर्वनाश से संघर्ष करते हुए एक दीपक की अन्तिम लौ की तरह तुम समीर के एक झोंके के साथ पलक मार उड़ चले! और हम? हम विधवा के सुहाग की तरह निरीह और निर्बलों की पराजित आशा की तरह असहाय— हम तुम्हे पकड़ नहीं सके! एक क्षण के लिये—एकबार और तुम्हारी बांकी अदा, तुम्हारे देव-दुर्लभ शृंगार और तुम्हारे पवित्र-सौन्दर्य को-एक क्षण-हां, एक और केवल एक क्षण के लिये ही देख न सके! हायरे यह दुर्भाग्य!

तुम्हारी वह प्रवञ्चना......! आह! क्या कहें? तुम्हारी उस निष्ठुर प्रवञ्चना की याद आते ही रुलाई आजाती है, और बहुत संभालने पर भी उसकी याद में बरबस आंसू निकल पड़ते हैं, और हम उन्हीं असहाय आंसुओं को पीकर जी की जलन बुझा लेते हैं—प्राणों की सन्तप्त आग को पल भर के लिये सींच लेते हैं! याद है...? पागल होकर भी तुम उसे भुला नहीं सकते प्यारे पागल! हां, तुम्हें भी याद होगा, तुम महीनों से डूब रहे थे, तुम्हारी एक—एक कला प्रतिक्षण प्रतिपल अपना अस्तित्व खोती जा रही थी, और जब हम तुम्हारी ओर तुम्हारी अस्तङ्गत-क्षीण कला को देखकर झंझावात का झोंका खाये निर्बल-तरु पल्लव की तरह बढ़ते और कहते! सरदार! तुम फिर रहे हो!" ऐसा कहते वक़्त हमारी आंखों में आंसू होता, और हम चोट खाये हुए निरीह भाव की तरह केवल विकल होते, उस समय, तुम हंस पड़ते, तुम्हारा हमारे उमड़ते आंसुओं की ओर ध्यान न जाता और तुम शिशु के भोलेपन की तरह खिलखिला पड़ते! तुम्हारी वह निष्ठुरता और उस समय की निष्ठुरता जब कि तुम अपना दोनों पांव क़ब्र में फैलाये बैठे थे, और वधिक के तलवार की प्रतीक्षा कर रहे थे—हमें अभी भी याद है, और याद ही नहीं तुम्हारा वह निर्भय हास्य हमारे प्राणों में आज उन्माद भर रहा है, परन्तु? परन्तु ??—परन्तु, फिर भी तुम्हारे उस उन्मद-हास्य का मर्म हम आज भी—आज भी, नहीं समझ सके हैं। मृत्यु की गोद में बैठे हुए तुमने जीवन की जो उपेक्षा की-हंसते-हंसते उस पार जाने के प्रति तुमने जो प्यार दिखलाया उसका रहस्य हमारी समझ में नहीं आता, 'इसपार से 'उसपार' तुम न जाने कौनसी ऐसी निधि, न जाने कौनसा ऐसा प्रकाश—नजाने कौनसा ऐसा सौन्दर्य देख रहे थे कि तुमसे न रहा गया, और तुमने, हे हमारे मतवाले गौरव! तुमने अपनी आंख खोल दी, पलक मारते जीवन के उस पार उतर गये! एक क्षीण-प्रकाश की भांति तुम पलक मारते हमारी आंखों से ओझल हो गये, और हम तुम्हें न देख सके-न देख सके-न देख सके !!! परन्तु?—

परन्तु देखा वीणा पड़ी हुई थी, तार टूट चुके थे, उंगलियों ने चोट की! किन्तु हाय! स्वर नहीं था, परन्तु देखा लपटें झूम रहीं थीं, तुम्हारी शान्त और

मिटा दो आज हस्ती उनकी गर तुमको मिटानी है

मिटा दो क्योंकि यह तो एक तुम्हारी ही निशानी है।
मेरे दुखते हुये दिल की बस इतनी सी कहानी है॥
तुम्हें यह बैठे बैठे क्या हुआ, क्या दिल में ठानी है।
ज़रा सोचो कभी भी तुमने मेरी बात मानी है॥
समझ लो काश इतना तुम कि सब के वास्ते दुख है।
तुम्हारे वास्ते भी कोई दौरे आसमानी है॥
झुकाये सर हैं बैठे और यह मजबूर हस्ती है।
कि उनके सांस की भी रूह पर उनके गरानी है॥
दुआ गो है तुम्हारे ही ज़रा चश्मे करम उन पर।
बगरना जल्द कर गुज़रो जो कुछ भी दिल में ठानी है॥
बस अब तैय्यार बैठे हैं यह खौफ़े इन्तेहाँ कब तक?
मिटा दो आज हस्ती उनकी गर तुमको मिटानी है॥
वो हैं इस दर्ज़ा मतवाले शराबे नावे क़ौमी से।
न है तलवार में पानी न बेड़ी में गरानी है॥

———

सुस्थिर वीणा भयंकरी आग की प्रलयङ्करी लपटों में जल रही थी! हम रो रहे थे, किन्तु यह हास्य स्वर नहीं था।

परन्तु देखा-शैशव सी, सरलता सी अज्ञात सैतक शैय्या पर-अब तुम्हारी वह वीणा भी नहीं थी, केवल एक मुट्ठी राख, मुट्ठी भर गरम राख !!

इस पार अब तुमारी मुट्ठी भर राख शेष रह गयी है। और उसी राख—तुम्हारे अद्भुत जीवन की उसी राख पर-हमारी आंखें बरस रही हैं, हमारी आँखों का प्रत्येक अश्रु बिन्दु, युग-युग तक-हमारे प्यारे सैनिक—! तुम्हारी इसी मुट्ठी भर राख पर अपना अस्तित्व खो कर शृंगार की सृष्टि करेगी— मानवता की पवित्र बोले सी चेगा।

हम देख रहे हैं, तुम हमारी कायरता पर हँस रहे हो, हमें अच्छी तरह समझ कर हमारे आडम्बर की ओर व्यंग्य कर, तुम रूखी हँसी, हँस रहे हो, परन्तु हम?—हम तुम्हें समझ नहीं पाये हमारे प्यारे शहीद! हम तुम्हें क्षण भर को—ज़रा भी समझ नहीं पाये! लेकिन हम? हम तुम्हें समझ भी कैसे पाते! हमारी अन्धी आँखों में वह प्रकाश नहीं था, हमारे थोथे ज्ञान इतने दुर्बल थे, हमारे चारों ओर इतना घना अन्धाकर था, कि हम तुम्हें देख कर भी न देख सके, हम तुम्हें पहचान कर भी न पहचान सके? तुम्हारी ज्योति के सामने अत्याचार को कभी आंख उठा कर देखने का साहस नहीं हुआ और इसी लिये उसने, तुम्हें अपने गौरव का कारण न मान कर, तुम्हारी हस्ती नाबूद कर दी, और आज वे तुम्हें ज़ालिम और हत्यारा, खूंख्वार और बदमाश कह कर हंसते हैं, और अपने इसी कृत्रिम हास्य द्वारा अपने हृदय के जंगली भाव को अपने जीवन के घृणित ईर्षा को—अपने प्राणों के स्वार्थ को ढंकते हैं। परन्तु तुम? तुम उनके इस आडम्बर को देख कर मत हँस पड़ो मतवाले पागल,—तुम्हारे उस हास्य से उनका भी कलेजा बिंध उठेगा, और वे लज्जा से अवनत मस्तक हो जाँयगे!

—

देखो तुम हमें कोसो मत! हृदय के नाम पर मानवता के अनुरोधों के कारण मांगी गयी हमारी भिक्षा पर तुम हंसते हो—हंसलो, परन्तु हमें कोसो मत! हम ठुकराये हुए हैं, हमारी नसों में अपमान की मदिरा बह रही है, हमारे प्राणों पर क्रोध की चिनगारी सुलग रही है। हमारे अन्तराल में ज्वालाएं उमड़ रही हैं, ऐसी दशा में तुम हमें कोसों मत।

तुम अब नहीं रहे, परन्तु तुम्हारी याद हमारे हृदयों में—एक दो नहीं, सौ दो सौ नहीं, हज़ारों और लाखों वर्ष ही नहीं, युगों और कई युगों तक आबाद रहेगी, और उसी मतवाली याद में—मतवाली याद के उसी पगले उन्माद में, हम तुम से क्षमा मांगते तुम्हारी चिता पर अपने आंसुओं—अपने ज़हर भरे आँसुओं से अपने प्राणों—अपने उद्वेलित-प्राणों का दीपक जलाते रहेंगे! उस समय संसार के घनी भूत-अन्धकार भरे पथ पर उसकी लौ जलती रहेगी और तुम उस लौ को अपनी याद से प्रकाशित करोगे! और जब एक भयानक आंधी आयेगी, पर्वत टूट टूट कर गिरने लगेंगे, सारे विश्व में हाहाकार मच जायगा, मरुस्थल उड़ने लगेंगे, और भीषण अन्धकार की उस विभीषिका में जब किसी को कुछ न सूझेगा, उस समय हमारा यह दीपक जलेगा, और हम संसार को प्रकाशित करते हुए तुम्हें यह दीपक चढ़ायेंगे, और तुम यह दीपक लेने के लिये उतरने लगोगे, और हमारी प्रसन्नता का समुद्र आकाश चूमने लगेगा, जब हम देखेंगे कि हम में प्रकाश भरने के लिये तुम बादल पर चढ़े चले आ रहे हो, उस समय हम तुम्हारा अभिवादन करेंगे और तुम्हारे जलाये हुए इस दीपक को तुम्हारी चिता पर, तुम्हारे ही हाथों पर रक्खेंगे!

———

आज़ादी का परवाना भगतसिंह

(ले०, श्रीयुत नटराज)

—नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः

यह आज़ादी का परवाना था। हाँ, सचमुच आज़ादी का परवाना था! तभी तो भारत की आज़ादी की दीप-शिखा पर पतङ्ग की भाँति बलि चढ़ गया। वह युवक था। ऐसा युवक—जिसकी नस में प्रतिक्षण बिजली दौड़ती थी, और जिसका ख़ून किसी उज्ज्वल भविष्य की चिन्ता में सदा खौलता रहता था। कृतियों के बल पर वह पानी में आग लगा कर असम्भव को सम्भव कर दिखाना जानता था। तभी तो आज भारतीय स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी और अपने साथियों की पूर्णाहुति देकर, वह देश के इतिहास में एक नया और गौरव-पूर्ण अध्याय जोड़ गया।

× × ×

अभी बहुत दिन नहीं हुए, ४-५ वर्ष की बात है। मैं अपने दफ़्तर के काम में व्यस्त था। एक दिन एक लम्बे क़द का गौर-वर्ण युवक मेरे पास ही एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। वह बहुत देर तक बैठा बैठा इधर-उधर पड़े हुए अख़बारों को उलटता रहा। बड़ी देर के बाद मुझे ज़रा सर उठाने की फ़ुर्सत मिली। युवक से बातें होने लगीं। साधारण सी बात-चीत करने के बाद वह चला गया। मैं भी अपने काम में लग गया।

इसके बाद अक्सर उससे भेंट होने लगी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे।

युवक सिक्ख था। सर पर लम्बा साफ़ा बांधता था। उसका स्वभाव बहुत गम्भीर, किन्तु विनोद-प्रिय था। एक दिन कहीं से आप घूमते हुए आ निकले। मैंने हंस कर कहा - "आप कहां रहते हैं" उत्तर मिला—"पता क्या पूछते हो बेठिकानों का?" उस समय इस वाक्य का वास्तविक अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आया। बात हंसी में उड़ा दी गई। परन्तु आज ४-५ वर्ष के बाद जब वह युवक फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गया, तब उस वाक्य का वास्तविक अर्थ मेरी समझ में आया है।

उस समय मैं क़तई नहीं जानता था कि एक क्रान्तिकारी चरित्र में ख़ूबी क्या होती है। हफ़्तों और महीनों तक साथ होने पर भी, मैंने यह अनुसंधान नहीं किया कि इस युवक का चरित्र इतना ऊँचा हो सकता है। इतनी छोटी उम्र में देश के राजनैतिक वातावरण में इस प्रकार हल चल मचा कर अन्त में यह युवक देश की वेदी पर आत्मोत्सर्ग कर जायगा, यह तो कभी मैंने स्वप्न में भी न सोचा था।

हम एक दूसरे को प्यार करते थे। प्रतिदिन साथ घूमने जाते थे। गंगा-किनारे कभी दौड़ लगती थी, तो कभी व्यायाम होता था। गंगा में ग़ोते भी ख़ूब लगाये जाते थे। कभी कभी तैरते भी ख़ूब थे। जाड़ों के दिन थे। कभी कभी सवेरे उठने में मुझे देर होती थी। किन्तु युवक भगतसिंह में आलस तो छूकर भी न गया था। वह नियमित रूप से उठता और गंगा के पुल पर उषाकाल के समय, प्राची दिशा की ओर इक टक देखता हुआ कुछ सोचने में निमग्न हो जाता था। उस समय की उसकी गम्भीर मुख-मुद्रा देखते ही बनती थी। ओह! उसकी वह योगियों की सी आकृति अब कहाँ देखने को मिलेगी?

× × ×

यों सांसारिक दृष्टि से वह योगी नहीं था। परन्तु भीतर से देखने पर पहन-ओढ़ कर अच्छे ख़ासे ढंग से रहने वाला युवक था। उसके मिज़ाज में सादगी थी। चाल ढाल और रहन-सहन भी सादा था। बनावा तो उसमें छू तक न गया था। उसका भीतरी और बाहरी रूप एक सा था। मिलन-सार भी एक ही था। स्वभाव में चञ्चलता नहीं थी। महीनों साथ रह कर भी कम से कम मुझे तो ख़याल तक नहीं हुआ कि यह युवक क्रान्तिकारी कामों से सम्बन्ध रखता है। उन दिनों भी उसके रोम रोम में क्रान्तिकारी आदर्शों का समावेश हो चुका था। और उन्हीं आदर्शों की साध में वह अपने आपको मिटा देने के लिए प्रस्तुत हो रहा था। परन्तु उसकी स्वाभाविक गम्भीरता के कारण मुझ ऐसा थोड़ी अक्ल का युवक स्पष्ट रूप से उस समय उसकी क्रान्तिकारी आत्मा के दर्शन नहीं कर सका।

भगतसिंह अध्ययन शील युवक था। उसे सदा अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत थी। महापुरुषों के वीरता-पूर्ण चरित्र उसे आकर्षित करते थे। कभी वीरवर नेपोलियन की पुण्य-गाथा उसके हाथ में देखो जाती, तो कभी आयर्लैंड के प्रसिद्ध साहसी योद्धा डेनब्रीन की "My Fight for Irish freedom"। असल बात यह थी कि वह स्वयं साहसी योद्धा था वीरता, साहस, सचाई आदि गुण प्रारम्भिक जीवन से ही उसके हृदय में जम चुके थे। एक वास्तविक योद्धा में जो गुण होने चाहिये वे प्रायः सभी उसमें थे।

वह सच्चा कर्मयोगी था। भरे-पूरे घर का युवक होने पर भी, भोग-लिप्सा को ठुकरा कर, वह उस पथ का बटोही बन गया, जो चारों ओर से कण्टकाकीर्ण था, और जिसके अन्त में सुनहले अक्षरों में लिखा हुआ था—फांसी!

एक दिन शाम को बातों ही बातों में हम लोग एक मैदान में चले गये। साथ में एक साइकिल भी लेली, भगतसिंह के सिवा एक और मित्र भी साथ में थे। मैंने भगतसिंह से कहा कि एक युवक को क्या क्या सीखना चाहिए। उसने हंसकर जवाब दिया—घास खोदना। मैं बिगड़ कर कहने लगा-अरे हिन्दुस्तानी युवकों को तो घास खोदना तक नहीं आता? उसने कहा कि नहीं आता तो सीखना चाहिए। थोड़ी देरतक योंही मज़ाक होता रहा। फिर मैंने कहा, कि हमें साइकिल पर चढ़ना सिखा दोगे? उसने कहा-ज़रूर। मैंने अपने मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस काम में तुम हम दोनों के मास्टर हो। उसने हंसते हुए कहा कि मास्टर और शागिर्द पीछे देखना, पहले साइकिल पर चढ़ना सीखलो। बस, उस दिन साइकिल सीखने का श्रीगणेश हो गया।

उस दिन से शाम को हम नित्य मैदान में साइकिल सीखने जाया करते थे। मेरे मित्र इस काम में ज़रा तेज़ निकले। उन्होंने मुझसे पहले साइकिल पर चढ़ना सीख लिया और लगे दून की हांकने। मैं साइकिल से गिरता बहुत था। कई जगह चोट भी लगी। जब मैं साइकिल से गिरने लगता तभी मेरे दूसरे साथी पुकार उठते—"बारे मेरे मिट्टी के शेर?" इतना सुनते ही भगतसिंह के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आजाती, और वह तुरन्त ही दौड़ कर; मुझे पकड़ लेता और ज़मीन पर गिरने से रोक देता था।

इस प्रकार कई दिन तक भगतसिंह ने मुझे साइकिल पर चढ़ने का अभ्यास कराया। जब मैं साइकिल दौड़ाने लगा तब एक दिन उसने कहा कि अबतो तुम्हें साइकिल पर चढ़ना, आगया मिठाई खिलाओ। मैंने कहा—बहुत अच्छा जनाब। उन दिनों लोग भगतसिंह को 'बलवन्त सिंह' के नाम से भी पुकारते थे। कई बार हम लोगों ने साथ साथ खाना भी खाया और मिठाई भी; परन्तु यह बात याद कर आज भी कलेजे में टीस मारती है कि साइकिल सीखने के उपलक्ष में मैंने कभी उसे मिठाई नहीं खिलाई! उसे इसकी पर्वा भी नहीं थी। परन्तु हंसी में अक्सर उस मिठाई का तक़ाज़ा हो जाया करता था।

भगतसिंह ने मुझे साइकिल सिखाई थी। अब इस गुण को मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। जब कभी साइकिल पर बैठता हूँ, तभी प्यारे भगसिंह की मूर्ति सामने आ जाती है। तैरना, घोड़े पर सवारी करना, बन्दूक से निशान लगाना आदि कामों में भगतसिंह दक्ष था। उसे व्यायाम का बड़ा शौक़ था। उसका गठीला बदन ऐसा सुदृढ़ था मानों किसी चतुर कारीगर ने हथौड़ों से गढ़-गढ़ कर बनाया हो। वह कहा करता था कि दुबले-पतले रोगी और कमज़ोर लड़कों को मैं 'नौजवान' नहीं मानता। ये अभागे लड़के जिनके गाल पैठ गये हैं, चेहरे की हड्डियाँ जिनके निकम्मे होने की गवाही दे रही हैं,

और युवा होते हुए भी, आज बिना ज़रूरत के ऐनक लगा कर जो बुड्ढों को भी मात कर रहे हैं, पराधीन भारत के लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्यता के लिए अभिशाप हैं। अरे, भारत को कलही स्वाधीनता प्राप्त करनी है। स्वाधीन भारत के युवकों को तो हट्टे कट्टे और मज़बूत बन कर सैनिक-शिक्षा प्राप्त करनी होगी, इसलिए अब देश को ऐसे युवकों की ज़रूरत है जिनकी हड्डियाँ फ़ौलाद की हों, जिनके कलेजे वज्र के बने हों। गुलाम भारत के अभागे युवकों, तुम्हें अपनी हीन दशा पर कब शर्म आयेगी।

भारतीय युवकों की वर्त्तमान अधोगति पर बातचीत करते हुये भगतसिंह बहुत दुःखी हो उठता था। उसका चेहरा एक दम तमतमा कर लाल हो जाता था। थोड़ी देर बाद एक सर्द आह भर कर फिर शान्त हो जाता था। वह अक्सर कहा करता था कि मैं तो ऐसे युवकों के दर्शन करना चाहता। हूँ जिनका जीवन देश के लिए भार-स्वरूप न हो, बल्कि जिन पर देश गर्व कर सके।

भगतसिंह बहादुर युवक था। दुबला, पतला और निकम्मा नहीं, बल्कि हट्टा, कट्टा, स्वस्थ, साहसी और शूर वीर। उसका पवित्र जीवन, सचमुच एक आदर्श योद्धा का जीवन था। वह कर्मण्य था। देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की साध में, अपने घर के राजसी वैभव को ठुकरा कर उसने गले में झोली डाली थी। इस दशा में वह फ़कीर। बन गया था। उसके जीवन में एक आदर्श योद्धा और तपस्वी दोनों ही के अद्भुत गुणों का समन्वय हुआ था। भगवान् कृष्ण का यह भाव—

"हतोवा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वावा भोक्ष्यसे महीम्"

उसके जीवन में अच्छी तरह प्रविष्ट हो चुका था। उसके राजनैतिक विचार बहुत ऊँचे थे। वहाँ पाप-पुण्य हिन्सा और अहिंसा की कोई सङ्कुचित सीमा नहीं थी। वह तो स्पष्ट कहा करता था कि देश के प्रति कर्तव्य की भावना हिंसा और अहिंसा, तथा पाप-पुण्य दोनों ही के परे है। भगतसिंह को देख कर ऐसा मालूम पड़ता था कि भगवान् कृष्ण का कर्मयोग, शिवाजी, प्रताप का युद्ध-धर्म और गुरु गोविन्द सिंह का सिक्ख-धर्म इस युग में पराधीन भारत के कल्याण के लिए मूर्तिमान् होकर फिर से अवतीर्ण हुआ है।

× × ×

इस बात का पता दुनियाँ को तब चला जब भगतसिंह ने जेल में अपने बहादुर साथियों के साथ राजनैतिक कैदियों के अधिकारों के लिए अधिकारियों से सङ्घर्षण आरम्भ किया। वह समय इन भारतीय योद्धाओं के लिए सचमुच बड़ा विकट था। भगतसिंह ने आरम्भ से अन्त तक अधिकारियों से जिस प्रकार बढ़ कर मुठभेड़ की, और अपने प्यारे साथी यतीन्द्र की बलि देकर, अन्त में अपने दो मित्रों के साथ जिस मर्दानगी से फाँसी के तख़्ते पर झूल गया, उसे देख कर तो सचमुच दुनियाँ दङ्ग रह गई। भगतसिंह के इन बलिदानों को देख कर प्रताप और शिवाजी की गाथाएँ याद आ गईं। इन युवकों ने दुनियाँ को अच्छी तरह दिखा दिया कि आज पराधीन भारत में करोड़ों प्राणी भले ही गाय के समान हो गये हों, किन्तु फिर भी, यहाँ कुछ ऐसे नर-रत्न हैं जिनकी पाकहस्ती दुनियाँ में अपना सानी नहीं रखती।

आज भगतसिंह दुनियाँ में नहीं है। परन्तु देश की गलियों में नन्हे मासूम बच्चे तक गाते हुये सुनाई पड़ते हैं—

"फाँसी के तख़्ते पे झूल गया मस्ताना भगतसिंह"!

जिनके आँखें हों वे आज इस देश में बच्चों को भगतसिंह की याद में झूमते हुए देख लें, और जिनके कान हों वे उनकी ज़बान के साथ शहीदों का तराना सुन लें। अरे, ओ पशु-बल और सत्ता के मद में बेहोश हुई बेवक़ूफ़ दुनियाँ! आज हिन्दुस्तान की गलियों में घर घर से भगतसिंह की याद में आती हुई आवाज़ के साथ इस बात का नज़ारा अच्छी तरह देख ले—'रङ्ग लाती है हिना पत्थर पै पिस जाने के बाद।'

भगतसिंह आज़ादी की शमआ का परवाना था! आज़ादी की जलती हुई दीप-शिखा पर पतङ्ग की भाँति अपनी और अपने साथियों की बलि दे कर उसने आज़ादी की पूरी क़ीमत चुका दी!!

[कापी राइट]

विदा*

हैफ़ जिस पर कि हम तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया उसी काशाने को,
आसमां क्या पढ़ी बाकी था ग़ज़ब ढाने को, लाके गुरबत में जो रक्खा हमें तड़पाने को;
क्या कोई और बहाना न था तरसाने को ॥१॥

फिर न गुलशन में हमें लायेगा सैय्याद कभी, क्यों सुनेगा तू हमारी फ़रियाद कभी,
याद आयेगा किसे ये दिले नाशाद कभी, हम भी इस बाग़ में थे क़ैद से आज़ाद कभी,
अब तो काहे को मिलेगी वह हवा खाने को, क्या कोई और० ॥२॥

दिल फ़िदा करते हैं कुर्बान ज़िगर को करते हैं, पास जो कुछ है वह माता की नज़र करते हैं,
खाने बीरान कहां देखिये घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं,
जा के आबाद करेंगे किसी बीरान को, क्या कोई० ॥३॥

देखिये कब ये असीराने मुसीबत छूटें, मादरे हिन्द के अब भाग खुलें या फूटें,
देश सेवक सभी जेलों में मूँजे कूटें, हम यहाँ शोक से दिन रात बहारें लूटें-
क्यों न तरजीह दें इस जीने पर मर जाने को, क्या कोई० ॥४॥

कोई माता की उमीदों पर न डाले पानी, ज़िन्दगी भर को हमें भेजके कालेपानी,
मुँह में जल्लाद हुये जाते हैं छाले पानी, आब खंजर का पिला करके दुआले पानी,
भरने क्यों जाँय हम इस उम्र के पैमाने को, क्या कोई० ॥५॥

हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रह कर, हमको भी पाला था मां बापने दुख सहकर,
वक्ते रुख़सत उन्हें इतना भी न आये कह कर, गोद में अश्क जो टपकें कभी रुख से बह कर,
तिफ़्ल उनको ही समझ लेना जी समझाने को, क्या कोई० ॥६॥

देश सेवा का ही लहू बहता है नस नस में, अब तो खा बैठे हैं चित्तोर के गढ़ की कसमें,
सर फ़रोशी की अदा होती है यों ही रस में, भाई खंजर से मिलते हैं सब आपस में,
बहने तैयार चिताओं पर हैं जल जाने को, क्या कोई और० ॥७॥

नौजवानो जो तुम्हारे दिल में कभी खटके, याद कर लेना हमें भी भूले भटके,
आपके अँजो बदन होवें जुदा कट कट के, और सद चाक हो माता का कलेजा फट के,
पर न माथे पर आये शिकन खाने को, क्या कोई० ॥८॥

अपनी किस्मत में अजल से ही सितम रक्खा था, रंज रक्खा था, ग़म रक्खा था,
किसमें यह हौसला था किसमें यह दम रक्खा था, हमने जब बीर पे गुरबत में क़दम रक्खा था,
दूर तक यादे वतन आयी थी समझाने को, क्या कोई० ॥९॥

अपना कुछ ग़म नहीं लेकिन ये ख़याल आता है, मादरे हिन्द पर कब तक ये ज़वाल आता है,
हर दयाल आता है पीछे से न पास जाता है, क़ौम अपनी पर रह २ के मलाल आता है,
मुन्तज़िर रहते हैं हम ख़ाक में मिल जाने को, क्या कोई० ॥१०॥

दर्द मिन्दों से मुसीबत की हलावत पूछो, मिटने वालों से ज़रा लुत्फ़े शहादत पूछो,
चश्मे मुश्ताक से जरा दीद की हसरत पूछो, कुश्तये नाज़ से ठोकर की क़यामत पूछो,
सोज़ कहते हैं किसे पूछ लो परवाने को, क्या कोई० ॥११॥

बात तो तब है जब इस बात की जियें ठाने, देश के वास्ते कुर्बान करें सब जाने,
लाख समझाये कोई एक न उसकी माने, कहता है ख़ून से न अपना गरेबां साने,
ना सिला आग लगे तेरे इस समझाने को, क्या कोई० ॥१२॥

---

*शहीद ओइम प्रकाश लिखित क्रान्तिकारियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रिय गायन।

मनुष्य का बनाया क़ानून !

[लेखिका – कुमारी लज्जावती जी]

आज से दो वर्ष पूर्व की बात मैं कह रही हूँ। १९२९ ई० जनवरी महीना था, लाहौर की बड़ी जेल में अदालत का इजलास हो रहा था। मैंने सुना था कि इस मुक़दमे के अभियुक्त बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। उन पर एक अंगरेज़ और एक हिन्दुस्तानी के क़त्ल का अभियोग है। इसके साथ ही वे "सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने" के भी अपराधी बताये जाते हैं। ऐसे भीषण अभियोगों के अभियुक्तों को देखने के लिये, उनकी बातें सुनने के लिये, बीसियों व्यक्ति, साधारण गृहस्थ, वकील, अमीर, विद्यार्थी अदालत में रोज़ पहुँचते थे। दर्शक-गेलरी में बैठे-बैठे यह लोग बड़ी उत्सुकता और अनुराग से मुक़दमे की कारवाई देखा करते और अभियुक्तों को देख-देख कर भावोन्मत्त हुआ करते थे। यदि अभियुक्तों में से कोई किसी दर्शक को नमस्कार अभिवादन कर लेता, तब तो अन्य जन उस दर्शक से ईर्ष्या करने लगते थे।

एक दिन मैं भी इन "क़ातिलों" के दर्शन के लिये चल दी। अदालत के समीप सड़क पर पहुँचते ही देखा कि "शान्ति और व्यवस्था" के ठेकेदारों के नौकर, ख़ाकी वर्दी पहने और हाथों में लाठियाँ लिये दूर तक खड़े हैं। मुझे स्वभावतः ही यह प्रदर्शन देख कर इसका कारण ज्ञात करने की उत्सुकता हुई। पूछने पर ज्ञात हुआ कि, अदालत आते समय कुछ मन चले नवयुवक "इनक़िलाब ज़िन्दाबाद" के नारे लगाते हैं, जिससे "अशान्ति फैलने की सम्भावना, रहती है।" इस लिये यह प्रबन्ध किया जाता है।

मुक़दमे की कार्यवाही सुनने के लिये मुझे दरख़ास्त भेजनी पड़ी, अतएव मजबूरन बाहर खड़ा रहना पड़ा। मुझसे कुछ दूरी पर अन्य महिलायें भी खड़ी थीं: कदाचित् वे भी मेरी ही भाँति आज्ञा प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थीं। इनके पास ही पुलीस वाले कुर्सियों पर अकड़े हुए ज़ोम के साथ बैठे थे। वह शान्ति और व्यवस्था के ठेकेदार थे, वैतनिक ठेकेदार थे। लेकिन उन्हें सज्जनोचित इतना भी साधारण शिष्टाचार ज्ञात न था, कि वह कुर्सियों से उठ बैठते और उन महिलाओं को, जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, उन पर बिठा देते।

इसी समय किसी ने मुझे बताया कि, एक दिन यह लोग कुर्सियों पर इसी तरह अकड़े बैठे थे, और पास ही खड़ी देवी अपने लिये अदालत की आज्ञा की बाट जोह रही थीं, यह देख कर, एक गोरे अफ़सर ने इन्हें डाट कर कहा--"तुमने इनको बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं दी?" उस वक़्त इनमें से एक ने कुर्सी उन देवी को दे दी, मगर उस गोरे अफ़सर के चले जाने पर, जब उस देवी ने उन्हें फटकारा तो अत्यन्त निर्लज्जता से एक पुलीस वाले ने जवाब दिया कि--"यह स्त्रियाँ आती ही इस तरह की हैं, जो प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होतीं।"

दूसरी ओर कुछ दूर दो तीन युवतियाँ युवक खड़े थे। मैंने उनसे पूछा—"तुम उधर अलग क्यों खड़े हो?" उन्होंने उत्तर दिया—"साधारणतया पुलीस के सिपाही बहुत अधिक अशिष्ट होते हैं, अतएव इनके निकट खड़े होने से यह अलग दूरी पर ही खड़ा होना उचित है। यह लोग मुक़र्रर तो किये जाते हैं, जनता के सुपास और। संरक्षण के लिये, लेकिन यदि, इन्हें कोई अकेला मिल जाय, तो सचमुच हृदय में उद्वेग उत्पन्न होने लगता है, अतएव यहाँ एकान्त में खड़े हैं।"

मुझे उस दिन बहुत देर तक इन्तिज़ार करना पड़ा। मैं लौट कर सड़क के किनारे आ गई और अमनो अमान के इन तनख़्वाहदार ठेकेदारों के चेहरों की ओर देखने लगी। इनमें से कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ इधर उधर घूमते थे और कुछ अपनी जगहों पर खड़े थे, लेकिन लगभग आकृति सभी की भयावनी थी! इनकी हरकतों से उच्छृंखलता और अशिष्टता व्यक्त होती थी। महिलाओं के समक्ष परस्पर मज़ाक़ और अशिष्ट शब्द बकने में उन्हें तनिक भी झिझक न मालूम होती थी। सौम्यता और सभ्यता तो इनके समीप होकर न निकली थी, सज्जनता का भी नाम तक न था। अस्तु।

मुझे आज्ञा मिली। नाम पता लिखा कर और जामा तलाशी के बाद मैं अदालत में पहुँची। मुक़दमे की कारवाई शुरू की। मेजिस्ट्रेट की बाँईं तरफ़ एक कठघरे में सत्रह-अठारह युवक कुर्सियों पर बैठे थे। इनमें कुछ समाचार-पत्र पढ़ रहे थे, कुछ उपन्यास पढ़ने में व्यस्त थे, और शेष आपस में बातें कर रहे थे। कठघरे के इर्दगीर्द पुलीस वालों का पहरा था। दर्शक गैलरी में काफ़ी स्थान न था, इसे अमनोअमान के ठेकेदारों ने भी देखा और अन्य व्यक्तियों ने भी, लेकिन इस बात की तरफ़ सब से पहले ध्यान गया, "क़ातिलों" के सरदार का। देखते ही वह अपनी कुर्सी पर से खड़ा हो गया और अदालत से कहने लगा—

"मि० मेजिस्ट्रेट, दर्शकों के लिये उचित प्रबन्ध नहीं है। स्थान बहुत कम है। यदि आप कृपा कर महिलाओं को भीतर बैठने की आज्ञा दे देंगे, तो बहुत सुविधा हो जायगी। अदालत ने उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। उस रोज़ मेरे साथ मेरी एक रिश्तेदार भी थी। मैंने देखा कि, वह बहुत ध्यान से अभियुक्तों के कठघरे की ओर देख रही हैं। मैंने पूछा—"बहन, किसे देखती हो?" वह बोल उठीं—"किसी को नहीं, देखती थी कि यहाँ राम की फ़ौज कौन सी है और रावण की कौन सी।" मैंने कहा—"मनुष्य के बनाये क़ानून के अनुसार या भगवान के बनाये क़ानून के अनुसार?" वह चुप रह गईं।

आज अदालत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इक़बाली गवाह का बयान हो रहा था। उसने कहा—"पहली गोली तो मिस्टर राजगुरु ने चलाई, लेकिन उसके बाद सरदार भगतसिंह ने लगातार पाँच-छै गोलियाँ चलाईं, इस पर ठहाके के साथ हँसते हुए भगतसिंह ने अपने एक साथी से कहा—"वाह तो मैंने क्या मरे हुए को ही मारा"—और फिर अत्यन्त निश्चिन्ततापूर्वक उपन्यास पढ़ने लगा।

मैंने उसकी हँसी की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे की ओर देखा। मैं सोचने लगी—हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, मौत सामने खड़ी है, और यह लोग इस तरह मनोरंजन में व्यस्त हैं, यह मनुष्य हैं या फ़रिश्ते? गीता में, उपनिषदों में एवं अन्य धर्म-शास्त्रों में, मुमुक्षु या जीवनमुक्त के जो लक्षण मैंने पढ़े हैं, मुझे अब अनुभव हुआ है कि, भगतसिंह उस आदर्श की जीवित प्रतिमूर्ति बन कर मुलज़िमों के कठघरे में आ बैठा था। वह पढ़ रहा था और मुसकुरा रहा था। ओह! उस मुसकुराहट में कैसा मधुर आकर्षण था, कितना जादू था, उसकी छोटी छोटी आँखों में कैसा नूर था। उसकी बातों में कैसा आनन्द था। मैं सोचने लगी—यह क्या इस दुनिया की चीज़ है? नहीं, यह तो ईश्वर-प्रेरित उन महान आत्माओं में से है, जो कभी कभी किसी आदर्श की स्थापना के लिये इस धराधाम पर अवतीर्ण होती हैं। यह आत्मा तो आज आज़ादी के शान्तिमय सिपाहियों को निर्भयता का पाठ पढ़ाने आई है। दिल में प्रश्न उत्पन्न हुआ—"हम लोगों में से जो भाषणों के शब्दों में और लेखों के अक्षरों में स्वतन्त्रता के स्वागत के के लिये अपनी आंखें बिछाते हैं, और "बड़ी से बड़ी कुर्बानी" करते हैं, कितने ऐसे हैं जो फ़रबन्दी की लड़ाई में इस अल्हड़ता और निर्भयता से गोलियों की बौछार के सामने खड़े रहेंगे? लेकिन इस नौजवान का अपना जो आदर्श है, उसने अपने लिये जो मार्ग निर्धारित किया है, उस पर वह किस शान से चल रहा है और किस बहादुरी से मृत्यु का आलिङ्गन करने चला है!"

मेरा, उसकी फ़िलासफ़ी, आदर्श और कर्तव्य-मार्ग से सदैव से विरोध रहा था, मेरी यह वांछा थी कि देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई अहिंसा द्वारा ही होनी चाहिये; लेकिन फिर भी सरदार भगतसिंह की वीरता को देख कर बार बार हृदय ने चाहा कि उसके क़दम चूम लूँ, और उन पर अपना शिर रख कर कह दूँ कि—'जाते हुये अपनी वीरता और बलिदान साध का हज़ारवां हिस्सा कठघरे से बाहर हम लोगों की तरफ़ भी। 'नेताओं के पीछे पागलों की भांति भागने वालों और व्याख्यानों, और प्रस्तावों से आज़ादी लेने वालों की तरफ़ भी--फेंक दो।'

मैंने चुपके से अपनी उस सम्बन्धिनी से पूछा--"बहन यह बन्दी जन मनुष्य हैं या देवता?" उसने जवाब दिया--"इन्सान के बनाये हुए क़ानून के अनुसार अथवा भगवान के बनाये हुये क़ानून के अनुसार?"

शहीद की अन्तिम विदाई

रह-रह कर पागल कर देने वाली पगली याद विदा !
आशाओं के उभार क्षणिक उफ़ जीवन के उन्माद विदा !
विदा, लालसा की मदिरा में बिखरे वे दुर्लभ वैभव।
स्वप्न सरीखे स्मृति-विस्मृति के, हा ! अद्भुत प्रासाद विदा !
पोखरों पर पले हुये कुसुमों के मधुर पराग विदा !
साध विदा ! संसार विदा ! टूटे प्राणों के राग विदा !
विदा आह मीठी थपकी पर पिघले आँखों के अरमान !
अलसाये यौवन के मतवाले विक्षिप्त विहाग विदा !
परिधिरहित चंचल तूफ़ानों के उफ़ कर्णाधार विदा !
प्यार विदा आधार विदा ! टूटी वीणा के तार विदा !
विदा ! विदा !! विप्लव सा व्यापक अतुल शक्ति की मादक याद !
आह, निराशा पथ पर फेंके लाख-लाख शृंगार विदा !
यौवन-मय की सरल तरंगों के वे चुम्बन दान विदा !
तान विदा ! हा गान विदा ! जीवन के शुभ वरदान विदा !
विदा ! सुनहले उस सुहाग का झिलमिल करता शुभ तारा !
आह ! चिता सा चंचल कर देने वाला तूफ़ान विदा !
विकल रुदन के ताण्डव में उलझी अन्तिम मुसुकान विदा !
प्रतिध्वनि में छिप-छिप आने वाले आतुर आह्वान विदा !
विदा प्राण पर अङ्कित सुख-दुख के चुभने वाले इतिहास !
उद्वेलित उमड़े आंसू के सौ-सौ उर्मिल गान विदा !
मधुर स्वप्न से घुल मिल कर रहने वाले दिलदार विदा !
अपराधी पापों से झुलसा पापी का उफ़ प्यार विदा !
विदा, व्यथित उन पागल घड़ियों के उफ़ वे मादक विश्वास !
शान्ति कहाँ ? पगली दुनियाँ का छलिया क्षणिक दुलार विदा !

—'श्याम'

शेर भगतसिंह

निकला ज़ुबां से "मर दवा", यारों ने जब कि यह कहा।
"राहिये मुल्के अदम हुआ हिन्द का नव जवां भगत ॥"
ख़ुशियां मनाओ हिन्दियो, रंजो अलम फ़ना करो।
क्या ख़ुश नसीब मुल्क है, जिसमें था नव जवां भगत ॥
हिन्द के ऐ बहादुरों, कुछ भी न रंजोग़म करो।
दुनिया से मर गया भगत, होवेंगे वे करों भगत ॥
यूँ तो भगत बहुत हुये, माला लिये जपा किये।
आये नज़र न देश भक्त, जैसे था नव जवां भगत ॥
हिन्द के ऐ निवासियों इतना हमें जवाब दो।
लोगे न क्या स्वराज तुम फांसी चढ़ा जवां भगत ॥
दागे जुदाई सिंह के, सदमें उठा न गे "अली"।
ख़ाके वतन के ज़र्रे से, पैदा हैं ये करों भगत ॥

— मुश्ताक़ अलीख़ाँ "अली"

आख़िरी सलाम

समन्दे-चर्ख़ से थक कर सवारे-आफ़ताब उतरा,
शबे-तारीक के चेहरे से इक नूरीं नक़ाब उतरा।
सियाही छागई बज़्मे-जहां के कोने कोने पर,
उरूसे ज़िन्दगी आराम से लेटी बिछौने पर।
अमीरी ने मुहय्या कर लिये सामान इशरत के,
ग़रीबी बोझ से बेदम हुई पैहम मशक़्क़त के।
नसीबा जिनका यावर है, मज़े की नींद सोते हैं,
मुक़द्दर जिनका फूटा है, वो आहें भर के रोते हैं।
मलूकीयत है महवे-ख़्वाबे-दामाने-सयासत में,
ग़ुलामी ले रही है करवटें ज़िन्दाने-असरत में।
उड़ी है नींद आंखों से वतन के पासबानों की,
जवानी इन्तिज़ारे-ग़म में हैं नौजवानों की।
सज़ाए-मौत बन कर जिनकी पादाशे-अमल आई,
ये उनकी आख़िरी शब बन के पैग़ामे—अजल आई।
न की अपनी हिफ़ाज़त भी वतन की पासदारी में,
दिया ख़ूने-जिगर नख़्ले-वतन की आबयारी में।
जवानी नज़्र करदी मादरे-भारत की ख़िदमत में,
हथेली पर धरे सर आये मैदाने-शहादत में।
सलाम, ऐ आशिक़ाने-मुल्को-मिल्लत आज रुख़सत हो,
ख़ुदा पर ही नज़र रक्खो, ख़ुदा की तुम पै रहमत हो !

—मिर्जा दबङ्ग

---

*सजा को जानते हैं हम, ख़ुदा जाने खता क्या है ?

[लेखक स्वर्गीय महाकवि चकबस्त]

उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नया सर्ज़े जफ़ा क्या है ?
हमें यह शौक़ है देखें सितम की इन्तेहा क्या है ॥
गुनहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाक़िफ़।
सज़ा को जानते हैं हम, ख़ुदा जाने ख़ता क्या है ॥
ये रंगे बेकसी रंगे जुनूँ बन जायगा ग़ाफ़िल।
समझले यासो हिरमाँ की, मरज को, इन्तेहा क्या है।
बना बिसमिल हूँ मैं वाक़िफ़ नहीं रस्मे शहादत से।
बता दे तूही ऐ ज़ालिम तड़पने की अदा क्या है ॥
चमकता है शहीदों का लहू क़ुदरत के परदे में।
शफ़क़ का हुस्न क्या ? फूल की रंगी क़बा क्या है ?
उमीदे मिल गई मिट्टी में दौरे ज़ब्त आख़िर है।
सदाये गैब बतलादे मुझे हुक्मे ख़ुदा क्या है ?

कुटीर का पुष्प

[लेखकः—श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जी टण्डन।]

भाग्यवान इस ही में हूँ यह विजन कुटीर करूँ सुरभित,
नहीं तनिक इच्छा मुझको मधुकर मण्डित आरामों की।
दुर्बल अङ्ग स्वल्प सौरभ मम काम स्थल यह कोना है,
इसे सजाऊँ, इसे रिझाऊँ केवल यही कामना है।
यही लालसा हिय में इसका एक दिन विध गलहार बनूँ,
अपना सब सौरभ समाप्त कर रज-कन में बस वास करूँ।

---

* यह ग़ज़ल सरदार भगतसिंह को बहुत प्रिय थी। इसका ही पहला मिसरा उन्होंने अपने भाई को लिखे हुये अन्तिम पत्र में, उद्धृत किया है।

एसेम्बली बम-केस में स० भगतसिंह वगैरह का ऐतिहासिक बयान

एसेम्बली में बम फेंकने पर गिरफ़्तार होने और मुक़दमा चलाये जाने पर सरदार भगतसिंह वगैरह ने जो सनसनी पूर्ण बयान दिया था वह इस प्रकार है:—

"हम लोग संगीन जुर्मों के अभियुक्तों की हैसियत से यहाँ उपस्थित है और इस मौके पर हम अपने आचरण की सफ़ाई पेश करते हैं। (हमारे आचरण के सम्बन्ध में) निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं:— पहला प्रश्न है कि क्या एसेम्बली भवन में बम फेंके गये थे और फेंके गये तो क्यों? दूसरा सवाल यह है कि नीचे की अदालत ने हम पर जो फर्द जुर्म लगाया है, क्या वह सत्य है अथवा नहीं? पहले प्रश्न के उत्तर में हमारा जवाब है कि हाँ एसेम्बली में बम फेंके गये थे, किन्तु अपने आप को चश्मदीद गवाह कहलाने वालों में से कुछ गवाहों ने झूठा बयान दिया है और चूँकि हम अपनी कार्य-पात्रता को, उस हद तक जहां तक कि वह जाती है और जिस रूप में कि वह है, अस्वीकृत नहीं करते, इसलिये उन गवाहों के बारे में हमारा यह बयान जिस लायक वह है, वैसाही समझा जाय। उदाहरण के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सार्जेण्ट टेरी की यह गवाही, कि उसने हम में से एक आदमी के हाथ से पिस्तौल छीनी, सरासर बनाई हुई झूठ हैं: क्योंकि जिस समय हमने आत्मसमर्पण किया था, उस समय हम में से किसी के पास भी पिस्तौल नहीं थी। दूसरे गवाहों ने, जिन्होंने हमारे द्वारा बम फेंके जाते देखने का बयान दिया है, सरासर झूठ बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं किया है। जो लोग क़ानूनी स्वच्छता और निष्पक्ष न्याय-दान के लिये प्रयत्नशील हैं, उनके लिये यह (गवाहों की ग़लतबयानी) स्वतः एक नैतिक सबक है। इसी के साथ ही हम सरकारी वकील की निष्पक्षता और अदालत की इस वक्त की न्यायपरख के मनोभाव को स्वीकृत करते हैं।

बम क्यों फेंके गये?

"पहले प्रश्न के दूसरे अंश के उत्तर देने में हमें मजबूरन कुछ विस्तार की शरण लेनी पड़ती है और इस प्रकार हमें अपने कार्य के प्रेरक भावों और उन सब परिस्थितियों का पूर्ण और नितान्त स्पष्ट निरूपण करना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे यह बम-दुर्घटना ऐतिहासिककाण्ड में परिणत हो गई है। कुछ पुलीस आफिसरों ने हम से जेल में मुलाकात की थी और उन्होंने हमसे कहा था कि लार्ड इरविन ने गद्दी व्यवस्थापिका सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देते हुये इस घटना को एक ऐसा वार बतलाया था जो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं किन्तु एक संस्था के प्रति किया गया। जब हमने यह सुना तब हमने बहुत शीघ्र ही यह बात मान ली कि इस घटना का सच्चा महत्व बहुत ठीक तौर पर समझ लिया गया है। हम मनुष्यता के प्रेम में किसी से भी पीछे नहीं है और किसी व्यक्ति के खिलाफ़ घृणा भाव रखना तो दूर, हम मनुष्य जीवन वास्तविक रूप में पवित्र समझते हैं। हमने तो उस प्रकार के घिनौने कुकृत्य के करने वाले एवं देश के कलङ्क हैं जैसा कि अधकचरे साम्यवादी दीवान चमन लाल हमें कह चुके हैं तथा न हम ऐसे पागल ही हैं जैसा कि लाहौरी 'ट्रिब्यून' और कुछ अन्य लोगों ने हमें बतलाया है।

संस्था के साथ आवाज़बलन्दी

"हम बहुत नम्रता पूर्वक यह दावा करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं सिवा इसके कि हम इतिहास के गम्भीर विद्यार्थी हैं और अपने मुल्क की हालत के देखने वाले हैं तथा मानवीय सदाकांक्षाओं के अनुभव करने वाले हैं। और हम पाखण्ड तथा मक्कारी से नफ़रत करते हैं। हमारा यह व्यावहारिक विरोध प्रदर्शन एक ऐसी संस्था के खिलाफ़ था, जो अपने जन्म काल ही से न केवल अपना निकम्मापन ही प्रगट करती रही है, बल्कि शैतानी कर सकने की अपनी अत्यधिक शक्ति का प्रमाण भी देती रही है। ज्यों ज्यों हमने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया, त्यों त्यों हम पर इस विश्वास की गहरी छाप पड़ती गई कि यह संस्था दुनिया को भारतवर्ष की बेचारगी और उसकी बेइज़्ज़ती दिखलाने के लिये ही कायम है। यह संस्था गैरजिम्मेदार और तानाशाही शासन के विकट प्रभुत्व का प्रतिरूप है। जनता के प्रतिनिधियों ने बार बार राष्ट्र की माँगे पेश की और उन राष्ट्रीय माँगों का अन्तिम स्थान कूड़े की टोकरी ही रहा है। एसेम्बली द्वारा पास किये गये पुनीत प्रस्ताव नगण्य समझ कर घृणा से पैरों तले कुचले गये हैं और वह भी कहाँ? यहां, इस नामधारी भारतीय पार्लामेन्ट के भवन में। दमनकारी और निरंकुश क़ानूनों को तोड़ने के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव निहायत नख़्वाबाना हिकारत की नज़र से देखे गये हैं और सरकार के वे कानून और प्रस्ताव जिनको जनता के चुने हुये मेम्बरों ने अस्वीकरणीय समझ कर ठुकरा दिये थे, सिर्फ एक क़लम के झोंके से ज्यों के त्यों रहने दिये गये।

थोथा दिखावा

"थोड़े में, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हम इस संस्था के अस्तित्व की उपादेयता को समझने में नितांत असमर्थ रहे हैं। बावजूद इस तमाम ठाट बाट शौकत और तड़क भड़क के, जो कि करोड़ों मेहनत-कश लोगों की कष्टप्राप्य दौलत के बल पर कायम रखी जाती है, हम यह समझते हैं कि यह संस्था एक ढोल की पोल का नज़्ज़ारा और शैतानियत से भरा एक बहाना मात्र है। इसके साथ ही हम नहीं समझ पाये हैं उन सार्वजनिक नेताओं के मनोभावों को जो जनता का समय और धन भारतवर्ष की निरुपाय गुलामी के इस नाटकीय प्रदर्शन के लिये खर्च करते हैं। हम इन सब बातों पर गौर करते रहे हैं और साथ ही हमने गौर किया है, मज़दूर दल के नेताओं की धड़ाधड़ गिरफ़्तारी पर। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का आरम्भ जिस समय हमें एसेम्बली में खींच कर ले आया, उस समय हमने उस बिल की प्रगति को देखा और उस पर किये गये वाद विवादों को भी सुना। यह सब देखने सुनने के पश्चात् हमारा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि यह संस्था तो सब कुछ हड़प जाने वालों की गला घोंटू ताक़त का भय त्रस्तकारी स्मारक और निःसहाय मेहनतकशों की गुलामी का चिन्ह है।

जगाने के लिये बम जरूरी हैं।

"अन्त में तमाम देश भर के प्रतिनिधियों के साधारणीय मस्तकों पर अमानुषिक और बर्बरता पूर्ण क़ानून की अपमानजनक गाज गिराई गई और इसका नतीजा यह हुआ कि भूखा मरने वाले और मुश्किल तमाम अपना पेट पालने वाले लोग अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के प्रारम्भिक स्वत्व और एक मात्र उपाय से वंचित कर दिये गये। कोई भी आदमी जिसने हमारी तरह इन बेज़बान, मनमानी, दिशा में हाँके दिये जाने वाले मज़दूरों के प्रति तादात्म्य भाव अनुभव किया है, सम्भवतः इस दृश्य को अविचलित चित्त से नहीं देख सकता था। कोई भी आदमी जिसके दिल में खून भरता है, उन आदमियों के लिये जिन्होंने लूट-खसोट करने वालों के आर्थिक भवन के लिये अपना जीवन रक्त दे दिया है—और लूट खसोट करने वालों की श्रेणी में, इस मुल्क में यह सरकार सब से बड़ी दोहनकर्ता है—अपनी आत्मा के क्रन्दन को नहीं दबा सकता था; और इस निर्दय प्रहार ने हमारे हृदय के भीतर से वेदना का

भगतसिंह की आख़िरी मुलाक़ात

अपने ज़िन्दान के हुजरे में भगतसिंह ने कहा—

"लो चला जाता हूँ सरकार चला जाता हूँ।"

याद अज़ां वृत्त का तसव्वुर जो किया, उससे कहा—

"अब चला जाता हूँ, ऐ यार चला जाता हूँ;
मुन्तज़िर देर से हैं मेरे शहीदाने वफ़ा,
मैं ग़म-इश्क़ से सरशार चला जाता हूँ।"

जब छुआ बाप के क़दमों को, तो रिक्कत से कहा—

"आपको छोड़के नाचार चला जाता हूँ;
ज़ख़्म खाये हुए हूँ दिलपै ग़मे-भारत का,
मैं हूँ बीमार, मैं बीमार चला जाता हूँ;
कूच-ए-हिन्द में मैं ख़ाक की सूरत रहता,
कर दिया इसने जो इनकार—चला जाता हूँ।"

फिर तसव्वुर में अदब से ये कहा गांधी से—

"लश्करे-क़ौम के सालार—चला जाता हूँ;
मुन्तज़िर देर से हूँ जलवए-स्वराज्य दिखा,
वरना मैं तालिबे-दीदार—चला जाता हूँ।"

नौजवां हिन्द से आख़िर मैं तड़प कर बोला—

"तुझको ग़म दे के ऐ ग़मख़्वार—चला जाता हूँ।"

—लाला दीनानाथ

बम केवल बहरों के कान खोलने के लिए फेंके गये थे

आक्रोश ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया। इस लिये, एक समय गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के क़ानून सदस्य स्वर्गीय श्री० एस० आर० दास के उन शब्दों को ध्यान में रख कर, जो उनके उस प्रसिद्ध पत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसे उन्हों ने अपने पुत्र को लिखा था, और जिन शब्दों का मंशा यह है कि इंगलैण्ड को अपने सुख-स्वप्न से जगाने के लिये बम ज़रूरी है,—इन शब्दों पर विचार करके हमने एसेम्बली की फ़र्श पर बम फेंक दिये। और यह सिर्फ इसलिये किया कि हम उन आदमियों की ओर से, जिनके पास अपने हृदय को चीरनेवाली वेदना को प्रगट करने का कोई साधन नहीं है, घोर विरोध प्रदर्शित करें। हमारा एक मात्र उद्देश्य यह था कि 'हम लोग बहरों के कान खोल दें, और बेपरवाहों को, अन्यमनस्कों को यथासमय चेतावनी दे दें।

सत्ययुगीय अहिंसाके काल का अंत

"औरों ने भी इस दशा का इतने ही ज्वलन्त रूप में अनुभव किया है, जितना कि हमने और भारतीय मनुष्यता के महासागर की इस दिखाऊ मनुष्यता के भीतर से एक ज़बर्दस्त तूफ़ान फट पड़ने को है। हमने तो सिर्फ़ ख़तरे का सूचक झण्डा टांग दिया है, सिर्फ़ उन लोगों के देखने के लिये जो भागे जा रहे हैं, बिना यह विचार किये कि आगे बड़ा भारी ख़तरा है। हमने तो सिर्फ़ यह सूचना भर दी है कि सतयुगी अहिंसा के दिन लद गए! उठती हुई पीढ़ी अहिंसा के निकम्मेपन का इतनी अच्छी तरह अनुभव कर चुकी है कि अपने उस अनुभव में अब उसे सन्देह की छाया मात्र भी नहीं रह गई है! मनुष्यता के प्रति हमारी हार्दिक सदिच्छा है और प्रेम से प्रेरित होकर हमने सावधान कर देने का यह तरीक़ा इस लिये अख़्तियार किया है कि बेशुमार कष्ट और वेदनाएं टाली जा सकें।

"हमने पहले के पैराग्राफ़ में "सतयुगी अहिंसा" शब्द का इस्तैमाल किया है। इस शब्द की व्याख्या कोई व्यक्तिगत विद्वेष भावना या नफ़रत नहीं थी। इसके विपरीत हम फिर से यह बात दुहराते हैं कि हम मानव जीवन को अवर्णनीय रूप में पुनीत समझते हैं और हम मनुष्यता की सेवा में अपने प्राण विसर्जन कर देना कहीं उत्तम समझेंगे। किसी को हानि पहुँचाने की तो बात ही नहीं उठती। हम किराये के सिपाही नहीं हैं। भाड़े के सिपाहियों को यह सिखलाया जाता है कि वे बिना ममता के प्राण नाश कर दें। हम मनुष्य जीवन के प्रति आदर भाव रखते हैं और जहां तक बन पड़ता है हम मनुष्य जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते रहते हैं और फिर भी हम यह बात स्वीकार करते हैं कि हमने ऐसेम्बली भवन में जान बूझ कर बम फेंके!

"किन्तु वास्तविक बातें स्वयं अपनी कथा आप कह दे रही हैं। और बिना कल्पित या सांकेतिक परिस्थितियां एवं गृहीत मान्यताओं का सहारा लिये ही (हमारे) इरादे के सम्बन्ध में परिणाम केवल हमारे कार्य के नतीजे के ऊपर से ही निकलना चाहिये। गवर्नमेंट विशेषज्ञ की गवाही के होते हुये भी, जो बम ऐसेम्बली भवन में फेंके गये थे उनकी वजह से सिर्फ एक खाली बेञ्च थोड़ी सी टूट-फूट गई और आधे दर्जन से भी कम आदमियों के थोड़ी थोड़ी ख़राश-सी आ गई। गवर्नमेंट विशेषज्ञ ने इस (हल्की क्षति के) परिणाम को 'जादू मन्तर' कहा है; लेकिन हम इस (हल्की क्षति) में एक निश्चित वैज्ञानिक परिणाम-सूचकता पाते हैं। पहली बात तो यह है कि दोनों बम खाली जगहों में, डेस्कों और लकड़ी के चोघरों तथा बेंचों के बीच फूटे थे। दूसरी बात यह है कि वे आदमी भी जो बम फूटने के स्थान से केवल दो फ़ीट के अन्तर पर थे, या तो बिल्कुल बच गये और या बहुत हल्की तड़प के चुटैल हुए। दो फ़ीट के भीतर रहने वालों में मिस्टर पी० आर० राव, मि० शङ्कर राव और सर जार्ज शुस्टर थे। सरकारी विशेषज्ञ ने इन बमों को जिस शक्ति का बतलाया है, वे यदि वैसे ही होते तो लकड़ी का चौखटा चकना चूर हो गया होता और आस पास कुछ गजों के भीतर के आदमी ठण्डे हो गये होते इसके अलावा हम बमों को सरकारी प्रतिनिधियों के बैठने के स्थान पर, जहां बहुत से गण्यमान लोग बैठे हुए थे, फेंक सकते थे और अन्त में हम उन सर जान साइमन को भी घेर कर मार सकते थे जिनके अभागे कमीशन को सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सर जान उस समय प्रेसिडेन्ट महाशय के अतिथियो के स्थान पर बैठे थे। लेकिन यह सब हमारे इरादे से बाहर की बात थी, बम ने सिर्फ उतना ही काम किया जितने के लिये कि वे बनाये गये थे और 'जादू मन्तर' सिर्फ यही है कि हमने जान बूझ कर बमों को निरापद स्थान में फेंका था।

विचार अमर हैं

"बाद में हमने जान बूझ कर आत्मसमर्पण कर दिया। हमने जो कुछ किया था उसका दण्ड भोगने के लिये हम तैयार थे। साथ ही हम साम्राज्यवादी लूट-खसोट करने वालों को यह बतला देना चाहते थे कि व्यक्तियों को कुचल डालने से वे दोहक विचारों को नहीं मार सकेंगे। दो नगण्य इकाइयों—हम दोनों को कुचलने से राष्ट्र नहीं दबेगा। हम ऐतिहासिक सबक़ फ़िर से तरो-ताज़ा करना चाहते थे कि बेस्टाइल (क़ैदख़ाने) और लेटर्सद-केशे [अन्धाधुन्ध वारण्ट] फ्रांस की क्रान्तिकारिणी हलचल को दबाने में असमर्थ हुए थे। फांसियां और साइबेरिया की खानों की दर्दनाक गुलामी रूसी विप्लव की चिनगारी नहीं बुझा सकी थी। ख़ूनी इतवारों और ब्लेक एन्ड टैन्स (ख़ूंख़ार किराये के सिपाहियों) की वजह से आयरिश स्वतंत्रता की हलचल नहीं मिटाई जा सकी। क्या आर्डिनेन्स (काला क़ानून) और सेफ़्टी-बिल भारत में स्वतंत्रता की लपट को बुझा सकता है? षड्यंत्र के गढ़े गए या ढूंढ कर निकाले गये मुक़द्दमे और उन नौजवानों का कारागार वास, जिन्होंने विशालतर आदर्श की झांकी देख ली है, भारत में क्रान्ति की प्रगति को नहीं रोक सकते। लेकिन, समय पर दी गई चेतावनी, यदि उसकी ओर से कान न मूंद लिये जांय तो, प्राणों के नाश और सामूहिक वेदना को रोकने में सहायक हो सकती है। हमने अपने ऊपर यह कार्य भार लिया था कि हम यह चेतावनी दे दें और हम समझते हैं कि हमारा कार्य सम्पूर्ण हो गया है।

विप्लव क्या है?

"भगतसिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया था कि तुम्हारा, क्रान्ति गया करना आवश्यक है। जब बल प्रयोग आक्रान्त करने के लिये किया जाता है तब 'हिन्सा' कहलाता है और इस कारण उसका नैतिक समर्थन नहीं किया जा सकता। किन्तु जब बल का प्रयोग न्याय्य कार्य्य के पोषण के लिये किया जाता है तब उस बल प्रयोग का नैतिक समर्थन किया जा सकता है। बल प्रयोग को बिल्कुल विलुप्त कर देना एक ख़ामख़्याली—एक सत्ययुगी

व्यथित विहाग

[लेखिका:—श्रीमती "चकोरी"]

कितने अटल युगों से सुनती आती हूँ यह बात—
दूर—दूर है, 'अभी दूर है, मेरा स्वर्ण-प्रभात!
हाँ, वह स्वर्ण-प्रभात! छिपा जिसमें वैभव का ज्ञान,
लुटा चुकी हूँ जिसके स्वागत में अपना सम्मान!

अधिकारों की माँग, दासता—
का है भीषण पाप!
घात और प्रतिघात पतन—
के कहलाते अभिशाप!

अविचारों का प्यार बना है मुझको अत्याचार!
खोज रही हूँ जिसमें इस जीवन का उपसंहार!
कठिन विवशता जब करती अन्तर में हाहाकार—
आकुल नयन लुटा देते हैं तब अपने उपहार!

अभी नहीं सूखे हैं मेरे—
उर के तीखे घाव!
जिनकी कसक जगाती रहती—
है विरोध के भाव!

मानवते! कुछ ठहर–न उकसा—छिपी हुई वह आग!
आज शहीदों के शव पर गाने दे व्यथित विहाग!

क्रान्ति के असल में मानी क्या हैं ?

बात है ! यह नई हलचल, जो मुल्क में पैदा हो गई है और जिसकी हमने सूचना भर दी है, उन आदर्शों द्वारा प्रेरित हुई है जिनके द्वारा गुरु गोविन्दसिंह और शिवाजी, मुस्तफाकमाल और रजाखां; वाशिंगटन और गरीबाल्डी, लाफ़ाएत और लेनिन, प्रेरित और परिचालित हुए थे। चूंकि विदेशी सरकार और भारतीय जनता के नेताओं ने अपने आँख-कान इस नए आन्दोलन के अस्तित्व और उसकी ध्वनि की ओर से बन्द कर लिये थे, इसलिये हमने एक बार सब को सावधान कर देना चाहा और सो भी ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जहाँ कि हमारी चेतावनी अश्रुत रह ही न सके।

हमारे इरादे का विस्तार

"अभी तक हमने इस घटना के प्रेरक भाव का ही दिग्दर्शन कराया है। अब हम अपने इरादों के विस्तार का निदर्शन कर देना आवश्यक समझते हैं। इस बात का विरोध नहीं किया जा सकता कि हमारे अन्दर उन आदमियों में से, जिन्हें थोड़ी बहुत चोट आई, किसी एक के प्रति भी, या व्यवस्थापिका सभा के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भी, हमारे अन्दर 'विप्लव' शब्द से क्या मतलब है ? उस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूँगा कि क्रान्ति का आवश्यक रूप में यह मतलब नहीं है कि उसमें खून खच्चर होही और न क्रान्ति में व्यक्तिगत प्रतिशोध ही के लिये कोई स्थान है। क्रान्ति बम और पिस्तौल का धर्म नहीं है। क्रान्ति से हमारा मतलब यह है कि वर्तमान वस्तु-स्थिति और समाज व्यवस्था, जो स्पष्टतः अन्याय के ऊपर स्थित है, परिवर्तित हो। पैदा करने वाले, या श्रमजीवी, समाज के अत्यन्त आवश्यक अंश हैं। परन्तु वे दोहकों द्वारा नोचे-खसोटे जाते हैं, इनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता, दूसरे उसे हड़प जाते हैं और उनके प्रारम्भिक अधिकार उनसे छीन लिये जाते हैं। एक ओर वह किसान, जो सब के लिये अनाज पैदा करता है, अपने कुटुम्ब के सहित भूखों मरता है। वह जुलाहा जो दुनिया की मण्डी को बुने हुए कपड़ों से पूर्ण कर देता है, अपना और अपने बच्चों का तन ढांकने भर को भी नहीं पाता। राज लुहार और बढ़ई जो बड़े-बड़े विशाल भवन खड़े करते हैं, गन्दे घरों और अनाथालयों में सड़ते खपते और मर रहते हैं और दूसरी ओर नोचने खसोटने वाले पूंजीपति जो समाज के रक्त-शोषक हैं, अपनी सनकों की सन्तुष्टि के लिये करोड़ों खर्च कर डालते हैं। ये भयानक असमानताएँ और सुविधा-प्राप्ति की यह बलात् विषमताएँ बड़ी भारी अस्तव्यस्त दुरवस्था की ओर जा रही है। इस प्रकार की अवस्था अब अधिक दिनों नहीं रह सकती। यह प्रकट है कि समाज का वर्तमान रंग ढंग, एक ज्वालामुखी के किनारे बैठा हुआ रंग रेलियां कर रहा है। लूट खसोट करने वालों के निष्पाप बच्चे और करोड़ों दोहित, पतित, प्रताड़ित लोग एक भयानक ढालू ज़मीन के किनारे पर चल रहे हैं। इस सभ्यता का सम्पूर्ण विशाल-भवन, यदि समय पर न बचाया गया, तो ढहकर चूर-चूर हो जायगा।

भगतसिंह से बातें

मेरे क़ौमो-वतन का छीन कर दिल,
अरे बेदादगर ! जाता कहां है ?
बहादुर भी क्या करते हैं चोरी ?
चुरा कर तू नज़र—जाता कहां है ?
कभी गैरों में तू ने दिल न छोड़ा,
तो फिर अब छोड़ कर—जाता कहां है ?
तेरे हमजोली तुझसे पूछते हैं—
चला है तू किधर—जाता कहां है ?
सियासी मुलज़िमों ने भी ये पूछा—
हमारे हम सफ़र जाता कहां है ?
अदम में जब नहीं है ख़ाक भी—फिर,
हमारे नामवर, जाता कहां है ?
नहीं छिड़के-वरीं भी घर से अच्छी,
बनाकर घर में दिल—जाता कहां है ?
ख़बर है कुछ दिले-बेताब को भी,
इधर आ बे ख़बर जाता कहां है ?
दिलों में डाले हैं नासूर तू ने,
मुहब्बत का असर जाता कहां है ?
सदा—ए-अलम आसमां गूंजी फ़लक पर,
तेरा ये शोरोशर जाता कहां है ?
हमारा जानो दिल तक जा रहा है,
पर उनका दर्दे सर—जाता कहां है ?
किशनसिंह का रहा था पूछना ये—
"मेरा लख़्ते-जिगर जाता कहां है ?"

—लाला दीना नाथ

पूर्ण-परिवर्तन की आवश्यकता

"इस लिये पूर्ण-परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। इस लिये उन आदमियों का, जो इस बात का अनुभव करते हैं, यह कर्तव्य है कि वे समाज को साम्यवादी सिद्धान्त की भित्ति पर पुनः संगठित करें। जब तक यह नहीं हो जाता, और जब तक मनुष्य द्वारा मनुष्य का दोहन और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का दोहन, जो साम्राज्यवाद के नाम से गश्त करता संसार में डोल रहा है, ख़तम नहीं कर दिया जाता, तब तक वह वेदना और संहार-क्रीड़ा, जिसकी आशंका से मानवता आज संत्रस्त है, रोकी नहीं जा सकती और युद्ध को ख़तम कर देने की तमाम बातें और नवयुग आगमन का तमाम ख़्याल एक नग्न पाखण्ड मात्र है।

क्रान्ति से हमारा मतलब ऐसी समाज-व्यवस्था के संस्थापन से है जिसे इस प्रकार के स्खलन का कभी भय न रहे और जिसमें सर्व साधारण की सत्ता का वर्चस्व स्थापित हो। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में एक ऐसा संसार-संघ स्थापित हो जायगा जिसके कारण मनुष्यता का उद्धार होगा और संसार पूंजीवाद के बंधन और साम्राज्यवाद के दारुण दुख से मुक्त होगा।

यह है हमारा आदर्श ! और अपने प्रेरक भाव की इस विचार-धारा से प्रभावित होकर हमने बहुत न्यायपूर्ण और साथ ही बहुत उच्च स्वर पूर्ण चेतावनी दे दी है। यदि हमारी चेतावनी पर ध्यान न दिया गया और यदि वर्त्तमान शासन-क्रम इसी प्रकार प्राकृतिक शक्तियों के उठते हुए उफान के बीच बाधक सिद्ध होता रहा, तो फिर एक घमासान एवं घोर युद्ध का होना अवश्यम्भावी है। उसी युद्ध में तमाम बाधाएँ उखाड़ कर फेंक दी जायँगी और सर्व-जन-सत्ता की स्थापना होगी, और तब क्रांति के आदर्श की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।

मानवता का अविच्छेद्य अधिकार

"विप्लव-क्रान्ति, मनुष्यता स्वतन्त्रता का अविच्छेद्य अधिकार है। सब का अनिर्दिष्ट जन्म-सिद्ध अधिकार है। श्रमजीवी ही समाज का सच्चा धुरीण है। श्रमजीवियों की अन्तिम नियति है जनता की सत्ता ! इन आदर्शों और इन विश्वासों के लिये हम प्रत्येक वेदना को जो हमें दी जायगी, आदर से, स्वागत पूर्वक अंगीकार करेंगे। इस विप्लव की बलि-वेदी में अर्पित करने के लिये हम अपनी नौजवानी की धूप यह सर्वरस-ताप हैं, क्योंकि इतने महान आदर्श के लिये किसी भी प्रकार का बलिदान अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। हम संतुष्ट हैं। हम क्रान्ति के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं !! क्रान्ति जुग जुग जीवे !

लाश परवाने की कहनी है ज़ुबाने हाल से।
बोलती महफ़िल में इक ख़ामोश महफ़िल चाहिये ॥

ख़ुदारा छोड़ दे ऐ नाखुदा कश्ती को तूफ़ाँ में।
सरापा ग़र्क़ मेहनत हूँ मुझे क्या काम साहिल से ॥

शहीद राजगुरु

'मृत्यु नहीं, मृत्यु का कारण मनुष्य को शहीद बनाता है ।'

दिल के सौ टुकड़े हों, आज़ाद कलेजा ढूँढ़ो कों ।
जड़त से आह न निकले, ये जिगर किसका है ॥

अहसासे ग़म नहीं, हमें परवाहे ग़म नहीं ।
हमने समझ लिया है कि दुनिया में हम नहीं ॥

दीवाना शहीद भगवतीचरण

अभ्युदय

मुसीबत ऐन राहत है अगर हो आशिके सादिक़।
कोई परवाने से पूछे कि जलने में मज़ा क्या है?

दबाना जोशे दिल को तेग़ो ख़ंजर से हिमाक़त है।
किसी कुलज़ुम के जज़्रोमद को रोके किसकी ताकत है॥

महज़ पत्थर से है सर मारना उनको सताने में।
ज़माने को नसीहत जिनमें है, सब्रो सदाक़त है॥

बालक भगतसिंह

अभ्युदय

हुबाब अपनी खुदी से बस यही कहता हुआ गुज़रा।
तमाशा था हवा ने एक गिरह दे दी थी पानी में॥

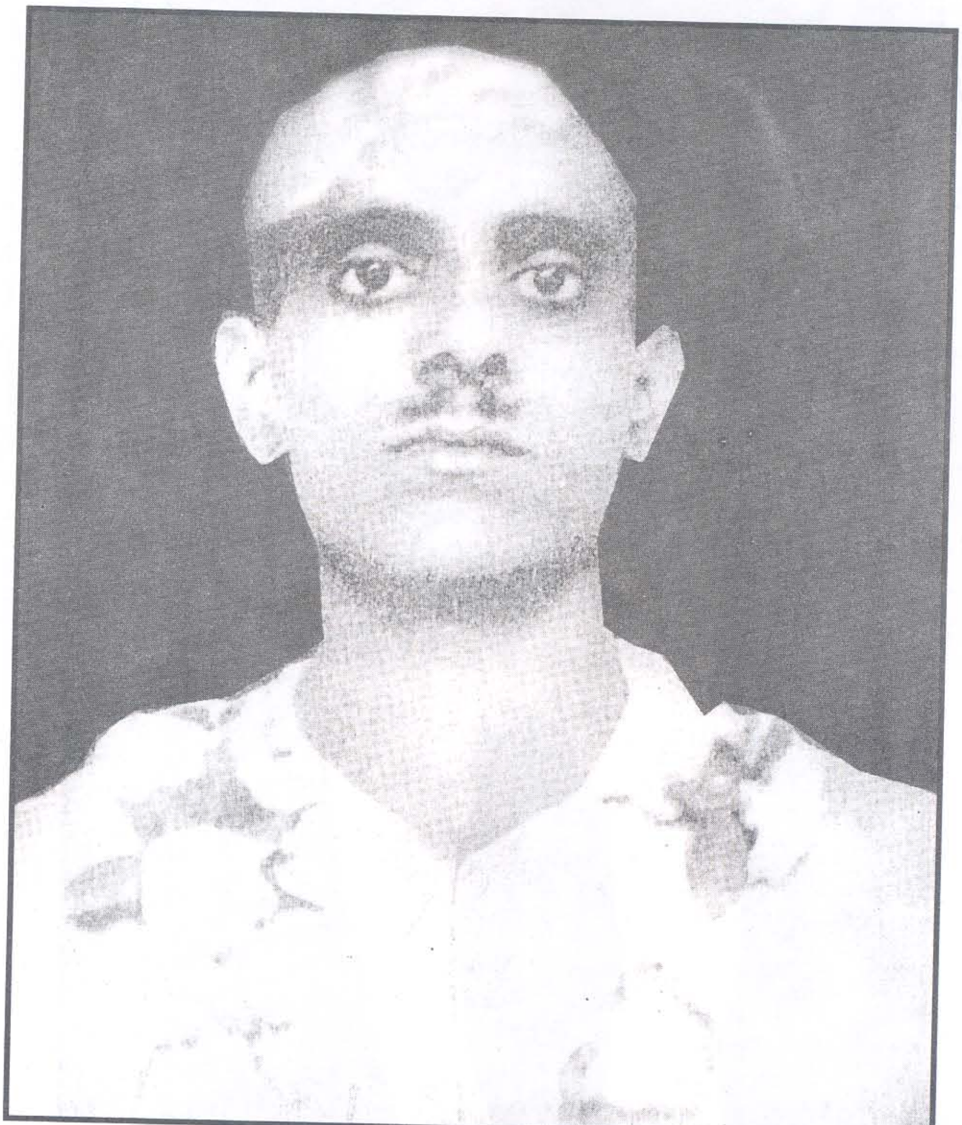

ज़िन्दगी मौत मेरी, मेरे सय्याद के हाथ।
तायरे रंगे हिना हूँ, चमने हस्ती में॥

हुतात्मा सुखदेव

उन तीनों की वीर-गाथाएं

[अपनी शक्तियों को देश-सामान्य दिशा की ओर लगाने के कारण ये तीनों आजादी के दीवाने देश का नेतृत्व न ग्रहण कर सके और आविर्भूत होते ही मसल दिये गये, किन्तु वास्तव में उनमें कैसी ज़बरदस्त नेतृत्व शक्ति थी, कितनी मनस्विता थी, कितनी निर्भीकता थी, कैसे वे विकट योद्धा थे, विचारदर्शी थे और उत्कट साहसी थे, ये बातें सरदार भगतसिंह, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की इन वीर-गाथाओं में मिलेंगी ।

फ़रिश्ता भगतसिंह

[ले०—सरदार निवंन्श सिंह]

(*विशेषतः 'अभ्युदय' के लिये*)

अमर वन्शलता :

A man of moral force is he who, seeing a thing to be right and essential and claiming his allegiance, Stands for the truth, unheeding any consequences.

Martyr Macswiney.

अनेक फुलें फुलती, फुलोनियाँ सुकोनि जाती ।
कोणी त्यांची महती गणती, ठेविली असे ।
परी जे गजेन्द्र शुण्डेने उपटिले श्रीहरी साठी मेलें ।
कमल फूल तें अमर ठेलें, मोक्षदायी पावन ।
त्याग पुण्य गजेन्द्रा समची, मुमुक्षु स्थिती भारती ची ।
करुणारवें ती याची, इंदीवर शामा श्रीरामा ।
स्वोद्यानीं तिनें यावें, आपुल्या फुलास खुलावें ।
खुलोनिया अर्पण करावें, श्रीरामचरणीं ।
धन्य धन्य आपुला वंश, सुनिश्चयें ईश्वरी अंश ।
श्रीराम-सेवा पुण्य लेश, आपुल्या भाग्यीं लाधला ।
असेच सर्व फुलें खुडावीं, श्रीरामचरणीं अर्पण व्हावीं ।
का हीं सार्थकता घडावीं, या नश्वर देहाची ।
अमर होय ती वंशलता, निर्वंश जी या देवां करतां ।
दिगंतीं पसरे सुगंधता, लोकहित परिमलाची ।
सुकुमार आमुच्या अनन्त फुलां, गुंफोनि कराही सुमनमाला ।
नवराष्ट्राच्या नवकाला, मातृभूमि वत्सले ।
एकदां नवराष्ट्र संपली, नवमाला पूर्ण झाली ।
कुलदेवी प्रकटेल काली, विजया लक्ष्मी पावन ।

उपरोक्त मराठी पद्य देशभक्त बैरिस्टर सावरकर (जो कालेपानी की सज़ा के बाद इस समय सात साल से रत्नगिरि में नज़रबन्द हैं) की रचना है । यह पद्य उस मार्मिक अवसर पर लिखा गया था जब सावरकरजी के बड़े भाई श्री० गणेश दामोदर सावरकर को आजन्म कालेपानी का दण्ड मिला था और उनके छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर भी १६ वर्ष की अवस्था में लार्ड मिण्टो पर बम फेंकने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिये गये थे । देशभक्त सावरकरजी उस समय इंगलैण्ड में पढ़ रहे थे, उक्त समाचार पा कर उन्होंने यह पद्यात्मक पत्र अपनी भाभी, श्री गणेश सावरकर की धर्मपत्नी, को लिखा था । उपरोक्त पद्य का अर्थ है ।—

"उद्यान में अनेक पुष्प खिलते हैं, खिल कर सूख जाते हैं, उनकी गिनती ही क्या है । पर गजेन्द्र की सूँड़ ने जिसे तोड़ा, भगवान के लिये जो तोड़ा गया, वह कमल-कुसुम अमर हो गया, परम पुनीत होकर मुक्त हो गया । उस पुण्यशाली गजेन्द्र की-सी अवस्था उस मुमुक्षु भारती की है, वह करुणारव से भगवान से याचना कर रही है । वह अपने उद्यान में आवे, अपने फूल को खुला दे, उसे तोड़ कर श्रीराम-चरणों में अर्पण कर दे । हमारा यह वंश धन्य है, निश्चय ही इसमें ईश्वरी अंश है, जो राम-सेवा का यह पुण्य लेश हमें नसीब हुआ । ऐसे ही सब फूल तोड़े जायँ और श्री राम-चरणों में अर्पण हों—यह नश्वर देह कुछ तो सार्थक हो । वही वंशलता अमर है जो भगवान के लिये निर्वंश होती है, जिसकी लोकहित-सुगन्ध दिगन्त में फैलती है । हमारे अनन्त सुकुमार कुसुमों को गूँथ कर, हे मातृभूमिवत्सले, नवराष्ट्र के नवकाल के लिये सुमनमाला तैयार करो । नवराष्ट्र की जब समाप्ति होगी, नवमाला जब पूर्ण होगी, तब विजयलक्ष्मी कुल-देवी काली प्रकट होगी ।"

सरदार भगतसिंह ऐसी ही वंशलता के एक अनुपम पुष्प थे । यह वंशलता एक युग से भगवान के श्रीचरणों पर—देश की बलि-वेदी पर—अपने सुरभित कुसुम समर्पित करती रही है । इस वंशलता ने इसीमें अपना गौरव माना है, और वह जैसे जैसे फूलती है, वैसे ही वैसे सुन्दर सुन्दर पुष्प देश के 'नवकाल' के लिये संजोती रही है ।

सरदार भगतसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंहजी और दोनों चचा—सरदार अजीतसिंहजी और स्वर्गीय सरदार सुवर्णसिंहजी—ऐसे ही पुष्प हैं । सन् १६०५-०६ में पंजाब गवर्नमेंट ने सूबे के कुछ ज़िलों को आबाद करने के विचार से लोगों को वहां बसाया । आरम्भ में वहां जाकर बसने वाले किसानों को, जिन्हें पंजाब में 'ज़मींदार' कहते हैं, सुविधायें दीं; एक नहर भी भूमि को उर्वरा बनाने के लिये निकाली गई, आरम्भ में उसकी शरह-आबपाशी कम रखी गई, लेकिन जब ज़मीन आबाद होगई और 'ज़मींदार' लोग अपनी गाढ़ी कमाई के फल स्वरूप रोटी खाने लग गये, तो गवर्नमेंट ने सख़्ती शुरू कर दी, ज़मीन का लगान और आबपाशी बढ़ा दिये गये । किसानों में, इस कारण असन्तोष, का उत्पन्न होना स्वाभाविक था । वे अपनी ख़ून-पसीने की कमाई का अपहरण होते देख तिलमिला उठे । उन लोगों में इस युग के दाण्डेलों की सी जागृति उत्पन्न हो गई । वे ख़ूब सङ्गठित हो गये थे, और उनमें केवल किसी योग्य नेता की कमी थी । सरदार कृष्णसिंह और सरदार अजीतसिंह ने इस स्थान की पूर्ति की । इन्हीं दिनों कलकत्ते में स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । दोनों भाई कलकत्ता गये । इस वर्ष पहली बार ऋषिकल्प दादाभाई ने अपने भाषण में 'स्वराज्य' शब्द का उच्चारण किया । लोकमान्य तिलक भी इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए । कांग्रेस के उपरान्त लोकमान्य तिलक के व्याख्यान शहर में हुये । लोकमान्य यद्यपि कांग्रेस में पधारे थे, लेकिन उसके सिद्धान्तों से उन्हें कोई सरोकार न था । उनकी विचार-धारा बिलकुल अलग थी । इन दोनों युवक भाइयों पर लोकमान्य के व्याख्यानों का बड़ा प्रभाव पड़ा, वे वहीं से अपना कर्तव्य निश्चित करके लौटे । आते ही उन्होंने किसान आन्दोलन को अपने हाथ में ले लिया । लाहोर को इस का केन्द्र बनाया गया । उन दिनों इतने प्रेस न थे । मीटिंगों के पर्चे बँटने या मनादी किये जाने की इस लिये आवश्यकता नहीं थी कि जनता में जाग्रति ही न थी । इसलिये कभी कभी तो घण्टा बजा बजा कर मीटिङ्ग का ऐलान यह तीनों भाई स्वयं करते थे । शहर वाले पास फटकते डरते थे, बहुत थोड़े आदमी सहायता करने को आगे आते थे । उस ज़माने में किसानों की दस-दस हज़ार की सभायें यह लोग करते थे ।

इन सरदारों ने 'भारतमाता सोसाइटी' नामक एक संस्था की स्थापना की और मेहता आनन्दकिशोर के सम्पादकत्व में 'भारतमाता' नामक एक उर्दू मासिक पत्र निकालना आरम्भ किया । आरम्भ में 'गोमाता' नाम रखने का विचार हुआ, लेकिन पीछे 'भारतमाता' नाम कर दिया गया । मेहताजी इन भाइयों के अनन्य सहायक थे, लाला लालचन्द 'फ़लक' भी कवितादि से सहायता करते थे । लाहोर के बाहर जा-जाकर भी यह लोग किसानों की सभायें करने लगे, पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय का 'पंजाबी' नामक अँगरेज़ी दैनिक पत्र उन दिनों लाहोर से निकलता था, लालाजी ने भी हृदय से इस आन्दोलन में सहयोग दिया, उनके और सरदार अजीतसिंह के प्रभावशाली व्याख्यानों से समस्त पंजाब उठ कर खड़ा हो गया । अब तो नौकरशाही काँप उठी । उसके पर जलने लगे । सरदार कृष्णसिंहजी पर केस चलना आरम्भ हुआ, सरदार सुवर्णसिंह को गिरफ़्तार किया गया, और सरदार अजीतसिंह को तो लालाजी के साथ माण्डले में नज़रबन्द ही कर दिया गया । आन्दोलन ने गहरा रूप पकड़ा, लालाजी और सरदार साहब ६ मास बाद छोड़ दिये गये । इन दिनों सरदार कृष्णसिंहजी संन्यासी बनकर नैपाल के अधिपति से सहायता प्राप्त करनेके अभिप्राय से वहाँ को चले गये थे और सरदार सुवर्णसिंह जेल की हवालात में पड़े थे । सरदार अजीतसिंह जी माण्डले की जेल में थे ।

भाग्यवान पुत्र का जन्म

इन्हीं दिनों सम्वत् १९६४ के आश्विन मास की तेरस को, शनिवार के दिन प्रातःकाल ९ बजे सरदार भगतसिंह का पंजाब के गाँव बंगा, तहसील जड़ाँवाला, ज़िला लायलपुर में जन्म हुआ । इसी दिन बंगा में ख़बर पहुँची कि, सरदार अजीतसिंह रिहा कर दिये गये हैं, और भारत आ रहे हैं; यह भी समाचार घर पहुँचा

कि, सरदार कृष्णसिंहजी नैपाल से लाहौर पहुँच गये हैं, और सरदार सुवर्णसिंहजी दूसरे दिन जेल से छूट कर घर पहुँच गये थे। भगतसिंह की दादी ने जहाँ पौत्र का मुख देखा, वहाँ उन्हें अपने बिछुड़े हुए तीनों पुत्रों का भी मङ्गलजनक समाचार मिला, अतएव आपने कहा बच्चा 'भागों वाला' (भाग्यवान) उत्पन्न हुआ है, इसी कारण बालक का नाम पीछे से उन्होंने भगतसिंह रख दिया।

होनहार बिरवा

भगतसिंह यद्यपि समस्त घर की आँखों का तारा था, लेकिन उसके बाबा सरदार अर्जुनसिंहजी और उसकी चाची (सरदार अजीतसिंहजी की धर्मपत्नी) का उस पर अधिक प्रेम था। भगतसिंह इन्हीं की गोद में खेलता, और इन्हींसे सब बातें सीखता। सर० अर्जुनसिंह जी आर्य सिद्धान्तों से भी प्रेम रखने वाले सिख हैं, अतएव वे जब आर्यसमाज के अधिवेशन देखने लाहौर जाते, तो भगतसिंह को साथ ले जाते। उन्हींके संसर्ग से भगतसिंह ने केवल तीन वर्ष की अवस्था में गायत्री कण्ठस्थ कर ली।

अजीतसिंहजी का देशत्याग

माण्डले से लौट कर सरदार अजीतसिंह ने फिर आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ कर दिया। उनकी गिरफ़्तारी का फिर वारण्ट निकला, पुलीस और पलटन उनकी फ़िराक़ में घूमने लगी। वे अमृतसर जा बैठे और वहाँ अज्ञातवास में उन्होंने उर्दू में आन्दोलन-सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखीं, उन पुस्तकों का खूब प्रचार हुआ। पीछे उन्हींके परिचित लोगों ने जब सरकारी वाहवाही के लिये उन्हें पकड़वा देना चाहा, तो वे कराची के रास्ते भारत से बाहर-फ़ारिस चले गये। उन दिनों के एक क़ौमी कार्यकर्त्ता सूफ़ी अम्बाप्रसादजी पहले से फ़ारिस जा चुके थे। सरदार साहब भी वहीं जा बसे। फ़ारिस में आप लोगोंने राष्ट्रीय आन्दोलन की जड़ डाली, एक दिन वहाँ आन्दोलनमें उपद्रव हो गया, उसमें ये पकड़े गये। सूफ़ी साहब की हड्डियाँ वहीं रह गईं, लेकिन सरदार साहब वहाँ से कुस्तुन्तुनिया चले गये। पीछे वे फ्रान्स में रहते रहे, और अब से तीन वर्ष पहले की ख़बर है कि वे अमेरिका के ब्रेज़िल प्रान्त में रह रहे थे। इस तरह इस परिवार की यह पहली बलि मातृ-वेदी पर हुई।

सरदार सुवर्णसिंह

को जेल-यातनाओं और लम्बे समय तक मुक़द्दमा चलने के कारण जेल में क्षय हो गया, और घर आकर ६ मास उपरान्त वे भी चल बसे। पिता सरदार अर्जुनसिंहजी और सरदार सुवर्णसिंह की माता ने दो पुत्र भगवान् के श्रीचरणों पर भेंट कर दिये। लेकिन सरदार कृष्णसिंहजी का उत्साह कम नहीं हुआ। यह दो बलियाँ देकर ये और भी तेजवान् हो उठे। अब पंजाब को बागडोर लाला जी के हाथ में आ चुकी थी, वे वहाँ के एक मात्र नेता थे। सरदार जी ने उनका सहयोग किया, और उस दिन से आज तक वे उसी जीवित जोश के साथ देश सेवा में लगे हैं। जेल जाना और एक न एक मुक़द्दमे में उलझे रहना तो उनके जीवन का एक छोटा सा खेल है। उनका लख़्ते-जिगर भगतसिंह भी फाँसी पर चढ़ गया, लेकिन पुलीस का एक मुक़द्दमा अब भी उनके पीछे है।

'बन्दूकें बोऊँगा'

जिस समय भगतसिंह लगभग चार वर्ष के थे, तो एक दिन अपने बाबा के साथ लाहौर आये। सरदार कृष्णसिंहजी यहीं रहा करते थे। एक दिन सब लोग सरदारजी के मित्र मेहता आनन्दकिशोरजी के यहाँ गये। बालक भगतसिंह भी साथ था। मेहताजी ने उसे प्यार से गोद में बिठा लिया और उससे पंजाबी में बातें करने लगे। पूछा :—

मेहताजी—तेरा नाम क्या है?

बालक—भगत सिंह।

मेहताजी—गांव में क्या करता है?

भगतसिंह—खेलता हूँ, खेत पर जाता हूँ।

मेहताजी—बड़ा होकर क्या करेगा?

भगतसिंह - खेती करूंगा।

मेहताजी—खेत में क्या बोयेगा?

भगतसिंह—'दबूँका' (बन्दूकें) बोऊँगा।

भगतसिंह नहीं रहा, लेकिन मेहताजी को आज भी उसकी वह तोतली बोली शूल की तरह याद आती है, और आज वे उसकी बन्दूकों की खेती को लहलहाती देख अपने शोक का शमन कर लेते हैं।

शिक्षा

भगतसिंह घर पर थोड़ा पढ़ने लिखने के उपरान्त देहात के प्राइमरी मदरसे में बिठाये गये। वहाँ की परीक्षा पास करने के बाद सरदार कृष्णसिंहजी उन्हें लाहौर अपने पास ले आये और डी० ए०-वी० कालिजिएट हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। यहाँ सन् १९२१ ई० में भगतसिंह ९वीं श्रेणी में पढ़ रहे थे, तो असहयोग आंदोलन आरम्भ हुआ। आपने डी० ए०-वी० छोड़ दिया और नेशनल कालिज में भर्ती होगये। आपमें योग्यता ऐसी अच्छी थी कि, कालिज के प्रोफ़ेसर भाई परमानन्द जी ने आपकी परीक्षा लेकर कालिज की एफ़० ए० श्रेणी में भर्ती करने की सिफ़ारिश की, चुनांचे आप वहां एफ़० ए० में पढ़ने लगे।

नेशनल कालिज में

नेशनल कालिज में रहते हुए संस्कृत आपने दूसरी भाषा के तौर पर ली, लेकिन आपका ध्यान अंगरेज़ी और जनरल नालेज की ओर अधिक था। अतः किताबें खूब पढ़ते। कालेज की डिबेटिंग सोसाइटी में उनकी योग्यता और वक्तृत्व-शक्ति की धाक थी। इन्हीं दिनों आपने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और साम्यवाद विषयों का गम्भीर अध्ययन किया। कालिज में ही सुखदेवजी से आपकी गाढ़ मित्रता होगई।

भगतसिंह को नाट्यकला और गायन से प्रेम था। बड़ा सुन्दर गाते और नाटक में वीर-रस का बड़ा अच्छा पार्ट करते थे। एक बार एक पंजाबी से ऐतिहासिक ड्रामे में आपने पात्र लालसिंह का कमाल का पार्ट किया था।

विवाह से विरक्ति

कालिज के दिनों में आपकी शादी की बातचीत चली। सरदारजी के मित्रों ने कहा, भगतसिंह अब युवा हुआ, उसका विवाह कर देना उचित है। घर में बात चलने लगी। बाबा, दादी, माता आदि सब कहने लगे। पंजाब-केसरी महाराजा रणजीतसिंह के वंशजों की एक कन्यासे शादी तजवीज़ हुई यहांतक तय होगया कि, अमुक दिन लड़की वाले लाग रस्म अदायगी के लिये आयंगे। भगतसिंह इतने सौम्य-स्वभाव के थे कि जिस समय उनके बाबा वग़ैरह विवाह की बात इनसे करते, तो यह उनका, कहीं दिल न दुःखे, इस विचार से चुप हो रहते, लेकिन सरदार कृष्णसिंहजी से आपने स्पष्ट मना कर दिया था। अतएव जिस दिन विवाह वाले आने को थे, आप उसी दिन घर से गायब हो गये। सरदारजी लाहौर चले आये, अपना लेटरबक्स खोला, तो उसमें भगतसिंह का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि, मैं शादी हरगिज़ न करूँगा।

कानपुर में

घर से भागकर आप कानपुर आ गये, और यहाँ 'प्रताप' में बलवन्तसिंह के नाम से रहने लगे। स्वर्गीय गणेशशङ्कर विद्यार्थीजी पर भगतसिंह के उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने यहाँ उन्हें रखा। बटुकेश्वरदत्त से आपसे यहीं प्रेम होगया। इन्हीं दिनों गङ्गाजी में बाढ़ आगई, इन दोनों मित्रों ने ज़िले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में जाकर जनता की खूब सेवा की। भगतसिंह की योग्यता से प्रभावित होकर विद्यार्थीजी ने उन्हें एक राष्ट्रीय विद्यालय का हेडमास्टर बनवा दिया। यहाँ वे कुछ समय तक सेवा करते रहे। सरदारजी को अब इनकी फ़िक्र हुई, वे तलाश करने निकले। कानपुर का पता लगा, इतने में सरदार जी की माता बीमार हो गईं, और वे कानपुर न आ सके। सरदार भगतसिंह अब कानपुर से देहली के 'अर्जुन' में चले गये, वहाँ कुछ दिन काम किया। पीछे सरदारजी का पत्र पाकर घर पहुँच गये।

अकाली आन्दोलन

इन दिनों पंजाब में अकाली आन्दोलन ज़ोरों पर था। जत्थे पर जत्थे गुरु के बाग़ को जा रहे थे। यह जत्थे कई कई सौ की टोलियों में पैदल यात्रा करते थे। ऐसा ही एक जत्था बङ्गा में होकर गुज़रने वाला था। सरदारजी उस समय लाहौर में थे, उन्होंने भगतसिंह को लिख भेजा कि, मेरी ओर से जत्थे का स्वागत-सत्कार करना। आपने ऐसा ही किया। गाँव के कुछ 'टोडी' सिख इसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन आपने परवा न की। घर घर घूम जा कर दाल, घी, आटा, इकट्ठा किया और शहीदी-सिपाहियों को भोजन कराया। पीछे दीवान हुआ, जिसमें धार्मिक कीर्तन के उपरान्त व्याख्यान हुआ। सरदार भगतसिंह ने भी व्याख्यान दिया। इन्हीं दिनों कलकत्ते में स्वर्गीय गोपीमोहन साहा ने सर चार्ल्स टेगर्ट के धोखे में डे नामक एक गोरे की हत्या की थी, आपने अपने व्याख्यान में शहीद साहा की खूब प्रशंसा की।

पुलीस की निगाहों में: पहली गिरफ़्तारी

अब भगतसिंह पुलीस की निगाहों में चढ़ गये। पुलीस ने उनके व्याख्यान की बाक़ायदा रिपोर्ट की। जत्थे को रवाना कर आप लाहौर सरदार जी के पास

चले आये और वहाँ से बेलगाँव कांग्रेस में सम्मिलित होने को कानपुर की ओर रवाना हो गये। कांग्रेस से लौटने पर अमृतसर के उर्दू 'अकाली' के सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे और बल्लवन्तसिंह के नाम से 'किरती' नामक किसान मज़दूरों के साम्यवादी उर्दू मासिक का सम्पादन करते थे। किसी काम से लाहौर आये हुए थे। पुलीस इनकी तलाश में थी ही, गिरफ़्तार कर लिये गये। साठ हज़ार की भारी ज़मानत पर इन्हें छोड़ा गया।

अब यह मुक़दमे का इन्तिज़ार करने लगे, क्योंकि इनका सारा कार्यक्रम भङ्ग हो गया था, उधर जिसने इनकी ज़मानत दी थी, वह भी डर रहा था कि यह हज़रत फिर कहीं को चल न दें। आपको इसके डर-डर का पता चल गया। आपने सीधा डिपुटी कमिश्नर के नाम एक पत्र लिखा कि, मेरा ज़मानतनामा मन्सूख़ कर दिया जाय और उसके सामने आ पहुँचे। पीछे पुलीस ने यह केस नहीं चलाया।

उद्यमी और परिश्रमी

सरदार कृष्णसिंह जी ने आपको स्थिर करदेने के विचार से अपने लाहौर के पास वाले गाँव में भगतसिंह को डेरी खुलवा दी। इस डेरी को आरम्भ में आपने ख़ूब सँभाला। लाहौर में इनके दूध की ख़ूब खपत होने लगी। आप इसमें दिन रात परिश्रम करते, यहां तक कि नौकरों के साथ ही कुट्टी काटते और पशुओं को अपने हाथ से खिलाते-पिलाते। लेकिन पढ़ने-लिखने का शौक़ आपका बराबर जारी था। क़लम और गँडासा साथ साथ चलते। पत्रों में लेख लिखते लेकिन अगर तो किसी महान् आयोजन में लगे थे, अतएव डेरी से फिर गायब होने लगे। एक दिन सरदारजी ने क्रोध में आकर आपको छड़ी भी मार दी। उसके बाद कुछ दिन लाहौर में रहे और फिर चल दिये। सरदारजी के एक मित्र ने उन्हें लिखा कि, भगतसिंह बम्बई गया है, पता लगाया गया लेकिन वहां पता न चला। यह सन् १९२६-२७ की बात है।

ऐसेम्बली में बम

सन् १९२९ की ८ ऐप्रिल के दिन ऐसेम्बली में बम फेंका गया। सरकार ने जनमत की अवहेलना कर सेफ़्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल नामक दो घातक मशविरे तय्यार किये थे। देश में इनके विरुद्ध बहुत असन्तोष था। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल ऐसेम्बली में पास हो चुका था, और प्रेसिडेन्ट पटेल पब्लिक सेफ़्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने जा रहे थे कि ऐसेम्बली-भवन के फ़र्श पर एक गोला गिरा। इसके गिरते ही भय और आतङ्क साम्राज्य चारों ओर व्याप्त हो गया, एक बेंच उड़ गई और कुछ लोगों को साधारण खरोंच और एक को ज़रा अधिक चोट आई, कुछ लाल क्रान्तिकारी पर्चे भी फेंके गये, जिनमें लिखा था, हम बहरों को सुनाने के लिये यह बम फेंक रहे हैं। लोगों ने 'क्रान्ति चिरंजीवी हो'—Long live revolution और साम्राज्यवाद का नाश हो, Down with imperialism के नारे भी सुने। थोड़ी देर बाद, शान्ति स्थापित होने पर, लोगों ने जब दर्शक गैलरी की ओर देखा, तो दो युवक निर्भय सिंहों की भांति खड़े थे। एक के सिर पर हैट था। एक नङ्गे सिर था। इनमें एक था सरदार भगतसिंह और दूसरा बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों के पास तमंचा भी था, जिसे वह लिये खड़े थे। गोरे सार्जन्ट दूर से ताक रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत हाथ डालने की न पड़ रही थी। इन्होंने तमंचा फेंक दिया और कहा, लो, हमें पकड़ लो। भारत के नहीं संसार के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी, समस्त संसार इनके अद्वितीय साहस और शौर्य से आकर्षित हो उठा।

आजन्म कालेपानी की सज़ा

देहली में इन दोनों पर मामला चला और बहरों को सुनाने का पुरस्कार मिला—आजन्म कालेपानी की क़ैद। इस मामले में सरदार भगतसिंह ने जो बयान दिया, वह एक गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठ की भाँति, उनके नाम को भांति ही सदैव अमर रहेगा।

लाहौर 'षाड़्यन्त्र' केस में !

१७ दिसम्बर १९२८ ई० को लाहौर में असिस्टेंट पुलीस सुपरिंटेंडेंट सांडर्स मार डाला गया था, इस सम्बन्ध में पंजाब और यू० पी० में ज़ोरों की तलाशियां और गिरफ़्तारियां शुरू हुईं। सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त भी इस मामले के लिये लाहौर भेजे गये।

निराहार युद्ध !

लाहौर आते ही इन दोनों और इनके १५ अन्य साथी अभियुक्तों के साथ जेल में बहुत बुरा व्यवहार होना शुरू हुआ। यह लोग बिलकुल साधारण क़ैदियों की भांति रखे जाने लगे। आपको यहां आकर यह बहुत ही खला कि नैतिक-पतन के अनेक अपराधों में सज़ा पाकर आये हुए गोरों के साथ जेल में मेहमान का सा व्यवहार किया जाता है, और भारतीय राजनीतिक तथा अन्य क़ैदी पशुओं से भी बदतर अवस्था में रखे जाते हैं। अतएव पहले सरदार भगतसिंह और श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त ने अनशन आरम्भ किया; और जब इनको भूखों मरते एक मास हो गया, और अधिकारियों के कान पर जूँ तक न रेंगी, तो अन्य अभियुक्तों ने भी अनशन आरम्भ किया। श्रीयुत यतीन्द्रनाथ दास इस युद्ध में बलिदान हो गये—६१ दिन के अनशन के बाद वे शहीद हो गये। इन दिनों जेल की चहारदिवारी के अन्दर इन वीरों ने अपने प्राणों की बाज़ी लगा कर जो लड़ाई लड़ी, उसके परिणाम स्वरूप जेल-नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ। अनशन के बीच में जब नौकरशाही ने दौड़ धूप आरम्भ कर दी थी, तब एक बार भगतसिंह और दत्त को छोड़ कर अन्य लोगों ने भोजन किया था, लेकिन सरदार भगतसिंह और दत्त ने तो पूरे ११५ दिन तक कुछ न खाकर समस्त संसार के प्रेम और श्रद्धा को अपनी ओर खींच लिया। इस लम्बे अनशन के दिनों में भी भगतसिंह अदालत में शेर की भांति गरजा करते थे, और अपने प्रति किये जाने वाले अत्याचारों का प्रतिवाद किया करते थे।

दूसरा अनशन

सन् १९३० की फ़रवरी में अपने दुर्व्यवहारों के विरोध में सरदार भगतसिंह और दत्त ने फिर ४५ दिन तक अनशन किया था।

सरकारी आर्डिनेन्स

अभियुक्तों के अनशन के कारण मुक़द्दमा कई बार मुलतवी किया जा चुका था, अतएव सरकार ऐसेम्बली में एक ऐसा क़ानून बना रही थी जिसकी रू से अभियुक्त की ग़ैरहाज़िरी में उन पर मुक़द्दमा चलता रह सके। इन दिनों यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो चुके थे। ऐसेम्बली में इस मसविदे का घोर विरोध हुआ, और वह पास न हो सका। तब वायसराय ने अपने विशेष अधिकार से ऐसा आर्डिनेन्स बना दिया और उसकी रू से एक ख़ास अदालत की स्थापना इस मामले के लिये कर दी।

अदालत में मारपीट

इस ट्रिब्यूनल के जजों के, सामने एक बार अभियुक्तों ने जब अदालत में, एक अभियुक्त के मुख़बिर पर जूता फेंक देने के कारण, हथकड़ियाँ लगाये जाने से इनकार किया, तो इन्हें पुलीस ने पीटा। अदालत से बहुतेरा कहा गया कि, हथकड़ियाँ हमेशा की तरह अदालत में न लगवाई जायँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में अभियुक्तों ने अदालत में आने से क़तई इनकार कर दिया। बाद में अदालत की समस्त कारवाई यकतरफ़ा होती रही।

फांसी की सज़ा

अदालत ने सरदार भगतसिंह, श्री० सुखदेव और श्री० शिवराम राजगुरु को फांसी की सज़ा दी, शेष अभियुक्तों को आजन्म कालेपानी की और एक को दस वर्ष की।

देश में आंदोलन

देश में इन कठोर सज़ाओं के ख़िलाफ़ ज़ोरों का आन्दोलन उठा। महात्मा गान्धी, जो इस समय वायसराय के साथ समझौते की बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी इन फाँसी वालों को बचाने के लिये वायसराय से बहुत कहा, उन्हें आशा भी हो गई थी कि, वायसराय शायद उनकी प्रार्थना पर ध्यान दें और क़ानूनी कार्यवाही को बदल दें, लेकिन वायसराय ने "न्याय मर्यादा की दुहाई देकर गत २३ मार्च को शाम के ७ बजे देश के प्यारे इन तीन लालों को फाँसी टँगवा ही दिया। कराची कांग्रेस में इस कारण तहलका मच गया। महात्माजी ने कहा—सरकार ने अपना गुरुतापन दिखा दिया। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया—एक मात्र प्रतिहिंसा के भाव से यह फांसियाँ दी गई हैं। कुछ भी हो, आज़ादी का फ़रिश्ता भगतसिंह झूमते हुए, मतवाले की तरह दौड़ कर फाँसी के तख़्ते पर चढ़ गया, फांसी के फन्दे को उसने अपनी प्रेमिका की भांति चूम लिया। "डाउन डाउन विद दी यूनियन जैक"—अंग्रेज़ी झण्डे का सर्वनाश हो, का नारा लगाया, और कुछ क्षण बाद ही शहादत की गोद में वह सदा सदा के लिये सो गया कि, स्वतंत्र भारत में फिर उठूंगा।

[कापी राइट]

मनस्वी सुखदेव

[लेखक—श्रीयुत अखिलेश्वर शर्मा]

[विशेषतः 'अभ्युदय' के लिये]

निष्काम कर्मी

रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो;
हम-सखुन कोई न हो, औ' हम-ज़बाँ कोई न हो।
बे दरो दीवार-सा इक घर बनाना चाहिये;
कोई हमसाया न हो और पासबाँ कोई न हो।
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार;
और गर मर जाइये तो नौहाख़्वाँ कोई न हो।

महाकवि मिर्जा असदुल्ला ख़ाँ 'ग़ालिब' के यह अशआर परम त्यागी शहीद सुखदेव की जीवनी पर कैसे मौज़ूं होते हैं। वे कहा करते थे:—

I wish to live and die in this world unknown, unsung & unwept.

उन्होंने अपने चरित्र से इसे चरितार्थ कर दिखाया। विरोधियों तक ने उन के इस त्यागभाव की प्रकारान्तर से सराहना की है।

सुखदेवजी बड़ी गम्भीर प्रकृति के युवक थे। उनकी योजनायें बहुत विचारपूर्ण और सुलझी हुई हुआ करती थीं। बचपन ही से वे इस प्रकृति के थे, फिर क्रान्ति-क्षेत्र में क़दम रखने के बाद तो उनकी मनस्विता और भी बढ़ गई थी उनकी जीवन-घटनाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उनकी मनस्विता में प्रतिभा का भी सुन्दर पुट था। भगतसिंह का साहोत्साह और सुखदेव की मनस्विता दोनों के संयोग से जो ओज उत्पन्न हुआ, उसने लाहौर "साज़िश" केस के आरम्भ होने पर हठात् संसार भर के प्रेम और श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

भगतसिंह, सुखदेव और शिवराम हरिराव राजगुरु तीनों के जीवन-चरित्रों में एक से एक बढ़कर आकर्षण है, और, जिस त्याग की न्यूनता के कारण आज हमारा राष्ट्र प्रवृत्त होते हुये भी दारुण दासता पाश को नहीं काट पाया, वह तो मानो इन तीनों के पैर की धूल थी। इन लोगों के हृदय में जब पंजाब में क्रान्तिकारी दल सङ्गठित करने का विचार उत्पन्न हुआ, तो सरदार और सुखदेव ने पंजाब के युवकों को अपने सिद्धान्तों की शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई। भगतसिंह ने इसमें हाथ डाला और उपरान्त उन्होंने यह काम शहीद सुखदेवजी के कन्धों पर डाल दिया। सुखदेव जी ने इस काम को जीजान से किया, वे सदैव निष्काम भावना से प्रेरित रहे—पीछे रहकर आगे जानेवाले का काम करते रहे। वे इस सिद्धान्त के अनुयायी थे:—

'Mine the work thine the praise'

गीता के निष्काम कर्मी स्थितिप्रज्ञ की परिभाषा उनके निम्नलिखित जीवन से चरितार्थ होती है।

घर के आँगन और स्कूल में

पंजाब के लायलपुर शहर में वि० सम्वत् १९६४ के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातःकाल पौने ग्यारह बजे सुखदेवजी का जन्म हुआ। इनके पिता लाला रामलाल थापर की मृत्यु आपके जन्म से तीन मास पूर्व हो चुकी थी अतएव आपके ताऊ लाला अचिन्तरामजी ने आपको पाल-पोस कर बड़ा किया।

पाँच वर्ष की अवस्था में उन्हें शहर के धनपतमल आर्य्य हाई स्कूल में भर्ती करा दिया गया। स्कूल जाते ही इनकी प्रतिभा का परिचय मिलने लगा। बड़े कुशाग्र बुद्धि—अपना पाठ थोड़े परिश्रम से ही याद कर लेते। खिलाड़ी भी ख़ूब, लेकिन इसके कारण पढ़ाई में बाधा न आने देते थे। सरल प्रकृति आपमें बचपन से ही थी, बराबर वालों में खेलते समय किसी की गाली और मार का उत्तर आपने नहीं दिया। उदारता भी उनमें स्वाभाविक थी, घर से कोई खाने पीने की चीज़ मिलती, तो बालसखाओं में ले पहुँचते और बाँट कर खाते। सादा जीवन उन्हें बचपन से ही पसन्द था।

आर्यसमाजी घर के बच्चे थे, फिर स्कूल में भी धार्मिक-शिक्षा दी जाती थी; इन दोनों स्थानों के वातावरण का उनके हृदय पर प्रभाव पड़ा। बचपन में ही सन्ध्यादि नित्यकर्म नियमपूर्वक करने लगे और स्कूल से सातवाँ दर्जा पास करते-करते पक्के आर्यसमाजी बन गये। प्राणायाम का भी अभ्यास करने लगे, जिसे बाद को बहुत बढ़ा लिया था। तीव्र बुद्धि होने के कारण वे कभी किसी दर्जे में फ़ेल नहीं हुए, बल्कि अच्छे नम्बरों से पास होते रहे। मुसीबत झेलने की आदत आप में बचपन से ही थी, सात वर्ष की अवस्था में एक बार महीनों तक बुख़ार में खाट पर पड़े रहे और कड़वी दवायें पीते रहे, लेकिन एक दिन भी मन मैला न किया, और न कभी कड़वी दवा से झिझके बड़े सुशील और नम्र बालक थे। लेकिन बालहठ आप में बहुत था, जो बाद में दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रबल कल्पना के रूप में परिवर्तित हो गया। सातवें दर्जे के बाद आपके ताऊ लाला अचिन्तराम थापर ने सुखदेव को, किसी सनातनी सज्जन के कहने पर, लायलपुर के सनातनधर्म हाईस्कूल में भर्ती करा दिया इसी स्कूल से सन् १९२२ ई० में आपने ऐन्ट्रेन्स का इतिहास सेकण्ड डिवीज़न में पास किया।

सुखदेव जी इस समय भी आर्यसमाजी थे, समाज के साप्ताहिक 'सत्सङ्ग' में जाया करते, आर्य-समाजी पुरुषों से ख़ूब मिलते-जुलते और प्राणायाम का अभ्यास करते करते उसे योगाभ्यास की कोटि तक ले पहुँचे थे। बालहठ ने धैर्य का रूप धारण कर लिया था, अतएव जो धारणा कर लेते उसके विरुद्ध दूसरों की दाल कम गलती थी। इन दिनों आप व्यापार करने के मनसूबे किया करते थे, इधर ख़ूब रुझान था।

झण्डे को सलाम न करूँगा

सुखदेवजी की इसी दृढ़ता की सन् १९१९ ई० के पंजाब के मार्शल ला के दिन की एक घटना मशहूर है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आपके ताऊ लाला अचिन्तरामजी भी एक देश भक्त सज्जन हैं। फ़ौजी शासन के दिनों में वे भी पकड़े गये और साढ़े तीन मास तक हिरासत में रखे गये। १२-१३ वर्ष का बालक सुखदेव अपने ताऊ से जेल में मुलाक़ात करने जाता, तो उनसे पूछा करता—"ताया जी, आपको क्यों पकड़ लिया गया है, यह लोग आपको क्या तकलीफें देते हैं? मैं तो किसी को सलाम न करूँगा, आदि।

पंजाब में मार्शल-ला के दिनों में स्कूलों के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके अँगरेजी झण्डे को ज़बरदस्ती सलाम कराया जाता था। लायलपुर में भी ऐसा हुक्म निकला। सुखदेव ने इसका अपनी माता से ज़िक्र करते हुए कहा कि, 'मैं तो झण्डे को सलाम न करूँगा।' माता ने कहा—'ऐसा न करने से अफसरों ने तुम्हें मारा तो?' सुखदेव ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया—'हर्गिज़ सलाम न करूँगा, चाहे जो हो।' ऐसा ही हुआ। सब लड़के दूसरे दिन बुलाये गये, उन्होंने सलाम किया; लेकिन हठव्रती सुखदेव अपने प्रण पर अटल रहा। लाला अचिन्तराम जी का कहना है कि, उनके जेल से वापस आने पर बालक सुखदेव ने बड़ी हौंस के साथ यह बात उनको सुनाई थी।

अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा

सन् १९२१ के असहयोग-काल में सुखदेव की अवस्था १४ वर्ष थी, और वे ९वें दर्जे के विद्यार्थी थे। असहयोग के वातावरण का आपके हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इस समय आपकी माता और बहन ने आपके विवाह की गर्म चर्चा चलाई। सुखदेवजी के ताऊ इस प्रस्ताव से असहमत थे। आर्यसिद्धान्तों के अनुयायी होने के कारण उनका कहना था कि, मैं तो २५ वर्ष की अवस्था से पूर्व विवाह की सम्मति न दूँगा। इन दिनों अमृतसर के एक सम्पन्न घर से आपकी शादी आ रही थी। माता ने एक दिन बड़े भावुक हृदय से अपने पुत्र को प्यार करते हुए कहा—"बेटा, मैं तेरा ब्याह करूँगी, तुझे बन्ना बना कर घोड़े पर चढ़ाऊँगी।" आप बोले—'माँ मैं विवाह न करूँगा। घोड़े पर नहीं, मैं तो फाँसी पर चढ़ूँगा।' माता चुप हो रहीं। पीछे जब जब माँ या बहन ने यह चर्चा चलाई, आप यही जवाब दे देते रहे। पीछे जब माँ ने अधिक आग्रह किया, तो आपने कहा, 'तुम न मानोगी तो मैं घर से निकल जाऊँगा।' माता को पुनः कभी कहने की हिम्मत न पड़ी।

सन् १९२०-२१ के असहयोग का आप पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आप पूर्ण खादी-भक्त, हिन्दी-प्रेमी, और देशभक्त बन गये।

कल्याण मार्ग का पथिक

१९२२ ई० में, ऐन्ट्रेन्स परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त, आगामी शिक्षा का प्रश्न सामने आया। लाला अचिन्तरामजी इस समय दो वर्ष के लिये जेल में थे। उन्होंने सुखदेव को अनुमति भेजी कि डी० ए० वी० कालिज में जाकर भर्ती हो जाओ। इस समय सन् २१-२२ के असहयोग के कारण शिक्षा-संस्थाओं का बहिष्कार हो चुका था और लाहौर में राष्ट्रीय कालिज की स्थापना हो चुकी थी; पर लाला अचिन्तरामजी ने जेल से लिखा था कि अभी राष्ट्रीय कालिज स्थायी नहीं है, अतएव डी० ए०-वी० में पढ़ो। पर सुखदेवजी क़ौमी कालिज में जाकर भर्ती हो गये, और उसी के बोर्डिङ्ग में रहने लगे।

'पांच पांडव'

सरदार भगतसिंह भी इस समय क़ौमी कालिज के एक विद्यार्थी थे। इस केस में मफ़रूर बताये जाने वाले यशपाल भी इनके बराबर वाले कमरे में रहते थे और भगतसिंह भी पास ही रहते थे। भगतसिंह के व्यक्तित्व का सुखदेव पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उनके पक्के मित्र बन गये। सुखदेव कहा करते थे कि, 'मैं ने जीवन में केवल भगतसिंह को एक मित्र पाया है।' इन लोगों की गोष्ठी में तीन युवक और थे, और इन पाँचों को लोग 'पञ्च पाण्डव' कहा करते थे। सुखदेव जी की व्यायाम में बहुत रुचि थी, और वे अखाड़े में ख़ूब कसरत किया करते थे।

विदेश-यात्रा का विचार

स्वामी सत्यदेव की 'अमरीका भ्रमण' आदि पुस्तकें पढ़ कर सुखदेवजी का विचार विदेश जाने का हुआ। वे इसलिए स्वामीजी के पास भी गये। स्वामीजी उन दिनों देहरादून में रह रहे थे। यह सन् १६२४-२५ की बात है। सुखदेवजी स्वामीजी के पास जाकर तीन मास तक उनके साथ रहे। यहां उन्होंने अठारह-अठारह घण्टे तक काम किया, जिसके कारण वे बीमार पड़ गये, और कालिज को वापस चले आये।

पैदल पर्वत यात्रा

सुखदेवजी और उनके कालिज के कई सहपाठियों को सैर-सपाटे का बहुत शौक़ था। अतएव एक वर्ष की गर्मी की छुट्टियां इनकी टोली ने कांगड़ा के पहाड़ों की यात्रा करने में व्यतीत कीं। प्रो० यशपाल भी इस दल में थे। लौटते समय एक दिन इन लोगों ने ४८ मील का पैदल सफ़र किया और फिर मटोकान से कुल्लू तक ३४ मील का रास्ता रात के एक बजे तक तय किया।

मानसिक क्रान्ति

सुखदेवजी के विचारों में अब परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता को वे महसूस करने लगे थे। कभी हिन्दुओं के अनेक वर्ण-भेदों से दुःखी होते तो कभी शूद्रों के कर्म की महत्ता को स्वीकार कर मित्रों से कहते कि 'मैं तो भङ्गी का काम करना अधिक पसन्द करूँगा, क्योंकि उस काम से बढ़कर समाज की महती सेवा और कोई नहीं है।' नेशनल कालिज में आपके धार्मिक विचार ज्यों के त्यों थे। आर्यसमाजी धार्मिक नित्य-नियम के सुखदेवजी पूरे पाबन्द थे। सरदार भगतसिंह आदि इस कारण उनका मज़ाक़ किया करते, क्योंकि कहा जाता है कि, इन लोगों का धर्म में विश्वास न था। कालिज के वातावरण और इन लोगों के आचरण का सुखदेवजी पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि, वे धर्म और ईश्वर में एक दम विश्वास खो बैठे और नास्तिक बन गये।

मानव-धर्म के पुजारी

धर्म के नाम पर होने वाले हिन्दू-मुसलिम झगड़े, और फिर हिन्दुओं में आर्य-समाजी, सनातनी, ...—आदि के बखेड़ों ने आपकी विचार-धारा का एक दम बदल दिया था। वे कहा करते थे कि, मनुष्यता धार्मिक बन्धनों से ऊँची वस्तु है। धर्म के तथाकथित 'ठेकेदारों' के स्थान पर समाज में प्रेम और साम्य पर आधारित मानव-धर्म की स्थापना की आवश्यकता है।

बचपन में सुखदेवजी उदार और दानी थे, लेकिन अब व्यक्तिगत दान-दक्षिणा के प्रबल विरोधी हो गये थे। वे कहा करते थे कि, दान देना और लेना दोनों ही बुरी प्रथायें हैं, इससे मनुष्य का अपना साहस और आत्माभिमान नष्ट हो जाते हैं। आजकल जो कोई भी दूसरे को दान देता है, उस पर दया करके, उसको अपने से हेय, नीच और नाकारा समझ कर। आवश्यकता इस बात की है कि, मनुष्य मनुष्य में भेद न रहे, सबकी अवस्था एक-सी हो।

सन्त-वाणी का प्रभाव

एक बार कुल्लू की पहाड़ियों में आपको एक सन्त का सम्पर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह साधु एकान्त-प्रिय था। एक दिन की बातचीत में उससे भारतीय क़ौम की चर्चा चल पड़ी। सन्त ने कहा कि "अभी भारतीय एक राष्ट्र नहीं बने। अगर आज पंजाब में कोई विशेष बात होती है तो मद्रास वाले चुप हैं, और मद्रास में कोई बात होती है तो बङ्गाल वाले ख़ामोश हैं। काश कि हम लोग कौए से ही शिक्षा ग्रहण करें। कौए को अपनी क़ौम का कितना दर्द है। ज़रा किसी कौए को पकड़ कर या मार कर देखे तो सही; चन्द ही मिनटों में हज़ारों कौए इकट्ठे हो जायेंगे, और पकड़ने या मारने वाले का नाकों दम कर देंगे। एक क़ौम होने की यह निशानी है। राष्ट्र एक सजीव शरीर की भांति होना चाहिये, जिसको कहीं भी दुखाओ, समस्त कलेवर अनुभव करने लगे।

"लेकिन भारतीयों की उपमा कुत्तों से दी जा सकती है। हमने ठीक कुत्तों केसे लक्षण ग्रहण कर रखे हैं। यह कैसा पतित प्राणी है, अपने भाई को रोटी का टुकड़ा खाते देख सहन नहीं कर सकता। कुत्ते को चाहे तुम जितना कष्ट देदो, मगर जब तुम पुचकार कर बुलाओगे, एक दम पिछले तमाम अनाचारों को भूल कर आपके पांव चाटने लगेगा। उसमें रत्ती भर भी ग़ैरत का माद्दा नहीं है।" सन्त के इस उपदेश से आप बहुत प्रभावित हुए। आपको चापलूसी से ऐसी घृणा हो गई कि किसी समय यदि कोई आपकी प्रशंसा करना चाहता, तो आप 'बस, रहने दीजिये,' कहकर उसे चुप करा देते।

'घोड़े पर नहीं फाँसी पर!'

कालिज के दिनों में एक बार पूर्णमासी की रात को आप लोगों को सूझी कि आज रावी की सैर की जाय। पूर्ण चन्द्र आकाश में हंस रहा था, पृथ्वी पर उज्ज्वल चन्द्रिका छिटक रही थी मानों दूध की दूसरी रावी मन्द गति से बह रही हो। मन्द वायु झकोरे ले रहा था। प्रकृति के बालकों की यह टोली कालिज के होस्टल से निकली। बस्ती से होकर यह लोग जा रहे थे। एक जगह देखा तो सजी सजाई बरात खड़ी है। आतिशबाज़ी छुड़ाई जा रही है, बाजे बज रहे हैं। बराती दूल्हे 'दूल्हा नवाब' बने हुए चहल-पहल कर रहे हैं, और वर महाशय घोड़े पर सवार खड़े हैं। एक मित्रने कहा—'यार हमारी भी कभी शादी होगी। हम भी इसी तरह घोड़े पर सवार होकर बरात सजायंगे। तुम्हें तो ऐसा दिखाई नहीं देता।' सुखदेव ने मुसकरा कर कहा—'वाह, तुम्हें न दिखाई देता होगा, मैंने तो एक दिन माँ से भी कह दिया था कि, मैं तो घोड़े के बजाय फांसी पर चढ़ूंगा।'

दारोग़ा से दिल्लगी

लाहौर में जिन दिनों प्लेग का बहुत ज़ोर था, सुखदेवजी अपने एक मित्र के साथ शिवालक की पहाड़ियों की सैर करने चले गये चिन्त-पुरनी, ज्वालामुखी पालमपुर आदि होते हुए आपने रियासत मण्डी की भी सैर की। मण्डी शहर में पहुँचे, तो उस रात को वहां राम नाटक हो रहा था। आप लोग भी देखने को गये। इन लोगों को अजनबी देख कर एक महाशय ने इन से सवाल करने शुरू किये: "आप कौन हैं, कहां से आये हैं, कहां जायंगे, क्या काम करते हैं?" आप का साथी कुछ कहने ही वाला था कि आप झट बोल उठे: "आदमी हैं, इधर से आये हैं, उधर जायंगे, सैर करते हैं।" इन सज्जन ने धैर्यपूर्वक फिर पूछा: "नाम क्या है, जाति क्या है?" "नाम नहीं बतायंगे, जाति का पता नहीं," उत्तर मिला। अब तो वह आदमी बहुत बिगड़ा—"देखो तुम जानते नहीं हो, मैं पुलीस इन्स्पेक्टर हूँ, मुझ से मज़ाक़ कर रहे हो।" साथी ने जवाब दिया, "थानेदार साहब, मुआफ़ करना, हमने आप को कुछ और ही समझा था, क्योंकि हम जिस किसी भी सराय में गये, हम से ऐसे ही सवालात किये गये, ग़लती हो गई।" इस पर दारोग़ा साहब और भी भिनभिनाये। "अच्छा मैं हुक्म देता हूँ कि कल सुबह रियासत की हद से बाहर होजाओ, वरना क़ैद कर दूंगा।" आप ने फ़ौरन् जवाब दिया—"अरे बाबा, हम तो पहले ही कमर बांधे चलने को तय्यार बैठे हैं, यह धमकी किसलिये।" "तुम्हारी जवानी पर तरस आता है, वरना अभी क़िले में बन्द कर दूँ। जनम भर पड़े पड़े सड़ते रहो, फिर तुम्हें होश आजाय कि, किस तरह पुलीसवालों के साथ गुफ़्तगू की जाती है।" सुखदेव जी बोले—"अशोक जनाब—

अफ़सुरदा-ख़ातिरों की ख़िज़ां क्या, बहार क्या;
कुंजे क़फ़स में मर गये या आशियाने में।"

दारोग़ा यह सुन कर झेंप-सा गया और ये लोग वहां से चल दिये।

विप्लव-पन्थ की दीक्षा

राष्ट्रीय कालिज में पढ़ते हुए सुखदेव को अब दो साल हो चुके थे। भगतसिंह की तेजस्विता और सुखदेव की मनस्विता की धाक आसपास के वातावरण में बैठ चुकी थी। क्रान्ति के किसी पुरोहित ने उन्हीं दिनों इन दोनों को विप्लव-पन्थ में दीक्षित किया, और यह दोनों क्रान्तिवादी दल में सम्मिलित हो गये। दल में प्रविष्ट करते हुए प्रतिज्ञा कराई गई कि, 'आज से तुम घरवालों से क़तई नाता तोड़ दोगे?' सुखदेव जी ने यह प्रण किया। गम्भीरता और मनस्विता के कारण वे पंजाब प्रान्त में दल की ओर से प्रधान कार्यकर्ता नियुक्त हुए। अब आप में फिर कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे; खादी को छोड़ दिया और विदेशी वस्त्र पहनने लगे ताकि अकारण हो

टकटकी लगाने वाले पुलीस वालों को सन्देह न हो, और उनकी तेज़ नाक और सशङ्कित दृष्टि से बचे रहें।

घर-बार छोड़ दिया

क्रान्ति-दल में प्रमुख भाग लेने लगने पर सुखदेव जी ने अपने घर-बार को एकदम त्याग दिया—लायलपुर अपने घर जाना छोड़ दिया। उनकी बहन और चचा की मृत्यु इस बीच हो गई, लेकिन वे फिर भी न गये। लाहोर में सरदार भगतसिंह के साथ उनके मकान में रहने लगे। यशपाल भी यहीं रहा करते थे। अपने ताऊ लाला अचिन्तरामके बहुत कहने पर सुखदेवजी 'वन्देमातरम्' अख़बार के दफ़्तर में क्लर्की करने लगे, लेकिन तीन मास उपरान्त उससे भी पीछा छुड़ा लिया।

कमीशन के समय गिरफ़ारी

सन् १६२८ ई० के नवम्बर मास में साइमन कमीशन लाहोर पहुँचा। समस्त देश की भाँति लाहोर वालों ने भी भारत के स्वाभिमान को कुचल कर उसके सिर पर लादे गये इस काले कमीशन का काले झण्डों से 'स्वागत' करने की तय्यारियाँ कीं। लाहोर के एक प्रभावशाली कार्यकर्ता लाला केदारनाथ सहगल [जो आजकल मेरठ 'षड्यन्त्र' मामले के एक अभियुक्त हैं] और सरदार भगतसिंह तथा उनके कुछ साथियों ने रात को काली झंडियाँ बनाईं। सुखदेवजी इस समय भगतसिंह के मकान पर थे, और सन्देह किया जा रहा था कि, उनके घर पर पुलीस आज अवश्य चढ़ाई करेगी। रात में लाला केदारनाथजी को नींद आ गई और वे सो गये; सरदार को भी नींद आने लगी, लेकिन उन्होंने सोने से पूर्व सुखदेव की ख़बर लेने के लिये एक आदमी को अपने मकान पर भेजा। पुलीस वहाँ पहुँची थी और उसने सुखदेवजी से भाँति भाँति के प्रश्न किये, लेकिन आपने एक का भी उत्तर न दिया। आखिर खीझ कर सुखदेव जी को पकड़ ले गई और उन्हें कोतवाली में १२ बजे दिन तक बन्द रख कर छोड़ दिया।

वर्तमान शासन-प्रणाली के विरोधी

अपने कालिज-जीवन से ही सुखदेवजी वर्तमान शासन-प्रणाली के कटु समालोचक थे। जिस प्रकार धर्म-पन्थ वाले लोग अपने विरोधियों के विरुद्ध और अपने पक्ष में प्रचार किया करते हैं, ठीक उसी भाँति आप किया करते थे। घर हो, बाहर हो, मेला हो, यात्रा कर रहे हों, या स्थिर बैठे हों, वर्तमान शासन-प्रणाली के सम्बन्ध में आप कुछ न कुछ किसी ढँग से ज़रूर कह देते। निधड़क ऐसे कि, इसके परिणाम के लिये हर वक़ तय्यार रहते। इस वजह से पुलीस वालों के साथ तो आपकी कई मरतबा झपट हो गई थी। आप को इस बात की परवा न होती थी कि पुलीस वाला वर्दी में है या सादे कपड़ों में, ड्यूटी पर है या आज़ाद। एक बार की लाहोर की घटना है, किसी वजह से शहर में हड़ताल हो रही थी। अनारकली बाज़ार पूरी तरह से बन्द नहीं हुआ था। कांग्रेस के कार्यकर्ता हड़ताल कराते और सरकारी कर्मचारी दूकानें खुलवा रहे थे। आप भी अपने एक मित्र के साथ अनारकली बाज़ार में घूम रहे थे। क्या देखते हैं कि अनारकली थाने का दारोग़ा एक दूकानदार को धमका रहा था कि तुम दूकान ज़रूर खोलो। दूकानदार शशोपंज में पड़ा हुआ था कि क्या करे, कि झट यह लोग वहाँ जा पहुँचे और दूकानदार को दूकान बन्द करने के लिये कहने लगे। दूकानदार पर इनका प्रभाव पड़ा और उसने दूकान बन्द करदी। थानेदार इस पर इनसे बहुत बिगड़ा, जब उसने इन्हें गिरफ़्तार करना चाहा तो, 'वाह जनाब, ज़रा सी बात पर यह तेज़ी तर्रारी' कहा और भीड़ को चीरते हुए निकल गये।

"षड्यन्त्र" में गिरफ़ारी

१६२८ की ऐप्रिल में ऐसेम्बली को बम-घटना के बाद पुलीस ने अपनी सरगर्मी ज़ोरों से शुरू की। संयुक्त-प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में तलाशियों और गिरफ़्तारियों का ताँता लग गया। इसी सम्बन्ध में लाहोर की पुलीस ने १५ ऐप्रिल १६२८ के दिन काश्मीर बिल्डिंग पर छापा मारा, वहाँ उसे कई बम और उनका मसाला और तमंचे मिले। पुलीस वालों ने पीछे इसका नाम 'बम का कारखाना' रखा। सुखदेवजी, जयगोपाल और किशोरीलाल के साथ यहीं पकड़े गये। यू० पी० और पंजाब से और भी युवक पकड़ कर लाये गये थे। सरदार भगतसिंह ने भी ऐसेम्बली भवन में अपने को पकड़ा दिया था, यह लोग लाहोर की बोरस्टल जेल और सेन्ट्रल जेल में रखे गये थे।

बन्दियों के अधिकार

बन्दियों के अधिकारों के लिये जेलों में इन लोगों ने भीषण अनशन आरम्भ किया। महीनों तक यह चला। यतीन्द्र नाथ दास इसी में बलि हुये। सुखदेवजी ने सरदार के साथी होने के कारण उनके साथ दो-तीन दीर्घकालीन अनशन किये। इस भूखों!! लड़ाई में एक बार तो आपकी जान पर आ बनी, आप अत्यन्त कमज़ोर हो गये थे, हाथ पैरों को लक़वा मार गया था, इस समय आपके सह-बन्दी श्रीयुत देशराज और श्री किशोरीलाल आपको करवट दिलाया करते और हाथ पैरों को उठा कर इधर से उधर किया करते थे। ऐसी दशा में भी जेल का डाक्टर एक दिन ज़बरदस्ती आपके पेट में दूध ठूँसने के लिये रबर की नली आदि लेकर पहुँचा। आपने क्षणिक उत्तेजना में आकर नली डाक्टर के हाथ से छीन ली, और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी शीशियाँ भी पटक कर तोड़ दीं। इस उत्तेजना से आपका स्वास्थ्य अत्यन्त ख़राब हो गया था।

बलिदान

लाहोर 'साज़िश' केस में आपके ख़िलाफ़ कोई क़त्ल वग़ैरह का सङ्गीन जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन इस मुक़दमे के अभियुक्तों का भाग्य-निर्णय करने वाली अदालत-ख़ास [ट्रिब्यूनल] के तीन जजों ने सुखदेवजी को ऐसा भयङ्कर अपराधी समझा कि उन्हें मौत की सज़ा दी। जजों का कहना है कि, "सन् १६२७-२८ में सुखदेव क्रान्तिकारी दल के लोगों को भर्ती करते रहे हैं, वे दल की केन्द्र-समिति के सदस्य थे, और १६२८ की सितम्बर वाली दिल्ली की मीटिंग में वे उपस्थित थे, वे पंजाब-प्रान्तीय क्रान्ति-दल के नेता थे, पंजाब नेशनल बैंक के लूटने और स्काट को मारने के मनसूबों में वे शामिल थे—यद्यपि उन्होंने साण्डर्स की हत्या में खुद भाग नहीं लिया—उन्होंने भगतसिंह से ऐसेम्बली में बम फिकवाया, आगरे में उन्होंने बम बनवाये, काश्मीर बिल्डिंग की 'बम फेक्टरी' के वे प्रमुख सङ्गठन कर्त्ता थे, उन्होंने पार्टी-सङ्गठन के लिये सरहद, अमृतसर और फ़ीरोज़पुर के दौरे किये।"

सुखदेव की विचित्र सङ्गठन शक्ति और सूझ-बूझ की जजों ने भी दाद दी है। वे कहते हैं:—

"Sukh Dev may be said to have been the brains of the conspiracy while Bhagat Singh was its right arm. × × × × He was backward in taking part himself in acts of violance but he must be held none the less to be responsible for those acts to the extention of which his brains and organising power made an important contribution—अर्थात् सुखदेव इस षड्यंत्र का मस्तिष्क रहा है और भगतसिंह इस साज़िश का दाहिना हाथ। × × × × हिंसात्मक कार्यों में वह स्वयं भाग न लेता था, लेकिन उन कामों के लिये, जिनकी पूर्ति में उसकी मेधा और सङ्गठन-शक्ति का बड़ा भाग है, वह जिम्मेदार ज़रूर है।"

जो मेधा और सङ्गठन शक्ति किसी स्वतन्त्र देश के युवक को गौरवान्वित कर सकती है, उसीने आज पराधीन देश के एक स्वाधीनता-आतुर युवक के प्राण ले लिये! उसने अपने ईमान के मुताबिक अपनी प्रतिभा और योग्यता का व्यवहार किया और इसलिये वह दार पर खींच दिया गया!! देश की पराधीनता उसे शूल की भाँति खलती थी, इसीलिये तो वह शादी के घोड़े पर न चढ़ कर कूद कर हँसता हँसता शूली पर चढ़ गया और अपने विचार को कार्य में परिणत कर गया। जिन्होंने उसे देखा है, वे कहते हैं कि, वह बड़ा ज़िन्दा—दिल था, कवियों की भाँति उसकी दुनिया दूसरी थी, जिसमें वह विलग रहता हुआ आपदाओं और कष्टों की प्रतिक्षण प्रतीक्षा किया करता था। भगतसिंह उसकी मनस्विता पर ऐसा मुग्ध था कि, वह कहा करता था कि 'सुखदेव तो बालू से भी तेल निकाल लेता है।' सुखदेव भी भगतसिंह की तेजस्विता को देख कर फूले अङ्ग न समाता था।

गत २३ मार्च को शाम के ७। बजे सरदार भगतसिंह और शिवराम राजगुरु अपने दो प्रिय सखाओं के साथ सुखदेव को भी फाँसी पर टाँग दिया गया। 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' कहते हुए वह तख़्ते पर चढ़ा और 'साम्राज्यवाद के क्षय' और 'अँगरेज़ी झण्डे के नाश' का नारा लगाता हुआ अनन्त की गोद में झूल गया!!

[कापी राइट]

श्री० राजगुरु

[लेखक—"चन्द्र"]

"अगर तुम्हारी पुकार को कोई नहीं सुनता है तो तुम अपने मार्ग पर अकेले ही चलते जाओ। अगर सब लोग भयभीत हो रहे हैं और कोई तुमसे बातें नहीं करना चाहता हो तो ऐ अभागे! अपनी दुखगाथा तू स्वयं ही सुन। अगर बयाबान में सफर करते हुए सब आदमी तुझे छोड़ दें और तेरे विरुद्ध हो जाँय तो उनकी कुछ परवाह न कर, बल्कि काँटों को रौंदते हुए चलता जा और अपने ही रक्त से अपने पैरों को धोता जा।"

—विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर

'सिंहनी कभी सियार नहीं जनती है'—यह वाक्य उन महापुरुषों के सुकर्मों का निश्कर्ष है, जिन्होंने समय और कटु-अनुभव की कसौटी पर इसे भली भांति परखा है। इस वाक्य में सत्यता उसी मात्रा में है जितनी स्वयं सत्य में हो सकती है, कारण कि इसे परखने वाले जौहर के सच्चे जौहरी थे। उनके एक एक शब्द में वास्तविकता और सत्य कूट कूट कर भरा था। यह वाक्य वह ब्रह्मवाक्य है जो समय के महान्-परिवर्त्तनों में उत्तीर्ण होकर अपनी सत्ता को अभी तक ज्यों की त्यों क़ायम रख सका है।

वीरभूमि महाराष्ट्र ने इस वाक्य के तथ्य को अक्षरशः चरितार्थ किया है। मुग़ल-साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने वाले—औरङ्गज़ेब के सिंहासन को कम्पायमान करनेवाले महाराष्ट्र-केसरी शिवाजी—इसी वीरभूमि की विभूति थे। उनके अतिरिक्त देश के लिये अपना सर्वस्व निछावर करने वाले प्रातःस्मरणीय लोकमान्य तिलक, महात्मा गोखले, इस समय स्वदेश के लिये असह्य यातनाएँ भोगने वाले नरपुङ्गव श्री० सावरकर इसी पुण्यभूमि के जीते-जागते रत्न हैं। उत्कट-क्रान्तिकारी श्री० विष्णुगणेश पिंगले इसी उपवन की एक अधखिली कली थे, जिसे खिलने से पूर्व ही बलात् मसल डाला गया!

उसी वीर-भूमि ने इस युग में भी एक ऐसी विभूति उत्पन्न की, जिसने अपने विचारों के अनुसार देश की आज़ादी के लिये अपना बड़ा से बड़ा त्याग किया और अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया।

जन्म और बाल्यकाल

पूना से लगभग १५ मील की दूरी पर चाकण नामक एक छोटा सा गाँव है। यह गांव अपनी ऐतिहासिक-महत्ता के लिये छत्रपति शिवाजी के समय के भी पहिले से प्रसिद्ध है। महाराज शिवाजी का राज्य अनेक सूबों में विभाजित था। उन्हीं में से एक सूबे की राजधानी चाकण थी, अतः आसपास के निवासियों के आवागमन से चाकण में सदा क़स्बे की भांति चहल-पहल रहती थी।

जिस समय महाराष्ट्र-साम्राज्य शिवाजी के पौत्र साहूजी के हाथों में था, विद्वान-पंडितों की साम्राज्य भर में कमी नहीं थी। इसका प्रधान कारण यह था कि स्वयं साहूजी इस ओर पर्याप्त समय और धन लगाते थे और इसको प्रत्येक रीति से प्रोत्साहन देते थे। चाकण में भी एक पंडित, जिनका नाम कचेश्वर जी था। यह वेद, पुराण और शास्त्र में पारंगत थे। गांव के आस पास इनके नाम की बड़ी धूम थी। धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त ज्योतिष के भी आप बड़े विद्वान थे। एक दिन कार्यवश साहूजी को चाकण आना पड़ा। यहां कुछ व्यक्तियों से पं० कचेश्वरजी की प्रशंसा सुन कर साहूजी को उनसे मिलने की इच्छा हुई। आपने कचेश्वरजी को बुलवाया। बहुत देर तक उनसे धर्म-शास्त्र तथा ज्योतिष पर वार्त्तालाप हुआ। अन्त में आप उनकी विद्वत्ता एवं योग्यता पर मुग्ध हो उठे और कचेश्वरजी को अपने साथ सतारा चलने का अनुरोध करने लगे। पंडितजी कई पीढ़ियों से चाकण ही में रह रहे थे; अतः उन्होंने अपनी जन्मभूमि को त्यागने में अनिच्छा प्रकट की—किन्तु साहूजी के आश्वासन एवं अनुग्रह से आप सतारा चले गये।

थोड़े ही समय में कचेश्वरजी साहूजी के दाहिने हाथ बन गये। धार्मिक बातों के अतिरिक्त राजनीति के गूढ़ मामलों में भी वे कचेश्वरजी से परामर्श लेते थे। शनैः शनैः साहूजी के हृदय में कचेश्वरजी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया और एक बार दरबार में साहूजी ने उन्हें 'राजगुरु' की उपाधि से विभूषित किया। तभी से आपके सभी वंशज अपने नाम के पीछे 'राजगुरु' शब्द का प्रयोग करते हैं।

पं० कचेश्वरजी के विषय में एक और भी दन्त-कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब कभी वर्षा नहीं होती तो लोग उनसे तथा अन्यान्य ऐसे ही लोगों से ईश्वर तथा अन्य देवताओं का प्रीत्यर्थ अनुष्ठान करने का अनुरोध करते, और उसके फलस्वरूप, कहा जाता है कि, वर्षा भी हो जाती थी।

एक बार पानी की इतनी अधिक कमी हुई कि लोग प्यासे मरने लगे—पर कोई उपाय नहीं था। उसी प्रकार पुनः अनेक पंडितों से जप-तप करने की प्रार्थना की गई। जप-तप भी किया गया, वह समाप्त भी हो गया, किन्तु वर्षा के आसार कुछ भी नहीं दिखाई पड़े। अन्त में पं० कचेश्वरजी से आग्रह-पूर्वक निवेदन किया गया कि अब वे अनुष्ठान करें। पंडित जी का इन बातों में विश्वास कम था, किन्तु एक विशाल जन-समूह के आग्रह को वे सहज ही में नहीं टाल सके। लाचार हो उन्हें अनुष्ठान आरंभ करना पड़ा। फलतः वर्षा हुई, और केवल सतारा में ही नहीं आस-पास सैकड़ों मील दूर के गांवों में भी अच्छी वर्षा हुई। लोगों की प्रसन्नता के बाँध टूट गये। सब मिल कर पंडितजी के पास आये और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट की। कहते हैं अभी तक पंडितजी के वंशजों का आसपास के गांवों से कुछ बन्धान बँधा हुआ है जो अनाज, वस्त्र तथा नक़दी के रूप में उन्हें प्रति वर्ष प्रसन्न के मौके पर मिलता है।

इन्हीं पं० कचेश्वरजी के दो पुत्र थे। छोटा पुत्र तो वहीं रह गया किन्तु ज्येष्ठ पुत्र ने जीविका की कमी देख कर सतारा छोड़ दिया और पूना के समीप खेड़ नामक गाँव में कृषि करने चले गये। इन्हींकी आठवीं पीढ़ी में श्री० हरि नारायण राजगुरु का जन्म हुआ। आप बड़े ही कट्टर ब्राह्मण थे। अपनी एक स्त्री से सन्तुष्ट न होकर आपने लगभग ५० वर्ष की अवस्था में दूसरी स्त्री से विवाह किया। इसी दूसरी स्त्री से भादों बदी १३ संवत् १९६५ वि० को श्री० शिवराम हरि राजगुरु का जन्म हुआ था। दिनकर हरि राजगुरु नामक आप के एक बड़ा भाई भी था।

द्वितीय पत्नी से पैदा होने के कारण राजगुरु को उनके पिता प्यार बहुत करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बालक राजगुरु कुछ ढीठ हो चला और पढ़ने से जी चुराने लगा। इधर माँ के प्यार ने राजगुरु की पढ़ाई में अरुचि उत्पन्न कर दी, उधर संवत् १९७० वि० में—जब राजगुरु केवल ६ वर्ष का था—उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। राजगुरु के बड़े भाई श्री० दिनकर हरि राजगुरु उन दिनों पूना में थे। अतः घर पर राजगुरु अकेला होने से और भी निरंकुश होगया और अपनी माँ का भी कहना नहीं मानने लगा। दिनकर हरि राजगुरु ने अलग रखना उचित न समझ अपनी माँ और भाई को भी अपने पास पूना में रख लिया। यहां राजगुरु को एक मराठी पाठशाला में पढ़ने को बैठाया गया। यहाँ भी बालक राजगुरु का वही हाल रहा। पढ़ने की अपेक्षा खेलने में उनका जी अधिक लगने लगा।

संवत् १९७४ की बात है। दिनकर राव ने राजगुरु को डाँट बताई और धमकी दी, कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं घर से निकाल दूँगा। इन शब्दों ने राजगुरु के हृदय को वेध एक बार ही दिया। उन्होंने घर से जाने का इरादा कर लिया।

गृहत्याग और तपस्या

माघ का महीना था। बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक दिन रात को राजगुरु ने घर से भाग निकलने का निश्चय किया। साहस और निर्भीकता आपमें कूट कूट कर भरी थी। भय का तो आप नाम भी नहीं जानते थे। आपने सोलहों आना चलने का निश्चय कर लिया। पर ख़र्च के लिये आपके पास कुछ नहीं था। इधर-उधर ढूँढ़ने पर मुश्किल से ६ पैसे मिले। इन्हीं को लेकर आप सदाके लिये घरसे और घरवालों से विदा हो चल दिये। रात को जब आप पूना स्टेशन पर आये तो मालूम हुआ कि अब नासिक की ओर—जिधर आप जाना चाहते थे—कोई गाड़ी नहीं जायगी। किन्तु आप इससे निराश नहीं हुए। आप लौटकर घर नहीं आये—मुसाफ़िरख़ाने में पहुँचे। रात बहुत हो चुकी थी, किसी गाड़ी का भी समय नहीं था, अतः मुसाफ़िरख़ाने में आपको रात भर ठहरने की भी जगह नहीं मिली। आप उसके बाहर ही एक पेड़ के नीचे सो रहे।

दूसरे दिन बिना कुछ खाये-पिये ही आप पूना से लगभग ५० मील दूर नारायण गांव में चले आये। आप दो दिन से भूखे थे। गांव में कोई आपका परिचित आदमी नहीं था, वे गांव के बाहर एक कुएँ पर ठहर गये। भूख अधिक बढ़ रही थी अतः आपने ६ पैसे के आम खाकर तीन पूरे दिन

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
GOVT. OF INDIA

बिताए। बस, इसी समय से हमारे चरित्र-नायक का कठिन तपश्चर्या-काल आरंभ होता है। समय को बीतते देर ही क्या लगती है; आखिर तीसरा चौथा दिन भी आ पहुँचा--इधर जो पैसे थे किसी दूसरे की ही जेब में पहुँच चुके थे: आम खाने से भी कहीं पेट भरा है! जो तीन दिन राजगुरु ने आम खाकर बिताये वे नाममात्र का भोजन खाकर। अब तो भोजन की तलाश में आप जंगल में चक्कर काटने लगे। इधर उधर वृक्षों के नीचे गिरे हुए खट्टे-मीठे, कच्चे-पक्के आम खाकर आपने कुछ काल यापन किया। एक बार किसी सुग्गे ने एक कटा हुआ आम नीचे गिरा दिया—कहते हैं उस समय आप इतने भूखे थे कि उसे गुठली सहित निगल गये। ओफ्! कैसा भयङ्कर परीक्षा-काल था!

बियाबान जंगल में साहस और दैवी प्रकोप का यह विषम युद्ध देख गांव के एक अध्यापक का हृदय पिघल गया। एक निर्दोष नवयुवक पर प्रकृति का यह अत्याचार उससे न सहा गया, उसने राजगुरु को अपने घर रख लिया।

पर हमारे चरित्र-नायक खान-पान के गुलाम नहीं थे--इसकी चिन्ता उन्हें नहीं थी। उनके हृदय में तो स्वाधीनता की आग धधक रही थी—जो उन्हें बरबस किसी अज्ञात दिशा में ले जा रही थी। दूसरे दिन उस अध्यापक की उदारता के लिये कृतज्ञता-ज्ञापन कर आप वहां से चल दिये। अध्यापक ने बहुत कुछ समझाया-बुझाया, पर राजगुरु अपने ही प्रवाह में बह चले। गांव से निकल आपने जंगल की राह ली। किसी से कुछ परिचय नहीं, रास्ता भी मालूम नहीं, कहीं खाने-पीने का प्रबंध नहीं—इतना होने पर भी वीर युवक राजगुरु अकेले हिंसक-जन्तुओं से सम्पन्न वन के बीच शान्तिपूर्वक चला जा रहा था।

जिस परीक्षा में हमारे चरित्र नायक नारायण गाँव में उत्तीर्ण हो चुके थे, अब उससे भी कठिनतर परीक्षा उनका आवाहन कर रही थी। वीरों के पाँव सदा आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं पड़ते। आपने उसका भी तत्परता से सामना किया। नारायण गाँव में आम भी मिल तो जाते थे, पर यहां तो घास-पात के सिवा फल आदि का नाम तक न था। समय बतला रहा था और राजगुरु अपने ज्ञानचक्षुओं से देख रहे थे कि मनुष्य इस कठिन समय में भी जीवित रह सकता है। राजगुरु कर्मवीर थे। उन्हें भाग्य का नहीं अपने पुरुषार्थ और बाहुबल का विश्वास था। उन्होंने वृक्षों की छाल और पत्तियां खा खा कर, चट्टान और खेतों में सो सो कर सात-सात दिन के दो सप्ताह व्यतीत किये और भूखे-प्यासे डेढ़ सौ मील पैदल चल कर नासिक पहुँचे! वाह रे वीर! साहसी और संयमी हो तो तेरे जैसा हो!

जिस समय आप नासिक पहुँचे, भूख और प्यास से आप तिलमिला रहे थे—प्राण होठों पर थे। मुंह फीका और चेहरा पीला पड़ गया था। सूखे गले से आवाज़ भर्राई हुई निकलती थी। उनके हाथ पावों में बल था—पर इस समय नहीं। पावों में छाले पड़ गये थे—तलुए कांटों से छलनी हो रहे थे। सौभाग्यवश एक साधु को आप पर दया आई। उसने आप को कुछ दिन तक भोजन दिया फिर एक क्षेत्र में दिन के भोजन का प्रबन्ध कर दिया, और रात को अपने पास से कुछ दे देता। पास ही में एक नदी के घाट की सीढ़ियों पर आप के सोने का भी प्रबंध हो गया। अस्तु--

विपदाएँ जिसके साथ लगती हैं, उसका पीछा मुद्दत तक नहीं छोड़तीं। अभी युवक राजगुरु को भली-भाँति सान्त्वना भी नहीं मिली थी कि बिना घर बार के घूमते-फिरते देख कर पुलिस ने आप का पीछा किया। आप एक दिन थाने में ले जाए गए। वहां आप का नाम, वल्दियत और सकूनत पूछी जाने लगी। आप ने कहा मैं पूना का रहने वाला हूँ और यहां संस्कृत पढ़ने आया हूँ। उत्तरी-भारत में जिस प्रकार काशी संस्कृत का केन्द्र माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण में नासिक भी संस्कृत का प्रधान-केन्द्र है। पुलिस को आपकी बात पर सहसा विश्वास हो गया और आप सहज ही में उससे छुटकारा पा गये।

दुर्भाग्यवश आप की सफलता भी इस समय आप से रूठी थी। भरसक प्रयत्न करने पर भी नासिक में संस्कृत के अध्ययनका कोई डौल न बैठा। अब आप संयुक्तप्रान्त की ओर आने का इरादा करने लगे। इस समय इधर से आप ने कुछ पैसे जुटा लिये थे, अतः तीसरे दर्जे का टिकट खरीद कर आप झाँसी आये। अब आप के पास पैसा नहीं था। दो दिन झाँसी में ही बिना खाये-पिये बिताए। तीसरे दिन बिना टिकट ही कानपुर के लिये चल पड़े। यहाँ रेलवे-अधिकारियों ने आप को गिरफ्तार कर लिया। एक मरहठा सज्जन लखनऊ जा रहे थे। यह जानकर कि राजगुरु एक महाराष्ट्र हैं, और किराये का चार्ज न देने पर पकड़े गये गये हैं, उन्होंने किराया देकर पुलिस के पंजे से आप को छुड़ा लिया और भोजन कराया। अपने साथ वह राजगुरु को भी लखनऊ ले गये। वहां एक दिन रख कर इन्हें किराये तथा खाने के लिये कुछ रुपये देकर उसने इन्हें बिदा किया। लखीमपुर-खीरी होते हुए आप बनारस पहुँचे। यहां सौभाग्य वश अहिल्याघाट पर आपके रहने का तथा एक मंदिर में भोजन का प्रबंध हो गया। अब आपने पढ़ना शुरू किया। आपको संस्कृत से प्रारंभ से ही बड़ा प्रेम रहा है। अब आपने अपने बड़े भाई श्री० दिनकर हरि राजगुरु को इसकी सूचना दी। भाई दयालु था-उसने राजगुरु को ५) मासिक भेजने शुरू कर दिये। यहां से आपने तर्कशास्त्र में मध्यमा परीक्षा पास की। उच्च परीक्षा में आप बैठना ही चाहते थे किन्तु शिक्षक से कुछ कहा-सुनी हो जाने से आपने पढ़ना छोड़ दिया।

कर्म-क्षेत्र पदार्पण

आपको व्यायाम करने का शौक बाल्यकाल ही से रहा है। बचपन में आसपास के लड़के आपको 'बापू' कह कर पुकारते थे। उस समय भी शारीरिक बल में आप अपने मोहल्ले के समवयस्क लड़कों से कहीं अधिक बढ़े-चढ़े थे। बाद में कई वर्ष तक आपने अमरावती की सार्वजनिक व्यायामशाला में उच्च व्यायाम की शिक्षा पाई थी। हिन्दुस्तानी सेवादल में भी बहुत समय तक आप डाक्टर हार्डीकर के साथ रहे। अब बनारस में पढ़ाई छोड़ने पर फिर आपका ध्यान इसी ओर आकृष्ट हुआ। यहां आपने कुश्ती, दंड, बैठक आदि शारीरिक व्यायामों के अतिरिक्त अन्य भी कई योग आदि के व्यायाम सीखे। यहाँ से आप नागपुर चले गये, जहां एक व्यायामशाला में तलवार, लाठी, गदका, बनैटी और छुरी आदि चलाना सीखा। सन् १९२८ में आप पुनः कानपुर लौटे। यहां आपकी श्री० बटुकेश्वरदत्त से भेंट हुई और इसी दिन से आप क्रान्तिकारियों के दल में मिल गये।

गिरफ़्तारी और प्राणदण्ड

क्रान्तिकारी दल में आपने कहाँ कहां और क्या क्या कार्य किया--इसका विश्वस्त-विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका, अतः इस विषय में हम कुछ नहीं लिख सकते।

लाहौर के नायब-पुलिस-सुपरिन्टेन्डेन्ट सांडर्स की हत्या से भारत भर में खलबली मच गई। चारों ओर धर-पकड़ मच गई। गिरफ्तारियों का बवण्डर उठ खड़ा हुआ। देखते देखते अनेक युवक जेल की मज़बूत चहारदीवारी में ठूंस दिये गये। हम विश्वास-पूर्वक नहीं कह सकते कि हमारे चरित्रनायक भी उपर्युक्त हत्याकाण्ड में थे अथवा नहीं—पर एक मुख़बिर के कहने पर १७ सितम्बर १९२८ ई० को आप पूना से गिरफ़्तार कर लाहौर लाये गये। आप पर मुक़दमा चला और अन्त में ७ अक्टूबर १९३० ई० को आपको सरदार भगतसिंह और सुखदेव के साथ फाँसी की सज़ा सुनाई गई।

समूचे भारतवर्ष ने आप तीनों के प्राणदान के लिये बड़ी ज़बर्दस्त आवाज़ उठाई। समस्त देश ने वाइसराय से दया के लिये प्रार्थना की, लिखित प्रार्थना-पत्रों पर लाखों लोगों के हस्ताक्षरों सहित इनके प्राणों की भीख माँगी गई, पर सब का परिणाम अंधे के सामने आँसू बहाने के समान ही हुआ। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अन्ततः भारत के दुर्भाग्यवश २३ मार्च १९३१ का काल-दिन आया। उसी लाहौर की सैण्ट्रल जेल में—जहां सैकड़ों भारत के लाल, कोमल-कुसुमों की भांति मसोस दिये गये—यह तीन वीरकेसरी भी फांसी पर लटका दिये गये। ओह! देखते ही देखते यह महाराष्ट्र का अनमोल-रत्न दस हाथ गहरे खड्डे में झूलने लगा। कुछ क्षण तो कबूतर की भांति छटपटाया पर अन्त में सदा के लिये दासता के बंधन से मुक्त हो गया।

भारत के दिवंगत क्रान्तिकारियों ने सुमन-वृष्टि कर, स्वर्गद्वार पर इस वीर का स्वागत करते हुए कहा—

"तरुण-तपस्वी आ तेरा,
कुटिया में नव-स्वागत होगा।
निर्दोषी तेरे चरणों पर—
हम सबका मस्तक नत होगा॥"

इधर उमड़े हुए जनसमूह से आवाज़ आई:—

"फटे हुए माताके अंचल को बढ़ कर सीने वाले!
तुझे बधाई है ओ, पागल! मर कर भी जीने वाले!!"

सिसकती हुई भारतमाता के भर्राये हुए कण्ठ से सुन पड़ा:—

"खूँ के हरफ़ों से लिखा जायेगा तेरा वाक़या।
मुझको भूलेगी न ये, पुरदर्द कहानी हाय! हाय!!"

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

———

उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक सनसनीदार पत्र

[सरदार भगतसिंह और श्रीसुखदेव भारत माता की गुलामी की जंजीर को तलवार के बल पे काटने का विश्वास रखने वाले केवल बाल-क्रान्ति के योद्धा ही न थे, वरन् राजनीति के दांव-पेंच जानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। जब कांग्रेस और वाइसराय में समझौते की बात शुरू हुई थी, तो सरदार भगतसिंह ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर अपने विचार प्रकट करते हुए देश के नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम जेल से एक सन्देश भेजा था। साथ ही श्रीसुखदेव ने भी एक लम्बा पत्र महात्मा जी के पास भेजा था। इन पत्रों की अनेक बातों से सहमत न होते हुए भी, इसे इसलिए प्रकाशित किया गया है कि राजनीतिक बातों को किस हद तक वे पहुँचते थे और इस लिए भी कि अपने अनुभव से उनके विचारों में क्या परिवर्तन हुए थे।]

सरदार का अन्तिम सन्देश

क्रान्तिकारियों के नाम

"प्यारे साथियो।

इस समय हमारा आन्दोलन अत्यन्त महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से गुज़र रहा है। एक साल के कठोर संग्राम के बाद गोलमेज़ कानफरेंस ने हमारे सामने शासन-विधान में परिवर्तन के सम्बन्ध में कुछ निश्चित बातें पेश की हैं, और कांग्रेस के नेताओं को निमन्त्रण दिया है कि वे आकर शासनविधान तैयार करने के काम में मदद दें। कांग्रेस के नेता इन हालात में आन्दोलन को स्थगित कर देने के लिये उद्यत दिखाई देते हैं। वे लोग आन्दोलन स्थगित करने के हक़ में फैसला करेंगे या उसके खिलाफ़ यह बात हमारे लिये बहुत महत्व नहीं रखती। यह बात निश्चित है कि वर्तमान आन्दोलन का अन्त किसी न किसी प्रकार के समझौते के रूप में होना लाज़मी है। यह दूसरी बात है कि समझौता जल्दी हो जाय या देर में हो।

समझौता क्या है ?

वस्तुतः समझौता कोई ऐसी हेय और निन्दा योग्य वस्तु नहीं है, जैसा कि साधारणतः हम लोग समझते हैं। बल्कि राजनीतिक संग्रामों का समझौता एक अत्यावश्यक अङ्ग है। कोई भी क़ौम जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, यह ज़रूरी है कि वह प्रारम्भ में असफल हो, और अपनी लम्बी जद्दोजहद के मध्यकाल में इस प्रकार के समझौतों के ज़रिये कुछ राजनीतिक सुधार हासिल करती जाय, परन्तु वह अपनी लड़ाई की आखरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते अपनी ताकतों को इतना संगठित और दृढ़ कर लेती है कि उसका दुश्मन पर आख़री हमला ऐसा ज़ोरदार होता है कि शासक लोगों की ताकतें उनके उस वार के सामने चकनाचूर होकर गिर पड़ती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त उसे दुश्मन के साथ कोई समझौता कर लेना पड़े। यह बात रूस के उदाहरण से भली भांति स्पष्ट की जा सकती है।"

१९०५ में रूस में क्रान्ति की लहर उठी। क्रान्तिकारी नेताओं को बड़ी भारी आशाएं थीं। लेनिन उसी समय विदेश से लौट आया था—जहां वह पहले भाग कर चला गया था। वह सारे आन्दोलन को चला रहा था। लोगों ने कोई दर्जन भर भूमिपतियों को मार डाला, और कुछ मकानों को जला डाला। परन्तु वह क्रान्ति सफल न हुई। उसका इतना परिणाम अवश्य हुआ कि सरकार कुछ सुधार करने के लिये बाधित हुई, और "ड्यूमा"—(एक प्रकार की पार्लमेंट) की स्थापना की गयी। उस समय लेनिन ने 'ड्यूमा' में जाने का समर्थन किया। पर १९०६ में उसी का उस ने विरोध शुरू कर दिया। परन्तु १९०७ में उसने दूसरी 'ड्यूमा' में जाने का समर्थन किया जिस के अधिकार बहुत कम कर दिये गये थे। इसका कारण यह था कि वह "ड्यूमा" को अपने आन्दोलन का एक "प्लेटफार्म" बनाना चाहते थे।

इसी प्रकार १९१७ के बाद जब जर्मनी के साथ रूस की संधि का प्रश्न चला, तो लेनिन के सिवा बाक़ी सभी लोग उस सन्धि के खिलाफ़ थे। परन्तु लेनिन ने कहा—"शान्ति, शान्ति और फिर शान्ति—किसी भी कीमत पर हो शांति। यहां तक कि यदि हमें रूस के कुछ प्रान्त भी जर्मनी के "वार लार्ड" को सौंप देने पड़े तो भी शान्ति कर लेनी चाहिये।" जब कुछ बाल्शेविक नेताओं ने भी उनकी इस नीति का विरोध किया तो उसने साफ कहा कि "इस समय बाल्शेविक सरकार जर्मनी का मुक़ाबला करने में असमर्थ है, और इस समय हमारा पहला काम लड़ाई से हट कर अपनी सरकार को मज़बूत करना है।"

जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि "समझौता" भी एक ऐसा हथियार है जिसे राजनीतिक, जद्दोजहद के बीच में पद पद पर इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है जिससे एक कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिये आराम मिल सके, और वह आगे युद्ध के लिये अधिक ताक़त के साथ तैयार हो सके। परन्तु इन सारे समझौतों के बावजूद जिस चीज़ को हमें भूलना न चाहिये वह हमारा आदर्श है, जो हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए। जिस लक्ष्य के लिये हम लड़ रहे हैं उसके सम्बन्ध में हमारे विचार बिलकुल स्पष्ट और दृढ़ होने चाहिये यदि आप सोलह आना के लिये लड़ रहे हैं, और एक आना मिल जाता है तो वह एक आना जेब में डाल कर बाकी पन्द्रह आने के लिये फिर जंग छेड़ दीजिए। हिन्दुस्तान के माडरेटों की जिस बात से हमें नफ़रत है वह यही है कि उनका आदर्श कुछ नहीं। वे एक आने के लिये ही लड़ते हैं, और उन्हें इसी लिये मिलता कुछ भी नहीं।"

कांग्रेस का उद्देश्य क्या है ?

इसके आगे सरदार जी ने अपने पत्र में इस बात की आलोचना की है कि भारत की वर्तमान लड़ाई ज्यादातर मध्यश्रेणी के लोगों के बलबूते पर लड़ी जा रही है। जिनका लक्ष्य बहुत सीमित है। कांग्रेस दुकानदारों और पूंजीपतियों के ज़रिये इंग्लैंड पर आर्थिक दबाव डाल कर कुछ अधिकार ले लेना चाहती है, परन्तु जहां तक देश की करोड़ों मजदूर और किसान जनता का ताल्लुक है, उनका उद्धार इतने से नहीं हो सकता। यदि देश को लड़ाई लड़ना हो तो मजदूरों, किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा, उन्हें लड़ाई के लिये संगठित करना होगा। नेता उन्हें अभी तक आगे लाने के लिये कुछ नहीं करते, न कर सकते हैं। इन किसानों को विदेशी हकूमत के जुए के साथ साथ भूमिपतियों और पूंजीपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है। परन्तु कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं है।

"इसीलिये मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के लोग सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं चाहते। सरकार पर आर्थिक दबाव डालकर वे कुछ सुधार और लेना चाहते हैं—भारत की धनी श्रेणी के लिये कुछ रियायतें और करा लेना चाहते हैं, और इसी लिये यह भी कहता हूँ कि कांग्रेस का आन्दोलन किसी न किसी समझौते या असफलता के रूप में खतम हो जायगा।"

नौजवानों का फर्ज

"इन हालात में नौजवानों को समझ लेना चाहिये कि उनके लिये वक्त और भी सख्त आ रहा है। उन्हें सावधान हो जाना चाहिये कि कहीं उनकी बुद्धि चकरा न जाय, या वे हताश न हो बैठें। महात्मा गान्धी की दो लड़ाइयों का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद वर्तमान हालात और अपने भविष्य प्रोग्राम के सम्बन्ध में साफ़ साफ़ नीति निर्धारित करना हमारे लिये अब ज्यादा ज़रूरी हो गया है।"

"क्रान्ति चिरंजीवी हो" की पुकार

"इतना विचार कर चुकने के बाद मैं अपनी बात अत्यन्त सादे शब्दों में कहना चाहता हूँ।

आप लोग "क्रान्ति चिरंजीवी हो" (Long live Revolution) को पुकार करते हैं। यह नारा हमारे लिये बहुत ही पवित्र है, और इस का इस्तेमाल हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिये।

हमारा लक्ष्य

जब आप नारे लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग वस्तुतः जो पुकारते हैं वही करना भी चाहते हैं। असेम्बली-बम्ब केस के समय हमने 'क्रान्ति' शब्द की व्याख्या की थी। 'क्रान्ति' से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना है। इस उद्देश्य के लिये हम पहले सरकार की ताक़त को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस समय शासन की मशीन धनियों के हाथ में है। सामान्य जनता के हितों की रक्षा के लिये तथा अपने आदर्शों को क्रियात्मक रूप देने के लिये—अर्थात् समाज का नये सिरे से संगठन **कार्लमार्क्स** के सिद्धान्तों के अनुसार करने के लिये हम सरकार की मशीन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के लिये हम लड़ रहे हैं। परन्तु इसके लिये हमें साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिये।"

शासन विधान की कसौटी

जिन लोगों के सामने इस महान क्रांति का लक्ष्य है, उनके लिये नये शासनसुधारों की कसौटी क्या होनी चाहिये इस पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है

"हमारे लिये निम्नलिखित तीन बातें किसी भी शासन-विधान की परख के लिये देखना ज़रूरी है—

१–शासन की ज़िम्मेवारी कहां तक भारतवासियों के सुपुर्द की जाती है।

२–शासन विधान को चलाने के लिये किस प्रकार की सरकार बनायी जाती है, और उसमें हिस्सा लेने का आम जनता को कहां तक मौक़ा मिलता है।

३–भविष्य में उस से क्या आशाएं की जा सकती हैं। उस पर कहां तक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।" इस सिलसिले में उन्होंने सर्वसाधारण को वोट देने का हक़ देने का समर्थन किया है।

पार्लामेन्ट के दो हाउसों के सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है कि क्योंकि भारतसरकार की 'कौंसिल आव् स्टेट' सिर्फ़ धनियों का जमघट है, और लोगों को फांसने का एक पिंजरा है इसलिये उसे हटाकर एक ही सभा—जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों रखनी चाहिये।

"प्रांतीय स्वराज्य" या "प्रांतीय ज़ुल्म" ?

"प्रान्तीय स्वराज्य" का जो निश्चय गोलमेज़ कांफ्रेंस में हुआ है उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार के लोगों को वहां सारी ताक़तें दी जा रही हैं उससे तो वह "प्रान्तीय स्वराज्य" न होकर "प्रान्तीय ज़ुल्म" हो जायगा।

"इन सब अवस्थाओं पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सब से पहले हमें सारी अवस्थाओं का चित्र साफ़ तौर पर अपने सामने अङ्कित कर लेना चाहिये। यद्यपि हम यह मानते हैं कि समझौते का अर्थ कभी आत्मसमर्पण या पराजय स्वीकार करना नहीं, किन्तु एक क़दम आगे और फिर कुछ आराम है। परन्तु साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिये, कि समझौता इससे अधिक भी और कुछ नहीं। वह अन्तिम लक्ष्य और हमारे लिए अन्तिम विश्राम का स्थान नहीं।"

इसके बाद उन्होंने अपने दल के लक्ष्य, और साधनों पर विचार किया है। "दल का नाम "सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी" है, और इस लिये इसका लक्ष्य एक सोशलिस्ट—या कम्युनिस्ट' सामाजिक सङ्गठन की स्थापना है।" कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद है कि जहाँ "राजनीतिक क्रान्ति से शासन-शक्ति अंग्रेज़ों के हाथों से निकल कर हिन्दुस्तानियों के हाथों में आजायगी उसका लक्ष्य हमारा शासन-शक्ति को उन हाथों के सुपुर्द करना है जिनका लक्ष्य कम्युनिज़्म हो।" इसके लिये मज़दूरों और किसानों को संगठित करना आवश्यक होगा। क्यूंकि उन लोगों के लिये लार्डरीडिंग या इरविन की जगह तेजबहादुर या पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास के आजाने से कोई भारी फ़रक न पड़ सकेगा।"

पूर्ण स्वाधीनता

पूर्ण स्वाधीनता से भी इस दल का यही अभिप्राय है। "जब लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया तो हम लोग पूरे दिल से इसे चाहते थे, परन्तु कांग्रेस के उसी अधिवेशन में महात्मा जी ने कहा कि "समझौते का दरवाज़ा अभी भी खुला है।" इसका अर्थ यह था कि वह पहले जानते थे उनकी लड़ाई का अन्त किसी इसी प्रकार के समझौते में होगा। वे पूरे दिल से स्वाधीनता की घोषणा नहीं कर रहे थे। हम लोग इसी बेदिली से घृणा करते हैं।"

कब तक ?

रहेंगी सुर्ख़ ख़ूने क़ौम से यह उँगलियाँ कब तक ?
क़लम से छिन्नमते शमशीर लोगे मेहरबाँ कब तक ?
हमारे दास्ताने ग़म को तसरीहे ग़लत टाँके।
हमारे क़िस्सये हसरत में रंगामेज़ियाँ कब तक ?
क़लम लो हाथ में लिख दो कि सब पर जुर्म साबित है।
करोगे बंगलये ख़शपोश में सरगोशियाँ कब तक ?
ज़ुबाँ उसे शिकम से आश्ना और हाथ में ख़ंजर।
ये ज़ाहिरदारियाँ ताके ये तारे ख़ूँफ़िशाँ कब तक ?
कहाँ तक सर झुका के ज़ालिमों के बूट खोलोगे।
बनोगे मुल्क़ो मिल्लत के लिये शोरे ज़ियाँ कब तक ?
कहाँ तक दीजियेगा इस्तयाले तबा के मौके।
हमारे वक़्त का फ़रमाइयेगा इम्तेहाँ कब तक ?

कार्य कर्ताओं की आवश्यकता

इसके बाद आपने नौजवानों से अपील करते हुए कहा है कि इस उद्देश्य के लिये उन्हें कार्यकर्ता बन कर निकलना चाहिए।

नेता बनने वाले पहले ही बहुत हैं। हमारे दल को नेताओं की आवश्यकता नहीं है। "अगर आप दुनियादार हैं, बाल-बच्चों और गृहस्थी में फंसे हैं, तो हमारे मार्ग पर मत आइये। आप हमारे उद्देश्य में सहानुभूति रखते हैं तो और तरीक़ों से हमें सहायता दीजिये। सख़्त नियन्त्रण में रह सकने वाले कार्यकर्ता ही इस आन्दोलन को आगे ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दल इस उद्देश्य के लिये छिप कर ही काम करे। हमें युवकों के लिये "स्वाध्याय मण्डल" (Study circle) खोलने चाहियें। पैम्फ़लेटों और लीफ़लेटों, छोटी पुस्तकों, छोटे छोटे पुस्तकालयों और लेक्चरों, बातचीत आदि से हमें अपने विचारों का सर्वत्र प्रचार करना चाहिये।"

सैनिक विभाग

"हमारे दल का एक सैनिक विभाग भी संगठित होना चाहिये। कभी कभी इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी स्थिति ज्यादा साफ़ कर देना चाहता हूँ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसमें ग़लतफ़हमी की सम्भावना है। परन्तु आप लोग मेरे शब्दों और वाक्यों का कोई गूढ़ अभिप्राय न ढूंढें।"

"यह बात प्रसिद्ध ही है कि मैं आतङ्ककारी (Terrorist) रहा हूँ, परन्तु मैं आतङ्कारी नहीं हूँ। मैं एक क्रान्तिकारी (Revolutionary) हूँ, जिसका कुछ निश्चित विचार और निश्चित आदर्श है—जिसके लिये लम्बा प्रोग्राम है। मुझे यह दोष दिया जायगा, जैसा कि लोग रामप्रसाद बिस्मिल को भी देते थे, कि फांसी की कालकोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों में भी कोई परिवर्तन आ गया है। परन्तु ऐसी बात नहीं। मेरे विचार अब भी वही हैं, मेरे हृदय में अब भी उतना ही और वैसा ही उत्साह है, और यही लक्ष्य है जो जेल से बाहर था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम बम और पिस्तौल के उपायों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ़ व्यर्थ है, परन्तु बहुतबार हानिकारक भी है।" उस की आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही पड़ा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य मज़दूरों और किसानों का संगठन होना चाहिये। सैनिक विभाग युद्ध सामग्री को किसी ख़ास मौके के लिये केवल संग्रह करता रहे।"

अन्त में नौजवानों से सोशलिस्ट रिपब्लिक के आदर्श के लिये उत्साह पूर्वक अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि "यदि वह इसी प्रकार प्रयत्न करते जांयगे तब जाकर—'एक साल में स्वराज्य' तो नहीं—किन्तु भारी कुर्बानी और त्याग की कठिन परीक्षा में से गुज़रने के बाद वे अवश्य विजयी होंगे। 'क्रांति चिरञ्जीवी हो'।

श्री सुखदेव ने यह खुली चिट्ठी महात्मा जी के नाम गांधी-इरविन समझौते के बाद लिखी थी। इसमें समझौते के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे। चिट्ठी का सबौरा देना कठिन है—इस लिये हम पाठकों के लिये उसके मुख्य मुख्य अंश देना चाहते हैं। यह भी मूल अंग्रेज़ी की चिट्ठी का अनुवाद है।

"अत्यन्त आदरणीय महात्मा जी"

हाल के समाचारों से मालूम हुआ है कि शांति की बातचीत के सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद आपने खुले आम क्रान्तिकारियों से एक अपील की है कि कम से कम वे अभी कुछ देर के लिये अपना आन्दोलन बन्द कर दें, और आप को अपने अहिंसावाद के सिद्धान्तों को इस्तेमाल कर देखने का मौक़ा देवें।

किसी भी आन्दोलन को बन्द करने के लिये उस समय की मौजूदा हालात पर विचार करना आवश्यक होता है, या दूसरे अल्फ़ाज़ों में यह केवल पैंतरा बदलने का दूसरा नाम है।

अस्थायी समझौता

हमें यह मान लेना चाहिये कि आप ने शांति की बातचीत के दर्मियान में एक क्षण भर के लिये भी इस बात को भुलाया नहीं कि यह समझौता कोई आख़री समझौता नहीं है। सभी समझदार आदमी इस बात को स्वीकार करेंगे कि नये शासन-सुधारों के मिलने के बाद भी यह नहीं समझा जायगा कि हम आख़री मंजिल पर पहुँच गये हैं। कांग्रेस अपने लाहौर के प्रस्ताव से बंधी हुई है कि पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक वह अपनी कोशिशें जारी रखेगी। उस प्रस्ताव की मौजूदगी में शांति और समझौता एक अस्थायी वस्तु ही समझी जानी चाहिये, जिस का अर्थ है कि लोगों को कुछ विश्राम मिल जाय ताकि वे भावी युद्ध के लिये ज्यादा ताकत इकट्ठी और संगठित कर सकें। सिर्फ़ इन्हीं शर्तों पर समझौता—या अस्थायी समझौते का समर्थन किया जा सकता है। किस वक्त कैसा अस्थायी समझौता किन शर्तों पर करना चाहिये इसका निर्णय आन्दोलन के नेताओं पर ही निर्भर है। लाहौर कांग्रेस के भिन्न सूरत प्रस्ताव रहते भी यद्यपि आप ने यह समयोचित समझा है कि आन्दोलन को फ़िल हाल रोक लिया जाय, तो भी वह प्रस्ताव अभी तक भी क़ायम है। इसी प्रकार हमारी "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" के नाम से ही जैसा स्पष्ट है, क्रांतिकारी 'सोशलिस्ट रिपब्लिक' के स्थाप के लिये कोशिश कर रहे हैं, और जब तक उस आदर्श को हम प्राप्त न कर लें, हम अपना आन्दोलन जारी रखने के लिये मजबूर हैं। हां, यह ठीक है कि हालत में परिवर्तन होने के साथ हम अपने कार्य्य की दिशा या पैंतरा बदलने के लिये तैयार रहेंगे। क्रांतिकारी आन्दोलन भिन्न भिन्न समयों में भिन्न पार्टी के हमारे साथी जो अख्तियार करता है। यह कभी खुले आम होता है, कभी गुप्त, कभी सिर्फ़ आन्दोलन मात्र के रूप में रह जाता है, और कभी जीवन और मौत की जद्दो-जहद की सूरत अख्तियार कर लेता है। इन अवस्थाओं में कुछ खास हालात मौजूद होने चाहियें, जो क्रांतिकारियों को अपने कार्य्य की दिशा बदलने की प्रेरणा करें, या उन्हें अपना आन्दोलन वापस लेने के लिये मजबूर करें परन्तु आपने ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं रखी।"

कैदियों का प्रश्न

"समझौते के बाद आपने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है, और आपके सब कैदी तो छोड़ दिये गये हैं, परन्तु हमारे क्रांतिकारी कैदियों के बारे में आप क्या कहते हैं? दर्जनों गदर कि १६१५ में कैद किये गये थे, आज तक जेल की काल-कोठरियों में रो रहे हैं। हालांकि वे अपनी पूरी सज़ा भुगत चुके हैं। कई सौ मार्शल-ला के कैदी ज़िन्दा कब्रों में गड़े पड़े रहे हैं, कोई दर्जन भर बब्बर अकाली कैदी, देवघर और काकोरी के कैदी, लाहौर और देहली षड्यन्त्र केस के सज़ा पाये हुये आदमी, सीकचों के पीछे बन्द पड़े हैं। कोई आधे दर्जन षड्यन्त्रों के मुकद्दमें अभी चल ही रहे हैं—और दर्जनों पुरुष और स्त्रियां बिचारे फ़रार कहे जाकर जगह जगह भागते फिरते दुख उठा रहे हैं। इनके अलावा आधे दर्जन से ज्यादा आदमी फांसी की कोठरियों में पड़े हुए अपने फांसी पर लटकाये जाने की बाट जोह रहे हैं। इन सबके बारे में आप हमारी तसल्ली किस प्रकार करते हैं?

अपने बारे में

"लाहौर षड्यन्त्र केस के तीन फांसी की सज़ा पाये हुए कैदी जनता की नज़रों में बढ़कर ज्यादा मशहूर हो गये हैं, और जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सके हैं, परन्तु सिर्फ़ वही अकेले सारा क्रांतिकारी दल नहीं हैं। केवल उनका भाग्य ही एक विचारणीय वस्तु नहीं है। असल बात तो यह है कि मेरे विचार में उनका फांसी पर लटकाया जाना मुल्क के लिये ज्यादा फ़ायदेमन्द होगा बजाय उनकी फांसी की सज़ा को मंसूख होजाने के।"

परन्तु इस सब के बावजूद आप उन्हें अपना आन्दोलन वापस लेने के लिये कह रहे हैं। वे ऐसा क्यूं करें? आपने हमारे सामने ऐसी कोई ठोस बात नहीं रखी—ऐसे हालत में आपकी अपील का मानने का अर्थ उनके लिये यह होगा कि वे अपने साथियों के साथ विश्वासघात और दगा करें, उन्हें छोड़ कर पीछे हट जाँय। आपके लिये उन्हें आम जनता में अपील करने के स्थान पर ज्यादा अच्छी बात यह होती कि आप कुछ प्रमुख क्रान्तिकारियों से अलग मिल कर उन्हें अपनी बात पर यकीन करा देते कि हमारे लिये आन्दोलन को इन हालात में बन्द करना कैसे सम्भव और ज़रूरी हो सकता है?

मेरा ऐसा ख्याल नहीं कि आप भी और आदमियों की तरह ऐसा मानते हैं कि क्रान्तिकारी सब प्रकार के तर्क वितर्क से शून्य हैं, और वे किसी तर्क को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। या वे केवल सर्वनाश और प्राणिसंहार में ही आनन्द लेने वाले हैं। आपको हम बतला देना चाहते हैं कि बात बिलकुल उलटी है। क्रान्तिकारी जो क़दम रखते हैं बहुत सोच विचार के बाद रखते हैं, और हमेशा दूसरों के तर्क वितर्क को सुनने और समझने के लिये तैयार रहते हैं। वे उस ज़िम्मेवारी से भी खूब वाक़िफ़ हैं जो वे अपने ऊपर लिये हुए हैं, और वस्तुतः वे रचनात्मक कार्य्य को विनाशात्मक कार्य्य से ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं।"

इसके बाद अपने सोशलिस्ट रिपब्लिक स्थापना के आदर्श की व्याख्या करते हुए श्री सुखदेव ने लिखा है—"परन्तु इस आदर्श को सामने लक्ष्य में रखते हुए और वर्तमान हालात को देखते हुए हमें कोई बात ऐसी मालूम नहीं होती कि हम अपने आन्दोलन को वापस ले सकें।"—"क्रान्ति चिरंजीवी हो।"

भगतसिंह की याद में—

वो रखते हैं दिल में गुमाँ कैसे कैसे,
दिये हमने गो इम्तिहाँ कैसे कैसे।
भगतसिंह को देखकर चर्ख़ बोला,
दिखाये ज़मीं ने जवाँ कैसे कैसे।
कहा रूहे-मजनूँ ने मस्ती में आकर,
मुहब्बत के छोड़े निशाँ कैसे कैसे।
कहा महरमे-राज़ मन्सूर ने यूँ,
खिंचे दार पर राज़दाँ कैसे कैसे।
पुकारे वे नामा धराने ज़माना,
मिटे नामियों के निशाँ कैसे कैसे।
वतन के दुलारे तड़प कर पुकारे,
वतन के भी हैं पासबाँ कैसे कैसे।
ये लन्दन की गलियों में आवाज़ गूँजी,
हैं भारत के शीरें-ज़बाँ कैसे कैसे।
किशन सिंह ने कह के सबको रुलाया,
लिये दाता ऐ आसमाँ कैसे कैसे।
कहा रोके भारत ने, छीने गये हैं—
मेरे लाल, मेरे जवाँ कैसे कैसे।
पुकारा भगतसिंह के लाशे पै हसरत,
मिटे अहले हिन्दोस्ताँ कैसे कैसे।

—लाला दीनानाथ

अपने एक मित्र के नाम

सरदार भगतसिंह का पत्र

सरदार भगतसिंह ने गत नवम्बर मास की २४ तारीख़ को निम्न लिखित पत्र अपने एक मित्र के नाम लिखा था:--

प्यारे भाई!

मैं ने आपका पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि समय तथा परिस्थिति दोनो ने हम पर जुदा जुदा प्रभाव डाला है। वही बातें हैं जिनसे आप बाहर घृणा किया करते थे और अब आप उनके बग़ैर रह नहीं सकते! जिन बातों को बाहर मैं महत्वपूर्ण समझता था, वे अब कुछ मूल्य नहीं रखतीं। जैसे मैं व्यक्तिगत प्रेम का कट्टर पोषक था, परन्तु अब मैं उसका इतना समर्थक नहीं हूँ। बाहर आप इस का विरोध किया करते थे, परन्तु अब आप इसे अनुभव करते हैं।

आत्मघात

आपको याद होगा, एक बार हम दोनों में आत्मघात के सम्बन्ध में विवाद छिड़ा था। मैं ने कहा था कि कुछ हालतों में इसे उचित माना जा सकता है, परन्तु आपने इसका भारी विरोध किया था। आपने कहा था कि यह भीरुता है। और भीषण कर्म है. परंतु आज आप इसे ज़रूरी समझते हैं। मेरा विचार इस प्रकार है।

सेवा और त्याग

आत्मघात एक भीषण काण्ड है और परले दर्जे की भीरुता है। क्रान्तिकारी तो क्या इसे कोई भी आदमी उचित नहीं कहेगा। आप जानते हैं—हम नौजवान भारत सभा के आदर्श वाक्यों का कितना गान करते थे। सेवा करना सहिष्णुता और त्याग करना हमारा लक्ष्य था। मैं मानता हूँ,—आप जितनी सेवा कर सके वह की। अब समय है कि हमने जो कुछ किया है उसके लिए कष्ट सहें। यह दूसरा दर्जा है। एक आदमी एक काम को उचित समझ कर करता है जैसा कि हम ने एसेम्बली में बम फेंका था। क्या आप समझते हैं कि दुखों से बचने के लिए दया की भिक्षा मांगना हमारे लिये श्रेयस्कर था। कदापि नहीं। इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ता। अब हम अपने कार्य्य में सफल हैं। अर्थात् अब हम अपनी अपनी बलि देने को तय्यार हैं। हममें से जिनको यह आशा है कि उन्हें प्राण दण्ड की आज्ञा मिलेगी वे इसकी बाट जोहें। यह मौत भी शानदार होगी। परन्तु दुखों से बचने के लिए आत्मघात करना केवल भीरुता है। मैं यह कहूँगा कि दुख मनुष्य को सफलता की ओर ले जाते हैं।

रूस और भारतवर्ष

हमने कई बार इस पर विचार किया है कि रूस के साहित्य में जो गांभीर्य है; वह भारत के साहित्य में नहीं। उनकी कथाओं में जो दर्द है हम उसे पसन्द करते हैं; परन्तु उसे अनुभव नहीं करते। कारण? हम उनके चरित्रों को सराहते हैं; परन्तु कारण देखने को परवाह नहीं करते। मैं आप को बताऊँगा—यह कष्ट—सहिष्णुता ही थी, जिससे इनके चरित्र और साहित्य में दर्द उत्पन्न हुआ। हमारी स्थिति दयाजनक है। हम विचारों को जीवन में, प्राकृतिक और सुन्दर चीजों के बिना ही पालना चाहते हैं। केवल जेलों में यह अवसर मिलता है कि अपराध जैसे सामाजिक दोष पर विचार किया जा सके। इस विचार और स्वाध्याय का सर्वोत्तम साधन है व्यक्तिगत तकलीफें। आप जानते हैं कि रूस में इन राजनीतिक कैदियों के कष्ट ही थे जिससे वहां के साहित्य में और जेल व्यवस्था में परिवर्त्तन आया। क्या भारत को ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं जो इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभव रखते हों! मैं कहता हूँ कि मार्क्स ने साम्यवाद की बुनियाद नहीं रखी। यूरोप की यह शिल्प संबंधी क्रांति थी जिसने एक विशेष प्रकार के सोचने वाले आदमी—मार्क्स, को पैदा किया। अपितु यह समय का प्रभाव था। जब हमने एक भारी काम आरम्भ किया तो उसे चालू रखना चाहिए। आप कहते हैं कि जेल के १४ वर्षीय जीवन के बाद क्या एक आदमी से यह आशा की जा सकती है कि वह उन्हीं विचारों का पोषक हो जिनका वह जेल जाने से पूर्व था? मैं पूछता हूँ कि क्या बाहर का वातावरण हमारे अनुकूल था? क्या हमने नाकामी और निराशा की स्थिति में काम नहीं किया? यदि लेनिन आप की तरह सोचता तो प्रारंभ में ही आत्मघात कर जाता। आज आप देखते हैं कि असंख्य क्रान्तिकारी जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग निर्वासन अथवा जेल की कालकोठरियों में काटा, अपने २ देशों में जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात जिस की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है-कि हम लोगों को जिनका ईश्वर, आवागमन, नर्क, स्वर्ग आदि पर कोई विश्वास नहीं, जीवन और मौत के मामले में साफ-साफ होना चाहिये। मैं आज कल अपने सम्बन्ध में क्या सोचता हूँ, यह भी आप को बता दूं। मुझे प्राण दण्ड का पूर्ण विश्वास है। वास्तव में मुझे किसी क्षमा की आशा नहीं। संभव है, पूर्ण और आम मुआफी न हो। और यह भी संभव है, कि वह बाद में परिमित कर दी जाँय। परन्तु हमारे लिए वह मुआफी न होगी और न हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी रिहाई की मांग देश व्यापी हो। और मैं यह भी चाहता हूँ, कि इसी आन्दोलन युग में हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाय। यद्यपि मेरी इच्छा है कि हमारी तरह व्यक्तिगत प्रश्न किसी मानपूर्ण समझौते में बाधक न हो यदि ऐसा समझौता संभव हो तो व्यक्तियों को उस पर निछावर किया जा सकता है। मैं अपने गत अनुभव से कह सकता हूँ कि हमारे शासकों में ऐसा परिवर्तन आना संभव नहीं।

भाई के नाम पत्र

भाई को मातम न मनाने का आदेश

सेण्ट्रल जेल लाहौर से सरदार भगतसिंह ने अपने छोटे भाई के नाम जो अन्तिम पत्र लिखा इस प्रकार है—प्यारे कुलतारसिंह! आज तुम्हारी आँखों में आंसू देख कर बहुत रञ्ज हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त न हुए। प्यारे भाई हिम्मत से तालीम हासिल करते जाना और सेहत का ख्याल रखना। और क्या लिखूं, हौसला रखना, सुनो:--

भारत माता के आँसू!

किससे सुनाऊँ जाके मैं दुखड़ा व ज़ार हैफ़,
पेशे नज़र है हश्र का नक़शा हज़ार हैफ़!
क्योंकर इलाजे-दर्दे-जिगर का हो चारागर,
मुर्दा पड़ा है मेरा मसीहा हज़ार हैफ़!
दुख और आँसुओं के समन्दर में हाय-हाय,
जाता है छोड़ कर मुझे तनहा हज़ार हैफ़!!
होता है वक्ते-बदी कोई कब शरीके ग़म,
लेता है दर्द कौन किसी का हज़ार हैफ़!
तेरी फ़िज़ा से भी मेरी काया पलट गई,
मुझको कहेगा इक जहाँ दुखिया हज़ार हैफ़!
जो गुल खिले न थे वो ख़िज़ाँ आशना हुए,
कुम्हला गये है आरिज़े—ज़ेबा हज़ार हैफ़!
दरिया की मौज, मौज पटकती है अपना सर!
पानी में बह गया गुले राना हज़ार हैफ़!!
रोती है ज़ार ज़ार तमन्ना-ए दिल मेरी!
उठता है आरज़ू का जनाज़ा हज़ार हैफ़!!
'आसी' से दाग़े-ज़ख़्मे जिगर कुछ न पूछिये,
छलनी बना हुआ है कलेजा—हज़ार हैफ़!!

—कविवर 'आसी' लाहौरवी

उसे यह फ़िक्र है हर दम नई तर्जे-जफ़ा क्या है,
हमें यह शौक है देखें सितम की इन्तेहा क्या है॥
दहर से क्यों खफ़ा रहें, चर्ख़ का क्यों गिला करें,
सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें॥
कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफ़िल,
चिरागे सेहर हूँ, बुझा चाहता हूँ॥
आबोहवा में रहेगी, ख्याल की बिजली।
ये मुश्ते खाक है फानी-रहे रहे न रहे
अच्छा, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं।

आनन्द से रहना।

तुम्हारा भाई—भगतसिंह

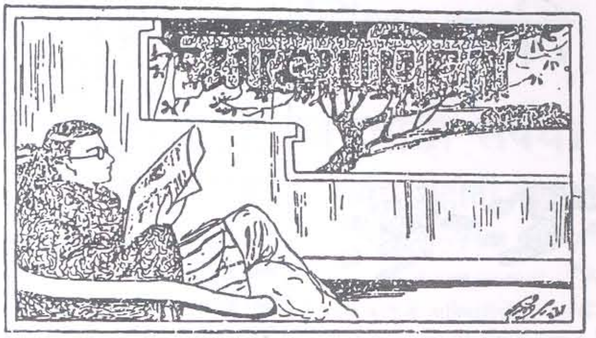

'मैं निहलिष्ट हूँ'

(१)

रूस में, देश भर में अशान्ति फैली थी। निहलिष्टों के झुंड के झुण्ड पकड़ कर फाँसी पर लटका दिये जाते थे या आजन्म कालेपानी की सज़ा दे दी जाती थी। ज़ोर का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता चला जाता था। विद्यार्थियों में एक अजीब अशान्ति फैली थी। क्रान्तिकारी पकड़े जाते, मुक़दमा चलाया जाता, अपने को वे बचाते न थे। मुक़दमा न लड़ते थे। हर एक यह कहते थे कि मैं निहलिस्ट हूँ।

(२)

मास्को में जो रूस की राजधानी थी एक स्कूल था। इस स्कूल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। यहां तक कि नवीं कक्षा में दो बालक भी पढ़ते थे—जिनका कि नाम निकोलाई तथा फ्रावास था। वे दोनों अभिन्न मित्र थे। पढ़ने में भी फ्रावास प्रथम तथा निकोलाई द्वितीय रहते थे। फ्रावास एक शहर के मामूली प्रोफेसर का लड़का था निकोलाई एक बड़े रईस का बालक था। फ्रावास इन निहलिष्टों की बड़ाई करता था तथा निकोलाई उनकी बुराई करता था। उन दोनों में अगर कोई बात पर बहस होती तो आज़ादी के दीवानों पर। एक दिन एक साथ दस निहलिष्टों को फाँसी की सज़ा हो जाने की ख़बर नगर भर में फैल गई। स्कूल के आधे लड़कों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल करने वालों का नेता फ्रावास था। निकोलाई ने हड़ताल नहीं की थी।

(३)

दूसरे दिन स्कूल खुला। जब फ्रावास को मालूम हुआ कि निकोलाई हड़तालियों में न था तब वह बड़ा नाराज़ हुआ, उस दिन वह निकोलाई से बोला तक नहीं। छुट्टी के घंटे में निकोलाई ने फ्रावास को बुलाया। फ्रावास ने कहा कि आज शाम को शैफील्ड पार्क में मिलना, मुझे प्रिन्सिपल ने कुछ काम के लिये बुलाया है।

(४)

"तुमने आज हड़ताल करनेमें बहुत मदद दी थी ?

मैंने ऐसा अवश्य किया था। इतनी बड़ी हड़ताल कर देने का अपराधी मैं ही हूँ। आप और किसी को सज़ा न दीजिये।"

"धृष्ट ! तुझ को ऐसा कहने से डर नहीं लगता, प्रोफेसर साहब का ख़याल कर के तुझे सज़ा न देकर दूसरे को सज़ा दूँगा। तू माफी मांग ले।"

"जीते जी तो माफी न मांगूँगा। चाहे आप जो सज़ा दीजिये

"अरे बेवकूफ़ ! तेरे पिता प्रोफेसर साहब पर भी आफ़त आजायगी।"

"परन्तु मैं माँफी न मागूँगा।"

"खाने को तरसेगा।"

"कुछ परवाह नहीं।"

"जेल में ठूँस दिया जायगा।"

"बड़ी ख़ुशी की बात है।"

ऊपर लिखा वार्त्तालाप फ्रावास तथा स्कूल के प्रिन्सिपल के बीच में हो रहा था। प्रिन्सिपल चाहता था कि फ्रावास माफी मांग ले परन्तु वह तो हिमाचल के समान दृढ़ निश्चय था। किसी भी डर से डरा नहीं। प्रिन्सिपल साहब सर पटक कर रह गये।

'तो तुम स्कूल से निकाले जाओगे।'

'माफ़ी न मांगूँगा चाहे जो हो।'

'अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है।'

'माफ़ी न मागूँगा। मैं निहलिष्ट हूँ—निहलिष्ट।"

"तो तुम स्कूल से निकाले जाओगे।"

'ख़ुशी से।'

(५)

'तो तुमने हड़ताल न की थी ?'

'हड़ताल क्यों करता।'

उन दस आज़ादी के दीवाने निहलिष्टों की फाँसी के प्रतिवाद में।'

'ऐसे रोज़ मरते हैं, रोज़ कहाँ तक हड़ताल करें।'

'हर एक लोग इस संसार में आये, ज़ार की आधीनता स्वीकार की और नौकरी करके मर गये पर यह वीर तो देश के लिये मरे। उन हज़ारों किसानों की सेवा में मरे जो कि गांवों में भूखों मरते हैं। देश की आज़ादी के लिये मरे। मैं स्कूल से निकाला गया हूँ। आओ हम सब मिल कर इस ज़ार के अत्याचारी शासन को मिटा दें।

तुम पागल हो। धन कमा लो। खाने को इकट्ठा कर लो नहीं तो फिर पछताओगे। जब खाने को हो जाय तब कुछ काम करो।

'हां ख़ूब कहते हो। उन किसानों के ख़ून को चूस लो उनको जीता ही मार डालो। उनके सिरतोड़ परिश्रम से कमाया हुआ धन ख़ूब लूटो। शर्म नहीं आती ? कहा मानो। धन कमाओ बेवकूफी मत करो, उल्लू न बनो।'

ऊपर लिखी बातें फ्रावास तथा निकोलाई के बीच में शाम को शेफील्ड पार्क में हो रही थी। उसके बाद निकोलाई अपने घर को चला और फ्रावास अपने।

"क्या नौजवानो ! तुम इस बात को सहन कर सकते हो।"

मास्को की एक अंधेरी गली में एक गंदे मकान में कोई चालीस नवयुवक बैठे हैं। उनमें एक नवयुवक खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा है: यह नवयुवक फ्रावास है। उसने फिर कहना शुरू किया।

"भाइयो आप तो सब जानते हैं ! इस अत्याचारी ज़ार के एक मुट्ठी भर सरदारों ने सारे रूस को सत्यानाश कर दिया है। उन बेचारे किसानों को टैक्स से लाद कर, उन्हें भूखों मार कर ख़ूब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। इस दशा में आप लोगों का कर्त्तव्य है कि उनका उद्धार करें। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिये ?

'तैयार हूँ' सबों ने एक स्वर से कहा !

अब वह एक मामूली स्कूल का बालक न था। अब वह बत्तीस वर्ष का एक युवक था। उसके रग रग में देशभक्ति की लहर दौड़ रही थी। किसानों को एक लेक्चर देने के कारण वह पाँच वर्ष की सज़ा काट कर लौटा था अब वह जैसा कि उसने निकोलाई से कहा था कि मैं निहलिस्ट होना चाहता हूँ वैसा न था अब तो इसके हृदय में केवल एक आकांक्षा थी। वह थी देश को आज़ाद करने की। उसने फिर कहना शुरू किया :—

अगर तैयार हो तो शपथ खाओ कि हम इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये अपने माता, पिता, भाई, बहिन, स्त्री, मित्र तथा सब कुछ छोड़ दूँगा।"

सबों ने इसे दुहरा कर शपथ खायी। फ्रावास ने फिर कहा 'अगर मैं पार हो तो शपथ खाओ कि हम इस महामंत्र को पूर्ण करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे।

सबों ने शपथ को दुहराया और तब फ्रावास ने सब को बिदा दिया।

निकोलाई एक सजे सजाये कमरे में बैठा है। वह अब एक नवीं क्लास का विद्यार्थी नहीं रहा। अब तो वह एक बड़ा भारी नोबल है। मास्को का सब से रईस वकील है। वह अब मास्को का चीफ़ जज होने वाला है। वह एक पुस्तक हाथ में लिये है परन्तु उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। वह रह रह कर दरवाज़े की तरफ़ देखता है। शायद किसी की बाट जोह रहा हो। इतने में एक चपरासी एक चिट्ठी ले कर आया। इस पर ज़ार एलेक्ज़ेण्डर द्वितीय की मोहर थी। निकोलाई ने उग्रता से चिट्ठी खोला। पढ़ कर के चेहरा खिल उठा। इस चिट्ठी में वह रूस भर की सब अदालतों का लार्ड चैंसलर यानी चीफ़ जज बना दिया गया था। थोड़ी ही देर बाद उसका कमरा बधाई देने वालों से भर गया। बधाइयों के बोझ से हो वह दबने लगा। उसने दूसरे दिन एक बाल देने की घोषणा की तथा एक भोज भी। लोग ख़ुशी ख़ुशी घर लौटे। वह भी भोजन करके शय्या

(शेष ३८ वें पेज पर)

सिंहजी के चुटकुले

किसी कवि ने निम्न लिखित दोहा लिखा है:--

सब मानें देखी, सुनी कही न माने कोय।
अन्तर अँगुरी चार का सांच झूठ में होय॥

सब लोग देखी को सच मानते हैं। कही और सुनी को झूठ समझते हैं, इस बात के अपने राम कदापि भी कायल नहीं है। क्योंकि अनादि काल में सुनी और कही का ही महत्व था उस समय लेखन कला की लीला ही नहीं थी। इसके प्रमाण में काकभुशुण्डिजी ने गरुड़ से और व्यासजी ने शौनकादि अठासी हज़ार ऋषियों से नैमिषारण्य में कहा और सुना ही था। उस सुनी और कही को सभी लोग मानते हैं और शास्त्र, पुराण, उपनिषद तथा हमारी स्मृतियों का निर्माण इसी से हुआ है।

* * *

तब भगतसिंह को सब लोग भगत और सिंह कहें तो उसके मानने में बावन तोला पाव रत्ती पूरा सच मानना चाहिये। वे गौ मुखी में हाथ डाल कर लक ध्यान नहीं लगाते थे। द्वादश तिलक लगा कर परम वैष्णव भगत न थे। शंख चक्र के चक्कर में न पड़े थे। सौर, शाक्त में उन्होंने गणना नहीं कराई थी। वे किसी मठ मन्दिर के पुजारी व महन्त न थे। न भक्त माल की माला में गुहे जाने की उन्हें हविस थी। वे देश के भगत, देश की दुर्दशा से उनका हृदय पत्थर से पानी हो गया था। छोटे छोटे बच्चों को बिना अन्न वस्त्र के ललकते देख उनका कलेजा फट जाता था। अन्यायियों और आततायियों के उपद्रवों की बढ़ती उन्हें रात दिन चैन न लेने देती थी। इसी से वे देश के, राष्ट्र के भगत ही नहीं सच्चे भक्त थे।

* * *

जो चींटी से हाथी तक, बालक से वृद्ध तक मनुष्य पशु प्राणी मात्र के दुःख में दुःखी होते थे तब उन्हें सब का भक्त न कहा जाय तो क्या किसी खास का। वह भगतसिंह भगत था और सच्चा भगत था अपनी देश भक्ति में वह मस्त था।

* * *

सिंह होने में आज तक उसके विषय में किसी ने शंका नहीं की। एसेम्बली में बम का धड़ाका होना और लोगों को उस धुआँधार से भाग लेकर भागने में उसे सिंह के समान अपने स्थान में खड़ा रहना क्या उसको सिंहार होना साबित करता है। जिस प्रकार सिंह के सामने वन में बड़े बड़े पराक्रमी थर्राते हैं उसी प्रकार उसके सामने जाने में बड़े बड़े अफसर अपने आतंक पूर्ण दल के साथ जाने से भी काँपते थे।

* * *

लोग कहते हैं वह व्रती था। यही बात मेरी समझ में नहीं आई। जिसने कभी भी जन्माष्टमी, शिवरात्रि, एकादशी और रामनवमी का नाम न लिया होगा उसे व्रती कहना क्या उस पर कलंक लगाना नहीं है। कसम सनातन धर्म की यदि वे इस संसार में होते तो ऐसा कहनेवालों पर धर्मराज के इजलास में मानहानि का दावा दायर किये बिना न रहते। बंदा भी उनका ऐसा पैरोकार होता कि उन पर उंगली उठाने वालों का सिर गर्दन के ऊपर करा देता। क्योंकि उन्होंने व्रत के नाम से अमिरती, पेड़े सिंघाड़े के लड्डू, मखाने की खीर और मेवे आदि के फलाहारों को अपने पास कभी फटकने ही नहीं दिया था।

* * *

यदि अन्याय होते देख, जेल के दुर्व्यवहारों के कारण अनशन कर ही दिया हो जैसा कि लोग कहते हैं तो इसे अपने राम व्रत तो कहते नहीं हां वीर वृत्ति अवश्य कही जायगी। जिस एक दिन के निराहार व्रत में बड़े बड़े भगतों की दुनिया तंग हो जाती है उस निराहार को महीनों एकसा कायम रखना क्या किसी ऐरे गैरे पंच कल्याणी का काम है? यह अजीतसिंह के वंशज का ही काम है जिसे अब तक कोई न जीत सका।

* * *

अब तक भारत में जितने वाइसराय आये प्रायः सबों ने यहां के नामी नामी जंगलों में शिकार खेले। राजा महाराजाओं से भेंट की सब की सहानुभूति एवं भेंट पूजा (डाली) भी प्राप्त की। परन्तु भगतसिंह सरीखे नामी सिंह का शिकार खेलने का सौभाग्य हमारे दयालु हृदय अरविन महोदय को ही प्राप्त हुआ! क्यों न हो इस खूंखार वनराज को उस दिन लाहौर जेल के पींजड़े में ही पंजाब की नामी नामी फौज और पुलिस के घेरे में शिकार कर नौकर शाही की नींव को खिसकते खिसकने बचा लिया। क्यों न हो बहादुरी हो तो ऐसी ही हो।

* * *

इस बहादुरी के लिये विलायत के चर्चिल आदि चर्चा भले ही न करें; परन्तु यहाँ के पाँच लाख से ऊपर हृदय तो बहादुरी की पीठ ठोंकते ही हैं और करोड़ों लोग तो यह कहते हैं कि ऐसा बहादुर, जवाँमर्द, वाइसराय न तो कभी आया है और न आवेगा। जो हो अपने राम तो कभी किसी बहादुर को देखे भी नहीं। कभी कभी शिकार खेलने का मन होता है तो दिल्ली के किले से जाकर किसी शैतान मक्खी को वहां की तोप से ऐसा मारते हैं कि चारो खाने चित्त हो जाती है।

* * *

लोग कहते हैं "मरे को मारैं शाह मदार"। यह बात तो मोटी बुद्धि वालों की समझ शरीफ में नहीं आती। "हां डरौ, डरवै डरपन हारा" की कहावत अलबत्ता जंचती है। भगतसिंह के फांसी दे देने पर उनकी लाश से भी सरकार डरती ही रही! कसम ईसा मसीह की उस दिन हिन्दुस्थान की सिविल कानूनों में सियापा पड़ गया था! और कहां तक कहा जाय औरंग वंश का वृद्ध से बाला तक वंगलों से न निकला।

* * *

जो हो नौकर शाही ने लाश तक को किसी को नहीं दिखलाई! उसे भय था कि मुर्दा सूरत देख कर कहीं ज़िन्दा का ध्यान लोगों में न आ जाय और मेस्मेरिज़्म से कहीं लोग उसकी आत्मा को बुला कर उससे उपदेश न ग्रहण करने लग जांय। सूझ तो दूर की है, परन्तु यार हमारे वी० डी० ऋषि इस विद्या में ऐसे प्रवीण है कि पचासों वर्ष की इस लोक से गई हुई आत्माओं को सातवें लोक तक से मिनिटों में बुला लेते हैं। इतना ही नहीं प्लेन चेट से पेज के पेज लिखवा लेते हैं। ऐसी दशा में चाहिये कि हमारे ऋषि जी को हिन्दुस्थानियों के बीच से सदैव के लिये अलग कर दिया जाय और लन्दन में यावज्जीवन रहने का समुचित प्रबंध कर दिया जाय।

* * *

नहीं तो कहीं भगतसिंहजी तीन पाँव की तिपाई पर सवार होकर प्लेन चेट से लेकचर झड़ने लगे तो सभी गुड़ गोबर हो जायगा। उस समय न तो दाढ़ीवाले बूढ़े बाबा की कोई सुनेगा और न नौकर शाही दमन ही का दम भरेगी उस समय फिर यही होगा कि गये थे निमाज़ अदा करने रोजा गले पड़े।

* * *

हमारी सरकार दयालु है अपने सलाहकारियों को हज़ारों रुपये मासिक वेतन देती है। परन्तु वे लोग उसे ऐसी सलाह देते हैं कि औंधे मुंह की खानी पड़ती है। अपने राम तो इस समय जब चारों ओर से सरकार को घाटे पर घाटा है कुछ सरकार से लेते नहीं

सरदार भगतसिंह आदि के फाँसी की कथा

फाँसी की कार्यवाही सर्वथा ग़ैरकानूनी थी !

फाँसी के समय शहीदों के क्रान्तिकारी नारे !!

(लेखक—क़ानून का एक विद्यार्थी)

सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि के फाँसी की कार्यवाही पढ़ने पर मालूम होता है कि वहां के कर्मचारियों ने क़ानून तथा धार्मिक नियमों की पग पग पर अवहेलना की है। जिस काम को देखो उसके करने में अधिकारियों ने अपनी बुद्धि-कुशलता और नमकहलाली तो अवश्य दिखाई है पर साथ ही लापरवाही के साथ क़ानून को भी उठा कर ताक में रख दिया है। निम्नलिखित बातों से पाठकों को हमारे कथन के सत्यासत्य का भलीभाँति निर्णय हो जायगा:-

(१) फाँसी का समय—जेल मैन्युअल पृष्ठ २७३ परिच्छेद ३१ के ८७२ वें पैरे में लिखा है कि १ अप्रैल से ३१ जौलाई तक ६ बजे प्रातःकाल, १ अगस्त से ३१ अक्टूबर तक ७ बजे प्रातःकाल और १ नवम्बर से ३१ मार्च तक ८ बजे प्रातःकाल फाँसी दी जानी चाहिये। जेल के किसी भी क़ानून में यह नहीं लिखा है कि फाँसी शाम को भी दी जाय। फिर हम नहीं समझते कि सरकार ने किस क़ानून के अनुसार उन्हें शाम को ७॥ बजे फाँसी दी! क्या जेलकर्मचारियों के पास इसका कोई उत्तर है? क्या फाँसी देते समय उन्हें अपने उत्तरदायित्व का कुछ भी ध्यान था?

(२) फाँसी के समय की अवधि—जेल मैन्युअल के पृष्ठ २७४ के पैरा ८७३ में फाँसी के फन्दे में जब तक लाशें लटकनी चाहियें उन नियमों का बिलकुल पालन नहीं किया गया। क्या जेल-अधिकारी इस नियम की अवहेलना करने में स्वतंत्र थे?

(३) सम्बन्धियों से मुलाक़ात—क़ानून के अनुसार फाँसी पाने वाले के सम्बन्धी तथा १२ के लगभग अन्यान्य गण्यमान्य सज्जन तथा मित्रादि उससे मिल सकते हैं और फांसी के समय उस स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। इस नियम के विरुद्ध फांसी के समय उपस्थित रहना तो दूर रहा—उनके संबंधियों आदि से उनकी मुलाक़ात भी नहीं हुई। सरकार ने न जाने इन निराश्रय-बंदियों से उनके संबंधियों को क्यों नहीं मिलने दिया। हमारी समझ में यदि सरकार उनके दर्शनातुर संबंधियों को उनसे अन्तिम भेंट कर लेने देती तो उसकी इतनी बदनामी नहीं होती-जितनी ऐसान करने से हो रही है। शायद ऐसा करते समय सरकार इस बात को भूल गई थी कि इस ग़लती को भारतवासी कदापि नहीं भूल सकते हैं।

इसी संबंध में लाहौर की एक सार्वजनिक-सभा में भाषण करते हुए शहीद भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने कहा—"सरकार दावा करती है कि वह क़ानून के बाहर नहीं जाती, पर इस मुक़दमें में तो क़ानून कुछ समझा ही नहीं गया। फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, पर न जाने इन्हें क्यों कानून के अनुसार (?) शामको फांसी दी गई? इसके अतिरिक्त सभी देशों में—चाहे अभियुक्त को कैसे भारी अपराध में फांसी की सज़ा क्यों न हुई हो—फांसी से पहिले उसके, संबंधियों से मिलने की आज्ञा मिल जाती है। पर यहां जब हम मुलाक़ात करने गये तो जवाब मिला कि मां, बाप के सिवा किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्र आदि को मिलने की आज्ञा नहीं है! परिणाम यह हुआ कि कोई भी नहीं मिल सका। सुखदेव के चाचा श्री० अचिन्तराम बेचारे तेल और साबुन लेकर-नजाने किनर आशाओं से-वहां पहुँचे। पर आज्ञा केवल मां बाप की ही थी, अतः चाचा कैसे मिलते? शाम के ७ बजे बिलकुल नियम के विरुद्ध ही फांसी की कोठरियों से बाहर निकाले गये और फांसी पर लटका दिये गये। शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली ही बार शामको फांसी दी गयी है। राजनीतिक क़ैदी तो जेलसे पहले निकाल दिये गये थे। इस समय मामूली क़ैदी भी बन्द कर दिये गये थे। सरदार किशनसिंह ने जेल के अफसरों के व्यवहार की चर्चा करके कहा कि क़ानून के खिलाफ आध घण्टे तक रस्सी डाल कर उनको लटकाया गया। और फिर लाश फीरोज पुर ले गये और वहां दरिया के किनारे गढ़े में डालकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गयी और फिर दरयाव सतलज में फेंक दी गयी। देवियां वहां से गयीं और वहां इन शहीदों के गोश्त के टुकड़े मिले जिनके इर्द गिर्द चींटियां चिमटी हुई थीं। आगे चल कर सरदार किशनसिंह ने कहा कि मैं पूछता हूँ कि हिन्दुओं और सिक्खों में यही रस्म मुर्दों के जलाने की है? सरदार साहब ने आंखों में आंसू भरकर फिर कहा—"हमारा अरमान भी न निकला कि मुर्दा बच्चों का मुंह देख लेते, लेकिन इनसे कानून की पैरवी को क्या आशा है, विशेष कर हमारे खानदान के साथ तो कभी कानून वर्ता ही न गया। अब मुझपर और मेरे बच्चों पर नज़र है। मेरी इच्छा है कि मेरे और बच्चे भी भगतसिंह की तरह कौम पर क़ुर्बान हो जांय।

(४) लाशों का दिया जाना—क़ानून के अनुसार फाँसी लग जाने के बाद अभियुक्त की लाश उसके सम्बन्धियों अथवा मित्रों को दे दी जाती है किन्तु इन लोगों को लाशें देना तो दूर रहा लोगों को पता चलने से पहिले ही अलग ले जा कर जला दी गईं! न जाने उनकी लाशें क्या ग़ज़ब ढा देतीं जो नौकरशाही ने उनके देने में भी ख़तरा समझा?

(क्योंकि यहां तो अनाहारी का नुसखा संजीवन से बढ़ कर असर अमर रखता है।) ऐसे ही वह सलाह दे देते कि समझदारों की समझ दंग हो जाती!

जब यह सिद्ध है कि मिट्टी का तेल दुर्गन्धपूर्ण है। कोई भी जीवधारी इसकी गंध के आगे बिना नथुना सिकोड़े नहीं रहता। तब मृत शरीर को उससे जलाने में उस स्थान क्या समूचे भारत का वायु यदि दूषित हो जाय तो आश्चर्य ही क्या है? हमारे राम तो कहेंगे कि भगतसिंह ब्रह्मराक्षस कहीं हो न गया हों, क्योंकि सनातनधर्मानुसार अन्त्येष्टि संस्कार यदि बिगड़ जाय तो मरा हुआ प्राणी ब्रह्मराक्षस होता हैं। यह यहाँ के बड़े बड़े पण्डित और पाधा फरमाते यदि विश्वास न हो गरुड़पुराण सुन लीजिये।

मेरी राय नाक़िस से उनके मृतशरीर को वायुयान द्वारा सीधे लन्दन पहुँचा दिया जाता और वहां के प्रधान गिरजा में पचास मन चन्दन, पन्द्रह मन घी और साढ़े सात मन मेवे से हवन कर दिया जाता। जिससे विलायत का बिगड़ा हुआ वायु बात की बात में शुद्ध हो जाता और उनकी मृत आत्मा प्रभु ईस मसीह के इबादत गाह गिरजे में सदैव मड़राया करती और उन्हें शान्ति का पाठ पढ़ाती।

फिर देखते कि ये बौखल हिन्दुस्थानी लन्दन के गिरजे में स्मारक कैसे? बनाते न तब वहां पुलिस का पहरा ही बैठाना पड़ता और न स्मारक के एक एक पत्थर और ईंट को ही उखाड़ कर हड़प करना पड़ता। हां भय था कि कहीं इनके नक़ल भाज यहां भी उत्पन्न न हो जाते! सो तो यहां भी हो ही गये।

भेद इतना है कि वे सिंह थे और ये सियार। वे काले थे ये गोरे। उन्हों एसेम्बली में किसी की जान नहीं ली। ये अवाहिर की जान लेने का जौहर दिखाने चाहते हैं। वे निर्भीक थे और ये सूरत दिखाने को कौन कहे अपना नाम तक देने में दुम दबाते हैं। उनके डरसे सरकार ऐसी डरी है कि रात की कौन कहे दिन में भी अयका भूत खाये लेता है। देखें सरकार इनसे प्यार करती हैं या वैर।

सिद्धजी—।

(४) लाशों का संस्कार—प्रथम तो लाशें अभियुक्त के वारिस को ही दे देनी चाहिए थीं, किन्तु यदि माँगने पर भी लाशें वारिस को नहीं दी गईं तो सरकार का यह तो कर्त्तव्य था कि उनके धर्म अथवा संप्रदाय के नियमों के अनुसार उनका उन्त्येष्टि संस्कार किया जाय। किन्तु सरकार ने किया क्या इसका पता निम्न उद्धरण से लग जायगा—

'लगभग रात के ६ बजे (२३ मार्च को) पुलिस की कुछ लारियाँ सतलज के किनारे रेल के पुराने पुल की ओर गईं। एक में गोरे सिपाही बैठे थे, एक में ईंधन भरा था, एक में मिट्टी के तेल के कनस्टर और एक में सम्भवतः उनकी लाशें थीं। लाशें एक गड्ढे में जलाई गईं। लोगों के बयानों से जान पड़ता है कि लाशों के टुकड़े करके मिट्टी के तेल से उन्हें जलाया गया था। रात के ३-४ बजे लारियाँ लौट गईं। लोगों ने देखा तो स्थान गरम था—और उसमें से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी। पासही में मांस के टुकड़े पड़े थे। जो हड्डियों के टुकड़े वहां मिले उनसे जान पड़ता है कि लाशें काटी अवश्य गईं थी। और खून से भरे हुए कंकड़ भी पड़े थे।,

पाठकों को—इससे स्पष्ट ज्ञात हो गया होगा कि जिस भांति इन तीनों की लाशें जलाई गईं थी उस तरह हिन्दू अथवा सिक्खों में कोई नियम नहीं है। हिन्दुओं के किसी भी संप्रदाय में लाशों को गड्ढे में डालकर नहीं जलाया जाता है। और शवके टुकड़े करना तो मृतक का असीम अपमान करना है। फिर मिट्टी के तेल की तो बात ही न पूछिये।'

उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट जान पड़ता है कि सरकार ने मरने पर भी उनकी लाशों से अन्याय और अत्याचार की कोई बात उठा नहीं रक्खी। परन्तु असली बात क्या है, इसकी जांच कांग्रेस की ओर से हो रही है। और तभी ठीक बातें मालूम होंगी।

फांसी के तख्ते पर

२३ मार्च की लाल संध्या—

आज ३ बजे दिनको ही सरकारी वकील ने ज़िद्द करके हाईकोर्ट से तीनों के फांसी का फैसला करा लिया था। जेल अधिकारियों को इत्तिला दी गई कि आज शामको ७ बजे इन तीनों को फांसी देदी जाय। बस, ४ बजे से ही सब क़ैदी अपने २ बैरकों में ठूँस दिये गये और बाहर वालों का जेल में आना जाना बंद होगया। पूछने पर लोगों को कहा गया कि जेलके इंसपेक्टर जनरल आरहे हैं अतः भीड़भाड़ ठीक नहीं। ६ बज गये। उनतीनों को—जिनके प्राण पखेरू १ घंटे बाद उड़ जाने को थे—पता भी नहीं चला कि आज उनका जीवन-नाट्य समाप्त हो जायगा। वे सदा की भाँति हँसते बोलते दूसरे दिन का कार्यक्रम निश्चित कर रहे थे।

ठीक ६ बजे स्पेशल ट्रिब्यूनल (विशेष अदालत) के रास्ते से मजिस्ट्रेट, जेल के इंसपेक्टर जनरल तथा कुछ पुलिस अधिकारी लाहौर-सैन्ट्रल जेल में घुसे। एक अफसर ने भगतसिंह को फाँसी की सूचना दी। इस पर सरदार साहब ने हँस कर कहा—"आप वाकई बड़े भाग्यशाली हैं। आज हम आपको दिखलाएँगे कि आज़ादी की लड़ाई के सैनिक फांसी की रस्सी का किस प्रकार आलिङ्गन करते हैं!"

सचमुच, वह उद्गार हृदय हिला देने वाले थे। उधर मृत्यु-सुन्दरी सिर पर नाच रही थी इधर साहस और प्रसन्नता से वीरों के मुख दमक रहे हैं। वह अफसर सरदारजी की इस विचित्रतावस्था को देख कर आश्चर्य चकित रह गये।

टन्-टन् सात बज गये, जेल का फाटक खुला। तीनों वीर हँसते हँसते अपने बैरक से निकले। उधर चारों ओर अन्य बैरकों से "इनकलाब ज़िन्दाबाद" के नारे से जेल कम्पाउण्ड गूँज उठा। इधर इन तीनों वीरों ने भी नारे लगाये—

'क्रान्ति चिरंजीवी हो!

साम्राज्यवाद का क्षय हो!!"

इसी प्रकार नारे लगाते हुए तीनों वीर फाँसी घर तक पहुँचे। वे कूद कर फाँसी के तख़्ते पर चढ़ना ही

भगतसिंह का अन्तिम गान

मेरा रङ्ग दे बसन्ती चोला।*

इसी रङ्ग में गाँधी जी ने, नमक पर धावा बोला।
मेरा रङ्ग दे०
इसी रङ्ग में वीर शिवा ने, माँ का बन्धन खोला।
मेरा रङ्ग दे०
इसी रङ्ग में भगतदत्त ने, छोड़ा बम का गोला।
मेरा रङ्ग दे०
इसी रङ्ग में पेशावर में, पठानों ने सीना खोला।
मेरा रङ्ग दे०
इसी रङ्गमें बिस्मिल अशफाकने सरकारी खजाना खोला।
मेरा रङ्ग दे०
इसी रङ्गमें वीर मदन ने गवर्नमेंट पर धावा बोला।
मेरा रङ्ग दे०
इसी रङ्ग में पद्मकान्त ने माडर्न पर धावा बोला।
मेरा० रङ्ग दे०

चाहते थे कि सिपाहियों ने उन्हें रोका। तीनों वीर एक दूसरे को सजल नेत्रों से देखते हुए खड़े थे! उफ़्! क्या आज यह अभिन्न मित्रों की वृहत्रयी थोड़ी देर बाद भिन्न भिन्न हो जायगी?

तीनों के गले रुक गये। कोई कुछ न कह सका। अंत में सुखदेव ने साहस कर कहा—"बस एक मिनट के बाद हम लोग अलग होते हैं—बाद में फिर (परलोक में) मिल जायंगे। तब मिल कर अपनी पार्टी की कौंसिल की मीटिङ्ग में चलेंगे—वहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण और यतीन्द्रनाथ-दास हमारी अगवानी के लिये बैठे इन्तज़ार कर रहे होंगे।

आज्ञा पा कर तीनों वीर फाँसी के तख़्तों पर जा चढ़े। अन्तिम बार "इनकलाब ज़िन्दाबाद" की आवाज़ आई और तख़्ते हट गये। फिर क्या था???

कहते हैं सरदार भगतसिंह तो एक सेकिंड से भी कम में मर गये और बाक़ी दोनों लगभग ३-४ सेकिंड में मरे।

---

*यह गान सरदार भगतसिंह को बहुत प्रिय था। फाँसी होते समय उन्होंने इसे गाया था।

(३५ वें पेज का शेष)

को चला। पलङ्ग पर पड़ते ही उसने कहा—मूर्ख फ्रावास अब पछताता होगा। उसने धन न कमा कर अपना जीवन व्यर्थ किया।

आज निकोलाई के घर पर बड़ी धूम है। दो बड़े बड़े कमरे खूब सजे हैं। एक में तो खाने का इन्तज़ाम है तथा दूसरे में नाचने का। पहले नाच करने को तय हुआ था! बड़े बड़े नोबल और रईस अपनी श्रीमती जी को लेकर आये थे। यहां तक कि घमंडी एलेक्ज़ेंडर द्वितीय भी आ गये। कहां नाच और कहां उन ग़रीब किसानों का झोपड़ा। खैर, नाच शुरू हुआ। बड़े ज़ोरों के साथ सब शराब के नशे में मस्त और पागल अपनी प्रेमिकाओं के साथ नाच रहें थे। इसी समय रङ्ग में भङ्ग हो गया।

आज मास्को के जेल की अदालत के चारों तरफ़ पहरा है। पुलिस घूम घूम कर पहरा देरही है। थोड़ी देर बाद निकोलाई एक मोटर पर चढ़ कर आया। वह जाकर अदालत में जज की बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा हुआ फ्रावास लाया। आते ही उसने कहा, 'क्रान्ति चिरंजीव हो'। उसे अदालत में खड़ा रहने को कहा गया। दो फ़ौजी अफ़सर उसके अगल बगल खड़े रहे। मुक़द्दमा शुरू हुआ।

निकोलाई न्यायाधीश था। आह! क्या संसार है। वही मित्र जो कि स्कूल के मित्र थे, बड़े पक्के मित्र थे उन्हीं में से एक तो मुलज़िम है दूसरा न्यायाधीश। एक किसानों का सेवक है, दूसरा किसानों का वैरी है। एक सजा ग्रहण करने वाला को दूसरा सजा देनेवाला। दूसरा ऐसा पतित क्यों हो गया धन के लिये। इस नीच धन ने तो संसार में क्या क्या नहीं किया। मित्रों को वैरी बना दिया, वैरियों को मित्र बना दिया पिता को पुत्र से अलग कर दिया, और सब पापों का जड़ बन बैठा।

खैर गवाही ली गयी, और फ्रावास से कहा गया कि वह अपना बयान दे। फ्रावास ने कहा-मैं बयान क्या दूं सब कि मैं किसानों की सेवा में सज़ा पा रहा हूँ। मैं सिवा इसके कुछ नहीं कहना चाहता कि या तो आप मुझे सज़ा दे और या छोड़ दें। मैं मर कर फिर पैदा होकर देश की सेवा करूंगा।

अब फैसला हुआ। निकोलाई ने फैसले में में कहा कि मैं फ्रावास को सम्राट् के विरुद्ध लोगों को उभारने में मुजरिम पाता हूँ और इस कारण उसे फाँसी की सज़ा देता हूँ।

फ्रावास शान्त था। चेहरे पर खुशी झलक रही थी! उसने मुसकुराते हुये कहा धन्यवाद!

—हर्षदेव मालवीय

—२ मई को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर शुरू हुई। अपराधी हथकड़ी बेड़ी पहने कोर्ट में लाये गये। उन्होंने इन्कलाब ज़िन्दाबाद, भगतसिंह, राजगुरु की जै के नारे लगाये। दोनों ओर के वकील हाज़िर हुये। ४ सरकारी गवाहों के बयान हुये।

—दयालसिंह कालेज लाहौर के लेखराज नामक एक विद्यार्थी जो आम्र्स ऐक्ट के सम्बन्ध में गिरफ़ार किया गया था २०००) रु० की जमानत पर लाहौर ऐडीशनल मैजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ दिया गया।

—इटावा डिस्ट्रिक्ट पोलिटिकल कानफरेन्स २५ अप्रैल को हुई। श्री० सुन्दर लाल की अनुपस्थिति के कारण मि० मज़्ज़रअली सोख़्ता सभापति हुये। करीब ८०० राजनैतिक क़ैदी कान्फरेन्स में उपस्थित हुये। कई प्रस्ताव ग्राम पञ्चायत, खादी प्रचार, राजनैतिक सेवा के सम्बन्ध में पास हुये। ४००० रु० अपील की गई। मि० सोख़्ता ने हिन्दू-मुसलिम एकता पर ख़ास जोर दिया गया।

—मि० फेनर ब्राकवे लंडन की इंडिपेण्डेंट लेबर पार्टी के प्रधान चुने गये हैं। इंडिपेण्डेंट लेबर पार्टी भारत की हितैषी है।

—जहाज़ी बेड़े के (शस्त्रागार) में धड़ाका होने से रायडी जेनेरियो, (दक्षिण अमेरिका) में ४५ आदमियों की मृत्यु और ७३ आदमी बीस ज़ख्मी हो गये।

—१२० मोपला विद्रोह के कैदी ९७ ता० को रिहा होकर मद्रास पहुंचे। इनमें से सबों को चौदह साल की सज़ा दी गई थी, परन्तु नौ साल बाद छोड़ दिये गये। ऐसा ख्याल है कि ३०० वे क़ैदी अभी अण्डमान में साल की सज़ा भुगत रहे हैं।

—श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जो इस समय सोलोन में विश्राम ले रही हैं, को अमेरिका की वर्ल्ड कान्फरेन्स आव एजूकेशन द्वारा उसके अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये निमंत्रण आया है। सम्भवतः वह, यदि भारत की राजनैतिक स्थिति अच्छी होगी, निमंत्रण स्वीकृत कर लेंगी। श्रीमती चट्टोपाध्याय को यह दूसरी बार अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेंस में बुलाया गया है।

—इङ्गलैण्ड का मि० स्नोडन द्वारा रखा हुआ बजट पास हो गया।

—मिदनापूर के कलक्टर सर जेम्ज़ पेडी के क़त्ल करने वाले का पता बताने वाले को ५००) रु० इनाम की विज्ञप्ति निकाली गई है।

—भिन्न भिन्न जगहों का समाचार है कि बकरीद शान्तिपूर्वक बीत गई दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद सभी नगरों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

—दो क्रान्तिकारी, जगदीश और सुखदेव राज, जिनकी लाहौर षड्यन्त्र मामले में ज़रूरत थी, ३ मई को यकायक लाहौर के शालीमार बाग़ में पुलिस द्वारा घेर लिये गये। दोनों के पास पिस्तौल थी दोनों ने पिस्तौल चलाकर भागने की चेष्टा की। पुलिस ने भी फ़ायर किया। जगदीश गिर कर मर गया। सुखराज भी ज़ख्मी हुआ और अस्पताल भेजा गया।

—लाहौर नौजवान भारत सभा के जेनरल सेक्रेटरी श्री कान्ति कुमार जो दो मई को सबेरे गिरफ़ार किये गये थे शाम को छोड़ दिये गये। उनके मकान की तलाशी हुई कोई नाजायज़ चीज नहीं पाई गई।

शिमला का समाचार है कि वायसराय लार्ड विलिंगडन दूसरी गोलमेज कान्फ़रेंस के सम्बन्ध में कार्य करने में आजकल बहुत मशग़ूल हैं। बहुत शीघ्र किसी विज्ञप्ति के निकलने की सम्भावना है।

हिन्दी-प्रेमियों के लिये
स्वर्ण-संयोग

हिन्दी प्रेमियों के लिये स्वर्ण संयोग ! समस्त हिन्दी प्रेमियों को यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि हिन्दी के समस्त प्रकाशकों की पुस्तकों का स्टाक रख कर हमने एक बड़ा बुकडिपो खोला है जिससे प्रेमी पाठकों को प्रत्येक पुस्तक के लिये अलग अलग न लिख कर हमारे ही यहां से सरलतापूर्वक कमीशन के साथ सभी पुस्तकें मिल सकेंगी। इससे ग्राहकों को झंझट की बचत के साथ साथ समय और दामों की भी बचत होगी। इसलिए—

अच्छी तरह नोट कर लीजिये

कि किसी भी प्रकाशक की किसी भी विषय की पुस्तक के लिये सीधा आर्डर हमें दीजिये। कमीशन के सहित आर्डर पाते ही हम फ़ौरन माल रवाना करते हैं।

मैनेजर (बुकडिपो) 'अभ्युदय' प्रेस प्रयाग

भगतसिंह की सचित्र जीवनी

क्या आप शहीद-शिरोमणि सरदार भगतसिंह की जीवनी के अनुपम चरित्रों को पढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा लाहौर 'साज़िश' केस के हालात पढ़ने की है, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि, वीरवर भगतसिंह ने किस तरह ११५ दिन तक जेल में अनशन रखते हुए अपनी धीरता-वीरता को स्थिर रखा —तो 'अमर शहीद यतीन्द्र' नामक पुस्तक में पढ़िये, जिसमें आपको लाहौर के इस ऐतिहासिक मुकदमे का, जिसमें चार वीरों का अनुपम बलिदान हुआ है, पूरा वर्णन ऐसी हृदयस्पर्शी और जीवित भाषा में पढ़ने को मिलेगा, जिससे सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने चित्र-पट की भाँति खिंच जायगा। पुस्तक की भूमिका पंजाब के मान्य नेता डा० आलम ने लिखी है।

आज ही साढ़े तेरह आने के टिकट भेजकर मंगा लीजिये, अथवा वी० पी० का आर्डर दीजिये। पुस्तक की बहुत थोड़ी प्रतियां बाकी बची हैं, अतः आप शीघ्र ही अपनी पुस्तक का आर्डर दें अन्यथा बिक जाने पर दूसरे संस्कार तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

पता—राष्ट्र-भारती मण्डल—इलाहाबाद

एजेंट चाहिए !

अभ्युदय बेचने के लिए सब जगह एजेंटों की जरूरत है। कमीशन माकूल दिया जाता है।

मैनेजर अभ्युदय, इलाहाबाद।

अभ्युदय

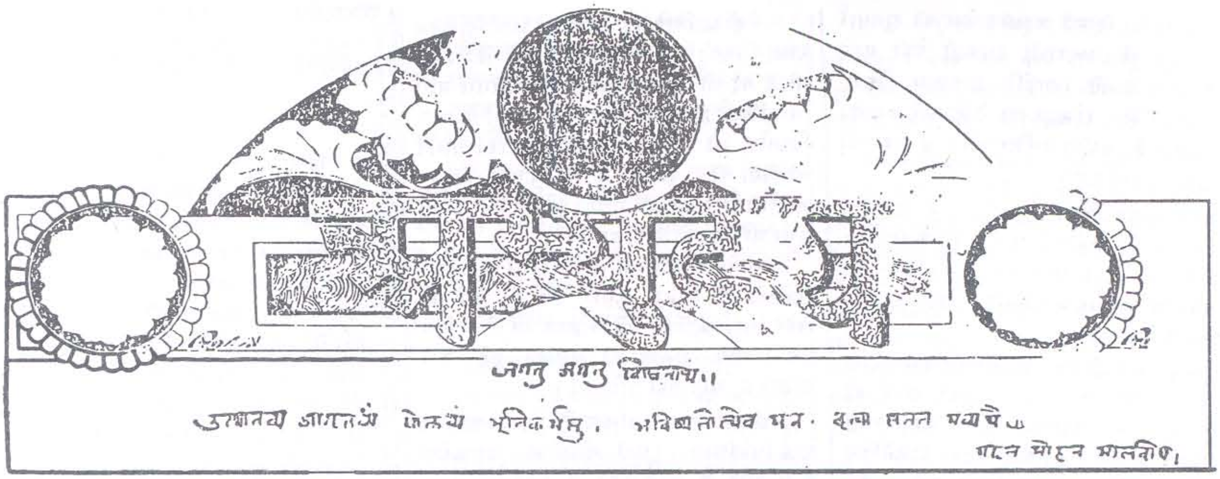

भाग २५ } प्रयाग, बुद्धवार तारीख़ २७ मई, १६३१ ई० { संख्या १६

'अभ्युदय' का भगतसिंह-अंक ज़ब्त !

प्रेस पर पुलिस का छापा

बंबई और लखनऊ में अंक छीने गये !!

बेचने वाले पकड़ कर पीटे गये।

लखनऊ के एजेन्ट से २००) रु० की ज़मानत मांगी गई ?

हमारे 'भगतसिंह-अंक' को प्रकाशित हुए अभी बहुत थोड़ा समय हुआ था कि संयुक्त-प्रान्त के गवर्नर महोदय ने उसकी ज़ब्ती की घोषणा कर दी। आपने अपनी घोषणा में कहा—"भगतसिंह अंक में वह राजद्रोहात्मक सामग्री है जो भारतीय दण्डविधान की धारा १२४ ए० के अनुसार दण्डनीय है। अतः उसकी प्रत्येक प्रति ज़ब्त की जाती है।" इसी सूचना के अनुसार गत २३ मई को प्रातःकाल ज़िले की खुफ़िया पुलिस के अफ़सर मि० हालर की अध्यक्षता में कोतवाली के सब इंसपैक्टर शिवनंदनसिंह कुछ कानिस्टेबलों सहित प्रेस पर चढ़ आये। प्रेस से कागज़ों की घण्टों छानबीन करने के बाद उक्त अंक की कुल ७५ प्रतियां पुलिस उठा ले गई।

लखनऊ में पुलिस की धांधली

हमारे मुख्य कार्यालय से उक्त अंक २३ मई को ज़ब्त हुआ, किन्तु लखनऊ में इससे एक सप्ताह पूर्व ही पुलिस ने हाकरों से अंक छीनना और उन्हें धमकाना-डराना शुरू कर दिया था। हम नहीं समझते पुलिस की इस गैर क़ानूनी विशुद्ध कार्यवाही का क्या अर्थ है? अब हमारे लखनऊ के एजेण्ट से ज्ञात हुआ है कि वहां की खुफ़िया पुलिस उनके हाकर बब्बू महाराज से उक्त अङ्क की बहुत सी प्रतियां छीन ले गई थी। जब हमारे एजेण्ट ने जाकर खुफिया पुलीस से उक्त छीनी हुई प्रतियां लौटाने का अनुरोध किया तो २००) रु० की ज़मानत पर बब्बू महाराज को छोड़ा और प्रतियां नहीं लौटाईं। क्या उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे?

आगामी अंक में--

'अभ्युदय' के प्रेमी पाठकों को यह जान कर अत्यन्त हर्ष होगा कि अब हमने अपने पाठकों के मनोरंजनार्थ कुछ विशेष लेखों, कहानियों और कविताओं का प्रबन्ध किया है। आगामी अङ्क में प्रकाशित होने वाली कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं:—

(१) श्री० 'कौशिक' लिखित "किसान" (कहानी)।

(२) नैदरलैण्ड की राज्यक्रान्ति।

(३) बुढ़ापे से बचपन अच्छा है।

(४) सहयोग्य समितियाँ (कृषिसंबंधी)।

(५) 'नज़ीर' पर एक नज़र।

(६) श्री० जे० टी० सण्डरलैण्ड लिखित एक अन्तर्राष्ट्रीय लेख।

इसके अतिरिक्त आगामी अङ्क से एक पुरस्कार प्रतियोगिता आरम्भ की जायगी, जिसमें क्रमशः ५०), २५) और १५) रु० के पुरस्कार दिये जायेंगे। विस्तृत विवरण आगामी अङ्क में देखियेगा।

बंबई में धरपकड़

बंबई के सहयोगी 'स्वाधीनभारत' ने लिखा है कि वहां भी पुलिस ने हाकरों से भगतसिंह अङ्क छीन लिया और उन्हें पकड़ा ही नहीं वरन् मारपीट भी की। इस सम्बन्ध में विस्तृत समाचार मिलने पर लिखा जायगा।

तलाशियाँ और गिरफ़ारियाँ

गत २२ मई को जलालपुर में २८ प्रतिष्ठित लोगों के घरों की तलाशियाँ लीगईं। कहते हैं यह तलाशी अभी हाल ही में पड़े हुए सशस्त्र डाकों के सम्बन्ध में हुई थी। किसी घर में कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली कांग्रेस के मंत्री तथा सहायक मंत्री आदि लगभग ६ आदमी गिरफ़्तार किये गये। सुना जाता है कि पुलिस इस सम्बन्ध में तीस आदमियों की गिरफ़्तार करने वाली है।

खण्ड – 2

(अन्य अंकों में भगत सिंह)

अभ्युदय

20 अप्रैल 1929

सरदार भगत सिंह

एसेम्बिली में बम

फेंकने

के अभियोग में गिरफ़्तार हुए

दो युवक

श्री बटुकेश्वर दत्त

अभ्युदय

27 अप्रैल 1929

एसेम्बिली के बम काण्ड के सम्बन्ध में, खबर है, दिल्ली की पुलीस अभी जाँच ही कर रही है। उसे अभी विशेष बातों का पता नहीं लगा। दोनों अभियुक्त सरदार भगत सिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त दृढ़ हैं और उन्होंने पुलीस को किसी प्रकार का बयान देने से इन्कार कर दिया है। श्री० बटुकेश्वर दत्त ने भोजन सम्बन्धी शिकायत दूर होने पर अब भोजन करना आरम्भ कर दिया है। मुकदमें की तैयारी के लिए पुलीस को ७ मई तक की मोहलत और दे दी गयी है। ७ मई को दिल्ली के ऐडीशनल ज़िला मजिस्ट्रेट की अदालत में मुक़दमा शुरू होगा।

अभ्युदय

4 मई 1929

एसेम्बिली का बम केस

काकोरी केस से इसका सम्बन्ध है

एसेम्बिली का बम केस भी अभी शुरू नहीं हुआ। पुलीस ने पहिले इस मामले के सम्बन्ध का पता सैण्डहर्स की हत्या, लाहौर की बम फेक्टरी और नासिक के बमकाण्ड से लगाने की कोशिश की थी किन्तु अब वह इस प्रयत्न में लीन है कि कहीं इस मामले का सम्बन्ध काकोरी काण्ड से तो नहीं है। इस सम्बन्ध में उसने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी श्री मुरारी शर्मा से, जो दो साल से दिल्ली में रहते हैं, बात चीत की और उनके घर की तलाशी ली, इस। मामले में सरदार भगत सिंह और श्री बटकेश्वर दत्त की ओर से बैरिस्टर आसफ अली पैरवी करेंगे। आप जेल में अभियुक्तों से मिले भी थे। वहां उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वे प्रसन्नचित्त हैं।

18 मई 1929

दिल्ली बम कांड

मुकदमे की कार्यवाही

अभियुक्तों के बयान

गत ८ अप्रैल को बड़ी कौंसिल में बम फेंकने के अभियोग पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नामक जो दो युवक गिरफ्तार हुए हैं उनके मुकदमे पर सेंट्रल जेल में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री पूलने विचार किया और उन्हें दौरा सुपुर्द कर दिया।

जेलर के दफ्तरवाले कमरे में मुकदमे की सुनाई शुरू हुई। अभियुक्त भगत सिंह के मां-बाप और अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने वाले बैरिस्टर श्री आसफ अली की पत्नी के सिवा और कोई दर्शक जेल के अन्दर नहीं जाने पाया। अखबारों के छः संवाददाताओं को भी जाने दिया गया था।

अभियुक्त जब इजलास पर लाये गये तो उन्होंने गर्जना की कि "साम्राज्यवाद का नाश हो" "क्रांति चिरदिन तक बनी रहे।" जिस पर मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि अभियुक्तों को हथकड़ियां पहना दी जांय। दस बजे मुकदमा शुरू हुआ। जबतक मामले की सुनाई होती रही तबतक दोनों अभियुक्त मुसकुराते और हंसते रहे। अभियुक्त भगत सिंह अपनी मोंछो पर ताव देता था इसके बाद कलकत्ते के विस्फोटक वस्तुओं के प्रधान परीक्षक तथा सफाई के अन्य गवाहों ने गवाहियां दीं बाद में अदालत दूसरे दिन के लिए उठ गयी।

दूसरे दिन की पेशी में अभियोग की ओर से कई गवाहों के इजहार के बाद अभियुक्तों के बैरिस्टर श्री आसफ अली ने बहस की। आपने कहा कि "साम्राज्यवाद का नाश हो" "क्रांति युग युग जीये" इत्यादि वाक्य मात्र साधारण हैं। ये हैं और राजनीतिक आन्दोलनकारी इन वाक्यों की गर्जना किया ही करते हैं। अदालत के लिए ये बातें कैसी कीमत की न होनी चाहियें। जो प्रमाण उपस्थित किये गये हैं वे ऐसे परस्पर विरोधी हैं कि उनपर भरोसा करके अभियुक्तों पर सारी जिम्मेदारी नहीं लादी जा सकती। विस्फोट विशेषज्ञ के यह कहने में कोई सार नहीं कि संयोगवश अधिक हानि नहीं हुई। असल बात तो यह है कि बम से एक बिल्ली भी नहीं मरी और न कोई सख्त घायल ही हुआ। बम फेंका जाना एक प्रदर्शन मात्र था। उसे हम नासमझी के काम के सिवा और कुछ नहीं कह सकते।

अभियुक्त भगत सिंह ने कहा -मैं सरदार किशनसिंह का लड़का हूं और मेरी उम्र २२ वर्ष की है। मैं लाहौर का रहनेवाला हूं। इस मामले में अभी कुछ कहना मैं फजूल समझता हूं। जरूरत हुई तो आगे चल कर बयान दूंगा।

अभियुक्त बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि मैं श्री जी० बी० दत्त का लड़का हूं, मेरी उमर २० वर्ष की है और मैं बर्दवान का रहने वाला हूं। मैं भी अभी कुछ कहना नहीं चाहता।

मजिस्ट्रेट ने दोनों अभियुक्तों पर दंड विधान की ३०७ धारा और विस्फोट विधान की ३ धारा के अनुसार जुर्म कायम कर उन्हें दौरा सुपुर्द कर दिया।

अभ्युदय

15 जून 1929

एसेम्बिली बम-काण्ड के सम्बन्ध में अभियुक्त श्री० भगत-सिंह और श्री० बटुकेश्वरदत्त का फैसला सेशन जज ने दे दिया। दोनों को आजन्म काले पानी की सज़ाएं दी गयीं। अभियुक्तों ने हंसते हंसते सज़ाएं ग्रहण कीं और 'क्रान्ति चिरजीवी हो' 'साम्यवाद चिरजीवी हो' का नाद किया। खबर है कि इन सज़ाओं के खिलाफ़ लाहौर हाईकोर्ट में अपील की जायगी।

29 जून 1929

सरदार भगत सिंह और मि० दत्त का अनशन व्रत, मालूम हुआ है, उनके अपने लिए नहीं है, बल्कि वे सभी राजनीतिक क़ैदियों के साथ जेल में शिष्ट व्यवहार चाहते हैं। भगत सिंह मियां वाली और दत्त लाहौर की जेल में हैं। कहा जाता है, पंजाब सरकार इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

—०—

पंजाब की कई राजनीतिक संस्थाओं ने तय किया है कि सरदार भगतसिंह और मि० दत्त के अनशनव्रत की सहानुभूति में ३० जून को पंजाब भर में एक दिवस मनाया जाय। लोग उस दिन व्रत रखें और शाम को इन दोनों देशभक्त वीरों के मतालिबे को पूरा करने के लिए मीटिङ्ग करें।

—०—

एसेम्बिली बम काण्ड के अभियुक्त

जेल में अनशन कर रहे हैं

बेड़ियां पड़ी हैं : बोलने में असमर्थ

एसेम्बिली बम-काण्ड के अभियुक्त सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त जेलों में बहुत खराब भोजन मिलने के कारण अनशन कर रहे हैं। श्री० बटुकेश्वर दत्त को ४ दिन उपवास करते हो गये और भगतसिंह को ६ दिन। श्री० बटुकेश्वर दत्त के वकील श्री विशननाथ बटुकेश्वरदत्त से लाहौर सेन्ट्रल जेल में मिलने गये थे। उन्होंने बतलाया है कि बटुकेश्वर दत्त कोठरी के एक कोने में पड़े मिले। वह कमज़ोरी के कारण खड़े होने तथा ज़ोर से बोलने में असमर्थ हैं। उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा कि, खाना खाने तथा कड़ी मेहनत करने से इनकार करने पर मेरे बेड़ियां डाल दी गई हैं। राजनैतिक कैदी की हैसियत से मुझे अच्छा खाना तथा पुस्तकें मिलनी चाहियें। उनका कहना था कि, गत ६ दिनों से मैंने पानी के सिवा और कुछ नहीं खाया पिया। वकील ने उनसे अनशन तोड़ देने को कहा, पर उन्होंने उत्तर दिया कि, मेरी मृत्यु से अन्य राजनैतिक कैदियों का भाग्य सुधर जायगा।

6 जुलाई 1929

सरदार भगत सिंह

वे—

जो आज २२ दिनों से जेल में अन्न-जल छोड़े पड़े हैं।

श्री बटुकेश्वर दत्त

एसेम्बली-बम-केस के इन वीरों के अन्न जल त्याग की स्मृति में ३० जून को पंजाब तथा बंगाल के अनेक नगरों में सिंह-दत्त दिवस मनाया गया।

13 जुलाई 1929

लाहौर षड्यन्त्र और साण्डर्स हत्या केस की दूसरे दिन की ११ ता० वाली पेशी के लिये जाते हुए अभियुक्तों को देखने के लिये जेल के फाटक पर बहुत से पुरुष स्त्री जमा हुए थे। उन्होंने 'क्रान्ति चिरजीवी हो' के नारे से अभियुक्तों का स्वागत किया, और अभियुक्तों ने भी फाटक में दाखिल होते समय और फिर अदालत के कमरे में घुसते वक्त और सरदार भक्तसिंह और श्री दत्त के आते वक्त यही नारा लगाया, जिस पर मैजिस्ट्रेट ने उन्हें चेतावनी दी। आज पुलिस के डिपुटी सुपरिन्टेन्डेन्ट अब्दुल अज़ीज़ की गवाही हुई। उसने कहा कि, नौजवान भारत सभा के सदस्य बाबू सिंह ने मुझ से कहा था कि १०००) दिलवाओ तो मैं साण्डर्स के क़त्ल का सुराग़ दूं। लेकिन पीछे वह पलट गया। बाबूसिंह ने बतलाया था कि, क़ातिलों में एक भक्तसिंह भी हैं। लाहौर बम .फैक्टरी का पता हमें एक लुहार से चला, जिससे अभियुक्त कुछ चीज़ें बनवाया करते थे। इसके बाद उसने '.फैक्टरी' को पकड़ने और आदमियों को गिरफ़्तार करने का ज़िक्र किया। कहा कि जब हमने सुखदेव को पकड़ा तो उसने अलमारी में रखे हुए बम और पर्चे आदि सब सामान को स्वतः बता दिया था।

श्रीयुक्त दत्त और सरदार भक्तसिंह का अनशन जारी है। श्री० दत्त कई बार बेहोश हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं, सरकार ने इनकी मांग पूरी करने के बारे में क्या तय किया है। श्रीयुत भक्तसिंह के पिता ने ८ ता० को मियांवाली जेल में उनसे भेंट की थी, भक्तसिंह बेड़ियों में जकड़े पड़े थे। उनसे उठा बैठा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार राजनीतिक क़ैदियों का दर्जा नहीं बढ़ायगी, मैं भोजन न करूँगा। उन्हें ज़बरदस्ती नाक में होकर दूध पिलाया जाता है, लेकिन वह उसे मुँह से निकाल देते हैं। पं० जवाहरलालजी ने इन दोनों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण वक्तव्य निकाला है।

अभ्युदय

20 जुलाई 1929

लाहौर षड़यन्त्र का मुकदमा

अभियुक्तों पर नयी बला : हथकड़ियां डाली गय

सरकारी रियायत नामञ्जूर : अनशन जारी रहेगा

मुकदमा हटाने की मांग : २३ जुलाई के लिए कार्यवाही स्थगित

लाहौर षड़यंत्र और साण्डर्स हत्या के मामले की ११ जुलाई तक की पेशी की कार्यवाही गताङ्क में दी जा चुकी है। १२ तारीख की पेशी में अभियुक्तों के अदालत में लाये जाने के वक्त जनता ने और अभियुक्तों ने भी अदालत के अन्दर पहुंचने पर पिछले दिन मैजिस्ट्रेट द्वारा चेतावनी देने पर भी 'क्रान्ति' चिरंजीवी हो, आदि वाक्यों के नारे लगाये। अदालत के अन्दर जाने से जनता को तथा अभियुक्तों से समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को मिलने से रोका गया। स० भगत सिंह और श्री० बी० के० दत्त अनशनव्रत के कारण कमजोरी की हालत में लाये गये। अभियुक्तों के अनुरोध पर अदालत ने अभियुक्तों को ग़ैर ज़ब्त पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ने के लिए देना स्वीकार किया और जेल के अधिकारियों से अभियुक्तों को अच्छा भोजन देने को कहने का भी वचन दिया। अभियुक्तों को एक ही जगह पर रखने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके लिए जेल के अधिकारियों को मैं बाध्य नहीं कर सकता इसके बाद कई सरकारी गवाहों की गवाहियां हुईं जिनमें उन लोगों ने अमृतसर में किशोरीलाल, सुखदेव और जैगोपाल की तलाशी के वक्त रिवाल्वर, बम और कुछ अधूरे बमों का पाया जाना बतलाया। आज की पेशी में एक उल्लेखनीय बात यह और हुई कि सिविल मिलिटरी गज़ट की एक प्रति उसके प्रतिनिधि के एक अभियुक्त को देते समय एक कानस्टेबिल ने प्रतिनिधि को गालियां दी, जिस पर प्रतिनिधि ने कानस्टेबिल को एक चांटा जमाया। बाद में इस मामले का रफ़ा दफ़ा एक पुलीस अफ़सर ने कर दिया।

१३ जुलाई की पेशी में 'क्रान्ति चिरंजीवी हो' आदि वाक्यों के नारे लगाये जाने पर एक अभियुक्त की बहन ने खड़ी हो कर सरकार को कोसा और उसके नष्ट होने की प्रार्थना की। मैजिस्ट्रेट ने इस पर उक्त महिला को अदालत से निकाल देने को कहा। स० भगतसिंह ने कहा कि वह निकाली न जांय क्योंकि श्री दत्त की दशा को देख कर ही वह आपे से बाहर हो गयी हैं। थोड़ी और कहा-सुनी के बाद युक्त महिला को अदालत में आ की आज्ञा दी गयी। इसके बाद सरकारी गवाहों की गवाहियां हुईं। अदालत के उठते वक्त अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि स० भगतसिंह और दत्त को अनशन व्रत करते ३६ दिन हो गये हैं और सरकार उनकी मांग को पूरी नहीं कर रही है, इस लिए सभी अभियुक्त आज से भोजन त्यागना शुरू कर देंगे। १४ को इतवार था। १५ तारीख के दिन स० भगतसिंह कमज़ोरी के कारण स्ट्रेचर पर अदालत में लाये, किन्तु बटुकेश्वर दत्त नहीं लाये गये, क्योंकि भोजन त्यागने से वह इतने कमज़ोर हो गये हैं कि बिस्तरे पर से उठाये नहीं जा सकते। स० भगतसिंह ने सफाई के वकील को सूचित किया कि पंजाब सरकार ने डाक्टरी सलाह के नाम पर अभियुक्तों को विशेष प्रकार का भोजन देने को कहा है, उसे हम लोग स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि राजनैतिक कैदियों को खास भोजन मिलने का हमें अधिकार है जिसे सरकार इनकार नहीं कर सकती और इस सिद्धान्त को हम स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बटुकेश्वर दत्त इतने कमजोर हो गये हैं कि वह दो ही चार दिनों में मर जायंगे और ७-८ दिन में मेरी भी मृत्यु होगी। इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने पर श्री० दत्त की अनुपस्थिति की बात उठायी गयी और इस लिए मुकदमे की कार्यवाही दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हुई। १६ जुलाई को 'क्रान्ति चिरजीवी हो, भगतसिंह चिरजीवी हों, दत्त चिरजीवी हों' आदि की गर्जना के बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। कहा गया कि भगत सिंह और दत्त को भोजन छोड़े हुए ३२ दिन और अन्य सभी अभियुक्तों को ३ दिन हो गये हैं जिस महिला को अदालत से निकाल गया था, उन्होंने भी तीन दिनों से भोजन त्याग दिया है। मुकदमा शुरू होने के वक्त सरकारी वकील ने घोषित किया कि बटुकेश्वर दत्त का टेम्परेचर १०३ डिग्री बढ़ गया है,

श्री बटुकेश्वर दत्त

आप के अनशन का आज ३५वां दिन है। राजनैतिक कैदियों को विशेष भोजन दिलाने के सिद्धान्त के लिए आप अत्यन्त दुर्बल होजाने पर भी अपने प्रण पर अटल हैं।

इस लिए उनकी बीमारी के कारण मुकदमे की कार्यवाही दूसरे दिन के लिए मुल्तवी की जाती है।

रिश्तेदारों से मुलाकात

मुकदमे की कार्यवाही मुल्तवी होने के बाद अभियुक्तों ने अपने रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैजिस्ट्रेट ने इनकार किया, इस पर अभियुक्तों ने कहा कि हम कटहरे में से हां नहीं निकलेंगे, जबरन चाहे निकाल दो। अन्त में मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को मिलने की आज्ञा दे दी। कानपुर की एक सार्वजनिक सभा अभियुक्तों के अनशन व्रत से सहानुभूति प्रकट की गयी।

१७ जुलाई की पेशी में अन्य दिनों की अपेक्षा पुलीस की ओर से अभियुक्तों तथा जनता पर कुछ और बन्धन लादे गये। इस दिन सब अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ियां पड़ी थीं और प्रत्येक दो अभियुक्तों के बीच में एक कानस्टेबिल बैठाया गया था। अदालत के बाहर पुलीस वालों के हाथों में लाठियां भी थीं और वे बड़े भद्दे तरीके से लोगों को रोक रहे थे। स० भगतसिंह ने अभियुक्तों पर नये बन्धन लादने का विरोध किया और कहा कि यदि ऐसी कार्यवाही की जायगी, तो हम लोग अदालत की कार्यवाही में कोई भाग न लेंगे। इसी बात पर एक अभियुक्त और पुलीस अधिकारी में गर्मागर्मी भी हुई। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर अभियुक्तों की ओर से मुकदमे को दूसरी अदालत में बदलने की दरख़्वास्त देने को कहा गया। इस पर मैजिस्ट्रेट ने मुकदमे की कार्यवाही २३ जुलाई तक के लिए दरख़्वास्त देने के हेतु मुल्तवी कर दी। अन्त में मैजिस्ट्रेट ने जेल के अधिकारियों को एक पत्र लिखा कि आज के अभियुक्तों के व्यवहार के लिए उनके साथ जेल के नियमों के अनुसार कायदे की कार्यवाही की जाय।

—०—

3 अगस्त 1929

लाहौर केस के जो अभियुक्त अदालत में नहीं आसकते हैं उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही को चालू रखने के लिए इस्तग़ासे ने सरकारी वकील खड़ा करना चाहा था, जिसका सरदार भक्तसिंह ने विरोध किया था। इस्तग़ासे ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि, वकील खड़ा करने की आज्ञा दी जाय। हाई कोर्ट ने इस अर्ज़ी को बेक़ायदा क़रार देकर रद्द कर दिया है। अब ख़बर कि भारतसर लाहौर के केस के लिए अपनी विशेष आज्ञा द्वारा एक सरसरी अदालत क़ायम करेगी, जिसमें तीन जज बैठकर इस मुकदमें को सुनेंगे। लाहौर केस के सरकारी वकील मि० नोड और लाहौर के डिपुटी कमिश्नर शिमला जाकर अपने सूबे की सरकार से मिल भी आये हैं। एक ख़बर यह भी है कि यह अफ़वाह ग़लत है।

पंजाब कौंसिल में इन अभियुक्तों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव मौ० अफजल हकलाने वाले थे, लेकिन वह काफी समर्थकों के अभाव के कारण पेश ही न होसका।

लाहौर में भक्तसिंह और दत्त तथा लाहौर षड्यंत्र में फंसे हुए नौजवानों के लिए सहायता एकत्र करने को पुलीस की आज्ञा का उल्लंघन कर जो जुलूस निकले थे, और उसमें एक दल के ६ नवयुवकों को इस अपराध में तीन और एक महीने की कैद आदि की सज़ा मिली थी, उसे सेशन जज ने रद्द कर दिया और नवयुवक रिहा कर दिये गये। दूसरे जुलूस वाले सरदार शार्दूल सिंह मौ० ज़फ़रअलीखां आदि का मुकदमा १२ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अलबत्ता छूटने वाले दल के नेता का जेल में भोजन करने से मना करने पर १॥ मास सख़्त क़ैद की सज़ा दी गई है।

अभ्युदय

10 अगस्त 1929

लाहौर षड्यन्त्र केस-

अनशन तुड़वाने को सुभास बाबू जा रहे हैं

ला० दुनीचन्द का सत्प्रय

मुक़द्दमा फिर मुल्तवी

घोष की शोचनीय अवस्था

—:०:—

कई दिन मुलतवी रहने के बाद लाहौर 'षड्यन्त्र' और साण्डर्स हत्या का मामला ५ अगस्त को फिर शुरू हुआ। अभियुक्त जतीन्द्रदास, शिव वर्मा, देशराज और अजयकुमार घोष अत्यन्त दुर्बलता और रोग के कारण नहीं आसके थे अजय की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई है। ५ ता० को उन्हें जबरदस्ती खिलाने के कारण उनकी स्वास और नब्ज़ तेज़ चलने लगी और बाद को बहुत गिर गई। ख़बर है, कि, उनको खून की क़य हो रही है, वे करवट तक नहीं ले सकते। शेष १२ अभियुक्त आज सदैव की भांति अपने नारे बलन्द करते हुए अदालत में दाख़िल हुए

पत्रकार और तलाशी

आज स्थानीय तमाम अख़बार-नवीसों और समाचार एजेंसियों की ओर से मेजिस्ट्रेट को अर्ज़ी दीगई कि हमारी रोज़ तलाशी ली जानी बन्द की जाय, क्योंकि हम सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मेजिस्ट्रेट ने पुलीस तहक़ीकात द्वारा इसका विश्वास कर लिए हैं। और यदि हमारी तलाशी ली जानी जारी ही रखी जाय, तो हमें पुलीस वालों की तलाशी लेने का अधिकार दिया जाय।

अदालत में दाख़िल होने से पूर्व पुलीस की नियुक्ति हुई। एक मुसलमान ने तमाम स्त्री दर्शिकाओं की तलाशी ली

मिलने की आज्ञा नहीं

अदालत से जाते वक्त भकतसिंह ने कहा कि, हमारे रिश्तेदारों को हमसे मिलने दिया जाय। आज्ञा नहीं दी गयी क्योंकि मैजिस्ट्रेट अभियुक्तों की कमज़ोर सिहत पर मुलाक़ात के कारण पड़ने वाले ज़ोर का ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहता।

इस्तगासे के गवाह अदालत में

अभियुक्तों ने मेजिस्ट्रेट के पीछे खड़े कुछ हुए आदमियों की बाबत दर्याफ़्त किया कि, यह कौन हैं? एक पुलीस वाले ने बतया कि यह इस मामले के गवाह हैं। भक्तसिंह ने कहा कि, यह इस लिए यहां लाये गये हैं कि, ताकि वे अभियुक्तों को देखलें और शहादत के वक्त उनकी शिनाख़्त करलें।

सी० एम० गजट का कटाक्ष

सरदार भक्तसिंह ने सिविल मिलिटरी गज़ट के एक नोट की ओर अदालत का ध्यान दिलाया, जो उसने अनशन व्रत पर लिखा है। कहा कि उसने बिलकुल ग़लत बातें अभियुक्तों को नीचा दिखाने की लिखी हैं। अभियुक्त जतीन्द्र नाथ सन्याल ने कहा कि, इसके सम्पादक को मुआफ़ी मांगनी चाहिये। भक्तसिंह ने कहा कि मुझे कुछ पत्र प्रतिनिधियों से मुलाक़ात करने की आज्ञा दी जाय, ताकि उस लेख का प्रतिवाद हो जाय। ला० दुनीचन्द एडवोकेट ने कहा कि, मेजिस्ट्रेट स्वयं इस मामले में कारर्वाई करें। भक्तसिंह ने उनको वह लेख आज पढ़वा दिया। भक्तसिंह ने कहा कि, गज़ट के प्रतिनिधि को अदालत में आने न दिया जाय। मेजिस्ट्रेट ने काररवाई करने से यह कह कर इनकार कर दिया कि, यह मामला झगड़े-तलब है, और कहा कि, मैं जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को लिखूंगा।

दत्त की बहिन।

दत्त की बहिन को अदालत में आने की आज्ञा मिल गई थी, लेकिन अपने भाई से मुलाकात करने की नहीं।

मामला मुल्तवी।

४ अभियुक्तों की हालत ख़राब होने से वे अदालत में नहीं आ सकते, उन्होंने अपना वकील भी खड़ा नहीं किया है, अतएव मेजिस्ट्रेट ने आगामी सोमवार १२, तारीख़ तक के लिए मामला मुल्तवी कर दिया।

ला० दुनीचन्द का प्रयत्न

अनशन तुड़वाने के लिए

अम्बाला के ला० दुनीचन्द एडवोकेट ५ ता० को अदालत में अभियुक्तों से मिले थे। उनको जेल में बुरी दशा में पड़े हुये ४ अभियुक्तों से मिलने की इज़ाजत भी मिल गई है। वे आशा करते हैं कि उनसे और भक्तसिंह आदि से जो बातें हुई हैं, उनसे कुछ अच्छा सुफल फलेगा वे अपना बयान निकालने वाले हैं।

सुभास बोस भी

श्रीयुत सुभास बाबू भी अनशन तुड़वाने की फिक्र में लाहौर जाने वाले हैं, फिलहाल तबीयत ख़राब होने से, वे नहीं जारहे, उन्हें पंजाब सरकार ने एतदर्थ आज्ञा दे दी है।

अभियुक्तों की दशा

जिनकी हालत ज्यादा ख़राब है। उनमें जतीन्द्रनाथ दास उसी दशा में हैं। देशराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शिव वर्मा और दत्त दुर्बल होते जा रहे हैं।

—०—

17 अगस्त 1929

कुरबानी रँग लायगी

पं० जवाहरलाल का वक्तव्य

लाहौर की दोनों जेलों के अनशन-व्रतियों से भेंट करने उपरान्त पं० जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य निकला है, जिसमें वे कहते हैं कि दिन में दो बार इन लोगों के पेट में ज़बरदस्ती भोजन ठूँसा जाता है। इसके कारण कुछ की दशा तो इतनी अबतर हो गई है, कि यह तरीका बन्द कर देना पड़ा है, और कुछ व्रती अभी अपनी ताक़त को इस ज़बरदस्ती के भोजन की वजह से क़ायम रखे हुए हैं। जिन लोगों की हालत खराब है वे ज्यादा दिन न चलेंगे, वे धीरे धीरे मौत के घाट लग रहे हैं। जतीन्द्र दास की दशा विशेषतः शोचनीय है—वे बेहद कमज़ोर हैं, करवट तक नहीं ले सकते, बहुत धीरे बोलते हैं, उनको अत्यन्त कष्ट है और वे मौत का पँडा देख रहे हैं।

इन असाधारण वीर युवकों और उनके कष्ट को देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे इन लोगों से ज्ञात हुआ है कि, वह अपने जीवन की बाज़ी लगा कर अपने व्रत पर दृढ़ रहेंगे। यथार्थ में उन्हें अपनी फिक्र नहीं है। वे राजनीतिक क़ैदियों की दुर्दशा को ख़ूब अनुभव कर रहे हैं। भक्तसिंह ने मुझे बताया है कि क़त्ल के अपराध को छोड़ कर तमाम राजनीतिक बन्दियों से विशिष्ट व्यवहार होना चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि, इन युवकों का महान आत्मत्याग सफल होगा।

लाहौर का मुकद्दमा।

फिर मुलतवी हुआ।

लाहौर 'षडयन्त्र' केस में १२ ता० को पेशी होने वाली थी, लेकिन, चूँकि अभियुक्तों की दशा शोचनीय है, अतएव मेजिस्ट्रेट ने मामला १९ अगस्त तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया है। पत्रकारों की दरख़ास्त पर मेजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कि, आयन्दा से अखबार वालों तथा अन्य लोगों को जाँच-पड़ताल के बाद आज्ञापत्र मिला करेगा। ऐसे लोगों को अपने दो फोटोग्राफ दाख़िल करने पड़ा करेंगे जिनमें से एक, आज्ञा पत्र पर चिपका रहेगा, दूसरा दफ़्तर में रहेगा। इस प्रकार पुलीस को रोज़ तलाशी लेने की झंझट मिट जायगी।

—o—

आन पर मर जायंगे!

अनशनव्रतियों की भीषण प्रतिज्ञा

हालत दिन दिन अबतर!

लाहौर केस के अभियुक्तों से मिलकर आये हुए उनके सम्बन्धियों का कहना है कि, अनशनव्रतकारियों की अवस्था बद से बदतर होती जारही है। भक्तसिंह को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। उनके सम्बन्धियों ने अख़बार वालों से कहा है कि, अभियुक्त नहीं चाहते कि, पैरोकार कमिटी उनकी सफ़ाई के लिये पैरोकारी करे। वे अपनी साध के लिये जीवनोत्सर्ग कर देने का निश्चय कर चुके हैं।

दास की दशा बहुत ख़राब होने से भक्तसिंह को बारस्टल जेल में उनके पास भेज दिया गया था। खबर है कि भक्तसिंह ने किसी तरह दास को दवा खाने के लिये राज़ी कर लिया है।

अनशन और सरकार

पंजाब के गवर्नर लाहौर में २ दिन रह कर और पुलीस और जेल के कर्मचारियों और गैर-सरकारी आदमियों से मिलकर चले गये। अर्थसचिव मि० स्टो से डा० गोपीचन्द्र भार्गव मुलाकात कर चुके हैं।

भारत सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब सरकार ने अभियुक्तों और बंदियों की जांच के लिये एक प्रान्तिक कमिटी नियुक्त करने का निश्चय किया है। इस कमिटी के लिये ६ गैर सरकारी आदमी भी बुलाये गये हैं।

अपनी पहिली विज्ञप्ति के सिलसिले में पंजाब सरकार ने इतनी सूचना और प्रकाशित की है कि, लाहौर केस के अभियुक्तों को फी आदमी फी ख़ुराक ।||)१ पाई की हमने दी थी, जब कि सपरिश्रम गोरे बन्दी का ।|≲)||| और सादी सज़ा वाले को फी कस फी ख़ुराक ।|≠)|| ख़र्च पड़ता है।

अभ्युदय

31 अगस्त 1929

लाहौर में भगतसिंह-दत्त-दिवस मनाने के दिन मैजिस्ट्रेट का हुक्म न मानने के अपराध में सरदार मंगलसिंह, मौ० जफरअली खां, डा० अमरनाथ आदि १० व्यक्तियों पर जो मुकदमा चल रहा था, उसमें उपर्युक्त तीनों व्यक्ति छोड़ दिये गये, और शेष में २ को एक महीने की सादी कैद, १०० रु० जुर्माना तथा छूटने पर साल भर के लिए नेकचलनी की ५०० और २५० रु० की ज़मानत और मुचलका देने की सज़ा दी गयी और बाकी लोगों को अदालत न उठने तक वहीं बैठे रहने की सज़ा दी गयी। फ़ैसले के विरुद्ध अपील की जारही है।

अभ्युदय

7 सितम्बर 1929

लाहौर का अनशन व्रत समाप्त?

अनशनकारियों को मांगें पूरी करने का वादा

अभियुक्तों ने ता० २ को दूध ग्रहण किया।

यतीन्द्रनाथदास मृत्युशय्या पर पड़े हैं !!

भाई ने ज़मानत पर छुड़ाना अस्वीकार कर दिया !!

लाहौर षड़यंत्र के मामले के अभियुक्तों ने अन्त में गत २ सितम्ब को अपने साथी श्री० यतीन्द्रनाथ दास की अत्यधिक खराब हालत देख कर तथा जेलों की जांच करने के लिए नियुक्त कमेटी द्वारा अपनी मांगों को पूरी करने का वचन पाकर सन्ध्या समय ५ बजे अनशन व्रत समाप्त कर दिया। जेल-जांच-कमेटी के सदस्य श्री० दुनीचन्द, सरदार महताब सिंह, चौधरी अब्दुल हक़ और राय बहादुर मोहनलाल प्रायः एक हफ्ते से इस बात का बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि अभियुक्त भोजन करना स्वीकार कर लें।

व्रत समाप्त कैसे हुआ

इस सम्बन्ध में जांच कमेटी के उपर्युक्त ४ सदस्यों ने एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुये कहा है कि हम लोगों के प्रबल अनुरोध करने पर और अपने साथी यतीन्द्रनाथ दास की दशा देख कर श्री० भक्तसिंह तथा उनके अन्य साथी अभियुक्तों ने २ सितम्बर की शाम को ५ बजे अनशन व्रत तोड़ दिया। यह अनशन व्रत की हड़ताल सरकार की न्यायोचित नीति और कमेटी के अध्यक्ष लेफटिनेण्ट कर्नल बारकर के सहानुभूति पूर्ण व्यवहारों के कारण समाप्त हुई है। साथ ही हड़ताल के समाप्त कराने में कांग्रेस के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को भी श्रेय प्राप्त है। अन्त में सदस्यों ने श्री० यतीन्द्रनाथ दास की मरणासन्न स्थिति को देखते हुए सरकार से उन्हें फौरन छोड़ देने की सिफ़ारिश की है।

कमेटी के वादे

खबर है कि मेम्बरों ने इन बातों की सिफारिश करने का निश्चय किया है कि (१) यूरोपियन और हिन्दुस्तानी कैदियों में कोई भेदभाव नहीं रखा जायगा और जो भोजन हिन्दुस्तानियों को दिया जायगा वही यूरोपियनों को भी दिया जायगा। राजनैतिक कैदी साधारण और स्पेशल क्लास, इन दो दर्जों में रखे जायंगे। स्पेशल क्लास में भी ए० बी० और सी० तीन विभाग होंगे, जिनमें सी० को ॥।) रोज, बी० को १) रोज भोजन के

लिए दिये जायंगे और ए० क्लास वालों को हर तरह की सुविधा दी जायगी, जिसमें बिजली की रोशिनी पंखा दिया जायगा तथा आवश्यकता के समय उन्हें पहाड़ पर भी भेजा जायगा। खबर है कि इन्हीं निश्चयों को बिना पर कमेटी प्रश्न तैयार कर रही है। २३ सितम्बर वह गवाहियाँ लेनी शुरू करेगी।

श्री० यतीन्द्रनाथ की दशा

हुत बदतर हो गई है। डाक्टरों का कहना है कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। केवल वक्षस्थल में रक्त संचालन होता है और बाकी ङ्ग भूठे पड़ गये हैं। उनके भाई श्री० किरणचन्द्र दास उनके पास पहुंच गये हैं और उन्होंने रेलवे अधिकारियों से श्री० यतीन्द्रनाथ के शव को कलकत्ता ले जाने के लिए विशेष प्रबन्ध करने को कहा था, जिसे रेलवे वालोंने स्वीकार किया है और पूरा प्रबन्ध कर देने को कहा है।

पंजाब सरकार ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हिदायत कर दी है कि मि० यतीन्द्रनाथ दास की भयावह स्थिति को देखते हुए यदि उनकी ओर से जमानत की दर्खास्त दी जाय तो उसका विरोध न किया जाय। यह बात यतीन्द्रनाथ के भाई से कही गयी किन्तु उन्होंने ज़मानत पर भाई को छुड़ाने से इनकार कर दिया है

अन्य अभियुक्त कैसे हैं

अन्य अभियुक्तों की दशा अच्छी है यतीन्द्रनाथ के अतिरिक्त अभी शिवराम भी अस्पताल में ही हैं।

मुक़दमा फिर मुल्तवी

लाहौर षड्यंत्र का मुक़दमा ४ अभियुक्तों के अदालत में हाज़िर न हो सकने के कारण १२ सितम्बर तक के लिए फिर मुल्तवी हो गया है।

—०—

भक्तसिंह और दत्त की अपील

एसेम्बली बम-काण्ड के मामले में आजन्म कालेपानी की जो सज़ा श्री० भक्तसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त को हुई थी, उसके खिलाफ अपील लाहौर हाईकोर्ट में की गई थी। अपील की सुनवायी ४ नवम्बर पेश होगी।

अभ्युदय

!!! छप गयी !!!

मनुष्य का धर्म

या

DUTIES OF MAN

इटली के महात्मा मेजनी की 'ड्यूटीज़ आव मैन' नामक जिस पुस्तक का संसार में मान और प्रचार है उसी प्रसिद्ध पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद है। दुनिया की अनेक भाषाओं में इस ग्रन्थ-रत्न की लाखों प्रतियाँ और हज़ारों संस्करण निकल चुके हैं और लोग इसे धर्मग्रन्थ के तौर पर पढ़ते हैं। आप भी तुरन्त आर्डर भेज कर इसे मंगाइये। चरित्र-निर्माण करने में यह एक सद्गुरु का काम देगी। मूल्य ॥=)

मैनेजर—अभ्युदय प्रेस, प्रयाग।

Regd No A 390

अभ्युदय

सम्पादक—पं० कृष्णकान्त मालवीय

उत्यातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कर्मसु। भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सतत मव्यथैः। (व्यासः)

अभ्युदय का मूल्य

वार्षिक	... ...	३॥)
छः मास का	... ...	२)
एक प्रति का	... ...	-)

मैनेजर—"अभ्युदय"

प्रयाग।

प्रयाग शनिवार आश्विन कृष्ण ३ सम्वत् १९८६ ता० २१ सितम्बर सन् १९२९ ई०

सरदार भक्तसिंह और दत्त को छोड़ कर ख़बर है कि लाहौर के बाकी अन्य अभियुक्तों ने अनशन एक बार तोड़ कर फिर शुरू किया, और अब फिर तोड़ दिया है, लेकिन बाबा सोहन सिंह और मि० बनर्जी, लाहौर जेल के षड़यन्त्र के पुराने क़ैदी, अब भी भक्तसिंह-दत्त का साथ दे रहे हैं। दत्त की हालत चिन्ताजनक होती जारही है, भक्तसिंह भी बहुत दुर्बल हो रहे हैं। १७ ता० को जेल कमिटी के मेम्बरों ने इनसे मुलाक़ात की। यतीन्द्र के मामले को लेकर जेल कमेटी में वादविवाद छिड़ गया है। कमेटी का प्रधान कर्नल बारकर कहता है कि यह कहना ग़लत है कि यतीन्द्र दास को बिला शर्त के छोड़ देने के लिए कमेटी ने सरकार से सिफ़ारिश की थी। कमेटी के चारों हिन्दुस्तानी सदस्यों ने कर्नल के इस कथन का सप्रमाण खण्डन किया है।

—०—

अभ्युदय

12 अक्टूबर 1929

सरदार भगत सिंह

श्री बटुकेश्वर दत्त

आ०-इ० कांग्रेस कमिटी के आदेश के अनुसार इन दोनों वीरों ने, भी १११ दिन तक रखी हुई भूख-हड़ताल को छोड़ दिया है।

लाहौर की 'साज़िश'

सरकारी वकील मुकर्रर हों

लाहौर 'षड्यन्त्र' केस की ५ ता० की पेशी में सफ़ाई के वकील ने अदालत से शिकायत की कि, गवाहों के साथ पुलीस वाले अदालत तक चले आते हैं। सरकारी वकील ने विरोध करते हुये भी पुलीसमैनों को गवाहों से दूर रखने की बात मान ली। अभियुक्त विजयकुमार सिंह के यह शिकायत करने पर कि, अदालत में आने वाली अभियुक्तों की सम्बन्धिनों और मित्रों का पुलीस वाले अपमान करते और उन्हें दिक़ करते हैं, मेजिस्ट्रेट ने दरवाजे पर खड़े रहने वाले पुलीसमैन को तम्बीह कर दी कि, वह इन लोगों को उचित सुविधायें दिया करे। आज की पेशी में एक अहलकार परशुराम और डा० गोपीचन्द की शहादतें हुईं। परशुराम ने नास्तिक होने के कारण हलफ़ लेने से इनकार कर दिया। ज़ात पूछी जाने पर कहा कि, मैं जन्म का गुलाम और क़ौम का हिन्दुस्तानी हूं। सरकारी वकील ने बार बार कहा कि उचित उत्तर दीजिये। सरदार भक्तसिंह ने कहा कि, आप उसे क़ायल कर दीजिये कि, वह गुलाम नहीं है, सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि, हमें तो आज़ाद आदमी चाहिये। बटुकेश्वर अभियुक्त ने कहा, भारत में आप एक भी ऐसा न मिलेगा। सफ़ाई के वकील के प्रतिवाद करने पर भी मेजिस्ट्रेट ने परशुराम की गवाही न लिये जाने का आर्डर दे दिया। आज ४ अन्य शहादतें भी हुईं। आज भक्तसिंह दत्त ने जिस वक्त अदालत में कलेवा किया, उस वक्त काररवाई बन्द रही।

७ ता० की पेशी में सहारनपुर में पकड़े गये ५ बम, ५ तमञ्चों और २ कारतूसों और इनके साथ गिरफ़ार हुए अभियुक्त डा० गया प्रसाद, शिवराम और जयदेव के सम्बन्ध में सहारनपुर के डी० एस० पी० मथुरादास, एक थानेदार तथा एक दूसरे गवाह की शहादतें हुईं। मथुरादास ने कहा कि, शिवराम ने बम एक हाथ में सरसे ऊपर उठा लिया था। थानेदार ने कहा कि, अभियुक्तों के नाखून पीले से हो रहे थे, उन्हें खुरच कर परीक्षा के लिये भेज दिया गया था। सफ़ाई के वकील के ऐतराज़ करने पर कि, पुलीसवाले इस्तग़ासे के गवाहों को सिखाते हैं, अदालत ने भक्तसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंह को अदालत के बाहर इसे देखते रहने की इजाज़त दे दी। ६ ता० की पेशी में भी कुछ शहादतें इसी सम्बन्ध में हुईं। अभियुक्त शिववर्मा ने एक गवाह से जिरह की।

आठ अभियुक्तों ने अर्ज़ी दी है कि, सरकारी ख़र्च पर हमारी पैरवी के लिये वकील मुकर्रर किये जायँ। अदालत ने सफाई-पक्ष से एक फेहरिस्त ऐसे वकीलों की तलब की है जिनमें से वह किन्हीं को मुक़र्रर कर सके। दशहरे के कारण मामला १४ ता० तक मुल्तवी रहेगा।

पूने में दो नवयुवक जो पकड़े गये थे, और जिन्होंने अपने नाम बताने से इनकार कर दिया था, उनके सम्बन्ध में पूने में तलाशियां हुईं। कहा जाता है कि इन युवकों का सम्बन्ध साउण्डर्स हत्या के मामले से है। पूने से तीन युवक लाहौर भेजे गये हैं, उनके नाम हैं— शिवराम राजगुरु, करन्दीकर और सुखरे।

मेजिस्ट्रेट ने सफ़ाई की इस दरख़ास्त को ख़ारिज कर दिया कि, मुखबिरों को पुलीस की हिरासत से हटा कर अदालती-हवालात में रखा जाय।

—०—

अभ्युदय

23 अक्टूबर 1929

लाहौर 'साज़िश' केस

मुखबिर का आयन्दा बयान

चौथे दिन की पेशी में जयगोपाल ने कहा कि सुखदेव के कहने पर मैं फिरोजपुर से अमृतसर गया, जहाँ डाक्टर गयाप्रसाद ने मुझे बम बनाने का सामान दिया। मैंने यह सामान अमृतसर में कालीचरण को दिया। २९ फरवरी को मैं वहाँ से लाहौर आया। मुझे कोहाट जाने को कहा गया। वहां मुझे अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते का पता लगाने का काम सौंपा गया, क्योंकि अफगानिस्तान के महाभारत स्वराज्य दल वालों से क्रान्तिकारियों का मुख्य दल सम्मिलित करना चाहता था। मुख्य दल में पंजाब का प्रतिनिधित्व भगतसिंह और सुखदेव करते थे। मुझे बालकराम के नाम एक चिट्ठी मिली। बालकराम सुखदेव के चाचा हैं, ये कोहाट के पास शिकारकोट के स्टेशन मास्टर थे। अपनी इस चिट्ठी में सुखदेव ने इन्हें कोहाट में मेरे लिए कोई नौकरी का बन्दोबस्त कर देने की बात लिखी थी। बालकराम ने मेरे लिए डाक्टर आगरसिंह से सिफारिश की। मैं कंपाउडर के पद पर रख लिया गया। सुखदेव जब शिकारकोट पहुँचा तब मैं कोहाट से उससे मिलने वहां गया। हम दोनों फिर पेशावर गये। वहां से सुखदेव लाहौर चला गया और मैं कोहाट। १४ अप्रैल को मैं लाहौर आया। सुखदेव ने कहा कि हम लोगों ने बम तैयार किये हैं और इसके लिए आगरे में एक कारखाना खोला है। उसने यह भी कहा कि हम युक्तप्रान्तीय पुलीस के तसद्दुक हुसैन को, युक्तप्रान्तीय खुफिया पुलीस के बनर्जी को, दिल्ली षड्यन्त्र वाले मामले में इकबाली गवाह दीना नाथ को और लाहौर के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डित बनर्जी की हत्या करना चाहते हैं। शाम को हम लोग घूमने गये। पिस्तौल से गोलियां चलायीं। कुछ आगे हमें एक पठान मिला, उसके पास एक बन्दूक थी। उसने हमें तीन रुपये दिये और ६ फायर स गोल ले कर अपना बन्दूक से चलाये। सुखदेव ने जाते समय कहा कि मुझे चिट्ठी मत देना। ज़रूरी काम हो तो लाहौर आकर मिल लेना। १२ अप्रैल को मैं बालकराम से ५) लेकर लाहौर गया और गुरुदत्त भवन में प्राणनाथ से मिला। पर उसने कहा कि मुझे सुखदेव का पता मालूम नहीं है। बाहर निकलने पर अकस्मात ही सुखदेव मिल गया। बातचीत होने पर उसने भगतसिंह और दत्त के असेम्बली-बम-केस में पकड़े जाने की बात कही। वहाँ से हम किला गूजरसिंह के मकान में आये। सोने के पहले सुखदेव ने कहा कि हमने काफी बम बना लिए हैं और सामग्री इकट्ठी करली है। हमारी एक बम फैक्टरी आगरे में भी है। मैंने कहा कि तुमने मुझे तो अब तक बम बनाना नहीं सिखाया है, उसने कहा कि क्या करें तुम्हें सीमाप्रान्त पर भेजने का हुक्म आ गया था, इसलिए नहीं सिखा सके। दूसरे दिन किशोरीलाल भी आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे बम दिखाओ। सुखदेव ने कहा धैर्य रखो. दिखलायेंगे, हम तुम ही उसे चलायेंगे, केन्द्र समिति ने तसद्दुक हुसैन, बनर्जी और एक जेलर को प्राणदण्ड देना तय किया है। १५ अप्रैल को पुलीस ने किला गुजर सिंह में हमारे घर पर धावा किया। हम लोगों की जामातलाशी ली गई और वहां एक रिवाल्वर पाया गया। सुखदेव, किशोरीलाल और मैं तीनों वहां गिरफ्तार कर लिए गये। (खत्म)

मुखबिर ने जिरह में बताया कि मैंने सबसे पहले मुगलपुरा के थाने में अपना बयान दिया था, मगर बयान देने की तारीख याद नहीं है। असहयोग आन्दोलन के कारण मुझे राष्ट्रसेवा के भाव जाग्रत हुये थे। पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सच-सच बात कही है। मैंने जुबिली इन्स्टीट्यूट में बम के खोल बनाने की जानकारी प्राप्त की थी जिससे बम बनाने में सुविधा हो। यह जानकारी मैंने पार्टी के लिए नहीं प्राप्त की थी। मैं अनेकों आदमियों को पहिचानता हूँ, पर नाम नहीं जानता। मुझे कभी यह सन्देह नहीं हुआ कि पुलीस मेरा पीछा कर रही है। लाला जी गान्धीजी के अनुयायी थे। मेरा यह विचार नहीं है कि गान्धी के सिद्धान्तों से देश का बहुत लाभ होगा। जिरह लम्बी हुई।

24 अगस्त 1930

लाहोर 'साज़िश' केस: नया शिगूफ़ा

मुखबिर ने ऐन मौक़े पर बयान बदल दिया

लाहोर का २० ता० का तार है कि, 'साज़िश' केस में आज दोपहर के बाद इस केस में ७ वें और आख़िरी मुखबिर ब्रह्मदत्त ने अपना मेजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ पहला बयान वापस लेना चाहा। उसने कहा कि, वह बयान मैंने धौंस के कारण दिया है। उससे बहुत से सवाल किये गये, जिनका उत्तर देने या तो उसने इनकार किया या उनके उलटे जवाब दिये। अदालत ने कहा कि गवाह विरोधी बन गया है और इस्तगासा से कहा गया कि वह मुख़बिर से जिरह करें। ब्रह्मदत्त, कानपुर के डी० ए० वी० कालिज की फ़र्स्ट इयर में पढ़ता था। ख़बर है कि, भक्तसिंह को छोड़ कर अन्य अभियुक्त २१ ता० से अदालत में आने वाले थे।

—०—

5 सितम्बर 1930

सरदार भगतसिंह अनशन जारी है

कमजोरी बहुत बढ़ गई है

लाहौर की खबर है कि एसेम्बली बम-केश और लाहौर 'षड़यंत्र' केस के सरदार भगतसिंह ने जेल में जो अनशन शुरू किया था, वह अभी जारी हैं। उनको जबर्दस्ती खाना खिलाया जाता है। कमजोरी उनकी बहुत बढ़-गई है।

—o—

7 सितम्बर 1930

भगतसिंह और दत्त भूख हड़ताल बंद कर दी

सरदार भगतसिंह ने लाहौर सेण्ट्रल जेलमें ४१ दिनों तक अनशन करने के बाद भूख हड़ताल बन्द कर दी। कहते हैं कि १३ वर्षों की सजा काट कर जेल से आनेवाले बाबा सोहनसिंह और अपने पिता सरदार किशनसिंह के बहुत जोर डालने पर उन्होंने भोजन करना शुरू किया है। श्री० बटुकेश्वर दत्त को भी अनशन बन्द करने का अनुरोध करने लिये उनकी बहन मुलतान जेल गयी हैं।

प्रतिनिधियों का निश्चय किया जायगा।

वाइसराय ने उत्तर दिया कि नेताओं के पत्र से कुछ आशा नहीं मालूम होती। उन्होंने यह भी कहा था कि लाहौर-और चटगांव के आर्डिनेन्सों को छोड़कर और सब हटा लिये जा सकते थे परन्तु कैदियों की रिहाई के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

—०—

15 सितम्बर 1930

श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त

सरदार भगतसिंह

देहली बम केसके कैदी—जिन्होंने आपने साथी सरदार भगतसिंह के भूख-हड़ताल करने पर, राजनीतिक कैदियों के हित के लिये, ४५ दिन निराहार युद्ध किया !

लाहौर 'षड्यन्त्र' केसके अभियुक्त, जिन्होंने इस वर्ष भी राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिये ४१ दिन अनशन किया। आपकी किस्मत का फैसला होने वाला हैं।

अभ्युदय

2 अक्टूबर 1929

लाहौर षड़यंत्र का मुकद्दमा

अभियुक्तों के साथ पाशविक व्यवहार

अखबारी रिपोर्टर और दर्शक निकाले गये

अभियुक्तों ने मौजूदा अदालत से मुकद्दमा किसी दूसरी अदालत में भेजने विषयक जो अर्जी लाहौर हाईकोर्ट में दी थी, वह खारिज हो गई। इस मामले में पूने में गिरफ्तार हुआ एक अभियुक्त शिवराम उर्फ राजगुरु और आगया है। १६ ता० की पेशी में श्रीयुत सुभास बोस, बाबा गुरुदत्त सिंह आदि भी उपस्थित थे। स्वर्गीय यतीन्द्र के भाई किरणचन्द्र दास की तलाशी ली जाने लगी तो उन्होंने तलाशी देकर भीतर जाने से न जाना ही उचित समझा। बाद को एक दिन इकबाली गवाह जयगोपाल की शहादत शुरू हुई। उसने अपना बयान शुरू किया तो एक आवाज आई कि सच बात कहो। उसने मूंछों पर ताव देकर अभियुक्तों की ओर कहा कि सच बात ही कह रहा हूं। इसी समय जयगोपाल सन्नाटे में आगया और हक्का बक्का सा हो गया। पीछे मालूम हुआ कि एक स्लीपर उस पर फेंका गया था, जो उसको नहीं लगा। प्रेमदत्त अभियुक्त ने आगे बढ़ कर कहा कि यह जूता मैंने फेंका है, अन्य अभियुक्तों ने भी प्रेमदत्त के इस कार्य से अपने को अलग बताया और खेद प्रकट किया। इसी समय बोर्स्टल जेल का नायब जेलर ऊपर आया और एक आराम कुर्सी का उखाड़ा हुआ हत्था लेकर कहने लगा कि, इसे अभियुक्तों ने फेंकने की गरज से तोड़ डाला है। अभियुक्तों ने कहा इसे हमने नहीं इसे जेलर ने तोड़ा है। मैजिस्ट्रेट के हुक्म से सब को हथकड़ियां पहना दी गईं। अभियुक्तों ने एक लिखित बयान पेश किया, जिसमें जूते की घटना से अपना अलगाव और खेद प्रकट किया। मामला स्थगित कर दिया गया। दूसरे दिन अभियुक्त देर तक अदालत नहीं आसके। मालूम हुआ कि, उनपर कल की घटना के लिये मामला चलाया जा रहा है, लेकिन प्रेमदत्त को छोड कर अन्य अभियुक्तों पर केस नहीं चला। प्रेमदत्त को तीन मास की काल कोठरी दे दी गई। अन्य अभियुक्तों ने दोनों हाथों में हथकड़ी पहन कर आना स्वीकार कर लिया था, इस लिये मामला उठा लिया गया। २३ अक्टूबर को अदालत में आने पर दत्त ने कहा कि, पांच पुलिसवाले मेरी छाती पर बैठ गये थे, और ठाकरें लगाई थीं। प्रेमदत्त ने चिल्ला कर कहा, पुलीसवालों ने मेरी गुदा में उंगली डाली थी, क्या यह सभ्यता है? भक्तसिंह ने मेजिस्ट्रेट से कहा कि यदि आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो आप इस कुर्सी से उठ जाइये। विजय कुमार और दत्त ने कहा कि हमारे अङ्ग पीड़ित हैं हम अदालत में बैठ नहीं सकते। मेजिस्ट्रेट ने कहा मैं कुछ न सुनूँगा।

भक्तसिंह—अभियुक्तों को जो कुछ भी कहना होगा, उसे आपको सुनना पड़ेगा। हमारे बयान लिखने का समय कब आवेगा? क्या इसी तरह आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे हथकड़ियां क्यों पहनाई गई हैं? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि मैं आपके तहत में हूं या पुलीस के?

मजिस्ट्रेट-मेरे साथ बहस मत करो। भक्तसिंह-एक आदमी की भूल के लिए सब को सजा क्यों? जिसने भूल की थी उसे सजा हो चुकी है। यतीन्द्र सान्याल—हमने उसी समय कार्य से असम्मति जाहिर की थी। भक्तसिंह—तिस पर भी अदालत ने बड़ी बेहूदा नीति इख्तियार की। हमारी दरखास्त को पढ़े बिना आपने हुक्म दे दिया। हम मामले को बदलने के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त देंगे। मैं जो कुछ कहता हूं क्या उसे आप सुनते हैं? क्या आपने हमारी कही हुई बातें लिख लीं। सरकारी वकील—हां, नोट कर लिया। भक्तसिंह हथकड़ियों के बारे में आपका क्या हुक्म है? मजिस्ट्रेट—हथकड़ियां रहेंगी। विज

यसिह—और बयान के बारे में क्या कहते हैं? आपकी ऐसी अनुचित कार्रवाई के कारण अभियुक्तों ने निश्चय किया है कि दोनों हाथों में हथकड़ियां पहन कर हम अदालत में न आवेंगे। इस बयान के समय ही पुलिस के जवान विजयसिंह को घसीटते हुए अदालत में लाये। इसके बाद भक्तसिंह को भी इसी तरह लाया गया। दो चार मिनट बाद चार चार या पाँच पांच पुलिस वाले एक एक अभियुक्त को घसीट घसीट कर लाते और बेंचपर अनाज के बोरे की तरह फेंकते गये। सभी के दोनों हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थीं। भक्तसिंह ने बेंच से उठते हुए मजिस्ट्रेट के संबोधन करके कहाः—मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्या आप देखते हैं कि क्या हो रहा है?

भक्तसिंह के बाद एक एक अभियुक्त को ला कर पुलिसवाले कटघरे के दरवाजे पर बोरी की तरह फेंकते गये और थोड़ी देर में अभियुक्तों का ढेर गल्ले की बोरियों के ढेर जैसा मालूम पड़ने लगा।

भक्तसिंह—उत्तरदायित्व आप पर है। क्या यह अंग्रेजी जेल है और क्या हम भी ब्रिटिश साम्राज्य में ही रहते हैं? क्या आप यह सब देख रहे हैं? आपकी आंखों के सामने यह सब हो रहा है। कुछ अभियुक्त चिल्ला उठे कि एक अभियुक्त बेहोश हो गया।

इस समय अदालत में बड़ी सनसनी फैल गई, और सीनियर पुलिस सुपरिन्टेण्डेन्ट ने सरकारी एडवोकेट के पास आकर कहा कि अदालत खाली करा दीजिये।

मजिस्ट्रेट हां, अदालत खाली करा दी जाय।

इसपर सीनियर पुलिस सुपरिटेण्डेन्ट ने अखबारों के सभी रिपोर्टरों को चले जाने का हुक्म दिया। रिपोर्टर अदालत के अहाते से भी निकाल दिये गए। श्री दत्त की बहन और विजयसिंह की मां तथा बहन ने अभियुक्तों पर होनेवाले व्यवहार का घोर प्रतिवाद किया और वे अदालत से बाहर चली गईं कुछ देर बाद सीनियर पु० सुपरिण्टेण्डेण्ट ने आकर बाहर खबर दी कि अदालत बरखास्त कर दी गई है, इस लिये सब साहब जांय। रिपोर्टर निकाल दिये गए थे इस लिये पता नहीं चल सका कि अदालत के कमरे के अन्दर पीछे क्या हुआ।

—०—

लाहौर साज़िश का एक सदस्य

अब मुखबिर बना गुल खिला रहा है।

सरकारी गवाह जयगोपाल का बयान

स्काट् स के धोखे में साण्डर्स मारा गया

मुखबिर जयगोपाल का बयान २५ अक्टूबर को शुरू हुआ उसने कहा कि सन् १९२६ में मैं राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ता था। सुखदेव ने मुझ से कहा कि तुम राष्ट्रीय स्कूल के विद्यार्थी हो, मेट्रिक पास करने के बाद तुम देश की सेवा करना। हम लोगों को अन्य देशों की भांति गुप्त संस्थाएं बनानी चाहियें। दूसरी बार सुखदेव जब मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि तुम गुप्त संस्था में सम्मिलित हो सकते हो। इस संस्था का उद्देश उन्होंने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना बताया। इस काम के लिए तीन साधन बताये—धन जन और शस्त्रास्त्र। धन प्राप्त करने के लिए सरकारी डाकखानों और बङ्कों को लूटा जाय और बम बनाये जाँय। सुखदेव के कहने से मैं लुहारगीरी का काम सीखने के लिए विक्टोरिया इन्स्टीट्यूट में भर्ती हो गया। सन् १९२७ के मई मास में मैं जुबिली इन्स्टीट्यूट में भर्ती होने को लाहौर गया था। मैं वहां सुखदेव से मिला। उसने मुझे एक गुप्त कमरा लेने को कहा था जहां वह और मैं एक साथ रह सके। गर्मी की छुट्टियां आ पहुंचीं, किन्तु सुखदेव ने मुझको घर जाने से मना किया और लोहे की पत्तियां बनाने का काम सीखने के लिए किसी ढलाई-खाने में भर्ती होने को कहा। मैं एम्पायर इञ्जीनियरिङ्ग वर्कस में उम्मीदवार हो गया। सुखदेव ने मुझसे कहा कि उसकी चिट्ठियाँ अब उसके (गवाह के) पते से आया करेंगी और डियर जय गोपाल के नाम लिखी चिट्ठियां सुखदेव की होंगी। एक दिन मुझे दोपहर को अपने कमरे में सुखदेव और भक्तसिंह मिले। भगत सिंह को मैं राष्ट्रीय कालेज के छात्र की हैसियत से पहचानता था। दोनों के बगल में ६ अथवा ७ इंची लम्बे चाकू पड़े हुए थे। गवाह ने ६ चाकुओं में से एक चाकू की शिनाख्त की। भक्तसिं हुए थे। गवाह ने ६ चाकुओं में से एक चाकू की शिनाख्त की। भक्तसिं ने मुझसे पूछा कि मैं भी जीविका के लिए क्या करना चाहता हूं। मैंने कहा कि लोहे की पत्तियों के कारीगर का पेशा अख्तियार करूंगा। भक्तसिंह ने कहा बिलकुल ठीक, अपने काम में दत्तचित्त हो लग जाओ। सुखदेव ने कहा कि हम लोग काफ़ी अर्से तक इस इमारत में रह चुके हैं और अब घर बदल देना चाहिये। लक्ष्मन गली में एक कमरा किराये पर लिया गया। सुखदेव ने मुझे 'बन्दी जीवन' 'स्वाधीनता का पुजारी,' 'रूसी विप्लव', 'मैज़िनी का जीवन चरित्र,' गोर की लिखित 'क्रान्ति' 'आयरिश स्वातन्त्र्य संग्राम', नामकी पुस्तकें दी थीं। इन किताबों को पढ़ने से मेरे मन में मातृ भूमि की सेवा के भाव जगे और माता पिता आदि को छोड़ने के पक्ष में प्रेरणा हुई।

सन् १९२८ के जनवरी मास में भगतसिंह और हंसराज मेरे घर पर आया जाया करते थे। सुखदेव मेरे [illegible] रहता था। इससे [illegible] मेरी कोई [illegible] ो। इन [illegible] था एक [illegible]

छः तल कार्तूसी तमंचा रहता था। गवाह ने इस तमंचे की शिनाख्त की। सुखदेव ने मुझसे कहा कि हंसराज वोहरा जिला-सङ्गठन-कर्ता की हैसियत से रावलपिण्डी गया है और उसने मुझको (गवाह) उसके अधीनस्थ कर्मचारी बन कर काम करने के लिये रावलपिण्डी जाने का हुक्म दिया है। सुखदेव ने मुझे बहुत से आदेश किये, अर्थात् इस दल का कोई दूसरा व्यक्ति मिले तो दोनों आदमी एक दूसरे को अपना नाम-धाम नहीं बतावें, वे लोग जिस जगह पहुंचे वहां का ही पहनावा ग्रहण करें, मैं अपना नाम हरबंशलाल रखूं, सन्देह से बचने के हेतु मैं कोई नौकरी कर लूं, नये स्थान पर पहुंचने पर वहां का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, बम्बई एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे के आखिरी डब्बे में मैं बैठूं। बस, मैं कुर्ता और लुङ्गी ले आया और बसन्तोत्सव के दो दिन पूर्व बम्बई एक्सप्रेस से रवाना हो गया।

बादामी बाग़ स्टेशन पर भक्त सिंह मेरे डिब्बे मे आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ रावलपिण्डी जा रहा है एवं हंसराज वोहरा से मिलकर वहां से लौट आयेगा। पिंडी में हंसराज वोहरा हम लोगों से रेलवे स्टेशन पर मिला और हमें अपने घर ले गया। रावलपिण्डी में हम एक दो दिन घूमे और भगतसिंह वहां से रवाना हो गया। हन्सराज वहां तिरलोकचन्द के नाम से रहता था और उसकी चिट्ठी पत्री सुखदेव से होती, किन्तु यह सब मुझसे गुप्त रखी जाती थी। हंसराज कालेज के छात्रों से मिला करते थे, ताकि उनमें से उपयुक्त व्यक्तियों को फुसला लाया जाय। हंसराज ११ फरवरी को पिण्डी से रवाना हो गया। रवाना होने के पूर्व उसने मेरा परिचय आर्यसमाजी उपदेशक

गया। रवाना होने के पूर्व उसने मेरा परिचय आर्यसमाजी उपदेशक
पं० सत्यपाल से कराया। मैं सत्यपाल का इस दल का सदस्य समझता था। इसी अर्से में सुखदे यहां आ गया और उसने मु सत्यपाल के साथ रहने और मका छोड़ देने को कहा। सुखदेव ने मु बिना किसी अत्यन्त आवश्यकत के पत्र लिखने का निषेध कर दिया सुखदेव अभ्यास करने के लिं हवाई पिस्तौल खरीदना चाहता थ हम, इब्राहम एण्ड सन्स, के यह गये और ३० रु० में एक पिस्तौ खरीदा। गवाह ने हवाई पिस्तौ की शिनाख्त की। अभियुक्तों हवाई पिस्तौल देखनी चाही, किन्तु पिस्तौल उन लोगों के हाथ नहीं दिया गया।

आगे गवाह ने कहा कि आर्य समाज के जलसे में शामिल हो लिए सत्यपाल साथ पेशावर गया। वहां से हम लोग खैबर गये। पिण्डी लौट आने पर सत्यपाल ने मुझे एक हवाई पितौल खरीदने को कहा और मैंने पिस्तौल खरीदा। कुछ गोलियां भी खरीदी गयीं। मैं और सत्यपाल चांदमारी का अभ्यास करते थे।

रावलपिण्डी में मेरा जी ऊब गया और मैं वहां से रवाना हो गया। मैं सुखदेव से मिंटो पार्क में मिला, उसके साथ एक युवक था जिसके लम्बी दाढ़ी थी। सुखदेव ने मेरा परिचय इस आदमी से यह कह कर कराया कि यह डा० निगम हैं जो दवाओं की दूकान खोलने वाले हैं। गवाह ने कहा कि शिनाख्त की काररवाई के मौके पर पता चला कि वह निगम अभियुक्त गया प्रसाद था। मेरे साथ गया प्रसाद फ़िरोजपुर गया था। उसने मुझसे अपना मुलाजिम बन जाने को कहा और मैंने वैसा ही किया।

दूसरे दिन की पेशी में मुख़बिर ने कहा कि, फ़ीरोज़पुर इन लोगों का अड्डा था, यहीं यू० पी० के अराजक आकर रहते और विस्फोटक पदार्थ गया प्रसाद की दूकान में जमा किये जाते। यहीं पर भक्तसिंह के केश काटे गये थे। रामनारायण उर्फ़ शिव वर्मा भी यहाँ आये। उनके प ब ाल हुत से भड़कने वाले पदार्थ और षड़यन्त्र केसों की मिसल थीं। उन्होंने 'चांद' के लिए और षड़यन्त्रकारियों की जीवनियां लिखीं। एक दिन सुखदेव ने मुझसे यह तहकीकात करने को कहा कि, रेलवे का ख़ज़ांची किस दिन तनख्वाहें तक़सीम करने फ़ीरोज़पुर आने वाला है। प्रताप सिंह उर्फ़ महावीर सिंह [अभियुक्त] तथा पण्डित जी और भक्त सिंह भी फ़ीरोज़पुर आये। इन लोगों के पास माउज़र तमंचे थे। फिर वे लोग लाहौर गये। वहां १७ नवम्बर को मौज़ंग के एक मकान में पण्डित जी ने मुझसे एक सूट केस लाने को कहा, जो डी० ए० वी० कालेज–छात्रालय में देशराज के कमरे में खोला गया। इसमें अन्य चीज़ों के अतिरिक्त एक तमञ्चा भी था, इसी से साण्डर्स मारा गया। पंडित जी ने मुझे तमञ्चा भरना और ख़ाली करना बताया। जयगोपाल ने बताया कि, मेरे दल के सदस्य गोली बारूद को 'भोजन' कहा करते थे। पंजाब नेशनल बैङ्क पर डाका डालने की पूरी योजना कर ली गई थी, लेकिन उस दिन कोई मोटर नहीं मिली, इसलिये मामला फ़िस हो गया।

मोटर नहीं मिली, इसलिये मामला फ़िस हो गया।

तीसरे दिन की पेशी में जयगोपाल ने बताया कि, १० दिसम्बर को करीब के सदस्यों की एक सभा हुई। पण्डित जी ने प्रस्ताव किया कि पुलीस सुपरिण्टेण्डेन्ट मि० स्काट

मारा जाना चाहिये। [स्काट ने लाला लाजपतरायजी को डण्डों से मारा था] मुझे स्काट की आमदरफ्त पर निगाह रखने का काम सौंपा गया। मि० स्काट उस दिन आफिस नहीं आये थे। मैं लौट आया और मोर्जंग हाउस में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना का एक नोटिस देखा जिस पर टाइप से छपा था—स्काट मर गया, लालाजी का बदला ले लिया गया। पण्डितजी ने मि० स्काट की हत्या के लिए १७ ता० मुकर्रर की। पं० जी ने कहा कि मि० स्काट की हत्या तो होनी ही चाहिये [उन्ह ने यह भी कहा देहली षड़यन्त्र केस के मुखबर दीनानाथ को भी इसी शाम को मार डालने का हम लोगों ने इरादा कर लिया है। पण्डितजी ने एक पिस्तौल लिया और तमंचा एम० ने भक्तसिंह पण्डितजी और ए० म० तीनों दयानन्द कालेज के अहाते में पुलीस दफतर के पीछे बैठे रहे। एक पुलीस अफसर दफ्तर से निकल कर मोटर साइकल पर चढ़कर जाने लगा। इसे मैंने मि० स्काट समझा। मैंने एम० को सूचना दी। जैसे ही कि अफसर एम० के नजदीक आया, उन्होंने गोली मारी। अफसर गिर गया और उसकी गाड़ी दौड़ी चली गई। भक्तसिंह ने भी अफसर की तरफ़ कई गोलियां चलाईं। मि० फर्न ने पुलीस दफ्तर से निकल कर भक्तसिंह का पीछा किया, भक्तसिंह उन पर गोली चलाई, लेकिन लगी नहीं। बाद को एम० और भक्तसिंह डी० ए० वी० कालिज के फाटक में घुस गये। एक सिख ने उनका पीछा किया, उसके बाद मैंने फैर सुने। उपरान्त मैं उस जगह पर गया, जहां भक्तसिंह वगैरह के लिए साइकलें तय्यार रखी गई थीं, लेकिन मैंने कोई साइकिल वहां नहीं पायी। कालिज के एक रसोइये ने मुझे बताया कि, देशराज एक साइकिल ले गये हैं। मैं होटल में देशराज के कमरे में पण्डित जी और भक्तसिंह से मिला। यह दोनों साइकलों पर चले गये। एम० पण्डितजी की साइकल पर हो बैठ गये। शाम को जब भक्तसिंह और पण्डित जी मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्काट के बजाय साण्डर्स को मार दिया है। उन्होंने एक पंजाबी सिख के मारे की बात भी कही। पीछे मुझे किशोरीलाल से उस सिख का नाम भक्तसिंह मालूम हुआ। सुखदेव के कहने पर मैं फीरोजपुर गया और वहां किशोरी कुमार सिंह और प्रताप सिंह मिले। लाहौर आकर एक दिन शाम को सुखदेव के साथ मैं नहर के किनारे बैठा था कि, मि० स्काट एक मोटर में निकले। सुखदेव के पास तमंचा था। सुखदेव ने कहा कि, एक बार यह बच गया है, इसको मारना आवश्यक है। [अभी मुखबिर का बयान हो रहा है]

मि० साण्डर्स की हत्या कैसे हुई ?

एसेम्बली बम-काण्ड का उद्देश्य क्या था ?

लाहौर-केस के दूसरे मुखबिर का बयान

मुकद्दमे के आयन्दा हालात

मुकद्दमे में इस्तगासे की शहादतें साण्डर्स हत्या के सम्बन्ध में गुज़र रही हैं। पंजाब के गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने लाल पोस्टरों के बारे में गवाही दी। उसके बाद गवर्नमेंट कालिज के फोर्थ ईयर के विद्यार्थी आफताब अहमद की गवाही हुई।

एक और अभियुक्त पकड़कर इस केस के लिए लाहौर लाया गया है। खुफ़ियावालों का कहना है कि, इसका नाम मुकुन्द लाल है और बताया जाता है कि, यह भागा हुआ था। अभी इस केस के १६ अभियुक्त फरार बताये जाते हैं।

"इनक़लाब ज़िन्दाबाद" और "साम्राज्यवाद नाश हो" का नारा २५ ता० को जेल रोड पर स्पेशल मैजिस्ट्रेट के इजलास के सामने लगाने के कारण, कोई ४० आदमी, जिनमें अधिकतर विद्यार्थी थे, गिरफ़्तार किये गये और उन पर सरसरी मुकदमे चलाकर उन्हें फ़ी। ५०) जुर्माना या एक सप्ताह की कैद की सज़ा दी गई। अभियुक्तों ने जेल जाना पसन्द किया।

दूसरे मुखबिर का बयान

षड्यन्त्र के मामले के दूसरे मुखबिर हंसराज वोहरा ने अपना बयान देते हुए कहा कि अपने कालेज जीवन में मैं महात्मा गान्धी और लाला लाजपतराय की पुस्तकें अधिक पढ़ता था। सुखदेव मेरा रिश्तेदार है। एक मर्तबा मुझे देश-सेवा करने की इच्छा हुई और मैं पत्र-सम्पादन का कार्य करना चाहता था। सुखदेव मुझे पुस्तकें पढ़ने को दिया करता था और अराजकता के सिद्धान्त की बातें किया करता था। मुझे सुखदेव से क्रान्तिकारी के उद्देश्य प्राप्त हुए थे। उन्हें पढ़कर मैं संघ का सदस्य बन गया। सुखदेव ने मुझ से कालेज के विद्यार्थियों में अराजकता का प्रचार करने को कहा। सितम्बर १९२७ में मैंने लाहौर में विद्यार्थी-संघ स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसका प्रकट उद्देश्य राष्ट्रीयता की शिक्षा देना था, किन्तु इसे नवयुवकों में अराजकता के भाव उत्पन्न करने के लिए संगठित किया गया था। इसके बाद सुखदेव ने मुझे दिल्ली जाने को कहा। रास्ते में मैं अमृतसर उतर गया और मास्टर आत्माराम के मकान पर ठहरा। अमृतसर में मुझे सुखसिंह मिले। उनके पास ६ घोड़े का फ़ौजी रिवाल्वर था। अक्टूबर १९२८ में मैंने लाहौर में विद्यार्थियों की कान्फ़रेन्स की जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ। दिसम्बर में सुखदेव मुझे मोजांग के मकान पर ले गये, जहां मुझसे भक्तसिंह, किशोरीलाल, जयगोपाल, हंसराज, महावीर, हंसराज राजगुरु से मुलाकात हुई। लाहौर में अराजक संघ ने कार्यवाही शुरू करने का निश्चय किया। युक्तप्रान्त से भी मेम्बर बुलाये गये। ३ दिसम्बर १९२८ को मैं संघ की मीटिंग में सम्मिलित हुआ। वहां पण्डितजी ने मेम्बरों को सलाह दी कि फौजी सिपाहियों की तरह तैयार रहो। मैं मीटिंग से चला आया था, दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि संघ ने रुपयों के लिए पंजाब नेशनल बैङ्क में डाका डालने का निश्चय किया है। परन्तु यह डाका दो मेम्बरों के वक्त पर टैक्सी के साथ न पहुंच सकने के कारण न डाला जा सका। ७ दिसम्बर को मैंने पहिली बार विजयकुमार सिंह और भगवानदास को देखा। सुखदेव ने मुझसे कहा कि तुम्हें लाहौर से जाना पड़ेगा क्योंकि संघ ने कार्यवाहियां करने का निश्चय किया है। इसके अनुसार मैं १३ दिसम्बर को कालेज नहीं गया। मुझे मालूम हुआ कि संघ ने १७ दिसम्बर को मि० स्काट को मारने का निश्चय किया है। मैं मोजांग के मकान की मीटिंग में उपस्थित था, जिसमें जनता को यह बतलाने के लिए कि मि० स्काट की हत्या अराजक संघ के द्वारा की गयी है पोस्टर लिखे गये थे। मैंने संघ के सदस्यों से वायदा किया था कि मैं संघ के हित के लिए जो भी मुसीबत आयेगी बर्दाश्त करूंगा। मि० स्काट की हत्या करने के बाद संघ ने यह आशा की थी कि संघ के प्रति जनता की सहानुभूति हो जायगी और सरकार डर जायगी। मुझे मालूम हुआ था कि पण्डितजी, भक्त सिंह, राजगुरु और जयगोपाल, १७ दिसम्बर की शाम को मि० स्काट की हत्या की कार्यवाही करेंगे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मि० साण्डर्स और चनन सिंह की हत्या की गयी है। मैंने मि० साण्डर्स को मारने में कोई भारी गलती नहीं समझी क्योंकि साण्डर्स भी हम लोगों की निगाह में दोषी था। उसी रात को मैं गिरफ़्तार किया गया और मेरे मकान की तलाशी ली गयी। मैं पुलीस की हिरासत में रहा और मि० साण्डर्स की हत्या के सम्बन्ध में कुछ खुला नहीं। मार्च १९२९ में मेरी इच्छा भक्तसिंह से मिलने की हुई। एक दिन मैं रावलपिण्डी गया। वहां मैंने भक्तसिंह को कुछ गोलों के साथ देखा। उन्होंने मुझे बतलाया कि बम कैसे तैयार किये जाते हैं।

एसेम्बली बम-काण्ड

मि० सुखदेव से मुझे मालूम हुआ कि दिल्ली की मीटिंग में यह तय हुआ है कि भक्त सिंह और दत्त एसेम्बली में पब्लिक सेफ़्टी बिल के विरोध स्वरूप बम फेंकें और अपने को गिरफ़्तार करा कर एक वक्तव्य द्वारा अराजकता के सिद्धान्त को प्रकाशित करें। मुझ से यह भी कहा गया था कि बम जान-बूझ कर कमज़ोर बनाये गये थे, कि जिससे किसी को नुकसान न पहुंच सके। बमकाण्ड के चार या च दिन बाद सुखदेव और लोगों के साथ काश्मीरी बिल्डिंग में गिरफ़्तार कर लिए गये।

इसके बाद मुखबिर ने श्री० देवराज, श्री० प्रेमदत्त, श्री० किशोरीलाल, श्री० भगवती चरन, श्री० जयचन्द्र आदि के कुछ परिचय दिये और कुछ चीज़ों की शिनाख़्त भी की।

—०—

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य ।

वार्षिक	३॥)
छः मास का	२)
एक प्रति का	–)

मैनेजर—"अभ्युदय" प्रयाग ।

रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)
स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कर्मसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सततमव्यथैः
(व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर–'अभ्युदय,' प्रयाग।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, शुक्रवार आश्विन सुदी ११ सम्वत १९८७; तारीख ३ अक्टूबर १९३० ईसवी

स० भक्तसिंहके पिता की वायसरायको अर्जी

भक्तसिंह के पिता की जरूरी अर्जी

लाहोर 'साज़िश' केसमें सफ़ाई का मौका दिया जाय

'साउण्डर्स के क़त्ल के दिन भक्तसिँह कलकत्ते में था'

लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त सरदार भक्तसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंहजी ने वायसराय, गवर्नर पंजाब लाहोर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और खास अदालित के जजों के पास एक दरखास्त भेजी है, जिसमें वे कहते है कि इस मुक़दमे के अभियुक्तों ने सफाई पेश करने की ग़रज से इस्तग़ासे की शहादतों को देखने के लिए एक हफ़्ते की मुहलत मांगी थी, लेकिन खास अदालत के जजों ने इजाजत न दी। अभियुक्तों को शिनाख्त, इस्तगासे की शहादतें, मुखबिरों की गवाहियां, आदि के बारे में लिखते हुए सरदार साहब ने दरख़ास्त में कहा है कि साउण्डर्स के क़त्ल के दिन भक्तसिंह कलकत्ते में था। कई प्रतिष्ठित सज्जन इसके सुबूत में हलफिया शहादत देने को तैयार हैं। अगर इन्साफका लिहाज़ रखते हुए मुझे मौका दिया जाय, तो मैं इनको अदालत में पेश कर सकता हूँ या अदालत खुद बतौर गवाहान अदालत उन्हें पेश कर सकती है।

ज़िन्दगी और मौत का सवाल

इस मुकद्दमे में मुलजिमों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। अगर सफाई का मौका दिया जाता तो क़ानून शहादत दफा १५५ के बमूजिब मैं साबित करता कि इस्तग़ासे की तरफ से पेश होने वाले गवाह कौन हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उन्होंने किस मकसद से शहादत दी और उन्हें किसने गवाह बनाया। मैं अब भी दरखास्त करता हूँ कि भक्तसिंह को सफाई का मौका दिया जाय।

—०—

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य ।

वार्षिक ···· ३॥)
छः मास का ···· २)
एक प्रति का ···· –)

मैनेजर—"अभ्युदय"
प्रयाग ।

'रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)
स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कर्मसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सततमव्यथै
(व्यासः)

टेलीफोन० —४४१

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, रविवार आश्विन सुदी १३ सम्वत १९८७; तारीख ५ अक्टूबर १९३० ईसवी

स० भक्तसिंह का आदर्शवाद: देरापुर में गोली !

कानपुर जिले में गोली चली !

भीड़ की उत्तेजना: १ मरा और आठ घायल हुए

कानपुर जिले के देरापुर में गत तारीख २ अक्टूबर, को गोली चल गई। कहा जाता है कि, पुलीस वहां के कुछ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ़ार करके ले जा रही थी। गाँव वाले नताओं की उचित विदाई के लिए उन्हें हार इत्यादि पहिनाना चाहते थे। ऐसा करने से रोका। जनता इस पर उत्तेजित हो उठी, और कहा यह जाता है कि, कुछ रोड़े वगैरह भी फेंके गये। इस पर पुलीस को गोली चलानी पड़ी, जिससे एक मनुष्य मरा और सात-आठ आदमी घायल हुए। कोई गिरफ़ारी अभी इस सम्बन्ध में नहीं हुई है।

खुरशीद बहनको जेल

करबन्दी के भाषण के लिए

गत १ अक्टूबर का समाचार है कि स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी की दौहित्री अहमदाबाद जिला कांग्रेस कमिटी की सेक्रेटरी कुमारी खुरशीद बहन, असलाली गाँव में करबन्दी के लिए भाषण देने के कारण शाम को गिरफ़ार करली गई। उन्हें एक मास की सादी कैद और २५) जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माने के

पुलीस और सन्थालों में चलगई !

स्त्री ने झगड़ा उठाया: दुतर्फ़ा चोट-फेंट हुई !

आसनसोल का ३ ता० का समाचार है कि, धनबाद में कल शाम को दुर्गाबाड़ी के पास कुछ पुलीस वालों और सन्थालों में भिड़न्त हो गई सन्थाल लोग बाद को भी इकट्ठे हुए, लेकिन अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके आयन्दा आफ़त को टाल दिया। अवस्था चिन्ताजनक होने के कारण दुर्गाजी का प्रतिमा-विसर्जन समारोह स्थगित कर दिया गया है। चुटैलों की संख्या का पता नहीं है। कहा जाता है कि, आफ़त एक औरत के [illegible]

अभ्युदय

5 अक्टूबर 1930

'पिता की कमजोरी' पर भक्तसिंह

'आदर्श के आगे जीवन का कोई मूल्य नहीं'

लाहोर 'षडयन्त्र' केस के अभियुक्त सरदार भक्तसिंह के पिता सर० कृष्णसिंह ने खास अदालत के जजों, वायसराय वगैरह को जो दरखास्त भेजी है, उसका सरदार भक्तसिंहने एक खत में सख्त विरोध किया है। उनका कहना है कि मेरे पिता की यह परले सिरे की कमज़ोरी ही नहीं बल्कि देशद्रोह से कम यह बात नहीं है। अपने मामले में सफ़ाई पेश न करने की बात की ताईद करते हुए वे पत्र में लिखते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को अदालतों में मुक़दमा लड़ने की कभी बिलकुल चिन्ता या मोह न करते हुए बहादुरी के साथ सख्त से सख्त सजाओं को बरदाश्त करना चाहिये। वे चाहें तो मुक़दमा लड़ सकते हैं, लेकिन केवल राजनीतिक विचारदृष्टि से अपने स्वार्थ के खयाल से नहीं। अपने आदर्शों को मैं अपने जीवन के लिए हरगिज़ नहीं बेच सकता।

—०—

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य ।

वार्षिक	३॥)
छः मास का	२)
एक प्रति का	–)

मैनेजर—"अभ्युदय"
प्रयाग ।

रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)
स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कमसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सतत मव्यथै
(व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग ।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, सोमवार आश्विन सुदा१४ सम्वत १९८७; तारीख ६ अक्टूबर १९३० ईसवी

भक्तसिंह का फोटो !

लाहोर कालिजो के दरवाज़े

गत ४ ता० को लाहोर में तमाम कालेजों तथा शहर के दूसरे हिस्सों में हस्तलिखित विज्ञापन भक्तसिंह के चित्र सहित चिपके पाये गये। कालिजों के अधिकारियों ने उन्हें तत्काल छुड़ा डाला ।

=o=

लाहोर 'षडयन्त्र' का फ़ैसला

अगले हफ्ते सुनाया जायगा

लाहोर की चार अक्टूबर का खबर है कि, लाहोर 'साज़िश' केस का फैसला अगले हफ्ते सुनाया जायगा ।

—o—

6 अक्टूबर 1930

भक्तसिंह के पिता की जरूरी अर्जी

लाहोर 'साज़िश' केसमें सफ़ाई का मौका दिया जाय

'साउण्डर्स के क़त्ल के दिन भक्तसिँह कलकत्ते में था'

लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त सरदार भक्तसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंहजी ने वायसराय, गवर्नर पंजाब लाहोर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और खास अदालत के जजों के पास एक दरख़ास्त भेजी है, जिसमें वे कहते है कि इस मुक़दमे के अभियुक्तों ने सफाई पेश करने की गरज से इस्तग़ासे की शहादतों को देखने के लिए एक हफ़्ते की मुहलत मांगी थी, लेकिन खास अदालत के जजों ने इजाजत न दी। अभियुक्तों की शिनाख्त, इस्तगासे की शहादतें, मुखबिरों की गवाहियां, आदि के बारे में लिखते हुए सरदार साहब ने दरख़ास्त में कहा है कि साडण्डर्स के क़त्ल के दिन भक्तसिंह कलकत्ते में था। कई प्रतिष्ठित सज्जन इसके सुबूत में हलफ़िया शहादत देने को तैयार हैं। अगर इन्साफका लिहाज़ रखते हुए मुझे मौक़ा दिया जाय, तो मैं इनको अदालत में पेश कर सकता हूँ या अदालत खुद बतौर गवाहान अदालत उन्हें पेश कर सकती है।

ज़िन्दगी और मौत का सवाल

इस मुकद्दमे में मुलज़िमों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। अगर सफाई का मौका दिया जाता तो क़ानून शहादत दफा १५५ के बमूजिब मैं साबित करता कि इस्तग़ासे की तरफ से पेश होने वाले गवाह कौन हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उन्होंने किस मकसद से शहादत दी और उन्हें किसने गवाह बनाया। मैं अब भी दरखास्त करता हूँ कि भक्तसिंह को सफाई का मौका दिया जाय।

—०—

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य।

वार्षिक	३॥)
छः मास का	२)
एक प्रति का	-)

मैनेजर—"अभ्युदय" प्रयाग।

'रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कमसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सतत मव्यथै (व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, बृहस्पतिवार कार्तिक बदी २ सम्वत १९८७; तारीख ९ अक्टूबर १९३० ईसवी।

३ अभियुक्तों को फाँसी : लाहौर केस का फैसला

सरदार भगतसिंह की मौत की सजा

तीन को फाँसी : सात को कालापानी : एक को सात साल : एक को पाँच साल—तीन छूटे !!

लाहौर 'साजिश' केस में खास-अदालत का फैसला !

लाहौर 'साज़िश' केस के मामले का फैसला ख़ास अदालत ने यकायक ७ तारीख को दोनों जेलों में जाकर अभियुक्तों को सुना दिया। सरदार भगतसिंह, राजगुरु उर्फ़ एम० एम० और सुखदेव को सज़ा-ए-मौत का हुक्म हुआ है !

सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ताजीरात हिन्द की ३०२ (क़त्ल), १२१ (सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ना) और कानून-बम की दफ़ात् कायम की गई हैं। सुखदेव पर उपरोक्त के अतिरिक्त दफ़ा १०९ भी लागू है। इन तीनों को फांसी की सजा दी गई है।

केस के अन्य अभियुक्त किशोरी लाल, महावीरसिंह, विजय कुमार सिंह, शिववर्मा, गयाप्रसाद सिंह,

[सरदार भगतसिंह]

जयदेव और कमलनाथ तिवारी—इन सात को जन्मभर देशनिकाले की सजा सुनायी गई है। इन सातों पर भी क़रीब क़रीब यही दफ़ात् क़ायम पिछले चार पर ३०२ नहीं है।

कुन्दनलाल को दफ़ा १२१ और १२०-बी० (राजद्रोह) में सात साल और प्रेमदत्त को भी इन्हीं दफ़ात में पांच साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई है।

देशराज, अजयकुमार घोष और यतीन्द्रनाथ सन्याल रिहा कर दिये गये।

मुखबिरों पर मामला चलेगा।

बताया जाता है कि, फैसला खास अदालत के तीनों जजों ने एकमत हो कर लिखा है। ब्रह्मदत्त मिश्र और रामशरणदास मुखबिरों ने गवाह-सुलतानी बनने के बाद अपने बयानों को वापस लेलिया, इसलिये उनपर ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १९३ के मुताबिक़ मामला चलाया जायगा।

इस फैसले को सुनने के लिये कई बार तारीखें मुक़र्रर की गई थीं। अखीरी तारीख आठ बताई गई थी, लेकिन ता० ७ को यकायक सेन्ट्रल जेल में सरदार भगतसिंह को तथा अन्य अभियुक्तों को बोरस्टल जेल में अदालत ने फैसला सुना दिया। कोई अखबार वाला या जनता का आदमी फैसले के वक़् मौजूद न था, इस कारण कोई समारोह आदि लाहौर में नहीं हुआ, और न खास पुलीस आदि का प्रबन्ध इस कारण किया गया था।

मफरूर पकड़े गये

खबर है कि, लाहौर 'साजिश' केस के भगे हुए अभियुक्त शरणदास, कृष्णगोपाल और आयाराम, जो तीनों पंजाबी हैं, कलकत्ते में दो मकानों की तलाशी ली जाते वक्त पकड़े गये हैं।

प्रयाग में हड़ताल और समारोह

इस फैसले के कारण प्रयाग में आठ तारीख को जबरदस्त हड़ताल

रहो। शाम को जुलूस निकलेगा और सार्वजनिक सभा होगी।

वे कौन कौन हैं ?

अभियुक्तोंका संक्षिप्त परिचय

सरदार भगतसिंह—पञ्जाब के पुराने कौमी कार्यकर्ता—'नेता' नहीं—सरदार कृष्णसिंहजी के बड़े पुत्र, इतिहास-प्रसिद्ध कौमी-सरदार स० अजीतसिंहजी के भतीजे, पुश्तैनी देश-भक्त, एसेम्बली बम केस में आजन्म देशनिकाले की सजा पाये हुए कैदी, ८ अप्रिल १९२९ ई० को एसेम्बलीकी गैलरी में बम-दुर्घटना के बाद गिरफ्तार हुए थे।

बटुकेश्वर दत्त—कानपुर के श्री० जी० डी० दत्तके पुत्र, भगतसिंह के सखा, उन्हीं के साथ ऐसेम्बली भवन में पकड़े गये थे। इस केस में पहले ही रिहा किये जा चुके हैं, लेकिन ऐसेम्बली बम-केस में आजन्म काले पानी की सजा मुलतान जेलमें काट रहे हैं।

यतीन्द्रनाथ दास—कलकत्ते से गिरफ्तार कर लाये गये थें। इस फैसले के सुनाये जानेसे एक वर्ष २४ दिन पूर्व लाहोर की बोरस्टल जेलमें राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिये शहीद हो चुके हैं। अब उनकी विमल कीर्ति अवशेष है, उसे दुनिया का कोई कानून सजा नहीं दे सकता।

राजगुरु उर्फ एम० एम०—दक्षिणी मरहठे, पूनेसे गिरफ्तार कर लाये गये थे।

सुखदेव—लायलपुर के रहनेवाले, लाहोर में एक बम के कारखाने' की तलाशी के वक्त १९२९ की १५ एप्रिल को गिरफ्तार किये गये।

किशोरीलाल रत्न—होशियारपुर के रहनेवाले, सुखदेव के साथ पकड़े गये।

जयदेव—सहारनपुर की एक धर्मशाला में पकड़े गये बमों के तअल्लुक में मई १९२९ ई० में वहाँ पकड़े गये।

शिववर्मा—सहारनपुर में पकड़े गये।

कमलनाथ तिवारी—विद्यासागर कालेज, कलकत्ताके विद्यार्थी, बिहारी; चम्पारन से पकड़ कर लाये गये।

मास्टर आज्ञाराम—सियालकोट जिले के रहनेवाले। इस मामले में पहिले ही रिहा किये जा चुके हैं।

महावीरसिंह—यू० पी० के एटा जिले के रहनेवाले।

प्रेमदत्त—डी० ए०-वी० कालिज लाहौर के पंजाबी विद्यार्थी, गुजरात जिले के रहनेवाले।

देशराज डी० ए०-वी० कालिज लाहौर के विद्यार्थी।

सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय—कानपुर में पकड़े गये थे। श्री० दत्त और मास्टर आज्ञाराम के साथ पहले ही रिहा हो चुके हैं।

मुखबिर कौन कौन हैं—

जयगोपाल, जो 'बम फैक्टरी' की तलाशी के वक्त १५ एप्रिल १९२९ ई० को लाहौर में पकड़ा गया।

हन्सराज वोहरा—लाहौर के फोरमेन क्रिश्चियन कालेज का विद्यार्थी तथा वहां के ट्रेनिङ्ग कालेज के एक प्रोफेसर का लड़का।

ब्रह्मदत्त मिश्र—कानपुर में पकड़ा गया। वहां के डी० ए०-वी० कालेज का विद्यार्थी। लेकिन पीछे पलट गया, और अब उस पर मामला चलेगा।

ललितकुमार मुकर्जी—प्रयाग के एक ऐडवोकेट का लड़का।

फणीन्द्रनाथ घोष—कलकत्ते का रहनें वाला।

मनमोहन मुकर्जी—बिहार—चम्पारन के एक गांव का रहने वाला।

रामशरणदास—कपूरथला का रहने वाला, सन् १९१२ के लार्ड हार्डिङ्ग के बम के मामले में आजन्म कालेपानी की सजा काटे हुए। अपने बयान को इसने भी बदल दिया है, जिसके लिये इस पर भी ब्रह्मदत्त के साथ-साथ मामला चलेगा।

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य ।

वार्षिक ……	३॥)
छः मास का ……	२)
एक प्रति का ……	-)

मैनेजर—"अभ्युदय" प्रयाग ।

'रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय. (जेल में)
.स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कर्मसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सततमव्यथै (व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग ।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, शुक्रवार कार्तिक बदी ३ सम्वत १९८७; तारीख १० अक्टूबर १९३० ईसवी

लाहोर के फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध

फ़ैसले के विरुद्ध देश में असन्तोष

लाहोर में 'भगतसिंह जिन्दाबाद' की गूँज !

लाहोर में पुलिस ने विद्यार्थियों पर लाठियां चलाईं: ७ स्त्रियों सहित कितनी ही गिरफ़ारियाँ की गईं:

पुलिस पर मुकदमा चलेगा: जगह जगह के समारोह-समाचार

लाहौर

'साजिश' केस के फैसले के प्रतिवाद में लाहौर में ८ ता० को जबरदस्त हड़ताल रही। प्रायः सभी कालिज और स्कूल लड़कों के न आने के कारण बन्द होगये थे। गवर्नमेन्ट, फोरमेन क्रिश्चियन और ओरियण्टल कालिजों पर महिलाओं ने धरना दिया। इनकी गिरफ्तारियां की गईं। इन गिरफ्तारियों में पंजाब की भूतपूर्व डिक्टेटर जेल गई हुई श्रीमती लाडोरानी जुत्शी की चारों मेजुएट लड़कियां—मिस जनककुमारी [प्रोफेसर विमेन्स कालिज], मिस मनमोहिनी, मिस श्याममोहिनी और मिस कृष्णाकुमारी भी हैं। इन जुत्शी—बहनों के पकड़े जाने के बाद अवस्था सङ्गीन हो गई, तमाम लड़के क्लासोंसे निकल आये और भीड़ जमा हो गयी। पुलीस भी जमा थी, उसने लोगों पर लाठियां चलाईं, जिससे कितने ही विद्यार्थी घायल हुए, चार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फोरमेन क्रिश्चियन कालिज पर भी लाठी चली। कहा जाता है, एक पुलिस अफसर के अन्धाधुन्ध मोटर चलाने से भी कुछ आदमी चुटैल हुए। ३० विद्यार्थियों और सात महिला पिकेटरों के पकड़े जाने की खबर है। गिरफ्तारशुदाओं में स्वर्गीय लाला लाजपतराय के पौत्र बलदेवजी, मिस पिंडीदास, स्टूडेंट्स यूनियन के मन्त्री श्री० रौशनलाल और "प्रताप" सम्पादक के पुत्र वीरेन्द्र भी हैं।

शाम को एक जुलूस निकला, जिसमें स्त्री पुरुष सभी नंगे सिर चल रहे थे। समारोही भगतसिंह तथा अन्य कैदियों के चित्र लिये हुए 'भगतसिंह जिन्दाबाद', 'इंक़लाब जिन्दाबाद' आदि के नारे लगाते जा रहे थे। ब्रेडला हाल पर आकर एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें लाहोर केससे छूटे हुए देशराज, अजयकुमार घोष और यतीन्द्रनाथ सन्यालने आपबीती सुनाई; भगतसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंहजी को [illegible] किया गया, पुलिस के [illegible] को निन्दा की गई और फैसले के में दी गई भारी भारी सजाओं के खिलाफ नाराजगी का प्रस्ताव पास किया गया। खबर है मीटिङ्ग के बाद चार गिरफ्तारियाँ की गईं। शहर की खास सड़कों पर पुलीस का सख्त पहरा है।

लाहौर के डी० ए०-वी० कालेज की कमिटी ने तय किया है कि पुलीस ने कालिज के भीतर घुस कर प्रोफेसर सन्तराम सयाल को पढ़ाते वक्त मारा है, इसलिये उसके खिलाफ दीवानी और फौजदारी केस दायर किये जाय। जो विद्यार्थी पीटे गये हैं, उसके खिलाफ भी कारवाई अमल में लायी जाय।

अमृतसर

अमृतसर में ८ तारीख की शाम को एक मातमी जुलूस निकला। समस्त समारोही नंगे सिर थे और भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव जिन्दाबाद वगैरह नारे लगा रहे थे। महिलाओं और पुरुष वालंटियरों के दो दल क़ौमीगीत गाते जारहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे—सजा देने वालों का नाश हो। बड़ा जोश था। मीटिङ्ग में सजायाफ़्ताओं की कुरबानियों की दाद दी गई।

देहली में कालिजों पर झंडा

देहली की खबर है कि ८ ता० को यहां हड़ताल रही, मुसलमानों की दूकानें खुली थीं। अधिकतर स्कूल बन्द थे, लेकिन कालिजों में काम हो रहा था। तो भी ११ बजे के करीब कुछ विद्यार्थियों ने मीटिङ्ग करने के बाद सेण्ट-स्टीफ़न्स कालिज के बुर्ज ऊपर जाकर झंडा लगा दिया। खबर है कि, कालिज के प्रिन्सिपल मि० मुकर्जी ने इसका विरोध नहीं किया, वे क़ौमी झंडे के विरोधी नहीं हैं।

बम्बई

बम्बई में ८ ता० को हड़ताल रही। शाम को आज़ाद मैदान में सभा हुई, जिसमें श्रीयुत सेनगुप्त ने, जो यहां पहुँचे हैं, भाषण करते हुए कहा कि, यद्यपि हम खून बहा कर [illegible] हासिल करना नहीं चाहते, [illegible] लाहोर के [illegible] अभियुक्तों [illegible] करने वाले युवकों से हमारी सहानुभूति है। हम यहाँ मुक़द्दमे की कारवाइयों और सजाओं के खिलाफ आवाज बलन्द करने को जमा हुए हैं। अगर यह जोशीले नौजवान यदि गवर्नमेण्ट द्वारा निराश न किये गये होते, जेलों में न डाले गये होते, तो आज वे हमारी शान्तिमय लड़ाई में शामिल होते। मि० खुरशेद नरीमान आदि ने भी भाषण किये।

प्रयाग

दिन में हड़ताल रहने के बाद शाम को पाँच बजे खद्दर-भण्डार से कॉंग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पं० गोविन्द मालवीय, उनकी पूज्य माताजी, श्रीमती कमलाजी और श्रीमती उमाजी के नेतृत्व में एक जुलूस उठा, जो शहर के मुख्य मुख्य बजारों से घूमता हुआ पुरुषोत्तमदासपार्क पर जा कर समाप्त हुआ, जहां श्रीमती उमाजी की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा हुई। श्री० सादिक अली, एक असहयोगी विद्यार्थी, ने अपने विद्यार्थी भाइयों को आन्दोलन में जोरों से भाग लेने की अपील की। पं० गोविन्द मालवीय का भाषण सारपूर्ण और प्रभावशाली था। उन्होंने कहा कि यद्यपि भगतसिंह का मार्ग हमारे से अलग है, लेकिन हम दोनों एक ही राह के राही हैं। अगर महात्माजी ने आज हमें शान्तिमय सिद्धान्त न बताया होता तो हममें से कितने ही दूसरे मार्ग पर चले जाते। भगतसिंह के व्यक्तित्व की प्रशन्सा करते हुए मालवीयजी ने कहा कि, वह एक महान आत्मा है, अगर आज वह स्वतन्त्र भारत में होता, तो राष्ट्र का सेनापति होता, उसके मार्गको हम उचित नहीं समझते लेकिन उसकी भूल के साथ गवर्नमेन्ट भी अपनी भूलों के लिये कम जिम्मेदार नहीं है। आपने विद्यार्थियों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि, वे गाल बजाना छोड़कर काम करना सीखें। भगतसिंह और उसके सिद्धान्तों का प्रदर्शन करनेके बजाय देश के लिये कुरबानी करना सीखना चाहिये। जुलूस में कुछ लाल झण्डे भी थे, जो कम्युनिस्ट दल के निशान बताये जाते हैं। श्रीमती उमाजी ने अपने भाषण में इन झण्डों का जिक्र किया। उन्होंने भगतसिंह के सिद्धान्तों को असामयिक कहते हुए भी उसके त्याग की प्रशन्सा की। कमलादेवी और विद्यादेवी नामक दो लड़कियों ने गीत गाये।

कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता में भी वायसराय द्वारा बनाये गये लाहौर केस आर्डिनेन्स के मुताबिक़ बनी हुई अदालत के द्वारा दी गई इन सजाओं के खिलाफ हड़ताल और समारोह-सभायें की गईं।

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य।

वार्षिक ...... ३॥)
छः मास का .... २)
एक प्रति का .... –)

मैनेजर—"अभ्युदय"
प्रयाग।

रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)
स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सततमव्यथै (व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, शनिवार कार्तिक बदी ४ सम्वत १९८७; तारीख ११ अक्टूबर १९३० ईसवी

भक्तसिंह की अपील:

खबर है कि, सरदार भक्तसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंह अपने पुत्र की फांसी की सजा के खिलाफ प्रिवी कौंसिल में अपील दायर करने वाले हैं।

महिलाओं का मुकदमा मुलतवी

जेलखानेमें कौमी गीतःलाहौरके फैसले पर उपवास

लाहौर का ९ तारीख का समाचार है कि, कल कालिजों पर पिकेटिङ्ग करने के कारण प्रोफेसर जनककुमारी जुत्शी, एम० ए०; कुमारी आशा जुत्शी, कुमारी सत्यमोहिनी, [illegible] कुमारी [illegible] महिलायें जो पकड़ी गई थीं, उनका मुकदमा मेजिस्ट्रेट मि० डिक्सन के सामने जनाना जेल में आज शुरू हुआ। जेल के फाटक पर कुछ सौ स्त्री-पुरुष जमा थे। उन्होंने अदालत में जाने की आज्ञा माँगी, लेकिन वह नहीं दी गई। अलबत्ता अभियुक्ताओं को उनके सामने फाटक में लाया गया; वे हँस रही थीं और वह गीत गा रही थीं जिन्हें लाहौर साजिश केस के कैदी गाया करते थे।

मेजिस्ट्रेट ने तब मामले को शुरू करना चाहा, लेकिन अभियुक्ताओं ने तब तक अदालत में जाने से इनकार किया, जबतक उनके सम्बन्धियों को भीतर आने की आज्ञा न दी जाय। मलिक जीवनलाल कपूर से, जो स्टूडेन्ट्स यूनीयन की ओर से मामले की देखरेख करने आये थे, मेजिस्ट्रेट ने बातचीत करने के बाद मामले को दूसरे दिनके लिए मुलतवी कर दिया। लाहौर षड्यन्त्र केस में सुनाये गये फैसले के विरोध में सब महिला-कैदी और यह अभियुक्तायें २४ घन्टे का उपवास कर रही हैं।

पुरुष पिकेटरों का मामला

कालिजों पर पिकेटिङ्ग करने के कारण पकड़े गये दोनों भाई वीरेन्द्र और नरेन्द्र, बलदेव, रोशनलाल तथा अन्यों का मामला बिना पेशी हो कल के लिये मुलतवी हो गया।

इसी सम्बन्धमें पन्नालाल, सूर्यदेव वगैरह १२ आदमी जो और पकड़े गये हैं, उनकी पेशी मोजङ्ग थाने में हुई। इस्तगासे की दो गवाहियां हुईं। अभियुक्तों ने सफाई पेश करना तय किया है, मामला १५ ता० को पेश होगा। अभियुक्त बोरस्टल जेल भेज दिये गये।

नौजवान भारत सभा (जो अब बन्द हो चुकी है) के भूतपूर्व मन्त्री श्रीयुत मङ्गलदास को दफा १२४ ए० के जुर्म में एक साल सख्त कैद की [illegible]

डी० ए० वी० कालिज बन्द

पुलिस और विद्यार्थियों में जो आपत्ति खड़ी हो गई थी, उसके कारण लाहौर का डी० ए० वी० कालिज ९ ता० को भी बन्द रहा।

लाहौर फैसले का विरोध

कहां कहां क्या क्या हुआ

देहली

लाहौर साजिश केस के फैसले के खिलाफ देहली में हड़ताल के अलावा शामको एक जबरदस्त जुलूस निकला। लौट कर विक्टोरिया बाग में सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें मुफ्ती किफायतुल्ला और श्रीमती डाक्टर वेदी के प्रभावपूर्ण भाषण हुए। उस आर्डिनेन्स के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, जिसके अनुसार बनी हुई खास अदालत ने यह फैसला सुनाया है, और जिसमें अभियुक्तों को सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया।

यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में से अधिकांश ने व्रत रखा और अपनी एक सभा में लाहौर के सजायाफ्ताओंको बधाई तथा गवर्नमेंट की निन्दा की गई कि उसने आर्डिनेन्स निकालकर खास अदालत बनाई, जिससे मामलेका एक साथ ही खात्मा हो गया और अभियुक्तों को अपील की गुञ्जाइश भी न रही।

कानपुर

८ ता० को हड़ताल के साथ जुलूस और सभा भी हुई। सभा में १५००० की भीड़ थी। लाहोर के सजायाफ्ताओं को बधाई दी गई।

लाहोर

लाहोर में स्टूडेण्ट्स यूनियन की ओरसे हुई। एक सभामें भगतसिंह तथा-न्योंको बधाइयाँ दी गई। २००० महिलाओंका एक जुलूस निकला और मोरी दरवाजे पर इन्होंने सभा की। सरदार भगतसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंहजी ने यहां बताया कि, किस प्रकार उन्हें अपने पुत्र से, प्रिवी कौन्सिल में अपील करने के बारे में, मुलाकात नहीं करने दी गई और किस प्रकार राजगुरु की माता को जेल के फाटक पर बिठाले रक्खा गया और अन्त में उन्हें अपने पुत्र से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई।

श्री० पालीवाल गिरफ्तार

देहली स्टूडेण्ट्स यूनियन के प्रेसिडेण्ट श्रीयुत चिरंजीलाल पालीवाल गिरफ्तार कर लिये गये।

लाहोर केस के मफरूर

उनका संक्षिप्त परिचय

लाहोर साजिश केसमें नीचे लिखे पाँच अभियुक्त फरार बताये जाते हैं, पुलीस अभी उनका सुराग नहीं लगा सकी:—

(१) सद्गुरुदयालु अवस्थी—कानपुर शहर के दानाखोरी मुहल्ले के रहने वाले।

(२) कैलाशपति उर्फ कालाचरण—आजमगढ़ जिले के मुगरांवा गांव के लाला हृदयनारायण कायस्थ के पुत्र।

(३) चन्द्रशेखर आजाद उर्फ पण्डितजी—बनारस के बैजनाथ टोला मुहल्ले के पं० ब्रजनाथ के लड़के।

(४) भगवती चरण उर्फ वी० सी० वोहरा—लाहौर के रायसाहब शिवचरणदास ब्राह्मण के पुत्र।

(५) यशपाल—कांगड़ा जिले के हीरालाल खत्री के पुत्र।

प्रयाग में फिर लाठी

पाँच गिरफ्तारियाँ

ता० ९ की रात को ९॥ बजे बहादुरगंज को गांजे की दूकान पर एक आदमी ने २ वालंटियरों को मारा, उनकी कलाइयों पर सख्त जख्म हुए। इसके बाद ही कांग्रेस वालंटियर बोर्ड के मंत्री सय्यद अब्दुल मुईद जैदी कुछ वालंटियरों को साथ लेकर वहाँ खुद पिकेटिंग करने लगे। उसके बाद ही वहाँ पुलिस दल पहुंच गया। भीड़ काफी लगी थी; पहले तो एक सिपाही ने लाठी घुमाई, परन्तु किसी के चोट नहीं लगी, बाद को मुईद साहब मय और चार वालंटियरों के गिरफ्तार कर लिये गये।

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य ।

वार्षिक	....	३॥)
छः मास का	....	२)
एक प्रति का	....	-)

मैनेजर—"अभ्युदय" प्रयाग ।

'रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूति कमसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सतत मव्यथै (व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग।

अतिरिक्त अंक

प्रयाग, रविवार कातिक बदी ५ सम्वत १६८७ तारीख १२ अक्टूबर १६३० ईसवी

भगतसिंहको ता० २७को फांसी ? लाहोर के फ़ैसले की अपील होगी ?

'षड्यन्त्र' केसके सब कैदी लाहोर की सेन्ट्रल जेल में इकट्ठे कर दिये गये हैं, और वहाँ से जल्द ही मुख्तलिफ जेलों को भेजे जानेवाले हैं । बताया जाता है कि, सरदार भगतसिंह राजगुरु और सुखदेव को २७ ता० को फाँसी दी जायगी। लेकिन इस खबर की अभी पकायत नहीं है; क्योंकि भगतसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंह ने पंजाब-सरकार को लिखा है कि, प्रिवी कौन्सिल में अपील करने के तअल्लुक में उन्हें उनके पुत्र से मिलने की इजाज़त दी जाय । पंजाब-सरकार को यह भी लिखा गया है कि, फाँसी अभी न दी जाय।

शेखूपुरा, ननकाना साहब, गुजरात स्पेशल जेल आदि स्थानों से, फैसले के खिलाफ़ प्रतिवाद की खबरें आई हैं।

छूटे हुए अभियुक्तों पर दूसरा मामला चलाया जायगा

खबरहै कि लाहौरके मुकद्दमे में बरी हो कर जेलसे रिहा होने से पेश्तर यतीन्द्रनाथ सन्याल, अजयकुमार घोष और देशराजसे ५।५ सौ के मुचलके ले लिये गये हैं, ताकि बुलाये जाने पर वे उस मुकद्दमें में हाज़िर हो सकें, जो जेल में किये गये इलजामों के लिये उनके खिलाफ़ चलाया जाने वाला है।

—०—

12 अक्टूबर 1930

लाहौर बम केस के अभियुक्त

उनके ऊपर क्या क्या अपराध लगाये गये हैं

लाहौर बम केस में कुल २४ मुजरिम थे। इनमें से भगवानदास जिस को मुलावल में सजा दी गई थी इस मुकदमें में नहीं लाया गया। पांच अपराधी भागे हुए हैं जिनके नाम यह हैं:—

१-चन्द्रशेखर आजाद उर्फ पंडितजी २-कैलाशपति उर्फ कालीचरन ३-भगवती चरण ४-यशपाल ५-सतगुरु दयाल—शेष १८ अपराधियों में से तीन अर्थात् आज्ञाराम, सुरेन्द्रनाथ पांडे और बटुकेश्वरदत्त को ट्रिबुनल ने रेहा कर दिया था। इस प्रकार अदालत ने अपनी तजवीज १५ अपराधियों परदी है। उनमें से तीन अर्थात देशराज जतींद्रनाथ सान्याल और अजयकुमार घोष बरी कर दिए गए और बाक़ी को भिन्न २ सजाएं हुईं। उनमें से प्रत्येक के ऊपर अदालत ने जो जुर्म लगाए हैं वह संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं:—

सुखदेव

सुखदेव क्रान्तिमण्डल का रंगरूट भरती करनेवाला सदस्य था और स्काट की हत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। सन् १९२८ के सितम्बर में वह केंद्रस्थ समिति का सदस्य हो गया था। साण्डर्स की हत्या में उसने कोई भाग नहीं लिया। असेम्बली हाल में बम फेंकने में वह भगतसिंहका सलाहगीर था। आगरे में बम बनाने में सहायक था और काश्मीर बिल्डिंग लाहौर के बम कार्यालय का प्रधान संस्थापक था।

मण्डल के काम से अमृतसर, फीरोजपुर और सरहद का भ्रमण उसने किया था। यदि भगतसिंह को पड़यन्त्र का दाहिना हाथ कहा जाय तो सुखदेव को उसका दिमाग कहना चाहिये। सुखदेव संगठनकर्ता और उत्साही रंगरूट भरती करने वाला था। हर एक सदस्य को उस की योग्यतानुसार वह काम सौंपता था हिंसात्मक कार्यों में स्वयं तो भाग लेने में पीछे था लेकिन उन तमाम कामों की जिम्मेदारी उस के सिर है जिनके पूरा होने में उसकी दिमागी ताकत और संगठन शक्ति अत्यन्त आवश्यक थी। सम्राट के विरुद्ध संग्राम करने, हत्या पड़यन्त्र और विस्फोटक पदार्थ क़ानून, के अपराध में उसे मृत्युदंड मिला

किशोरीलाल

अगर्चे उसका कार्य-क्षेत्र अधिकतर लाहौर तक ही सीमित रहा और वह दिल्ली वाली मीटिङ्ग में नहीं था पर पंजाब नेशनल बैङ्क पर धावा के पड़यंत्र में स्काट के हत्याकाण्ड में और असेम्बली हाल में बम फेंकने में वह पूरा सलाहकार था। फर्वरी से अप्रल १९२९ तक वह कश्मीर बिल्डिङ्ग लाहौर में बराबर बम बनाता रहा। उसे सम्राट के विरुद्ध संग्राम छेड़ने हत्याके पड़यंत्र में सहायक होने और विस्फोटक पदार्थ कानून के अपराध में कालापानी की सजा हुई।

प्रेमदत्त

जनवरी १९२९ से अपनी गिरफ़ारी तक वह क्रांति मण्डल का सदस्य रहा। वह प्रधानतः बम बनाने की विरोधियों की नक़ल अपने नोटबुक में किया करता था, और मण्डल के प्रमुख सदस्यों के गिरफ्तार हो जाने पर मण्डल के असबाब को बांधकर लाहौर से अपने घर ले जाकर उसे बड़ी सुरक्षित रीति से रखा। प्रेमदत्त ने पड़यन्त्र में कोई संगीन काम नहीं किया इसलिए उसे सम्राट् के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए पड़यन्त्र रचने और साधारण पड़यन्त्र के अपराध में ५ वर्ष सख्त कैद की सजा मिली।

जयदेव

सितम्बर १९२८ से, जब दिल्ली वाली मीटिंग हुई, वह मण्डल का सदस्य रहा। मार्च १९२९ में वह दिल्ली में मौजूद था जब असेम्बली में बम फेंकने की साजिश हुई थी, यद्यपि उसने बम फेंकने में कोई भाग नहीं लिया।

उसके बाद वह बम बनाने के लिए सहारनपुर भेजा गया। अन्त में बम कार्यालय में ही वह गिरफ़ार हुआ।

उसे सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और विस्फोटक पदार्थ कानून के अपराध में कालापानी की सजा मिली।

शिववर्मा

क्रांति मण्डल की युक्त प्रांत वाली शाखा का वह नेता था और दिल्ली में वह युक्त प्रांत के प्रतिनिधि की हैसियत से केंद्रस्थ समिति का सदस्य चुना गया। उसने मण्डल के काम से अमृतसर, फ़ीरोजपुर, लाहौर, ला बाद, दिल्ली, आगरा, और सहारनपुर का दौरा किया। वह पहले आगरा में बम बनाता रहा और बाद में सहारनपुर में बम कार्यालयकी स्थापना में बड़ा भाग लिया।

उसे सम्राट के विरुद्ध छेड़ने और विस्फोटक पदार्थ कानून के अपराध में कालापानी की सजा मिली।

गयाप्रसाद

गयाप्रसाद की भर्ती शिववर्मा ने की थी और उसे पंजाब भेजा था। सितम्बर १९२८ वाली दिल्ली की मीटिङ्ग में वह नहीं था और न केन्द्रस्थ समिति का वह सदस्य ही था, लेकिन फ़ीरोजपुर में उसने आने जाने वाले सदस्यों के ठहरने के लिये अपना घर देकर मण्डल के कार्य में बड़ी सहायता पहुंचाई थी। वह आगरा और सहारनपुर भी गया जहां बम बनाने के पदार्थों के सग्रह करने में बड़ी सहायता की। उसके डाक्टरी के ज्ञान से मण्डल को बड़ी मदद मिली,

जयदेव वाले अपराध में उसे कालापानी की सजा मिली

महावीर सिंह

दिल्ली वाली मीटिङ्ग के पहले पञ्जाब में वह भर्ती किया गया। पञ्जाब नेशनल बैङ्क पर धावा और स्काट की हत्यावाले पड़यन्त्र में उसका भाग था। स्काट की हत्या में उसने क्रियात्मक भाग लिया। खूनियों से मिलने के लिए वह मोजंगहाउस पर मौजूद था। साण्डर्स की हत्या के बाद वह बीमार पड़ गया और सुखदेव की आज्ञा से वह अपने घर युक्त प्रांट लौट गया।

उसे सम्राटके विरुद्ध युद्ध छेड़ने और हत्या के पड़यन्त्र में सहायक होने के अपराध में काला पानी की सजा मिली

भगतसिंह

सितम्बर १९२८ में जो दिल्ली में क्रांतिमण्डल बना भगतसिंह उसका नेता था। इस मण्डल-निर्माण के पहिले भी वह अराजक कार्यों में भाग ले चुका था। उसी द्वारा भिन्न भिन्न प्रान्तों की शाखाओं में परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता था। इसलिए उसे कलकत्ता और पंजाब के दर्मियान भिन्न भिन्न स्थानों में भ्रमण करना पड़ता था। केन्द्रस्थ समिति का सदस्य होने के कारण पड़यन्त्र के परामर्शों में वह बराबर भाग लिया करता था और प्रायः प्रत्येक काण्ड में स्वयं बहुत कुछ करता था। उसी ने यह बातचीत चलाई कि जे० एन० दास मण्डल के सदस्यों को बम बनाना सिखाएँ। सांडर्स के हत्याकाण्ड में, आगरामें बम बनानेमें जोगेशचंद्र चटर्जी के बचाने, में झांसी की यात्रा में बम को आजमाने में, उसने बड़ा भाग लिया और अन्त में असेम्बली हाल में बम फेंकने के लिए वह चुना गया।

सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, साण्डर्स की हत्या और विस्फोटक पदार्थ क़ानून के अपराधों में भगतसिंह को फांसी की सजा मिली।

अभ्युदय

15 अक्टूबर 1930

लाहौर केस के फाँसीके अभियुक्त

अपील करने से इनकार कर रहे हैं

लाहौर षडयंत्र केस के वुकला पंडित रामभरत मेहता, प्राणनाथ और मेहता अमरनाथ ने गत १० अक्टूबर को लाहौर सेण्ट्रल जेल में अभियुक्त भगतसिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव से मुलाक़ात की। मुलाक़ात का उद्देश्य उनसे उस अपील के बारे में राय लेनी थी जो उनको फाँसी की सजा के ख़िलाफ़ प्रिवी कौन्सिल में होने वाली है।

सब से पहले राजगुरु की सम्मति लीगई। उन्हों ने अपील करने से इनकार कर दिया, लेकिन वकीलों के आग्रह करने पर उन्हों ने कहा कि पहले भगतसिंह से पूछा जाय। उनके बाद सुखदेव से पूछा गया। उन्हों ने भी जोरों के साथ इनकार किया। वह अपील करने के एकदम ख़िलाफ थे और उनकी सलाह थी कि भगतसिंह को भी अपील करने से सहमत न होना चाहिये।

अंत में भगतसिंह की राय ली गई। उन्हों ने कहा कि वर्तमानस्थिति में अपील करने से कोई फायदा नहीं। जब उनसे कहा गया कि आप के पिता की प्रबल इच्छा है कि अपील करें तो सरदार भगतसिंह ने इस विषय पर गौर करने का बचन दिया। व्यक्तिगत तौर पर भगतसिंह अपील करने के विचार को ही नापसंद करते थे। उन्हों ने कहा कि अपील के इन्तज़ार में एड़ियां रगड़ने के अपेक्षा फांसी पाने में खास लुत्फ़ आता है।

—०—

अभ्युदय

16 अक्टूबर 1930

भक्तसिंह उनके साथियों को फांसी

लाहोर के फैसले के खिलाफ़ जगह जगह प्रतिवाद!

(विविध सम्वाददाताओं से तार द्वारा)

आजमगढ़

१० ता० को आज़मगढ़ में लाहोर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एक ज़बरदस्त जुलूस निकला, और सार्वजनिक सभा हुई।

लुधियाना

लुधियाने में ८ ता० की रात को एक सार्वजनिक सभा में 'साजिश' केस के फैसले का प्रतिवाद किया गया और अभियुक्तों को बधाई दी गई।

जालन्धर

जालन्धर में ख़बर के पहुंचने पर ७ ता० की शाम को वहां की जेल के कैदियों ने खाना नहीं खाया। शहर में जुलूस निकला और सभा हुई। कन्या महाविद्यालय की ओर से महिलाओं का जुलूस निकला।

लायलपुर

में कांग्रेस कमिटी की ओर से ८ ता० की रात को बड़ी सभा हुई, जिसमें लाहोर के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। डिक्टेटर ने सरदार भगतसिंह और सुखदेव, जो यहीं के रहने वाले हैं, और जिनको फांसी की सजा मिली है, की जीवनियाँ सुनाईं। कहा कि सुखदेव खानदानी देशभक्त हैं।

गुजरांवाला

गुजरांवाला जेलके तमाम राजनीतिक कैदी और हवालातियों ने ७ ता० को व्रत रखा।

देहली

जिला जेल के 'ए' क्लास के कैदियों ने फैसले को सुन कर तमाम दिन व्रत रखा।

बरला

में अभियुक्तों की शुभाकांक्षापूर्वक ईश्वर प्रार्थना की गई।

पानीपत और जँगराव

में हड़तालें रहीं, जुलूस निकले, और जलसे हुए।

आगरा, आजमगढ़ और अकोला में भी हड़ताल रही, जुलूस निकला और प्रतिवाद सभा हुई। प्रयाग के विद्यार्थी संघ ने श्रीमती कमला नेहरू के सभापतित्व में अपनी मीटिङ्ग में सजाओं के विरोध में प्रतिवाद का प्रस्ताव पास किया है।

शिमला

में भगतसिंह दिवस ११ ता० को मनाया गया। शाम को जबरदस्त मीटिंग हुई।

कलकत्ते में

बड़ा बाज़ार, श्यामबाजार, भवानीपुर, कालीघाट, कालेज स्ट्रीट, हरिसन रोड आदि सभी प्रमुख स्थानों की दूकानें बन्द रहीं। कहीं कहीं बाजार खुले थे, किन्तु साधारण तौरपर देखने से बाजार की मातमी सूरत ही नजर आती।

देशके आगरा आदि अन्य स्थानों से भी इसीप्रकारके समाचार मिले हैं।

अभ्युदय

20 अक्टूबर 1930

लाहोर केस के फाँसी के अभियुक्त

अपील करने से इनकार कर रहे हैं

लाहौर षडयंत्र केस के वुकला पंडित रामभरन मेहता, प्राणनाथ और मेहता अमरनाथ ने गत १० अक्टूबर को लाहौर सेण्ट्रल जेल में अभियुक्त भगतसिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव से मुलाक़ात की। मुलाक़ात का उद्देश्य उनसे उस अपील के बारे में राय लेनी थी जो उनको फाँसी की सज़ा के खिलाफ़ प्रिवी कौंसिल में होने वाली है।

सब से पहले राजगुरु की सम्मति लीगई। उन्हों ने अपील करने से इनकार कर दिया, लेकिन वकीलों के आग्रह करने पर उन्हों ने कहा कि पहले भगतसिंह से पूछा जाय। उनके बाद सुखदेव से पूछा गया। उन्हों ने भी ज़ोरों के साथ इनकार किया। वह अपील करने के एकदम खिलाफ थे और उनकी सलाह थी कि भगतसिंह को भी अपील करने से सहमत न होना चाहिये।

अंत में भगतसिंह की राय ली गई। उन्हों ने कहा कि वर्तमानस्थिति में अपील करने से कोई फायदा नहीं। जब उनसे कहा गया कि आप के पिता की प्रबल इच्छा है कि अपील करें तो सरदार भगतसिंह ने इस विषय पर गौर करने का वचन दिया। व्यक्तिगत तौर पर भगतसिंह अपील करने के विचार को ही नापसंद करते थे। उन्हों ने कहा कि अपील के इन्तजार में एड़ियां रगड़ने की अपेक्षा फांसी पाने में खास लुत्फ़ आता है।

—o—

अभ्युदय

20 अक्टूबर 1930

'गान्धी या भगतसिंह !

अहमदाबाद में पर्चे बँटे

अहमदाबाद का समाचार है कि शहर में 'गान्धी या भगतसिंह' शीर्षक पर्चे जिनमें अहिन्सा का प्रचार किया गया है, बांटे गये हैं। पर्चों पर प्रेस की लाइन न थी, इसलिए पुलीस ने पांच प्रेसों की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं।

अभ्युदय

30 अक्टूबर 1930

भगतसिंहको उनके पिता से भेंट!

सरदार भगतसिंह के पिता सरदार कृष्णसिंहजी अपने सुपुत्र से मुलाकात करने अपने छोटे पुत्र कुलतारसिंह के साथ ९ तारीख को सेन्ट्रल जेल गये, वहां से कहा गया कि, होम सेक्रेटरी के लाहौर आने पर इजाजत मिलेगी। तब आपने ज़िला मेजिस्ट्रेट को लिखा कि मैं अपने लड़के की अपील के तअल्लुक़ में उससे मिला चाहता हूँ, इजाज़त दी जाय ताकि मुलाकात के बाद मैं अपील के वास्ते ७५० रुपया सरकार में जमा कर दूँ। इस पर आपको इजज़त मिल गई और आपने उसी दिन जेल में भगतसिंह से मुलाकात की। खबर है कि भगतसिंह बिल्कुल ख़ुशखुर्रम थे, उनका चेहरा दमदमा रहा था, आंखों में एक मस्ती थी, चेहरे पर एक नूर था। रञ्जोमलाल का नाम तक न था। १५ मिनट तक पिता-पुत्र में बातें होती रहीं। बतलाया जाता है कि, भगतसिंह ने कहा कि प्रिवी कौंसिल में अपील करना बेकार है। मैं नहीं चाहता कि, अपील की जाय। २७ अक्टूबर नजदीक आ रही है; मुझे जाने दीजिये। सरदार साहब ने कहा कि, मुल्क चाहता है कि, अपील की जाय। १० ता० को दुबारा मुलाकात होने वाली थी।

कौन कौन अपील करेंगे?

लाहौर केस में सजा पाये हुए श्री० जयदेव, पं० कमलनाथ तिवारी, श्रीविजय कुमारसिंह ने प्रिवी कौन्सिल में अपील करना तय कर लिया है। खबर है कि लाहौर सेन्ट्रल जेल के सुपरिएटेन्डेन्ट ने भगतसिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजाओं के खिलाफ गवर्नमेंट के पास रहम-सुलतानी की दरख़्वास्त भेज दी है। सुनते हैं, लाहौर केस की डिफेन्स कमिटी भी अपील के हक में कोशिश कर रही है।

=०—

अभ्युदय

तार का पता—'अभ्युदय'

साप्ताहिक 'अभ्युदय' का मूल्य ।

वार्षिक …. ३॥)
छः मास का …. २)
एक प्रति का …. -)

मैनेजर—"अभ्युदय"
प्रयाग ।

'रजिस्टर्ड नम्बर ए० ३६०

अभ्युदय

सम्पादक—पण्डित कृष्णकान्त मालवीय (जेल में)
स्थानापन्न सम्पादक— पं० रामकिशोर मालवीय

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु। भविष्यतीत्येवमनः कृत्वा सतत मव्यथै
(व्यासः)

टेलीफोन० —४४५

विज्ञापन दाताओं को स्वर्ण संयोग

और दिनों की अपेक्षा आज कल "अभ्युदय" की ग्राहक संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजपूताना और खासकर संयुक्त प्रदेश में "अभ्युदय" बड़े चाव से पढ़ा जाता है। व्यापारियों को विज्ञापन देकर अवश्य लाभ उठाना चाहिये। इस अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए। एक बार परीक्षा कीजिए।

मैनेजर—'अभ्युदय,' प्रयाग।

अतिरिक्त अंक

[illegible]] प्रयाग, शनिवार कार्तिक सुदी ४ सम्वत १९८७; तारीख २५ अक्टूबर १९३ ईसवी [संख्या २८

भगत सिंह आदि की फांसी मुलतवी हो गयी ?

भगत सिंह की फाँसी रोकदी गयी?

[illegible] की सजा के विरुद्ध अपील होगी

[illegible] की खबर [illegible] और राजगुरु [illegible] मुलतवी [illegible] युक्तों की ओर से फाँसी के हुक्म के खिलाफ अपील की जायगी। यह भी खबर है कि सुखदेव को फांसी के बदले आजन्म कालेपानी की सजा कर दी जायगी।

18 फरवरी 1931

भगत सिंह आदि की
दरख्वास्त नामन्जूर

लण्डन, ११ फरवरी।

प्रिवी कौंसिल ने आज लाहौर षड्यंत्र के अभियुक्तों की अपील की दरख़्वास्त सुनी। अभियुक्तों की ओर से श्री प्रिट ने बहस की। प्रिवी कौंसिल ने सरकार की बहस सुने बिना ही अपील की दरख़्वास्त नामन्जूर कर दी। पूरा फैसला बाद को सुनाया जायगा।

जिन १२ अभियुक्तों की ओर से दरखास्त की गयी थी उन्हें विशेष न्यायालय ने ७ अक्टूबर, १९३० में सजाएं दी थीं। इन अभियुक्तों में सर्व श्री, भगत सिंह शिवराम, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, सात अभि-युक्तों को आजीवन कालापानी और दो को सख़्त कैद की सजाएँ मिली हैं। दरख़्वास्त में कहा गया था कि कि आर्डिनेन्स के अनुसार विशेष न्यालय नियुक्त करके भारत शासन विधान की ७२वीं धारा के अनुसार विरुद्ध कार्य किया गया है।

4 मार्च 1931

अभ्युदय

भगतसिंह आदि को फांसी दे दी गयी

लाशें नहीं दी जायंगी : जेल में ही जलायी जायंगी

फांसी रोकने और प्रिवी कौंसिल में अपील करने की दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गयीं !!!

देशभर में असंतोष : महात्मा जी ने तार भेजकर कांग्रेस की धूमधाम बन्द करा दी !!

फांसी के तख्ते पर लटका दिये गये !

लाहौर २३ मार्च—सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज शाम को ७ बजे सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई

भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने अधिकारियों के पास तार भेजा है कि लाशें दाह-संस्कार के लिये दे दी जायं। परन्तु खबर है कि लाशें नही दी जायंगी और सेंट्रल जेल के अन्दर ही उनका दाह-संस्कार किया जायगा।

हाईकोर्ट में दरख्वास्तें नामंजूर

लाहौर, २३ मार्च

आज प्रातःकाल से ही लाहौर में बड़ी सनसनी फैली है। सब लोग सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की खबर से बहुत चिंतित हैं। आज हाईकोर्ट में इन लोगों को दी जाने वाली फांसी मुल्तवी करने और प्रिवी कौन्सिल में अपील करने की आज्ञा मिलने के लिए दरख्वास्तें पेश की गयी थीं। हाईकोर्ट के बाहर जनता की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी [illegible] ने कहा कि वाइसराय के आर्डिनेन्स द्वारा [illegible] की गयी खास अदालत ने २७ अक्टूबर को फांसी की तारीख मुकर्रर की थी। उस दिन फांसी नहीं दी गयी और अब आर्डिनेन्स तथा खास अदालत दोनों रद्द हो गये। क़ानून के मुताबिक फांसी का वारण्ट वही अदालत निकाल सकती है, जिसने सज़ा सुनायी हो, सरकार या हाईकोर्ट फांसी का वारण्ट नहीं निकाल सकते। परन्तु जजों ने सफ़ाई के वकील की यह बात स्वीकार नहीं की और दोनों दरख्वास्तें नामंजूर कर दीं।

रिश्तेदारों को मिलने की मनाही !

जेल के अधिकारियों ने भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव से पिता, माता, बहिन और भाइयों के अतिरिक्त और किसी रिश्तेदार को मिलने की आज्ञा नही दी, इसलिए किसी से भी मुलाक़ात नहीं की गई। भगतसिंह के पिता ने इसके विरोध में वाइसराय, गवर्नर और होम मेम्बर को तार भेजे।

नवयुवकों में असन्तोष

लाहौर में जुलूस निकाला गया

भगतसिंह वगैरह की फांसी के पहिले से ही फांसी की बात सुनकर नवयुवकों में जोश फैला। नौजवान भारत सभा की ओर से लाहौर में एक जुलूस निकाला गया और मोरीगेट के बाहर सभा की गयी, जिसमें फाँसी के फैसले के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया।

महात्माजी का तार

महात्माजी ने कराची कांग्रेस के प्रबन्धकों को तार भेजा है कि, चूंकि भगतसिंह वगैरह को फांसी होने वाली है, इसलिए कांग्रेस की धूमधाम बन्द कर दी जाय। कांग्रेस के राष्ट्रपति के भाषण में फांसी होने पर बहुत परिवर्तन किया जायगा। यह तार पाकर स्वागतकारिणी समिति ने धूम धाम बन्द करदी है और २४ घोड़े की गाड़ी पर राष्ट्रपति को बैठाकर जो जुलूस निकलने वाला था, वह सब रोक दिया गया है।

नौजवान भारत-सभा की ओर से पहिले ही वाइसराय और महात्माजी के पास तार भेज दिये गये थे कि भगतसिंह वगैरह की फांसी की सज़ा बदल दी जाय और अगर फांसी देदी गयी तो नवयुवक लोग समझौते को स्वीकार न करेंगे।

भगत सिंह कौन थे ?

सरदार भगतसिंह पञ्जाब के प्रसिद्ध देशभक्त सिख परिवार के एक रत्न थे। आपके पिता सरदार किशनसिंहजी स्वर्गीय लाला लाजपतराय के साथ काम करने वालों में हैं। सरदार भगतसिंह के चचा सरदार अजीतसिंह जी का नाम भारत-स्वतन्त्रता के इतिहास में, अमर रहेगा। सन् १९०५-०६ में, सरदार अजीतसिंह जी ने अपने बड़े भाई के साथ राष्ट्रीय-जागृति को बहुत उत्तेजन दिया था। उस समय आप और स्वर्गीय लाला जी पंजाब के एक मात्र सच्चे क़ौमी लीडर थे। आप देश के बाहर चले गये हैं, और अब अमेरिका के ब्रेज़िल प्रान्त में हैं।

सरदार भगतसिंह बचपन से ही कट्टर देश-प्रेमी और क्रान्तिवादी रहे हैं, आपका परिवार पंजाब का एक सम्पन्न परिवार है, आपकी शादी महाराजा रणजीतसिंह के परिवार से हो रही थी, लेकिन विवाह करने का आपका विचार ही नहीं था। जिस दिन शादी पक्की होने वाली थी, उसी दिन आप घर से ग़ायब हो गये और आपके घर वालों को उनका पता उस दिन लगा, जब आज से दो वर्ष पूर्व ऐसेम्बली में बम फेंकने के बाद उन्होंने अपने को पकड़ा दिया। ऐसेम्बली बम-केस में आपने जो बयान दिया है, वह एक ऐतिहासिक पृष्ठ की भांति भारतीय-स्वातंत्र्य के इतिहास में सुरक्षित रहेगा। इस केस में आपको आजन्म कालेपानी की सज़ा दी गई। इसके बाद आप पर १६ अन्य नौजवानों के साथ लाहौर "षड्यन्त्र" का मामला चलाया गया जिसका ख़ास अङ्ग लाहौर के नायब पुलीस कप्तान सौण्डर्स की हत्या थी। मुखबिरों का कहना है कि, सौण्डर्स पर सरदार भगतसिंह ने भी गोली चलाई, लेकिन यह तहक़ीक़ नहीं है कि सौण्डर्स सरदार की गोली से मरा। इस केस के दौरान में आपने पूरे ११५ दिन तक अनशन रख कर संसार को हिला दिया था। लाहौर का यह "साज़िश" केस जिन विलक्षणताओं से परिपूर्ण है, और जिस तरह भारत के इस सर्वप्रिय नौनिहाल को फाँसी पर लटकाया गया है, न्याय के नाम पर एक गोरे के खून का जो प्रतिशोध किया गया है—उसे भारत का बच्चा बच्चा कभी न भूलेगा।

भगतसिंह अभी [illegible] २२-२३ साल [illegible] आज़ादी के [illegible] भारत के उज्ज्वल भविष्य [illegible] मुखमण्डल, वह प्रतिभाशाली आकृति, [illegible] वह दीवानापन—जिन लोगों ने उस आज़ादी के फरिश्ते को लाहौर केस में अदालत में आते जाते, मजिस्ट्रेट और जजों से बहस करते और मुखबिरों से कई कई दिन तक जिरह करते देखा है—वह क्या कभी उसे भूल सकते हैं। भगतसिंह सन् १९२१ में लाहौर के डी॰ ए॰ वी॰ हाई स्कूल का एक विद्यार्थी था, उसके बाद असहयोग कर वह राष्ट्रीय कालिज में भर्ती हुआ, और वहीं पढ़ता रहा। किसी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट न होते हुये भी उसका ज्ञान, उसकी प्रतिभा उसी भाँति सर्वतोमुखी थी, जिस प्रकार [illegible] में प्रबलतम आत्मा। हृदय और म[illegible] उसने लासानी पाये थे—वही उस[illegible] और आज उसकी यही विशेषता [illegible] गाहक और हमारे खूनी आँसुओं का [illegible]

भगतसिंह के दो छोटे भाई और तीन बहनें हैं; उसके छोटे भाई कुलतारसिंह को लाहौर कांग्रेस में वालंटियर का काम करते हजारों ने देखा था, लोग उसमें भगत सिंह की झलक देख कर उसके पास आ पहुँचते थे। भगतसिंह के माता-पिता के अतिरिक्त उनके बाबा दादी भी जीवित हैं। बाबा सरदार अर्जुन सिंहजी ८० से ऊपर हैं, लेकिन अजीतसिंह और सुवर्णसिंह—जिनकी मौत सन् १९०८ में जेल में हो चुकी है—दो पुत्रों को मातृवेदी पर होम कर अपने पोते भगतसिंह के बलिदान पर वे गर्व करते हैं।

अभ्युदय

भगतसिंह और दत्त के दर्दनाक अन्तिम पत्र !

"मेरी तमन्ना यही है कि मैं अपने प्यारे सरदारको आंखों से देख लूं"

—बटुकेश्वर दत्त

"हम शाही कैदी हैं--हमें फांसी पर मत चढ़ाओ, गोली मार दो"

—भगतसिंह

२४ मार्चको भगतसिंह आदि को फाँसी होगी ? फाँसी अगर हुई तो बड़ा उपद्रव खड़ा हो जायगा

बटुकेश्वर दत्त की आख़िरी तमन्ना !

सरदार किशनसिंह के नाम श्री० दत्त का दर्दनाक पत्र !

सरदार भगतसिंह के अनन्य सखा बटुकेश्वर दत्त ने, जो इस समय मदरास प्रान्त के सलेम नगर की सेन्ट्रल जेल में आजीवन कैदी की भाँति बन्द हैं, अपने परम प्रिय सरदार और सखा भगतसिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी को निम्न-लिखित पत्र लिखा है:—

"मेरे माननीय सरदार जी,

मेरे जीवन में यह पहला अवसर है कि, मैं आप को यह पत्र लिख रहा हूँ। यद्यपि मुझे इस गम्भीर अवसर पर जबकि मेरे मिहरबान भाई [कामरेड] भगतसिंह का महत्त्वशाली अन्त जल्लाद की फाँसी के फन्दे में झूल रहा है, इस पत्र को शुरू करने में कठिनता अनुभव हो रही है, तथापि परिस्थितियों से विवश हो कर मैं यह थोड़े से शब्द लिख रहा हूँ। मुझे आप क्षमा करेंगे, यदि इससे आपके आत्मा को कष्ट पहुँचे।

सरदार जी, यह तो आपको भली भाँति मालूम है कि मेरा, भगतसिंह से क्या सम्बन्ध है। यह हमारे भ्रातृ-स्नेह और सत्य मैत्री भाव की सुखद शृङ्खला थी जिसने मानव-जाति के हित-क्षेत्र में हमारे पारस्परिक दायित्व और सम्बन्ध को स्थिर किया था। यही भावना आज मेरे हृदय समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न कर रही है, और मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करूँ कि ऐसे समय में, जब कि मेरे परम प्रिय सखा के सिर पर अत्याचार और अन्धकार की घनघोर घटा मँडला रही हैं, मैं दुर्भाग्य वश यदि उसका साथ नहीं दे सकता, तो कम से कम अपने मित्र के मुसकुराते मुखड़े का अंतिम दर्शन तो कर सकूँ, और अपने भावों की श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर इस भौतिक वियोग के अवसर पर पारस्परिक गले लग कर एक दूसरे से विदाई ले सकूँ।

परन्तु मुझे अत्यन्त शोक है कि, अधिकारियों ने एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ को, जिसका अपने अन्यतम मित्र के शोक पूर्ण वियोग के उपरान्त जीवित ही जेल की ऊँची ऊँची दीवारों के भीतर अन्त कर दिया जाना है, बहरे कानों सुना। उन्होंने हमारे अनन्य प्रेम सम्बन्ध और भ्रातृ-भाव को, जो संसार में अपनी सानी नहीं रखता, अनुभव न करते हुए मेरी, भगत सिंह की मुलाक़ात के लिये की गई दरख्वास्त को रद कर दिया।

यदि सम्भव हो सके तो मेरे इन भावों और अनुभूतियों को सरदार साहब तक पहुँचा दीजियेगा। मैं इस समय अनुभव करता हूँ:—

आज़माइश है कड़ी जब पर कोई शिकवा न हो,
फिर मिलेंगे बिल्यक़ीं दिल में कोई खटका न हो,

आपका—
"बटुकेश्वर दत्त।"

सरकार को भगतसिंह का पत्र

पंजाब सरकार ने सरदार भगतसिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव को ३ मार्च तक दया की प्रार्थना करने की मोहलत दी थी। इन्हों ने दया की प्रार्थना नहीं की। मगर सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल की इज़ाजत से एक पत्र पंजाब सरकार को लिखा। इस पत्र में लार्ड इरविन और महात्मा गांधी के दरम्यान सुलह की बातचीत का जिक्र है। महात्मा जी की बातों पर निराशा प्रगट की गई है।

पत्र में लिखा है कि, महात्मा जी हमें तो क्या छुड़वायेंगे यदि वह उन निर्दोष लड़कियों को जिन पर बमबाजी का अभियोग लगाया है और जो डर के मारे शहर शहर घूमती फिरती हैं उनको छुड़वा सकें तो बड़ी बात होगी।

सरकारको सम्बोधन करते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है कि हम युद्ध के कैदी हैं। इन अर्थों में हम राजबन्दी (शाही कैदी) हैं। हमारे साथ वही सलूक होना चाहिये जो युद्ध के कैदियों के साथ होता है। या तो युद्ध के समाप्त होने पर हमें छोड़ दिया जाय या गोली से उड़ा दिया जाय। राष्ट्रीय सैनिकों को कोई सरकार फांसी पर नहीं चढ़ाती। सरकार हमें गोली से उड़ाने के लिये फौजी सिपाहियों को जेल में भेज सकती है। हमें फांसी के तख़्ते पर लटकाने का कोई अर्थ नहीं।

भगतसिंह वगैरह को बचाने की कोशिश

सरदार भगत सिंह, श्री० सुखदेव और श्री० राजगुरु को फांसी का हुक्म हो गया। खबर है कि २४ या २५ मार्च को फांसी हो जायगी। इस सम्बन्ध में लाहौर जेल पर बड़ा कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। जेल के अन्दर के सभी राजनीतिक कैदी हटा दिये हैं। फांसी का ठीक समय क्या है, यह नहीं बतलाया जा रहा है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने अधिकारियों के पास लिख भेजा है कि फांसी दी जाने के बाद भगतसिंह की लाश अन्तिम-संस्कार के लिए उन्हें दे दी जाय, किन्तु ऐसी आशा कम मालूम होती है।

जब से दया की प्रार्थना रद्द होने और फांसी के निश्चय की खबर के बाद से तीनों युवकों के प्राण बचाने की पूरी कोशिश शुरू हो गयी है। नेताओं की ओर से भी प्रयत्न हो रहे हैं।

नेताओं का विश्वास है कि भगतसिंह आदि की सजा न घटा कर सरकार बुद्धिमत्ता से काम नहीं ले रही है। उन्हें फांसी देने से नवयुवक उत्तेजित हो जायेंगे और कराची कांग्रेस में समझौते का समर्थन मुश्किल हो जायगा। फिर भी नेताओं को विश्वास है कि, अन्तिम क्षण में सरकार इनको फाँसी की सज़ा के विरुद्ध निर्णय करके स्थिति को बिगड़ने से बचा लेगी।

महात्मा गाँधी तथा अन्य नेताओं को भगतसिंह आदि को बचाने के लिए भिन्न भिन्न प्रान्तों से ५० तार मिले हैं।

नौजवान भारत सभा की वर्किंग कमेटी का डेपुटेशन महात्मा जी से मिला। डेपुटेशन ४० मिनट तक सर्दार भगतसिंह की फांसी और सत्याग्रहियों के सिवाय अन्य राजबन्दियों की रिहाई पर बात करता रहा। लेकिन, महात्मा जी ने अन्य राजबन्दियों की रिहाई को अपने और सरकार के बीच शर्त बनाना स्वीकार नहीं किया।

'लीडर' का सम्वाददाता लिखता है कि, सरदार पटेल, सुभाष बाबू तथा श्रीमती नायडू आदि से बात करने से पता चलता है कि, अगर अगले सप्ताह में सरदार भगतसिंह आदि को फाँसी दे दी गई, तो कराची कांग्रेस में बड़ा उपद्रव खड़ा हो जायगा। नौजवान भारत सभा ने उसके विरोध में भारी प्रदर्शन किया।

लाहौर का समाचार है कि, सरदार भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के लिये जो दया-प्रार्थना की गई थी, उसके नामंजूर हो जाने से यहां बड़ी उत्तेजना फैल गई है। नौजवान-भारत सभा ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधी-इर्विन-समझौते की निन्दा की है। २३ मार्च को इसी विषय को लेकर चन्दा इकट्ठा करते हुए जुलूस निकाला जावेगा तथा सभा होगी।

२० ता० को हाईकोर्ट में फांसी को रोकने की दरख्वास्त फिर दी जायगी। शहर में अफवाह उड़ रही है कि, फांसी मङ्गलवार को दी जायगी। यह चर्चा भी सुनी जाती है कि, पहले वायसराय सज़ा बदलने के लिये तैयार दिखाई देते थे, पर पंजाब के कुछ बड़े बड़े पुलिस कर्मचारियों ने इसका घोर विरोध किया। यहाँ तक कि, वे इस्तीफ़े देने के वास्ते तैयार हो गये। इस लिये वायसराय को दरख्वास्त रद्द कर देना पड़ी।

अभ्युदय

25 मार्च 1931

लाल क्रान्ति के दो अनन्य पुजारी

सर्दार भगतसिंह

आपकी फांसी की सजा लाख
प्रयत्न करने पर भी बहाल रहा।
इसी २३ तारीख को फांसी
हो गयी।

भगतसिंह
ज़िन्दाबाद

श्री बटुकेश्वर दत्त

आपका एक भावपूर्ण पत्र हम
अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं।

अभ्युदय

1 अप्रैल 1931

सरदार भगतसिंह का अन्तिम पत्र

भाई को मातम न मनाने का आदेश

सेण्ट्रल जेल लाहौर से सरदार भगतसिंह ने अपने छोटे भाई के नाम जो अन्तिम पत्र लिखा वह इस प्रकार है—प्यारे कुलतारसिंह ! आज तुम्हारी आँखों में आंसू देख कर बहुत रञ्ज हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दास्त न हुए। प्यारे भाई हिम्मत से तालीम हासिल करते जाना और सेहत का ख्याल रखना। और क्या लिखू हौसला रखना, सुनोः—

उसे यह फिक्र है हर दम नई तर्जे जफा क्या है,
हमें यह शौक है देखें सितम की इन्तेहा क्या है ॥

दुहर से क्यों खफा रहें, चर्ख का क्यों गिला करें,
सारा जहा अदू सही आओ मुकाबला करें ॥

कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल,
चिरागे सेहर हूँ, बुझा चाहता हूँ ॥

आवोहवा में रहेगी, ख्याल की बिजली।
ये मुश्ते खाक है फानी रहे, रहे न रहे ॥

अच्छा, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। आनन्द से रहना।

तुम्हारा भाई—भगतसिंह

अभ्युदय

1 अप्रैल 1931

भगतसिंह का अन्तिम गान

"मेरा रंग दे बसंती चोला"

लाहोर २६ मार्च। कहते हैं कि जिस समय सरदार भगतसिंह और उनके दोनों साथियों की फांसी का समाचार शहर में फैला कि अगणित भीड़ ने जाकर सेण्ट्रल जेल को घेर लिया क्योंकि सुना गया था कि उनकी लाशें फाँसी के तख्ते के नीचे ही जला दी गयीं। मालूम हुआ है कि जिस समय सरदार भगतसिंह को फांसी देने के लिये जल्लाद लिये जा रहे थे उस समय निर्भीक सरदार ऊँचे स्वर में मुस्कराते हुए गीत गा रहे थे जिसकी पहली पंक्ति यह थी:—

'मेरा रंग दे बसंती चोला,

इस रंग में रंग के शिवा ने, माँ का बंधन खोला"

अभ्युदय

29 अप्रैल 1931

शहीद सुखदेव का म० गांधी को अन्तिम पत्र

कलकत्ते में अंग्रेजी क्लब घर पर बम गिरा

कई षड़यंत्रों के मुकदमों की सनसनीदार कार्यवाहियां

मेरठ षड़यंत्र का मुकद्दमा

मुकदमा अभी एक वर्ष और चलेगा

२ आदमी जमानत पर छूटे

मेरठ षडयंत्र केस के अभियुक्तों में से मि० हचिंसन और मि० निम्बकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। जस्टिस मुकर्जी और जस्टिस बोआयज ने दो अलग २ फैसले लिखे हैं। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में स्वयं अपनी जमानत की दर्खास्तों पर बहस की थी। दोनों अभियुक्तों को इस शर्त पर छोड़ा गया है कि वह प्रतिज्ञा करें कि मुकद्दमा के दिनों में वह किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे न किसी प्रदर्शन में शामिल होंगे, न भाषण करेंगे और न समाचार पत्रों में कुछ लिखेंगे। जस्टिस मुकर्जी ने फैसले में लिखा कि मुकदमों के सारा साल चलने की सम्भावना है। कानून का मनशा यह है कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट के अधिकार बन्धन मुक्त रहे। यह नहीं कहा गया कि अभियुक्त भयानक अपराधी हैं। मुकद्दमे की समाप्ति समीप दिखाई नहीं देती। इस लिये अभियुक्तों को शीघ्र छोड़ देना चाहिये।

गत २१ अप्रैल को मेरठ षड़यन्त्र केस की सुनवाई पुनः आरम्भ हुई। श्री० निम्बकर और हचिन्सन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस करने गये थे, आज वापिस लौट आये। श्री थाटे, जिन्हें अस्वस्थता के कारण जमानत पर छोड़ा जाना तय हुआ है, बहुत सख्त बीमार हैं। सुना जाता है कि आप स्वस्थ लाभ के लिये बंबई जाने की अर्ज़ी देंगे।

इसके बाद सातवें अभियुक्त डा० मुकर्जी का बयान शुरू हुआ। जजने आप से पूछा कि "क्रान्ति कांग्रेस पत्र के संपादक को आप ने जो बधाई का पत्र दिया था, उसका क्या अभिप्राय था। इस पर आप ने कहा—"यह भुलाया नहीं जा सकता कि महात्मा ईसा और बुद्ध में क्रान्ति की एक नवीन आभा जगमगाती थी जो, जो अब महात्माजी द्वारा प्रकट हुई है।" आगे चल कर आप ने बतलाया कि "मेरा इस पत्र से कोई संबंध नहीं था, केवल पत्र के नाम के लिये मैंने उसके सपांदक को बधाई का पत्र दिया था।

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने "महात्मा लैनिन" नामक पुस्तिका क्यों लिखी, आपने कहा कि—"पब्लिक सेफ्टीबिल ने जनता में एक इस प्रकार की लालसा उत्पन्न कर दी थी कि वह बोलशेविज़्म का ठीक २ ज्ञान कराने। वह ज्ञान कराने को ही मैंने यह पुस्तिका लिखी थी।" इस पर जजने पूछा–"क्या आप संक्षेप में बतला सकते हैं कि बोलशेविज़्म क्या है?" इस पर आपने कहा कि—"वह बतलाने के लिये मुझे मजबूर

दल के आरंभ, उन्नति और इंगलैण्ड में खोली गई तत्संबंधी स्कूलों का वर्णन करना पड़ेगा। इसके पश्चात् अदालत की कार्यवाही सवाप्त हुई।

लाहौर का नया षड्यंत्र केस

लाहौर २२ अप्रैल—आज जब विशेष अदालत के सामने नवीन षड्यन्त्र केस पेश हुआ तो मि० अमोलकराम कपूर ने दरख़्वास्त दी कि हाईकोर्ट की आज्ञानुसार चारों मुखबरों को जुडीशल हवालात में भेजा जाय। इस दरख्वास्त में यह भी बताया गया कि पुलीस खैराती राम सुल्तानी गवाह को अदालत से आज्ञा प्राप्त किये बिना ही आज शाही किले में ले गई। अदालत ने सरकारी वकील के विरोध करने पर भी आज्ञा दी कि आज २॥ बजे चारों मुखबिरों को अदालत में पेश किया जाय। शेष अभियुक्तों को जेल ले जाए जाने की आज्ञा हुई। २॥ बजे मुखबिर अदालत में पेश हुए। उन्हें हाईकोर्ट की आज्ञा सुनाई गई।

अमृतसर षड़यंत्र केस

मि० आर्यमुनि बरी: दो की सजा बहाल रही

पंजाब हाईकोर्ट ने अमृतसर षड्यन्त्र केस की अपील का फैसला २४ अप्रैल को सुना दिया। इस मुकद्दमे में चार अभियुक्त और दो सुल्तानी गवाह थे। इनमें से एक मुसाफिर जयराम सिंह ने अदालत सैशन में अपना बयान बदल लिया था। सैशन जज ने अभियुक्त को भिन्न भिन्न दण्ड दिये थे। विद्वान जज ने मि० आर्यमुनि को जिसे सैशन जज ने सवा दो साल कैद की सज़ा दी थी, बरी कर दिया और मि० सुशील कुमार से, जिसे अढ़ाई वर्ष की सज़ा दी थी, दो साल के लिये एक हज़ार रु० की ज़मानत मांगी। अन्य दो अभियुक्तों अर्थात् मि० राजनारायण और मूला की अपील नामंजूर कर दी। उन्हें सवा सवा साल कैद का दण्ड हुआ था।

अंग्रेजी क्लब पर बम फेंका गया

यूरोपियन महिला बाल बाल बची

कलकत्ते में गत २४ अप्रैल की शाम को, साढ़े सात के बाद ही कलकत्ते के गोल्फ क्लब में एक बम गिरा हुआ पाया गया। यह बम ठीक उसी प्रकार का था जिस प्रकार का सर चार्ल्स टैगार्ट पर फेंका गया था। ठीक से भरा न होने के कारण बम फूटा नहीं। एक यूरोपियन महिला ने इसको हवा में से नीचे गिरते देखा और उसे गोल्फ को गेंद समझ कर उठा लिया। पर उठाने पर मालूम हुआ कि गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इस मामले के सम्बन्ध में पुलिस कमिश्नर ने स्वयं घटना की जांच की और आसपास की बस्ती की तलाशी ली। इस जांच के समय कहा जाता है कि घास के ढेर में एक और बम मिला, जिसे पुलिस बहुत अधिक भयङ्कर समझती है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई।

महात्मा जी को सुखदेव का अन्तिम पत्र

"महात्मा जी नौकरशाही के साथ हैं!"

अभी हाल ही में "यंगइण्डिया" में महात्मा जी के नाम लिखा हुआ शहीद सुखदेव का अन्तिम पत्र प्रकाशित हुआ है। पत्र में, महात्मा जी ने क्रान्तिकारियों को अपना कार्य बन्द रखने का जो आदेश दिया था, उसी का ज़िक्र है। पत्र इस प्रकार है:—

"गांधी जी क्रान्तिकारियों को अपने कार्यों को बन्द करने का आदेश दे दे कर उनके दमन करने में नौकरशाही का खूब हाथ बँटा रहे हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि क्रान्तिकारियों के हृदय में भी अपने देश की स्वतन्त्रता का आभव रखता है। उचित तो यह था कि महात्मा जी स्वयं क्रान्तिकारी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते और उन्हें किसी प्रकार विश्वास दिलाते कि वे अपना कार्य बन्द रक्खें।"

पत्र के उत्तर में महात्मा जी ने लिखा है–"यह पत्र भगतसिंह के अनन्य मित्र शहीद सुखदेव द्वारा लिखा गया था जो मुझे उसके स्वर्गारोहण के बाद मिला। बहुत से लोग राजनीतिक-स्वतँत्रता के लिये फाँसी पर चढ़ना पसन्द नहीं करते। राजनीतिक-खून चाहे जितने निन्दनीय हों किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के भयंकर काण्ड भी लोग देशप्रेम से प्रेरित हो कर करते हैं। कुछ भी हो हमारी समझ में राजनीतिक हत्याकरों को प्रवृत्ति अब बढ़ नहीं रही है। यदि भारत को आधुनिक उद्देश्य में सफलता मिली तो यह निश्चित है कि राजनीतिक खून सदा के लिये बन्द हो जायेंगे। और कोई विश्वास करे या न करे मैं तो इसी विश्वास पर कार्य कर रहा हूँ (इस पत्र के लेखक ने) (सुखदेव ने) निःसंदेह अपने साथ बड़ा भारी अन्याय किया। अपने जीवन में उत्तेजक अपीलों के अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया। क्रान्तिकारियों के सामने उसने अपने कटु अनुभव को प्रमाण स्वरूप रक्खा है कि भारतवर्ष में यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता है।"

खण्ड – 3

(प्रतिबन्धित साहित्य में भगत सिंह)

अन्तिम वचन

सरदार भगत सिंह अज़ीज़ों से ये बोले,
मरता हूँ तो क्यों आपको है फ़िक्र तरद्दुद।
इक क़िस्स-ए पारीना को दुहराती है तारीख़,
उमरःस्त कि आवाज़-ए-मन्सूर कुहन शुद।
मन अज़-सरे-नौ जलवा दहम दारो रसन रा,

—देशभक्त।

भगतसिंह की याद में—

वो रखते हैं दिल में गुमाँ कैसे कैसे,
दिये हमने वो इम्तिहाँ कैसे कैसे।
भगतसिंह को देखकर चर्ख़ बोला,
दिखाये ज़मीं ने जवाँ कैसे कैसे।
कहा रूहे-मजनूँ ने मस्ती में आकर,
मुहब्बत के छोड़े निशाँ कैसे कैसे।
कहा महरमे-राज़ मन्सूर ने यूँ,
खिंचे दार पर राज़दाँ कैसे कैसे।
पुकारे वे नाना पराने ज़माना,
मिटे नामियों के निशाँ कैसे कैसे।
वतन के पुकारे तड़प कर पुकारे,
वतन के भी हैं पासबाँ कैसे कैसे।
ये लन्दन की गलियों में आवाज़ गूँजी,
हैं भारत के शीरे-रसाँ कैसे कैसे।
किशन सिंह ने कह के सबको रुलाया,
दिये दारा पे आसमाँ कैसे कैसे।
कहा रोके भारत ने, छीने गये हैं—
मेरे लाल, मेरे जवाँ कैसे कैसे।
पुकारा भगतसिंह के लाशे पे हसरत,
मिटे अहले हिन्दोस्ताँ कैसे कैसे।

—लाला दीनानाथ

भगतसिंह

ों ने जब कि यह कहा।
दम हुआ हिन्द का नव जवां भगत ॥"
रंजो अलम फ़ना करो
मुल्क है, जिसमें था नव जवां भगत ॥
भी न रंजोग़म करो।
गया भगत, होवेंगे वे करां भगत ॥
माला लिये जपा किये।
देश भक्त, जैसे था नव जवां भगत ॥
जा हमें जबाब दो।
वाज़ तुम फांसी चढ़ा जवां भगत ॥
उठा न ऐ "अली"।
ज़र्रे से, पैदा हैं वे करां भगत ॥

—मुश्ताक़ अलीखाँ "अली"

*सज़ा को जानते हैं हम, ख़ुदा जाने ख़ता क्या है !

[लेखक स्वर्गीय महाकवि चकबस्त]

उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े जफ़ा क्या है ?
हमें यह शौक़ है देखें सितम की इन्तहा क्या है ॥
गुनहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाक़िफ़ ।
सज़ा को जानते हैं हम, ख़ुदा जाने ख़ता क्या है ॥
ये रंगे बेकसी रंगे जुनूँ बन जायगा ग़ाफ़िल ।
समझले यासो हिरमाँ को, मरज़ की, इन्तहा क्या है ।
नया बिस्मिल हूँ मैं वाक़िफ़ नहीं रस्मे शहादत से ।
बता दे तू ही ऐ ज़ालिम तड़पने की अदा क्या है ॥
चमकता है शहीदों का लहू कुदरत के परदे में ।
शफ़क़ का हुस्न क्या ? फूल की रंगी क़बा क्या है ?
उमीदें मिल गई मिट्टी में दौरे ज़ब्त आख़िर है ।
सदाये गैब बतलादे हमें हुक्मे ख़ुदा क्या है ?

---

* यह गज़ल सरदार भगतसिंह को बहुत प्रिय थी। इसका ही पहला मिसरा उन्होंने अपने भाई को लिखे हुये अन्तिम पत्र में, उद्धृत किया है।

भगतसिंह राजगुरु सुखदेव मेमोरियल फंड में

आर्थिक श्रद्धाञ्जलि दीजिये

हंसते हुये फांसी की रस्सी गले में डाल कर मस्तिका गीत गाने वाले शहीदों की स्मृति रक्षार्थ १,०००००० लाख रुपया इकट्ठा होगा। इन वीरों की प्रतिमा के सिवा सर्व साधारण की सम्मति से जो निश्चित कर प्रतिष्ठान स्थापित किया जावेगा उसका पूरा ब्योरा कमेटी की प्रधान कार्यालय लाहौर से प्रकाशित होगा।

जिन वीरों ने निर्यातित भारत को सुखी करने के लिये जीवन के प्रारम्भ में अपनी वृद्ध माता पिता भाई बहन तथा जीवन की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना जीवन रूपी नाव बिना कर्णधार विशाल कर्म समुद्र में छोड़ दिया था और अन्त में हंसते हुये मातृ-भूमि की धधकती हुई यज्ञ कुण्ड में अपने को स्वाहा कर दिया। ऐसे आत्म विसर्जन कारियों की स्मृति रक्षा के लिये कौन हृदय वान व्यक्ति आर्थिक मदद देने से इन्कार कर सकता है? अपरिणाम दर्शी बृटिश ने देश प्रीति के अपराध में गत २३ तारीख मार्च की रक्त रञ्जित शाम को भारत के वीर बहादुर जिन राम लक्ष्मण शत्रुघ्न को अपने माता पिता बहनो से अन्तिम मुलाकात करने से वंचित कर के फांसी पर लटका कर उनके टुकड़े २ किये और सतलज को अपना अफलीकष दिखा कर निश्चिन्त कर दिया था। न्याय तथा मनुष्यत्व की भित्ति पर खड़े हो कर कौन मनुष्य ऐसा है जो यह नहीं चाहता कि इस निपीड़ित भारत में ऐसे निर्भीकरूपसे जान देने वाले बच्चों की स्मृति कायम हो। सतलज नदी के किनारे जिस स्थान पर सती अमरकौर को अपने प्रिय भाई भगत का एक कटा हुआ हाथ किरिचों के युद्ध से छिनाना पड़ा था कौन मनुष्य ऐसा है जो उस पवित्र स्थान पर अपने प्यारे भगतकी स्मृति मन्दिर स्थापित नहीं करना चाहता है? सरदार भगतसिंहकी तथा राजगुरु एवं सुखदेव की वृद्धा माता अपने प्राणों को देश के संग्राम में आहुति दे कर अपने शून्य भवन में गहरी श्वासें लेरहे हैं एक युग नहीं सौ युग में भी हम लोग इन वीर परिवारों की ऋण से उद्धार नहीं हो सकते हैं।

ऐसी हृदय विधकारी स्मृति सामने रहते हुये भी भारत के कुछ हृदय हीनस्वार्थ पर देश द्रोही भीरु मानव देह धारी जीव अपनी कायरता को छिपाने के लिये आर्थिक मदद के बदले प्रलाप बक देते हैं मैं उन भाइयों से अपील करती हूं कि मैं अपने मृत्युञ्जयी भाइयों के विरुद्ध किसी तरह का प्रलाप सुनना नहीं चाहती हूं जो भाई अपने आंसुसे भिगोकर एक पैसा भी इस मेमोरियल कमेटी को देंगें बड़ी श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया जायगा। भाइयो तथा बहिनों खुले दिल से जो कुछ हो अपने शहीद भाइयों की याद में निम्न पतेसे भेज कर अपनी हमदर्दी प्रगट कीजिये। रुपय देने वाले अगर चाहेंगे तो उनका नाम अखबार में निकाल दिया जायगा।

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
GOVT. OF INDIA

सुशीला दे.प
सेक्रेटरी आल इंडिया भगतसिंह
राजगुरु सुखदेव मेमोरियल कमेटी
एम० डी० सिनहा भवन
माल रोड कानपुर

नारायण प्रेस कानपुर।

भगतसिंह की सचित्र जीवनी

क्या आप शहीद-शिरोमणि सरदार भगतसिंह की जीवनी के अनुपम चरित्रों को पढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा लाहौर 'साजिश' केस के हालात पढ़ने की है, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि, वीरवर भगतसिंह ने किस तरह ११५ दिन तक जेल में अनशन रखते हुए अपनी धीरता-वीरता को स्थिर रखा —तो 'अमर शहीद यतीन्द्र' नामक पुस्तक में पढ़िये, जिसमें आपको लाहौर के इस ऐतिहासिक मुकदमे का, जिसमें चार वीरों का अनुपम बलिदान हुआ है, पूरा वर्णन ऐसी हृदयस्पर्शी और जीवित भाषा में पढ़ने को मिलेगा, जिससे सारा दृश्य आपकी आंखों के सामने चित्र-पट की भाँति खिंच जायगा। पुस्तक की भूमिका पंजाब के मान्य नेता डा० आलम ने लिखी है।

आज ही साढ़े तेरह आने के टिकट भेजकर मंगा लीजिये, अथवा वी० पी० का आर्डर दीजिये। पुस्तक की बहुत थोड़ी प्रतियां बाकी बची हैं, अतः आप शीघ्र ही अपनी पुस्तक का आर्डर दें अन्यथा बिक जाने पर दूसरे संस्करण तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

पता—राष्ट्र-भारती मण्डल—इलाहाबाद

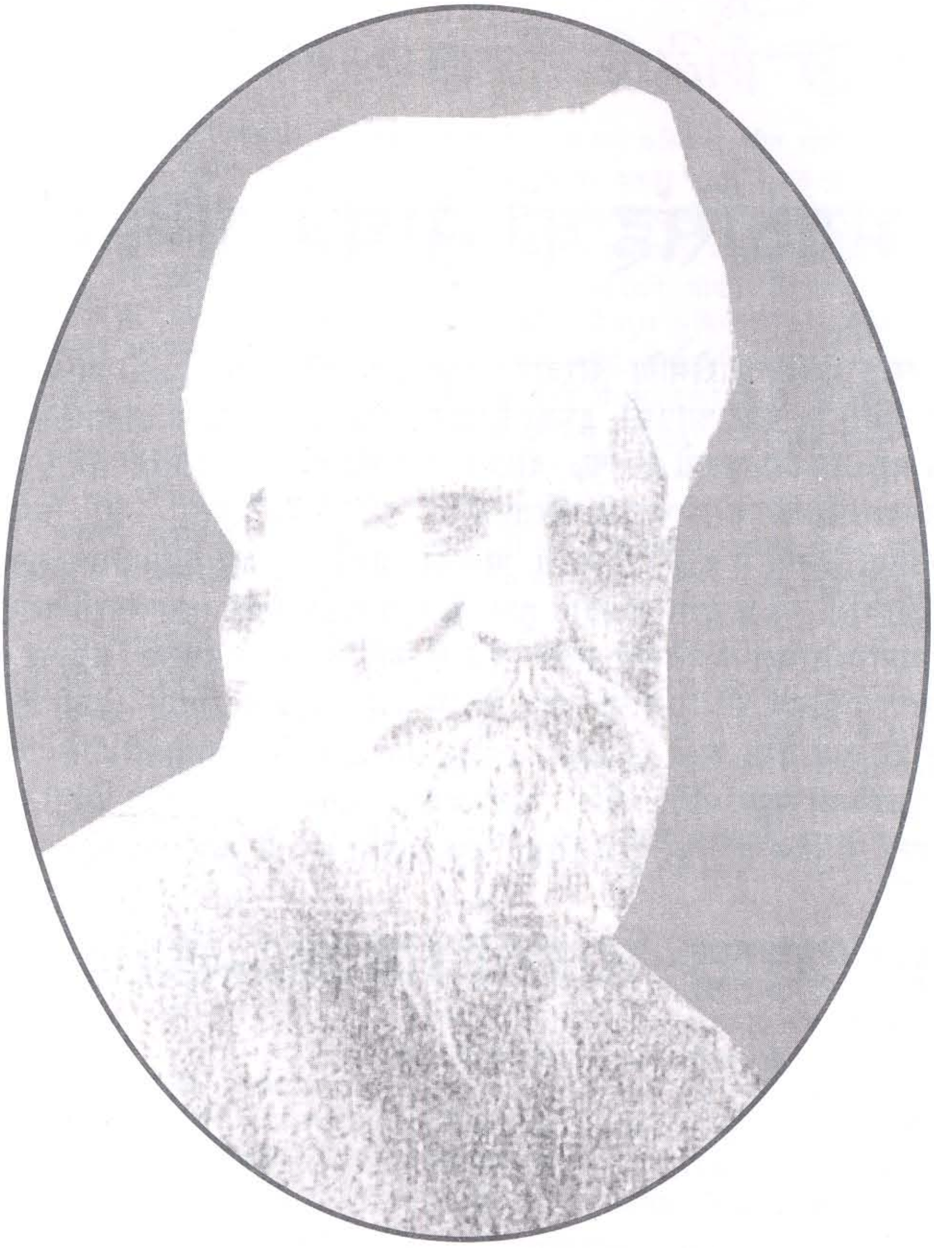

भगतसिंह के पिता-सरदार किशनसिंह

भगतसिंह की माता

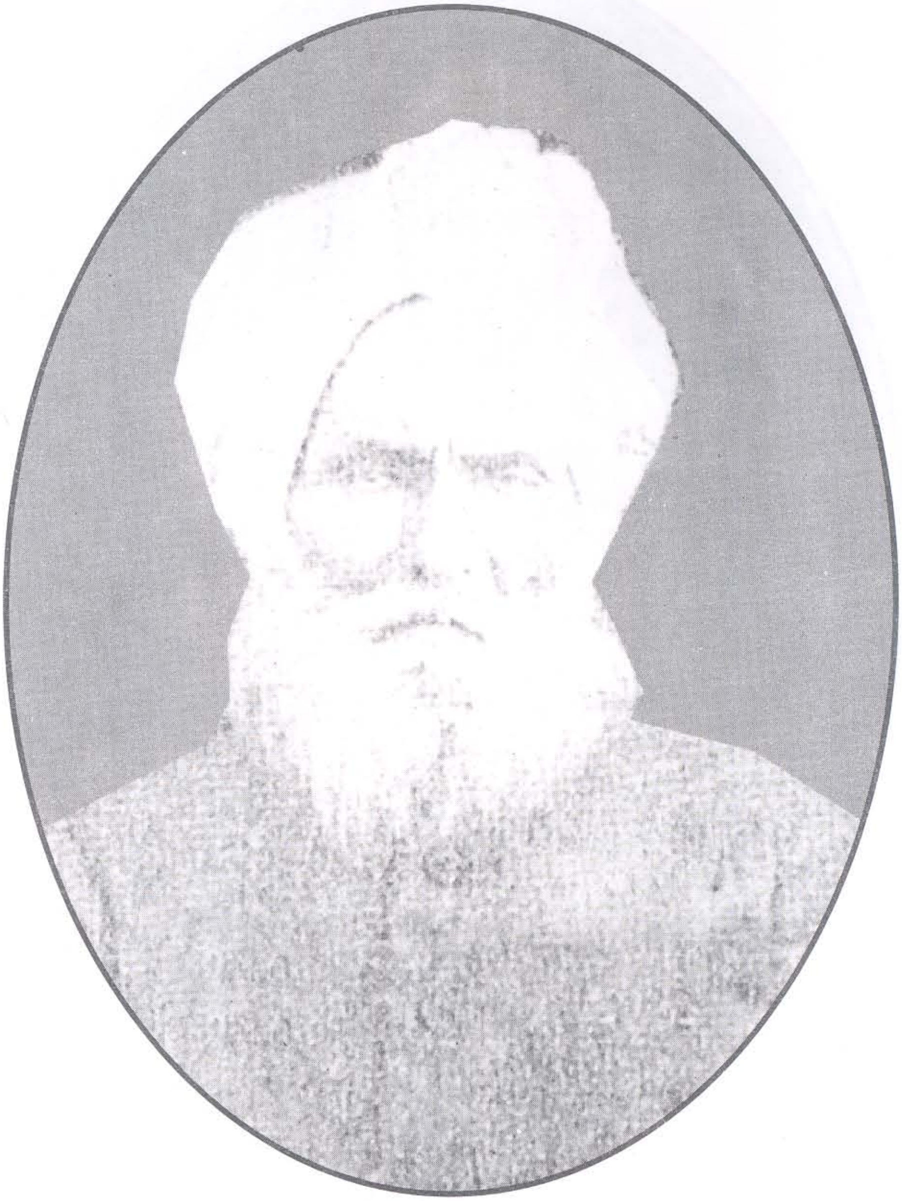

भगतसिंह के बाबा सरदार अर्जुनसिंह

भगतसिंह की दादी

1. सरदार किशन सिंह 2. श्रीमती अमर कौर 3. श्रीमति सरला देवी
4. स्व० राजगुरू की माता 5. फर्श पर बैठा लड़का शहीद भगत सिंह का छोटा भाई सरदार कुलदीप सिंह

छोटे बच्चे के साथ शहीद भगत सिंह की बहन,
राजगुरू की बहन एवं राजगुरू की माता

Hari Krishna

LAHORE CONSPIRACY CASE
DECISION.
SENTENCED TO DEATH

भगतसिंह का अन्तिम गान

मेरा रङ्ग दे बसन्ती चोला।*

इसी रङ्ग में गाँधी जी ने, नमक पर धावा बोला।
मेरा रङ्ग दे०

इसी रङ्ग में वीर शिवा ने, माँ का बन्धन खोला।
मेरा रङ्ग दे०

इसी रङ्ग में भगतदत्त ने, छोड़ा बम का गोला।
मेरा रङ्ग दे०

इसी रङ्ग में पेशावर में, पठानों ने सीना खोला।
मेरा रङ्ग दे०

इसी रङ्गमें बिस्मिल अशफाकने सरकारी खजाना खोला।
मेरा रङ्ग दे०

इसी रङ्गमें वीर मदन ने गवर्नमेंट पर धावा बोला।
मेरा रङ्ग दे०

इसी रङ्ग में पद्मकान्त ने माडर्न पर धावा बोला।
मेरा० रङ्गदे०

---

*यह गान सरदार भगतसिंह को बहुत प्रिय था। फाँसी होते समय उन्होंने इसे गाया था।